त्रयोदश माला, खंड 16, अंक 27

सोमवार, 23 अप्रैल, 2001

3 वैशाख, 1923 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY

No. 51

Date 19/9/2001

(खण्ड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल-अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 27, सोमवार, 23 अप्रैल, 2001/3 वैशाख, 1923 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 501 से 503	9-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 504 से 520	35-68
अतारांकित प्रश्न संख्या 5243 से 5472	68-370
सभा पटल पर रखे गए पत्र	370-375
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश और अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	375-376
सेल्युलर टेलीफोन सेवा के बारे में दिनांक 26 फरवरी, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
तथा	
शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण	
श्री राम विलास पासवान	376-377
प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
(एक) हवाई अड्डों के विकास और उन्नयन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 2001 का तारांकित प्रश्न संख्या 210	
(दो) विमान चालकों के पलायन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 2001 का तारांकित प्रश्न संख्या 220	
श्री शरद यादव	377-378
कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	378
नियम 377 के अधीन मामले	378-386
(एक) चीनी के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल	378-379
(दो) बिहार में पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के उचित रख–रखाव की आवश्यकता	
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	379
(तीन) गुजरात में उमरपाड़ा और अम्बाजी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जानें की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. बसावा	379-380
(चार) उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पदमसेन चौधरी	380
(पांच) राजस्थान में सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन का आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जस कौर मीणा	380-381

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(छह) झारखंड में जलधारा योजना को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	381
(सात) नागपुर और निजामुद्दीन के बीच गोंडवाना एक्सप्रेस की सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	381-382
(आठ) कर्नाटक के मेडा समुदाय जैसे समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार	382
(नौ) दक्षिणी राजस्थान में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ताराचन्द भगोरा	382-383
(दस) उड़ीसा में ढेकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भुवन शहर को केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित लघु एवं मध्यम शहर विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. पी. सिंह देव	383
(ग्यारह) त्रिपुरा में रह रहे रिआंग शरणार्थियों को शीघ्र मिजोरम वापस भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री समर चौधरी	383-384
(बारह) बिहार में भागलपुर में विद्युतकरघा/हथकरघा श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुबोध राय	384
(तेरह) सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री के. येरननायडू	384-385
(चौदह) बिहार में रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ियों पर सैनिक छावनी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	385
(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बार–बार आ रही बाढ़ से बचाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र विजय सिंह	386
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत-बंगलादेश सीमा पर हाल की घटनाएं	
श्री जसवन्त सिंह	387-388
श्रीमती सोनिया गांधी	389
श्री मुलायम सिंह यादव	389-391
श्री के. येरननायडू	391-392
श्री सुबोध राय	392
श्री मोहन रावले	392-393
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	393-394

लोक सभा

सोमवार, 23 अप्रैल, 2001/3 वैशाख, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों की बंगलादेश के सैनिकों ने हत्या की है...*(व्यवधान)* उनके शरीर को छिन्न–भिन्न किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, मुझे आपकी सूचना के बारे में कुछ कहना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे, मुझे कुछ कहना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं के किसानों की फसल की लूट हो रही है।...*(व्यवधान)* गेहूं का किसान परेशान है।

श्री मोहन रावले : जैसे पाकिस्तानी फौजों ने धोखे से हमारे फौजियों को मारा था उसी तरह से बंगलादेश के सैनिकों ने हमारे जवानों को मारा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको पहले सुनना चाहिए। हमारे जवानों को बड़ी बेदर्दी से मारा गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, श्री शिंदे, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें उनके स्थान पर बैठने के लिए कह रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दो सूचनाएं दी गई हैं। एक सूचना श्री मोहन रावले द्वारा प्रश्न काल को स्थगित करने तथा दूसरी सूचना श्री प्रकाश अम्बेडकर द्वारा स्थगत प्रस्ताव के संबंध में दी गई है। अध्यक्ष महोदय ने दोनों ही सूचनाओं को नामंजूर कर दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अम्बेडकर, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने अध्यक्ष महोदय को सूचना दी है कि प्रश्न काल के बाद वह भी वक्तव्य देने के लिए समान रूप से इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को सूचना दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रक्षा मंत्री प्रश्न काल के बाद वक्तव्य

देंगे और आप भी उस समय मामले को उठा सकते हैं। अब प्रश्न काल शुरू करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हमारे बाला साहेब ठाकरे देशभक्ति की बातें करते हैं तो उनके मताधिकार को छीन लिया जाता है और जब हमारे सैनिकों को इस तरह से मारा गया है तो सरकार केवल लेटर लिख रही है।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : शुक्रवार को हमारा नोटिस था, क्यों नहीं संसद में इस पर सवाल उठा।...*(व्यवधान)* बंगलादेश में हमारे जवानों के साथ बदसलूकी की जा रही है।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने जो सवाल उठाया है, वह गंभीर है। संसदीय कार्य मंत्री इसका जवाब दें, अच्छा है। आज पूरे देश के अंदर आक्रोश है। पूरा देश जानना चाहता है कि बगलादेशियों ने जानवरों की तरह हमारे जवानों की क्यों हत्या की लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। यह देश का सवाल है। माननीय रघुवंश प्रसाद जी आज कांग्रेस के मित्र हैं। आप कह रहे हैं कि बारह बजे के बाद इस मामले को उठाइए। बारह बजे के बाद वैसे ही हाउस नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री 12.00 बजे वक्तव्य देंगे, यह जानकारी अध्यक्ष महोदय को पहले ही दी जा चुकी है और मैं श्री मोहन रावले, श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर तथा आपको भी उस समय बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के रहते देश सुरक्षित नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत गंभीर प्रश्न है। सारा सदन इस बारे में जानना चाहता है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। यह देश की सुरक्षा का गंभीर सवाल है। इस सरकार के रहते देश की सुरक्षा नहीं हो सकती चाहे बंगलादेश हो या कारगिल हो। दूसरी तरफ किसान बरबाद हो रहा है। बारह बजे के बाद हाउस नहीं चलेगा। आप हमें गारंटी दीजिए कि बारह बजे के बाद हाउस चलेगा और उस समय हमें अपनी पूरी बात कहने का मौका देंगे तो ऐसे में हम बैठ जाएंगे। आप बारह बजे के बाद हाउस चलाइए। हम तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप हाउस चलाने देंगे तो चलेगा।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो। हम इसके लिए तैयार हैं लेकिन आप गारंटी दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बारह बजे के बाद सदन चलाने के लिए बैठा हूं। आप सदन चलाने देंगे तो चलेगा।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के रहते हमारा देश सुरक्षित नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : आप कांग्रेस वालों से पूछिए कि वे सदन चलाने देंगे या नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यदि बारह बजे के बाद सदन चलेगा तो मैं तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक क्वश्चन का टाइम निकल गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथ बात करके इस पर बहस करानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इनके राज में बंगलादेश हमारी यह दुर्दशा कर रहा है।...*(व्यवधान)* ये* हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, अब प्रश्न काल आरंभ करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? क्या आप किसी को बात नहीं करने देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारा गला खराब हो गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा भी गला खराब हो गया है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : उपाध्यक्ष महोदय, बंगलादेश की सीमा पर जो घटना घटी, उसके संबंध में सदन के सभी हिस्सों के सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की, उससे मैं और सरकार सहमत है। जो आरोप लगाए गए, उसका उत्तर देने का यह स्थान नहीं है। इसलिए मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सरकार की तरफ से इतना कह सकता हूं कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद रक्षा मंत्री यहां आकर...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी की बात सुनें। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बंगलादेश में हमारे जवानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। यह व्यवहार बर्दाश्त करने लायक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हस्तक्षेप न करें। उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महादेय : कृपया इस तरह व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनी चौबे कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महादेय, इतना ही नहीं, वे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया है?

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : दूसरे मैम्बर के लिए कहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई भी शब्द कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मेरे और चेयर के बीच में आप क्यों आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार** कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) :*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी शब्दों को कार्यवाही–वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आप उनसे माफी मंगवाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भडाना, आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने शब्दों को वापस लीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपने इन शब्दों को वापस लेने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे शब्द वापस लेने के लिए कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रमोद महाजन, कृपया मेरी सहायता कीजिए।

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
**कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भडाना, कृपया खेद व्यक्त कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना : उपाध्यक्ष जी, मैंने ऐसी भावनाओं से नहीं कहा लेकिन इस हाउस में जिस तरीके से रूलिंग पार्टी के सदस्य व्यवहार कर रहे हैं...*(व्यवधान)* अगर रूलिंग पार्टी के सदस्य और मिनिस्टर चेयर को आदेश देंगे...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा नहीं कहा फिर भी उसके लिए माफी मांगता हूं।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, क्या सदन में कोई मर्यादा है या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मर्यादा है, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। अब प्रश्न काल होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से कांग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं, अगर मैं भी वैसी भाषा बोलूंगा तो उन्हें आपत्ति होने लगेगी। यह इस तरह की भाषा यहां न बोलें, आप उन्हें बताइए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन सभी टिप्पणियों को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष जी, मैं इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, मैंने कभी न आदेश दिया है और न ही देना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मैंने केवल यह कहा था कि साधारण नियम की परम्परा में एक सदस्य दूसरे सदस्य को * नहीं कहता है, इसी की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था, शायद उन्हें कुछ और लगा हो और उन्होंने कुछ कहा है। वैसे भी मेरे पिता की कोई स्टेट नहीं है, यह चेयर तो हो ही नहीं सकती, इसलिए मुझे उसकी कोई ज्यादा चिंता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बंगलादेश के संबंध में जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं, मैं उनसे सहमत हूं और मैं सदन को यह सूचित करना चाहता था कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद रक्षा मंत्री यहां आकर स्थिति के संबंध में अपने बयान देंगे। उसके पश्चात् सदन जिस प्रकार से इस पर चर्चा करना चाहता है, उस प्रकार से चर्चा करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह एक संवेदनशील मामला है और इस पर सारे सदन से एक आवाज उठनी चाहिए, इसका हम ध्यान रखें, इतना ही मुझे कहना है। आखिर कुछ घटनाएं होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से बंगलादेश का निर्माण और उससे अपने रिश्ते, उन पर भी किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, इसका भी ध्यान सदन के सारे सदस्य रखें, इतनी मेरी प्रार्थना है।.....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.17 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सड़क परियोजना हेतु मलेशियाई कंपनियों को ठेके

[अनुवाद]

***501. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री संयुक्त सलाहकार परिषद द्वारा सड़क परियोजनाओं के विकास के बारे में 12 मार्च, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मलेशियाई कंपनियों को किन दरों पर ठेके दिए गए हैं और प्रत्येक ठेके की कुल लागत कितनी है;

(ख) इन छह मलेशियाई कंपनियों के क्या नाम हैं;

(ग) प्रत्येक मलेशियाई कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(घ) क्या इन छह मलेशियाई कंपनियों में से किसी कंपनी ने भारतीय कंपनियों को ठेके देने के बारे में सरकार से अनुमति मांगी है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कितने प्रतिशत कार्य के लिए अनुमति मांगी गई और कितने प्रतिशत कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई?

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) 12 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार पांच मलेशियाई कंपनियां नौ ठेका पैकेजों में शामिल थीं। इनके ब्यौरे संलग्न अनुबंध पर हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	ठेका पैकेज	उप ठेके का प्रतिशत
(i)	रा. रा.–8 का गुड़गांव–कोटपुतली खंड	ठेका मूल्य का 1.7%
(ii)	रा.रा.–2 का रानीगंज–पानागढ़ खंड	ठेका मूल्य का 0.2%
(iii)	रा.रा.–5 का इलुरू–विजयवाड़ा खंड	ठेका मूल्य का 15.4%
(iv)	चैन्नई बाइपास रा.रा.–4 और 45	ठेका मूल्य का 20%

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अनुबंध

क्र.सं.	ठेका पैकेज	लंबाई (कि.मी.)	सौंपी गई लागत (करोड़ रु.)	दर प्रति कि.मी. (करोड़ रु.)	ठेकेदार का नाम	भारतीय कंपनी का नाम और इसका हिस्सा	मलेशियाई कंपनियों का नाम और उनका हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुड़गांव–कोटपुतली रा.रा.–8 (हरियाणा, राजस्थान)	126	265	2.1	बीएससी–आरबीएम–पीएटीआई (भारत–मलेशिया संयुक्त उद्यम)	बी. सीनह कंपनी लि. (बीएससी) –50प्रति	1. रोड बिल्डर मलेशिया (आरबीएम) –25% 2. प्रोगेसिव आटोमेशन टेक्नालाजी इंटरनेशनल (पीएटीआइ)–25%
2.	रानीगंज–पानागढ़ रा.रा.–2, (पश्चिम बंगाल)	42	161	3.8	बीएससी–आरबीएम–पीएटीआई (भारत–मलेशिया संयुक्त उद्यम)	बी. सीनह कंपनी लि. (बीएससी) –50%	1. रोड बिल्डर मलेश्यि (आरबीएम) –25% 2. प्रोगेसिव आटोमेशन टेक्नालाजी इंटरनेशनल (पीएटीआइ)–25%
3.	बरवाअड्डा–बाराकर रा.रा.–2 (बिहार)	43	134	3.1	बीएससी–आरबीएम–पीएटीआई (भारत–मलेशिया संयुक्त उद्यम)	बी.सीनह कंपनी लि. (बीएससी) –50%	1. रोड बिल्डर मलेशिया (आरबीएम) –25% 2. प्रोगेसिव आटोमेशन टेक्नालाजी इंटरनेशनल (पीएटीआइ)–25%
4.	इलुरू–विजयवाड़ा रा.रा.–5 (आंध्र प्रदेश)	72	147	2.0	मधुकॉन–बीनापुरी (भारत–मलेशिया) संयुक्त उद्यम)	मधुकॉन–51%	बीनापुरी होर्डिंग्स, वीएचडी–49%
5.	चिलाकलुरीपेट–विजयवाड़ा–पैकेज–1 (रा.रा.–5 के 355 कि.मी. से 380 कि.मी. तक) (आंध्र प्रदेश)	25	60	2.4	आईजेएम–गायत्री (मलेशिया–भारत (संयुक्त उद्यम)	गायत्री–40%	आईजेएम कार्पोरेशन बरहार्ड –60%
6.	चिलाकलुरीपेट–विजयवाड़ा–पैकेज–2 (रा.रा.–5 के 380 कि.मी.) से 396.8 कि.मी. तक) (आंध्र प्रदेश)	16.8	59	3.5	आईजेम–गायत्री (मलेशिया–भारत) संयुक्त उद्यम)	गायत्री–40%	आईजेएम कार्पोरेशन बरहार्ड –60%

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	चिलाकलुरीपेट–विजयवाड़ा–पैकेज–3 (रा.रा.–5 के 408 कि.मी. से 421 कि.मी. तक) (आंध्र प्रदेश)	13	55	4.2	आईजेएम–गायत्री (मलेशिया–भारत संयुक्त उद्यम)	गायत्री–40%	आईजेएम कार्पोरेशन बरहार्ड –60%
8.	चेन्नै बाइपास–चरण–1 रा.रा.–4 और 45 (तमिलनाडु)	19	50	2.6	आईजेएम–सत्यम (मलेशिया–भारत संयुक्त उद्यम)	सत्यम–51%	आईजेएम कार्पोरेशन बरहार्ड–49%
9.	नैल्लोर बाइपास (बीओटी परियोजना) रा.रा.–5 (आंध्र प्रदेश)	15	बी.ओ.टी.		यूनाइटेड इनफ्रास्ट्रक्चर (मलेशिया)	–	यूनाइटेड इनफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स प्रा.लि.–100%

श्री नरेश पुगलिया : उपाध्यक्ष जी, पिछली 12 मार्च को इस विषय में मैंने एक प्रश्न पूछा था, उस पर मान्यवर चेयर से कहा गया था कि इससे ज्यादा जो भी इनफोर्मेशन मुझे चाहिए, मंत्री महोदय को उसे भेज देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि देश में सुपर एक्सप्रेस हाइवेज और नेशनल हाइवेज के काम बड़े जोरों से चल रहे हैं और खासकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम ये सुपर एक्सप्रैस हाइवेज जल्द से जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के अंदर आज तक जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सारे विदेशी लोग और बड़े–बड़े कंट्रीज उन्हें अपने देश में बुलाकर काम देते हैं और उससे भारत की रेप्यूटिड कंपनियों को विदेशों में भारी मात्रा में काम मिल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत जैसे देश में मलेशिया जैसे छोटे से राष्ट्र को हमारे यहां के नेशनल हाइवेज और सुपर एक्सप्रैस हाइवेज के काम दिये जा रहे हैं और इसमें खासकर कांट्रैक्ट की जो कंडीशंस बनाई गई हैं, मान्यवर मंत्री महोदय नये हैं, इन्होंने अभी अभी चार्ज लिया है। मेरी उनसे गुजारिश है, मैं हाउस के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इसके डीप में जाइये तथा देश के अंदर जो कंपनियां हैं, वे टेंडर नहीं ले सकीं, बिडिंग नहीं कर सकीं। इसमें ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं जिनके माध्यम से विदेशी कम्पनियों ने यह काम लिया है और बड़ी कीमत देकर लिया है। इसमें उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि कांट्रैक्ट विदेशी कंपनियां लेती हैं और एक्जीक्यूशन हिंदुस्तानी कंपनियों के माध्यम से होता है। सारा काम सब कांट्रैक्ट के माध्यम से हिंदुस्तानी कंपनियां कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मलेशियन कंपनी ने आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक इस कांट्रैक्ट में अपना कितना धन लगाया है और अपनी खुद की कितनी मशीनरी लगाई है, इसकी जानकारी आप सदन को देने की कोशिश करेंगे। यह मेरे प्रश्न का (ए) पार्ट है।

[अनुवाद]

मैंने अपना प्रश्न छह भागों में पूछा है अर्थात् (क) से (च), इसलिए मुझे अनुपूरक प्रश्न भी भागों में पूछने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मलेशियन कंपनीज ने जो सब कांट्रैक्ट इंडियन कंपनीज को दिया है, क्या इसकी इजाजत केन्द्र सरकार की परटीकुलर मिनिस्ट्री से ली है, यदि ली है तो कौन से देश ने उसमें एप्लाई किया है और कब आपने उसकी इजाजत दी है। मेरे प्रश्न का सी पार्ट यह है कि इस कांट्रैक्ट में ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं कि हिंदुस्तान की एक भी कंपनी इस कांट्रैक्ट को अपनी बिडिंग में, टेंडर में इस्तेमाल नहीं कर सकी। मेरे प्रश्न के ए. बी. सी. तीनों पार्ट्स का उत्तर माननीय मंत्री महोदय देंगे, ऐसी मेरी अपील है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि शायद कुछ गलतफहमी है। जो बिडिंग का प्रोसीजर मैंने पिछली बार भी बताने की कोशिश की थी और आज फिर सूक्ष्म में दोहरा रहा हूं कि ये सब इंटरनेशनल बिडिंग हैं जिसमें भारत के, विदेश के जाइंट वैंचर सबको इजाजत है। बिडिंग करने से पहले प्री क्वालिफिकेशन का सिस्टम है। उसमें क्या शर्तें हैं वे वेबसाइट पर लिखी हैं और अखबारों में छापी जाती हैं।

श्री नरेश पुगलिया : लेकिन सदन को आप क्यों नहीं बता रहे हैं? सदन जानना चाहता है। हम लोग क्या वेबसाइट देखने जाएंगे? सदन में जब जिम्मेदारी से आप रिप्लाइ दे रहे हैं तो मेहरबानी करें, सदन जानना चाहता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम लोग जाकर आपकी वेबसाइट नहीं देखेंगे। अगर वेबसाइट देखनी है तो हम लोग मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट क्यों हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ये अब ब्यौरा देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : पिछली बार भी प्रश्न में इन्होंने इसी प्रकार से इस चीज को छिपाया और अब वेबसाइट की बात की। अब हमें वेबसाइट देखनी है। आप मुझे प्रोटेक्शन दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे ब्यौरा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछली बार भी जब मैं इनको प्रक्रिया समझा रहा था तो इन्होंने कहा था कि यह लिखित है और आप प्रक्रिया समझाने में हमें गुमराह कर रहे हैं, आप प्रक्रिया के ऊपर चल रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया नहीं समझा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने इनको प्रक्रिया समझाई है कि वर्ल्ड बैंक की कंडीशन्स में क्या शर्तें हैं। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन में दो–तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जिस काम का जितने का ठेका होना है उसका कितना प्रतिशत काम आपको पहले किया जाना चाहिए, कितने धन का काम आपने कर दिया है। दूसरा है कि आपके कैश फ्लो की क्या स्थिति है, आपके पास धन की क्या स्थिति है वह देनी पड़ती है। तीसरा इस प्रकार का है कि आपके कितने रिसोर्सेज़ हैं, मैनपावर, मशीनरी और इक्विपमेंट की क्या स्थिति है। बाकी विस्तार से अगर चाहें तो किताब का पूरा वॉल्यूम है करीब 150–200 पेज हैं जो बताता है कि प्री क्वालिफिकेशन टैंडर किस प्रकार से होते हैं यहां उसका पूरा विवरण नहीं दे सकते। मुख्यतः दो–तीन चीजें हैं। इनका विवरण मैंने 12 मार्च को भी दिया था। उस समय आपने मुझे कहने नहीं दिया था। आज जो मैं समझा रहा हूं इससे पहले कि आपकी गलतफहमी बढ़े कि भारतवर्ष की कंपनियों को इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं सिर्फ आपको आंकड़े दे रहा हूं। अभी 12 मार्च के बाद हमने चार टैंडर दिए हैं और चार में पहले में जो भारतवर्ष के लोगों को, सिर्फ इंडियन कंपनीज को जो टेंडर फॉर्म दिए गए, उसमें 7 लोगों को दिए गए लेकिन बिड सिर्फ एक ने की। इजाजत देने के बाद भी 6 ने बिड नहीं की। दूसरे टेंडर में 17 आदमियों को टेंडर दिए। सिर्फ 7 भारतवासियों ने बिड किया। तीसरे में 10 को दिए और एक ने भी बिड नहीं की और चौथे में 40 को दिए और सिर्फ 7 ने बिड किया। इसलिए यह वातावरण बनाना कि भारतीय लोगों को नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, यह सही नहीं है। यह बहुत बड़ा काम चलने वाला है, 60000 करोड़ रुपये का काम है और 13,300 किलोमीटर है तो अपनी सहूलियत के अनुसार अलग–अलग जगह अपने–अपने टेंडर देते हैं। टेंडर हम 40 भारतीय लोगों को देते हैं और 7 लोग बिड करते हैं।

श्री नरेश पुगलिया : आपकी टर्म्स एंड कंडीशन्स ही ऐसी हैं कि वे नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। कृपया मुझे ठीक से उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

टर्म्स एंड कंडीशन्स को देते हुए 40 आदमी उसमें क्वालिफाइ हुए यह समझने की कृपा करें। 40 आदमी क्वालिफाइ हुए और उसमें से सिर्फ 7 आदमियों ने टेंडर भरे तो क्या हम उनसे जबर्दस्ती टेंडर भरवाएं, यह समझने की कोशिश करें। पहले वर्ल्ड बैंक की कंडीशन सख्त थीं। आपने कहा हम क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन थी कि सौ करोड़ रुपये का काम करना है तो 80 प्रतिशत काम करने की पहले क्षमता होनी चाहिए। हमने उसको घटाकर 40 प्रतिशत किया है। उन्होंने धन की बात की है, उसको भी 70 प्रतिशत पर लेकर आए हैं। वर्ल्ड बैंक

की शर्तों को हमने कमजोर किया है। यह सब हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जितनी इच्छा है कि भारत की कंपनियां आएं उसमें सरकार ने भी मदद की है। भारतीय लोगों के पास मशीनरी नहीं थी, वे बड़ी मशीनरी खरीद नहीं सकते थे। इस सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी माफ की है, इनकम टैक्स में अप्रत्याशित छूट दी गई है। इस बजट में भी 15 साल के लिए छूट दी है।...*(व्यवधान)* आप सुनना नहीं चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपने पहले अनुपूरक प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर दे दिया है? अब दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : और भी आंकड़े मैं दे सकता हूं। हमारी सरकार बहुत इच्छुक है कि भारतवर्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और भारतवर्ष के लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या आ रही है। एक और विवरण दे दूं इनको समझाने के लिए। महोदय, आज हमारे पास मलेशियाई कंपनी सहित कुल 82 ठेके हैं। पूरी स्थिति क्या है–56 भारतवर्ष की हैं, टोटल इंडियन कंपनी हैं। फॉरेनर जो पूर्ण विदेशी हैं, मलेशियन नहीं, सब देशों को मिलाकर, वे 9 हैं और पूरे जॉइंट वैंचर सिर्फ मलेशियन नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट वैंचर 17 हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुल 82 में से 56 भारतीय काम कर रहे हैं। फिर वे कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी काम नहीं कर रहे हैं। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे इस प्रकार का वातावरण न बनाएं। भारतवर्ष के लोग काम करें, इसके लिए हम इच्छुक हैं और हम चाहते हैं कि भारत के लोग काम करें।

श्री नरेश पुगलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहा था कि मलेशियन कंपनी ने इसमें कितना धन लगाया है और कितनी मशीनरी इम्पोर्ट की है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्न के इस भाग का कोई उत्तर नहीं दिया?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भवन चंद्र खंडूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारी जानकारी अपने प्रश्न के साथ जो परिशिष्ट संलग्न हैं, उनमें दी है। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे मेरे पूरे उत्तर को देखने की कृपा करें और उसके साथ संलग्न चार्टों को भी पढ़ें, जो जानकारी उन्होंने चाही है, वह पूरी जानकारी दी गई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए। क्या आपने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछा है?

नरेश पुगलिया : जी नहीं, मैं अब पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह प्रवृत्ति बन गई है कि प्रश्नकर्त्ता वक्तव्य देता है और भाषण भी, मंत्री भी उतना ही लंबा भाषण देते हैं। माननीय सदस्य आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए और मंत्री महोदय उत्तर देंगे। लंबा–चौड़ा भाषण नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों ने जो अपना धन और मशीनरी लगाने के लिए कहा था, क्या उन्होंने वह लगाई क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार वे कंपनियां काम देशी कंपनियों से करवा रही हैं और इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं जैसी कि यह सरकार स्वदेशी की बात कहती है, क्या उसके अनुसार भविष्य में जितने भी इस प्रकार के कांट्रैक्ट हैं, उन्हें स्वदेशी कंपनियों को देने पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि कांट्रैक्ट के अनुसार विदेशी कंपनियों ने जितना धन और लगाने की बात कही थी वह नहीं लगाई है। उस सबका विवरण मैंने अपने उत्तर के साथ परिशिष्टों में दे दिया है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। जो आठ मलेशियन कांट्रैक्टर थे उनमें से पांच भारतीय कांट्रैक्टर मेजर पार्टनरशिप में हैं यानी, 50 51 और 52 प्रतिशत शेयर हैं और बाकी तीन में 40 प्रतिशत के करीब हैं। वे अपना धन और मशीनरी उसमें लगा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, इन ठेकों में भारतीय कंपनियां भी भाग ले रही हैं। परन्तु यह ठेका पैकेज बड़ा होने के कारण, इस पर काफी हंगामा हो रहा है। भारतीय कंपनियां इसमें भाग क्यों नहीं ले रही हैं? इसका कारण शायद इन पैकेजों का बड़ा होना है। वैसे भी संयुक्त उद्यम के बाद वे अंततः इन्हें

उप–ठेकों पर दे रहे हैं। इसके बजाय बड़े पैकेजों के लिए भी, आप छोटे पैकेजों को अनुमति दे सकते हैं। भारतीय कंपनियां भी काफी सक्षम हैं। हम अच्छी मशीनों का आयात कर रहे हैं। बड़े पैकेज की शर्तों के कारण इसमें ज्यादा कंपनियां भाग नहीं ले रही हैं। इसलिए एक बड़े पैकेज के बजाय इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इससे भारतीय कंपनियां भी इस ठेके में भाग लेंगी और कार्य में भी तेजी आएगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : यह सुझाव बहुत अच्छा है। हम भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को समझें। चल रही परियोजनाओं में से 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केवल एक परियोजना पर हमारे और मलेशिया के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है। 300 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये के बीच के केवल तीन ठेके हैं। 200 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये के बीच के केवल 13 ठेके हैं। 100 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये के बीच के केवल 23 ठेके हैं। 82 ठेकों में से 42 ठेके 100 करोड़ रुपये से कम के हैं। हम इसे और कम करने में इच्छुक हैं और इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि इस बात को देखते हुए कि बिहार के विकास से संबंधित अधिकतर परियोजनाओं और योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग नं.–1, जो मध्य बिहार के औरंगाबाद से रजौरा तक जाता है, पर 4 महीने पहले ही कार्य शुरू होना था परंतु, आज तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या सरकार सचमुच चाहती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं–एक का विकास कार्य परियोजना के रूप में परिणत हो जाए?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : वास्तव में वे यह जानना चाहती हैं कि क्या इसमें मलेशियाइयों की रुचि है?

श्रीमती श्यामा सिंह : इसको देखते हुए कि बिहार की सभी परियोजनाओं को पृथक–पृथक कर दिया गया है, क्या इस परियोजना को शुरू किया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। अब हम इसका उत्तर सुनेंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : माननीय सदस्या का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न मलेशियाई ठेके से संबंधित हैं जो कुछ भी उन्होंने पूछा है मैंने उसे नोट कर लिया है। मैं इसका उत्तर भेज दूंगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस ठेके के लिए मलेशियाई इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन मलेशियन कंपनियों को कांट्रैक्ट दिए गए हैं उनके बारे में कई समाचारपत्रों में निकला है कि उनके पास कार्य का कोई अनुभव नहीं है और वे फोर्ज्ड सर्टिफिकेट देकर कांट्रैक्ट्स ले रहे हैं। इसी कारण इस देश के कांन्ट्रैक्ट रोड़ बिल्डर से सबलेट कर रहे हैं। मंत्री जी को इस बात की जानकारी है और क्या उनके मंत्रालय ने समाचार पत्रों की तरफ ध्यान दिया है? यदि दिया है तो क्या उन छह कंपनियों की आप जांच कराने जा रहे हैं और उन्होंने जो फोर्ज्ड सर्टिफिकेट देकर काम किया है, क्या उसकी जानकारी भी मंत्री जी को है? यदि है तो क्या आप उसकी जांच करा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सवाल पूछे हैं, वह उसका जवाब दे रहे हैं।

मेजन जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आदेश था कि कायदे के अनुसार जितने भी कांट्रैक्ट हैं, उसका 50 प्रतिशत सब कांट्रैक्ट हो सकता है। आज तक जितने सब कांट्रैक्ट हुए हैं, उसका विवरण यहां पर दे दिया गया है। मैं माननीय सदस्य की शंका से वाकिफ हूं और मैं समझता हूं कि हम सब पर ध्यान दे रहे हैं कि अनऔथराइज्ड सबलेटिंग न हो। इसके ऊपर जहां भी एक्शन लेना है, वह एक्शन हम ले रहे हैं। एक–दो चीजें मेरे ध्यान में आई थीं और मैंने उस पर कार्यवाही की है। हमारी यह इच्छा थी कि जो भी होगा सब तरह से औथराइज्ड सबकांट्रेक्टिंग होगा।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : माननीय मंत्री ने विभिन्न कार्यों और उनके ठेकेदारों के नामों की तालिका दी है। उन्होंने वर्तमान स्थिति का कहीं उल्लेख नहीं किया है।

दूसरे नेलौर उप–मार्ग ऐसा नौवा कार्य है, जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यह मेरे और माननीय मंत्री श्री वैंकैय्या नायडू दोनों के जिला मुख्यालय में है। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि यह संयुक्त उद्यम नहीं है; इसमें केवल मलेशियाई ठेकेदार हैं और यह बी. ओ. टी. योजना है अर्थात निर्माण, संचालन और हस्तांतरण। जैसा कि श्रीमती आल्वा कह रही थीं आन्ध्र प्रदेश के सारे ठेकेदार उनके पास होने के बावजूद भी उन्होंने यह काम आंध्र प्रदेश के किसी ठेकेदार को क्यों नहीं दिया? इसमें कुछ बुराई नहीं है। हमें इस पर गर्व है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है और उस

परियोजना से संबंधित स्थिति क्या है? इस कार्य के लिए वे आंध्र के या किसी भारतीय ठेकेदार को क्यों नहीं नियुक्त कर पाए? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : केवल आंध्र के लोग ही क्यों? ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो, वह यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। मैं 'मंत्रीजी' को वर्तमान स्थिति के प्रति आश्वस्त करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मुझे दुःख है, भूतपूर्व मुख्य मंत्री...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 'मंत्री महोदय' इस पक्ष के नहीं हैं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : जी हां, महोदय। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। मैं माननीय मंत्री को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी की परियोजना–राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। जी क्यू पर सारे पंचाट जून तक दे दिए जाएंगे और और हम यह काम दिसम्बर, 2003 तक पूरा कर लेंगे। कुछ प्रारम्भिक परेशानियां हैं, परन्तु आगे जाकर इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है।

दूसरे, जहां तक नेलौर उप–मार्ग का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि स्थिति ठीक नहीं है। इसको 1995 में शुरू किया गया था। आप पूछ रहे हैं कि भारतीय लोग इसका ठेका क्यों नहीं ले रहे हैं। चार भारतीय कंपनियां आगे आई थीं, और उनमें से एक कंपनी की दर सबसे कम थी। इसमें कोई भी विदेशी उद्यम नहीं था। उसके बाद, चर्चा करने पर, इस कंपनी को कुछ समस्याएं दिखाई दीं और इस बारे में कई चर्चाएं की गईं। 1996 में, यह निर्णय लिया गया कि मलेशिया की कंपनी भारतीय कंपनियों से परामर्श के बाद, कार्य प्रारम्भ करेगी। अंततः, फरवरी, 1998, में यह ठेका इसी मलेशियाई कंपनी को दिया गया।

परन्तु, यह कंपनी अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है। इसने अपना काम आरम्भ नहीं किया है। हमने इस कंपनी को नौटिस भेजे हैं और आज स्थिति यह है कि हम इस मलेशियाई कंपनी के साथ इस ठेके को रद्द करना चाहते हैं और इसे अन्य निविदाकर्त्ताओं के लिए खोलना चाहते हैं। यही वर्तमान स्थिति है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : शुरू में यह ठेका मैसर्स गायत्री को दिया गया था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी : मुझे पता है। मैसर्स गायत्री ने इसे लेने से इंकार कर दिया था।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : इस पर क्या जुर्माना है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी : जुर्माना यह है कि कंपनी की जमा राशि हमारे पास है। हम इसकी जमा राशि, जो करीब 50 लाख रुपये है, जब्त करने वाले हैं।

डाक टिकटों का मुद्रण

***502. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक टिकटों के मुद्रण संबंधी कोई घोटाला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डाक–टिकटों के मुद्रण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (तपन सिकदर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

डाक–टिकटों के मुद्रण में कोई घोटाला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में डाक–टिकटों के मुद्रण पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि
1998–99	2,29,42,068 रुपये 50 पैसे
1999–2000	5,28,70,281 रुपये 60 पैसे
2000–2001	1,72,47,268 रुपये 50 पैसे (फरवरी, 2001 तक)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर दिया गया है कि डाक टिकटों के मुद्रण में कोई घोटाला सरकार के ध्यान में नहीं आया

है। दूसरी तरफ एक तारांकित प्रश्न नम्बर 111 जो कि श्री शीश राम रवि जी का प्रश्न था, उसका उत्तर सरकार ने 21 जुलाई, 2000 को दिया है। उस उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि 16 ऐसे मामले सामने आये हैं जिसके संबंध में सी. बी. आई. और पुलिस में इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने कहा है कि इसमें 32 आदमियों पर कार्यवाही की गई है। 19 बाहरी हैं और 13 डिपार्टमैंटल हैं, 22 डिपार्टमैंटल लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि घपले और घोटाले का इतना गंभीर सवाल हो और सरकार ने जान-बूझकर उस मामले को दबाने का प्रयास किया है, जो उत्तर आया है, क्या यह गलत है या आज सरकार जो उत्तर दे रही है, वह गलत है?

उपाध्यक्ष महोदय : ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम जानना चाहेंगे कि जिस पदाधिकारी ने माननीय मंत्री जी को गुमराह किया और घपले और घोटाले की साजिश करने वालों को बचाने का प्रयास किया, क्या मंत्री जी उनकी जांच करवा कर सदन को बताएंगे?

श्री तपन सिकदर : उनकी जांच जरूर करवाएंगे और देखेंगे जैसा आपने बताया है लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि हमारे सामने ऐसे किसी घोटाले का विषय नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : इन्हीं का उत्तर है, हम इनको दे देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : किस विषय पर है, दे दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जैसे हिन्दुस्तान अखबार में 19.3.2001 को छपा था कि स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 28-29 जनवरी को जारी किए गए डाक टिकट, जिन पर योगेन्द्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल और जुब्बा साहनी की तस्वीर छपी हुई है, उन सब तस्वीरों के जाली टिकट बिक रहे हैं और खासकर यह बताया गया है कि संसद मार्ग स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस से उस सीरीज की ढेर सारी टिकटें खरीदी गई हैं जिनको पानी में डालने के पांच मिनट बाद उनकी तस्वीर वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाती है। क्या इस बात की जानकारी अभी तक सरकार को है या नहीं? यदि नहीं है तो उस अखबार के आधार पर घपले और घोटाले का जो समाचार छपा है, सरकार उन बिन्दुओं पर जांच करवाएगी और यदि करवाएगी तो जांच करवा कर कब तक सदन को अवगत करवाएगी?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा। सरकार की नॉलेज में यह बात आई थी कि कुछ डाक टिकट जो योगेन्द्र शुक्ल के जारी किए गए हैं, उनमें पानी डालने के बाद उनका रंग निकल जाता है, उसकी जांच की गई थी लेकिन वह गलत पाया गया। जो डाक-टिकट जारी किए जाते हैं, आप जानते हैं कि नासिक में प्रैस है, वहां से छप कर आते हैं। उसके बाद कुछ छपाई कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट प्रेस से होता है। लेकिन आपने जो इस पर्टीकुलर केस के संबंध में कहा है, डिपार्टमैंट द्वारा उसकी जांच करवाई गई है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुनाथ सिंह ने सिर्फ एक सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसकी हम जांच करवाते। आपने कहा कि हमने जांच करवाई है। उन्होंने आपके सामने कुछ ठोस सवाल रख दिए हैं कि यह घोटाला हुआ है। अब आपकी जानकारी में आ गया है तो क्या आप उसकी जांच करवाएंगे?

श्री राम विलास पासवान : मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, वह किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र के घोटाले के संबंध में था। यह प्रश्न डाक टिकट के मुद्रण के संबंध में है। डाक टिकट के मुद्रण के बारे में यदि आप देखेंगे तो दो ही जगहों से करवाते हैं-एक नासिक और दूसरा प्राइवेट पार्टी। यह बात सही है कि नासिक में जो छपाई होती है, नासिक का रेट बहुत हाई होता है, उसका रेट तीन-चार गुना ज्यादा होता है। नासिक में एक लाख टिकट छपवाने में 63,000 रुपये लगते हैं और प्राइवेट पार्टी से करवाने में 16,000 रुपये लगते हैं यानी चौगुना है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वह सरकार की है, हम वहां से छपवाने का काम करते हैं। जहां दूसरी जगह से छपवाए जाते हैं, यदि उनकी मशीन खराब है, जैसे नासिक की मशीन पिछले एक साल से खराब है, उन्होंने लिख कर दिया है कि हम डाक टिकट नहीं छाप सकते, उस परिस्थिति में प्राइवेट पार्टी से करवाया जाता है। प्राइवेट वालों से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही करवाया जाता है जिसमें किसी तरह का कुछ न हो। लेकिन वैसे भी यदि आप देखेंगे तो प्राइवेट पार्टी वाले एक-चौथाई पैसे में छापने का काम कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का घोटाला न कभी हुआ है, न भविष्य में होने की संभावना है। जहां तक जाली टिकट वगैरह का सवाल है, समय-समय पर जब कहीं से शिकायत आती है, या जैसा इन्होंने योगेन्द्र शुक्ला जी की क्वालिटी के संबंध में कहा, उसकी क्वालिटी आदि का मामला, यह सब जहां-जहां **हमारी** नोलिज में आता है तो सरकार उसकी तुरन्त जांच करवाती है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में 1998–99 के अंदर 2,29,42,068.50 रुपये का खर्चा आया। 2000–2001 के अंदर अपेक्षाकृत कम आया, लेकिन 1999–2000 के अंदर 5,28,70,281 रुपये का खर्चा आया। क्या इस वर्ष महापुरुषों की स्मृति में और ज्यादा डाक टिकट प्रकाशित किए गए थे और एक डाक टिकट प्रकाशित करते समय एक सीरीज में कितने डाक टिकट प्रकाशित किए जाते हैं, थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा?

श्री राम विलास पासवान : उसमें जो जवाब है, वह यह नहीं है, वर्षवार कितना भुगतान किया गया है, वह है। भुगतान में बकाया भी रहता है, पिछले साल का भी रहता है, इसलिए यह नहीं है कि उस साल में इतने की छपाई हुई है। छपाई जितनी है, उसमें छपाई का जो मामला रहता है, उसमें जैसे किसी पर्सनेलिटी के ऊपर हम छापते हैं तो दो तरह के डाक टिकट होते हैं। एक डाक टिकट होते हैं जो बिल्कुल परमानेन्ट नेचर के होते हैं, जिसमें साल में हम लगभग 295 करोड़ डाक टिकट छापते हैं, एक डाक टिकट होता है कि हम कभी–कभी पर्सनेलिटी के ऊपर स्पेशल डाक टिकट जारी करते हैं। जिसको आप स्पेशल कहते हैं कि स्टैम्प रिलीज करते हैं। उसमें इस पर निर्भर करता है कि उसमें कितने खरीदने वाले होंगे। उसमें अमूमन कभी चार लाख भी छपता है, कभी एक लाख भी छपता है। पिछली बार हम लोगों ने बिहार में राजकुमार शुक्ला जी के ऊपर एक लाख टिकट छपवाया था, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई लेकिन कुछ टिकट परमानेंट होते हैं, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का डाक टिकट जारी किया गया या गांधी जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। इसमें हम अलग–अलग डिमांड के ऊपर चलते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिन महापुरुषों का डाक टिकट जारी किया जाएगा, उसमें चार लाख से कम डाक टिकट जारी नहीं किया जाएगा। जहां तक आपने रुपया का सवाल उठाया है तो यह रुपया उस साल का नहीं है, हमारा पिछला कांट्रेक्ट रहता है, बिल प्राप्ति के अनुसार कभी किसी साल में कम पेमेण्ट करते हैं, किसी साल में ज्यादा पेमेण्ट कर देते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी को फिर इनके अधिकारियों ने यहां भी गुमराह कर दिया है। अगर देखेंगे तो गत समय का जो क्वैश्चन है :

[अनुवाद]

"क्या देश में जाली डाक टिकट परिचालन में हैं;

"यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं, और इन पर क्या कार्रवाई की गई है"

और उसका पार्ट है, इसका जवाब है :

"पिछले तीन सालों में देश के विभिन्न डाक सर्किलों से नकली डाक टिकटों के केवल 16 मामले प्रकाश में आए हैं और इस संबंध में तुरन्त कार्रवाई की गई। इन सभी मामलों की रिपोर्ट पुलिस में की गई। इन मामलों में शामिल 32 लोगों को सीबीआई और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिनमें 19 बाहर के और 13 विभागीय कर्मचारी थे। गिरफ्तार किए गए सभी अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। पुलिस और सीबीआई द्वारा इन मामलों की जांच जारी है। साथ ही विभाग ने कार्रवाई करके इसमें शामिल और 19 अधिकारियों का पता लगाया। इस प्रकार 22 अधिकारियों में से 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस की जांच–पड़ताल जारी होने के कारण बचे हुए 12 अधिकारियों के मामले में..."

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें, न कि उत्तर में दिए गए वक्तव्य को पूरा पढ़ें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मालूम है।

श्री रघुनाथ झा : यह सरकार का जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं है। सरकार ने इसी सदन में जवाब दिया है और इस तरह के केसेज जो पकड़े गये हैं, वे असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यू.पी., नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दीमापुर में, इतनी जगहों पर केसेज पकड़े गये हैं। लेकिन इनके आफिशियल्स ने यहां फिर इनको गुमराह कर दिया और कहा कि स्टैम्प्स की दूसरी तरह की बात है। अब आप ही बताइए कि कौन सही है और क्या सही है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सप्लीमेंट्री क्या है, आप वह पूछें।

श्री रघुनाथ झा : सरकार से ज्यादा जानकारी तो हम ही दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री रघुनाथ झा : अभी भी जो इसमें घपले हुए, केसेज हुए, सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, सस्पेंड किया गया, उसके बाद जो जवाब आया कि इस तरह के घपले नहीं हुए, तो इसमें से कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है और असत्य जवाब देने वालों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी?

श्री राम विलास पासवान : प्रश्न यह है कि क्या डाक टिकटों के मुद्रण संबंधी कोई घोटाला सरकार की जानकारी में आया है।

हमने कह दिया है 'नो', इसमें प्रिंटिंग में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है...*(व्यवधान)* मुद्रण में इतनी पारदर्शिता है कि उसमें किसी तरह के घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रघुनाथ झा : यह भी आपका ही जवाब है, इसको दिखा लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : आप हमें दे दें। जो बात ये कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप उन्हें पूरा सुनें।

[हिन्दी]

मंत्री जी, वे यह सारा पढ़कर सुना चुके हैं, अब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुनाथ झा : आप इसको दिखा लें कि असत्य उत्तर क्यों दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, ये दो प्रश्न हैं। इनमें से एक डुप्लीकेट का है। रघुनाथ झा जी जो कह रहे हैं, वह प्रश्न है,

[अनुवाद]

क्या जाली डाक टिकटों का देश में परिचलन हो रहा है।

[हिन्दी]

पहला प्रश्न है कि क्या मुद्रण में घोटाला हुआ या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : फेक करेंसी का ही तो घोटाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : सवाल का जवाब मंत्री जी ने दिया है। आप जो मामला उठा रहे हैं, वह इससे संबंधित नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : कोई भी स्टाम्प या डाक–टिकट जब रिलीज होती है तो कोई भी आदमी उसको डुप्लीकेट निकाल सकता है। ज्यों ही यह मामला सरकार की जानकारी में आता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सी.बी.आई. को दे देते हैं। यह एक अलग मामला है, यह मुद्रण का प्रश्न है। इसमें जो पूछा गया है कि किसी तरह की घोटालेबाजी हुई है तो हमने कहा कि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

'स्पेक्ट्रम' प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

+

***503. श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने हाल ही में फिक्की द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रम प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में नई फ्रिक्वेंसी आबंटन योजना हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए सरकार और दूरसंचार उद्योग से कहा है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का सेल्यूलर फोन में आने वाली कॉलों को निःशुल्क करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

टीआरएआई के अध्यक्ष ने स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर 28 मार्च, 2001 को आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि स्पेक्ट्रम उपभोक्ताओं और सरकार को आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) आबंटन योजना पर मिल कर कार्य करना चाहिए। टीआरएआई के अध्यक्ष ने, ठोस और पारदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित भविष्योन्मुखी स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली, जिससे सभी स्टेक-होल्डर परिचित हों, स्थापित करने तथा दक्ष स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए एक निकाय का गठन करने और स्पेक्ट्रम हथियाने तथा उसे प्रतिधारित करने से रोकने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

इस समय टीआरएआई सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं में "कॉलिंग पार्टी पेज़" (सीपीपी)-व्यवस्था के संबंध में एक परामर्श दस्तावेज तैयार कर रहा है ताकि इस मामले में सभी स्टेक-होल्डरों के विचार जाने जा सकें। सीपीपी व्यवस्था के अन्तर्गत कॉल किए गए मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए इनकमिंग कॉल निःशुल्क करने पर विचार किया गया है।

श्री राम मोहन गाड्डे : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि यदि सेल्यूलर आपरेटर और मूल सेवा उपलब्धकर्ता किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में मंत्रियों का समूह एक ऐसा समझौता फार्मूला लेकर आएगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो? इस समय इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : इस पर ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। वहां क्या-क्या बातचीत हो रही है, मैं समझता हूं अभी बताना उचित नहीं होगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : वे 40 पैसे में देहात में बात कराना चाहते हैं, मंत्री जी आप देहात के बारे में सोचें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, कृपया बाधा न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, आप क्या कर रहे हैं? यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एक मौका दूंगा, परन्तु आपको इस तरह नहीं करना चाहिए।

श्री राम मोहन गाड्डे : वे सरकारी विभाग जिन्हें दशकों पूर्व स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया, उसका उचित उपयोग करने में असफल रहे, उनसे कहा जाए कि वे उसे वापस कर दें ताकि नई फ्रीक्वेंसी का आबंटन किया जा सके। इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

श्री तपन सिकदर : वस्तुतः फिक्की सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के दौरान 'ट्राई' के अध्यक्ष ने दोनों बातें कहीं कि स्पेक्ट्रम के प्रयोक्ता और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। उनके संबोधन में इसका उल्लेख था। अध्यक्ष ने भविष्योन्मुखी स्पेक्ट्रम प्रबंध प्रणाली की स्थापना के संबंध में भी उल्लेख किया। शेष भाग पूर्णतः 'ट्राई' के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है तथा वे मुफ्त इनकमिंग कॉल प्रणाली पर विचार कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय जी, क्या यह आश्चर्यजनक और अपमानजनक नहीं है कि मंत्रालय द्वारा स्वयं यह निर्धारित करने के बजाय कि हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए, हमारे कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं तथा राष्ट्रीय हित में क्या है, वे इसे पूंजीपतियों के दो समूहों-बेसिक आपरेटर और सेल्यूलर आपरेटर-के लिए छोड़ रहे हैं कि वे आपस में समझौता कर लें तथा केवल इसका समर्थन कर दिया जाए? क्या इसी तरह से देश का शासन चलाया जाना चाहिए? अपने आप नीति बनाने के बजाय, अपना कानून निर्माण करने के बजाय तथा देश के राष्ट्रहित में दूर संचार कारोबार चलाने के बजाय कभी एक समूह का और कभी दूसरे समूह का साथ देकर क्या वे पूंजीपतियों के एक समूह का दूसरे के खिलाफ उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार के काम करने का यही तरीका है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : एक चीज को, हाथी की पूंछ पकड़कर कह देना कि यही हाथी है, लेकिन वह नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया उनसे मेरे प्रश्न का उत्तर देने को कहें। उन्होंने स्वयं कहा है कि वे इसे बेसिक आपरेटरों और सेल्यूलर आपरेटरों को आपस में आम राय बनाने के लिए उन पर छोड़ रहे हैं। वे आम राय क्यों बनाएंगे?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, वे आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने हाथियों के बारे में कभी नहीं पूछा है। मैंने दूर संचार के बारे में पूछा है। कृपया उनसे मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने विचारणीय प्रश्न है, वह बहुत ही लिमिटेड प्रश्न है जिसमें अब पता नहीं क्यों प्रियरंजन दासमुंशी जी ने प्रश्न नहीं पूछा है,... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम बोलेंगे, घबराइये नहीं। हम बोलेंगे और इतना बोलेंगे कि सरकार गिर जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने मामला है, उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है लेकिन मैं उनको बैक–ग्राउंड बतला देना चाहता हूं। मामला यह है कि जब हम लोगों ने जो लाइसेंसी राज था, जब से हम लोगों ने रेवेन्यू शेयरिंग में माइग्रेशन किया, उस समय सेल्यूलर आपरेटर्स के पास 5800 करोड़ रुपये का बकाया था, वह वे नहीं दे पा रहे थे और सारा मामला ठप्प था और उनको लेकर नया रिजाइम दिया गया और नए साल में उनको कहा गया कि इतना बकाया पैसा है, आप उसे पेमेंट करो। वह बकाया पैसा उन्होंने पेमेंट किया और उसमें से सूद के साथ 7300 करोड़ रुपया पेमेंट किया। हमारे माननीय सदस्यों ने मामला उठाया कि जब दो लाइसेंसी 7300 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो चार लाइसेंसी जो दिया गया है,...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : जो सवाल मैंने किया है, यह मेरा सवाल नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मेरे सवाल को उन्होंने समझा नहीं है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं हिन्दी में बोलूं, क्योंकि ये समझते नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं समझ रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं क्या करूं, मैंने जो सवाल किया है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न पर आ रहे हैं। वह आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। वह इससे दूर नहीं भाग रहे हैं। हमें उन्हें सुनने दें।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे उनके उत्तर का इतजार है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह आपके प्रश्न पर आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यदि एक लाइन में, एक शब्द में जवाब चाहते हैं, तो यह सप्लीमेंट्री इस प्रश्न से नहीं उठता है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, कृपया उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने दें। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दर के निर्धारण में 'ट्राई' द्वारा की गई टिप्पणी मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी तथा इसका अनुमोदन कर लिया गया अथवा नहीं। और दूसरा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी आप केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह तहलका भंडाफोड़ से दस गुना अधिक आपत्तिजनक है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह इतना बड़ा तहलका है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप (क) और (ख) भाग के रूप में अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या 7400 करोड़ रुपये मूल्य की पूर्ण गतिशीलता वाले फ्रीक्वेंसी दर की गणना में 'पहले आओ पहले सेवा पाओ' के सिद्धान्त के बजाय 'पहले आओ पहले लूटो' के छोटे रास्ते की प्रक्रिया में सरकार को 13000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ या नहीं। मंत्री जी को 'हां' या 'ना' कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं वही जवाब देना चाह रहा था। मैंने शुरू में वही कहा, जिससे मणि शंकर अय्यर जी को नहीं लगा कि यह नहीं है। मैं इस बात को जानता था। जब हम लोगों ने सेल्यूलर को माइग्रेशन पैकेज में छूट दी थी, तो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री महोदय प्रत्येक प्रश्न को कैसे टाल सकते हैं?...*(व्यवधान)* यह तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)* महोदय, आपको सदन की रक्षा करनी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था...*(व्यवधान)* उन्होंने सम्पूर्ण प्रश्न को टाला है।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है अथवा नहीं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे सीधे आपके प्रश्न पर आ रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, माननीय दासमुंशी जी का एलीगेशन बिल्कुल बेसलैस है। मुझे नहीं मालूम है कि... *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं इसे चुनौती देता हूं ...*(व्यवधान)* कृपया एक समिति का गठन कीजिए...*(व्यवधान)* मुझे इस पर आपत्ति है।**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना होगा...*(व्यवधान)* महोदय, यह मेरे विशेषाधिकार का प्रश्न है।...*(व्यवधान)* महोदय, मंत्री जी ने 'पहले आओ पहले लूटो' आधार पर जानबूझ कर राजकोष को नष्ट किया है।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इसे कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित करने के लिए कहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है। जी, हां, श्री राजीव प्रताप रूडी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह 13000 करोड़ रुपये का सवाल है।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, जब ग्रामीण टेलीफोन सेवा शुरू होने जा रही है, तो विपक्ष इस महान कार्य को रोकने का प्रयास कर रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है या नहीं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी रक्षा पहले ही कर चुका हूं। उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने दूसरी तरह से उत्तर दिया है।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि आपने जो आरोप लगाए हैं वह आधारहीन हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए नोटिस दूंगा। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना ही, मंत्री जी ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे देश के राजकोष को 12000 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। यदि आप किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, जब इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा शुरू होने जा रही है, तो देश के गरीब लोगों के लिए डब्ल्यू एल एल सुविधा देने में क्या बाधाएं हैं? ...*(व्यवधान)* ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदराज इलाकों में टेलीफोन पहुंचाने में क्या कठिनाई है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, लिखित रूप में उत्तर भेज देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नदी थालों को आपस में जोड़ना

***504. श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश को अकाल और बाढ़ों से बचाने के लिए नदी थालों को आपस में जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फालतू जल वाले नदी थालों और जल की कमी वाले नदी थालों की अलग-अलग पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास के लिए वर्ष 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी, जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों को तथा हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इस योजना में प्रायद्वीपीय नदी-विकास घटक के तहत 17 जल हस्तान्तरण संपर्कों तथा हिमालयी नदी विकास घटक के तहत 14 जल हस्तांतरण संपर्कों की योजना की गई है। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के वास्ते जुलाई, 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) की स्थापना की थी। सभी 31 संपर्कों के पूर्व-व्यवहार्यता (प्री-फीजीबिलिटी) रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत भी 5 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऊपर प्रस्तावित अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों के जल हस्तांतरण संबंधी 31 अन्तर्राज्यीय हस्तान्तरण संपर्कों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिन प्रस्तावित जल हस्तान्तरण संपर्कों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं, उनकी सूची इस प्रकार है :

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी (मणिभद्र)-गोदावरी (दौलेस्वरम) संपर्क
2. गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क
3. गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क
4. पार-तापी-नर्मदा संपर्क
5. केन-बेतवा संपर्क
6. कालीसिन्ध-चम्बल संपर्क
7. पम्बा-अचनकोविल-वैप्पार संपर्क
8. गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क
9. दमन गंगा-तन्सा संपर्क
10. बेडली-वर्दा संपर्क

11. नेत्रवती–हेमावती संपर्क

12. कृष्णा (नागार्जुन सागर)–पेन्नार (सोमसिला) संपर्क

13. कृष्णा (श्री सैलम)–पेन्नार (पोदत्तूर) संपर्क

14. कृष्णा (अलमट्टी)–पेन्नार संपर्क

15. पेन्नार (पोदत्तूर)–कावेरी (अपर अनीकट) संपर्क**

16. पेन्नार (सोमसिला)–कावेरी (लोअर अनीकट) संपर्क**

17. कावेरी (कट्टाले)–वैगई (गुंडार) संपर्क

**इन दो संपर्कों को एक संपर्क के रूप में संयोजित करके "पेन्नार (सोमसिला)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) संपर्क" के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

हिमालयी नदी विकास घटक

1. कोसी–मेची संपर्क

2. कोसी–घाघरा संपर्क

3. गंडक–गंगा संपर्क

4. घाघरा–यमुना संपर्क

5. शारदा–यमुना संपर्क

6. यमुना–राजस्थान

7. राजस्थान–साबरमती संपर्क

8. चुनार–सोन बैराज संपर्क

9. सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां संपर्क

10. ब्रह्मपुत्र–गंगा संपर्क (मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा)

11. फरक्का–सुन्दरबन संपर्क

12. गंगा–दामोदर–सुबर्नरेखा संपर्क

13. सुबर्नरेखा–महानदी संपर्क

14. जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का संपर्क

विशेष : ऊपर दिए गए सभी संपर्कों के पूर्वव्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में विकास गतिविधियां

***505. श्री हरिभाई चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन सरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण आदिवासी क्षेत्रों में विकास और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यों को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अधिनियम में वन क्षेत्रों में किसी गैर–वानिकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु यह केवल वन भूमि के अव्यवस्थित और अनावश्यक उपयोग को विनियमित करता है जिसका पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को निरंतर वनोभागाधिकार प्रदान करना और प्राकृतिक वनों के फैलाव को कम होने से बचाना भी है।

वनेतर उद्देश्यों के लिए अपेक्षित वन भूमि के प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाता है और यदि वनेतर उपयोग आवश्यक एवं अपरिहार्य हो तो क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपयुक्त शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है। 1980 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा 4.94 लाख हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में विकास एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्यों के 6000 से भी अधिक प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में वायुमण्डलीय प्रदूषण

***506. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 21 मार्च 2001 के "एशियन एज" में प्रकाशित समाचार के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विष विज्ञानियों ने यह बताया है कि दिल्लीवासी वायु, जल और खाद्य पदार्थों के माध्यम से धीरे–धीरे जहर के प्रभाव में आते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राजधानी के लोगों को इस प्रकार के प्रदूषणों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए आई आई एम एस), नई दिल्ली के अनुसार इस समाचार की विषय–वस्तु इस विषय से संबंधित आम राय है और यह 30–31 मार्च, 2001 को आयोजित "विष नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यशाला एवं सम्मेलन" हेतु परिचालित विवरणिका (ब्रोशर) पर आधारित जान पड़ती है।

(ग) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गये विशिष्ट कदम निम्नलिखित हैं :

1. सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है जिससे प्रदूषण के निवारक एवं नियन्त्रक दोनों पहलुओं पर बल दिया गया है।

2. प्रदूषण के प्रभाव की जांच करने के लिए देश के विभिन्न भागों में पर्यावरणीय जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं।

3. दिल्ली में प्रदूषण के संबंध में एक "स्टेटस पेपर" तथा उसकी रोकथाम के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम के अन्तर्गत मानीटरी केन्द्रों के एक नेटवर्क द्वारा परिवेशी वायु की गुणवत्ता की नियमित रूप से मानीटरी की जाती है।

5. औद्योगिक इकाइयों के मामले में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

6. अत्यधिक प्रदूषक औधोगिक इकाइयों व थर्मल पावर संयंत्रों के उत्सर्जनों की नियमित रूप से मानीटरी की जाती है और दोषी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

7. सारे देश में अब सीसा रहित पेट्रोल उपलब्ध है। पेट्रोल/डीजल में सल्फर की मात्रा को भी कम किया गया है।

8. सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए सकल उत्सर्जन मानक और नए वाहनों की सभी तरह की श्रेणियों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में और अधिक कड़े उत्सर्जन मानदंड भी अधिसूचित किए गए हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

***507. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या संचार मंत्री यह बतोन की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र ने सन् 2010 तक 69 बिलियन डालर के लक्ष्य को पूरा करने और 15 प्रतिशत दूरभाष घनत्व (टेलीडेंसिटी) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) बजट प्राक्कलन–2000–01 में, दूरसंचार क्षेत्र जिसमें दूरसंचार सेवा विभाग तथा इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शामिल हैं, में सरकार का निवेश 19441.67 करोड़ रु. था, जबकि बजट–प्राक्कलन–2001–02 में 20298.84 करोड़ रु. की राशि के निवेश का प्रस्ताव है, जो गत वर्ष से 4.4 प्रतिशत अधिक है। यूनिट–वार निवेश के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु. में)

	बजट–प्राक्कलन	
	2000-01	2001-02
1	2	3
1. दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सेवा विभाग	16000.00	0.00*
2. बेतार अनुश्रवण–सेवाएं	10.00	10.00
3. बेतार आयोजना एवं समन्वय	5.00	95.00
4. दूरसंचार इंजीनियरी–केन्द्र	0.00	4.00
5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	2.00	4.00
6. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी–डॉट) (इसके आंकड़े उक्त 1 के आंकड़ों में शामिल हैं)		52.0
दूरसंचार विभाग में कुल निवेश	16017.00	165.00

1	2	3
7. भारत संचार निगम लिमिटेड	0.00*	16574.00
8. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2155.00	1600.00
9. विदेश संचार निगम लिमिटेड	1163.34	1841.66
10. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	90.00	125.00
11 एचटीएल लिमिटेड	16.33	20.18
दूरसंचार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश	3424.67	20133.84
कुल योग	19441.67	20298.84

*दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार प्रचालन विभाग का निगमीकरण करके 1.10.2000 से भारत संचार निगम लिमिटेड बनाया गया है।

(ग) अगस्त, 1991 से जनवरी, 2001 तक निजी दूरसंचार क्षेत्र में अनुमानतः लगभग 4,882.7 करोड़ रु. का कुल विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ है, जो उक्त निवेश से अलग है।

(घ) मई, 1999 में घोषित नई दूरसंचार नीति में वर्ष 2005 तक प्रति 100 व्यक्ति 7 तथा वर्ष 2010 तक प्रति 100 व्यक्ति 15 का टेलीफोन घनत्व प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह अनुमान है कि उक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 तक लगभग 37 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा इसके बाद आगामी पांच वर्षों में, अर्थात् 2010 तक 69 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार ने निजी क्षेत्र का सहायोग मांगा है और सेल्यूलर तथा बुनियादी टेलीफोनी, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) सेवा तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने सहित अनेक उपाय किए हैं। निजी क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहयोग करने के लिए उत्साहित है।

28.02.2001 की स्थिति के अनुसार, इस समय मोबाइल सेल्यूलर–सेवा के 22 से अधिक लाइसेंस धारक 3.4 मिलियन उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

बुनियादी सेवा के भी 6 आपरेटर 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ङ) विकास के वर्तमान रुझानों से यह आशा है कि टेली घनत्व के उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

सड़कों के निर्माण में राख का प्रयोग

***508. श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आई) ने सड़कों के निर्माण में राख के उपयोग की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सड़क निर्माण हेतु राख की मांग को किस तरह पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने सड़क तटबंधों, लाइम फ्लाई ऐश सब बेसों और बेस कोर्सों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश के प्रयोग की सफिारिश की है।

(ग) और (घ) जी, हां। ताप विद्युत संयंत्र पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14.09.1999 की अधिसूचना के अनुसार भुगतान किए बिना फ्लाई ऐश उपलब्ध कराते हैं।

[अनुवाद]

''इंडियन एयर लाइंस'' को हुआ घाटा

***509. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 मार्च, 2001 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान इंडियन एयर लाइंस को 251 करोड़ रुपये का निवल घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इतने अधिक घाटे से एयर लाइंस को बचाने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंडियन एयर लांइस के प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इंडियन एयर लाइन्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 के लिए बजट अनुमान मार्च 2001 के प्रारंभ में ही तैयार किए गए। वित्तीय वर्ष 2001–02 के लिए इंडियन एयर लाइन्स को 251.50 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है।

पूर्वानुमान

बजट अनुमान अन्य बातों के साथ–साथ निम्न महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों पर आधारित हैं जो इंडियन एयर लाइन्स के वित्तीय निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

1. उपलब्ध विमान क्षमता

वर्तमान विमान बेड़े में निम्नानुसार वृद्धि होगी ·

(क) वर्ष 1998–99 में लीज पर लिए गए दो एयरबस ए–300 विमानों को ड्राईलीज पर जारी रखना।

(ख) अप्रैल 2001 से दो एयरबस ए–320 विमानों को ड्राईलीज पर लिया जाना।

(ग) नवम्बर 2001 से दो और एयरबस ए–320 विमानों को ड्राईलीज पर लिया जाना।

(घ) एलाइंस एयर द्वारा 5 बी–737 विमानों को ड्राईलीज पर लिया जाना।

2. विनिमय दर

एक अमरीकी डॉलर की औसत विदेशी मुद्रा विनिमय दर= वर्ष के दौरान 47 रुपये।

3. एवीएशन टर्बाइन ईंधन

एवीएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का डिरेग्यूलेशन।

4. किरायों में वृद्धि

पूरे नेटवर्क पर किरायों में सामान्य वृद्धि नहीं की गई।

लागू किए गए पूर्वानुमान

1. उपलब्ध विमान क्षमता

(क) इंडियन एयरलाइन्स, दो ए–300 विमानों के मई–जून 2001 में समाप्त होने वाले पिछले ड्राईलीज समझौते को दो वर्ष के लिए और आगे बढ़ा रही है।

(ख) अप्रैल 2001 से ड्राईलीज पर लिए जाने के लिए प्रस्तावित दो ए–320 विमानों में से एक विमान 20 अप्रैल 2001 को प्राप्त हुआ व दूसरा विमान 15 दिन की अवधि में प्राप्त होगा।

(ग) 5 बी–737 विमानों को लीज करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि इंडियन एयर लाइन्स के साथ, एलाइंस एयर को 5 बी–737 विमानों की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए 23 अप्रैल 2001 को विचार–विमर्श करेंगे। विमानों की सुपुर्दगी में विलंब होने पर इंडियन एयरलाइन्स पेनल्टी क्लॉज की सहायता लेगी।

2. विनिमय दर

एक अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा विनिमय दर पिछले वर्ष के 44 रुपए से बढ़कर 47 रुपए हो गई है।

3. एवीएशन टर्बाइन ईंधन

सरकार ने एवीएशन टर्बाइन ईंधन के डीरेग्यूलेशन की नीति की घोषणा की है।

एबीएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के मूल्य का वित्तीय निष्पादन पर प्रभाव

1 अप्रैल 2001 से पूर्व ए टी एफ 'एडमिनिस्ट्रड प्राइज मकेनिजम' के अन्तर्गत आते थे। वर्ष 2000 में ए टी एफ मूल्य दो बार बढ़ाए गए। 18 प्रतिशत की पहली वृद्धि 23 मार्च 2000 से प्रभावी हुई तथा 25 प्रतिशत की दूसरी वृद्धि 30 सितम्बर, 2000 से प्रभावी हुई। इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ राज्यों ने भी ए टी पी एफ पर विक्रय कर में वृद्धि की। सरकार द्वारा घरेलू प्रचालन के लिए ए टी एफ कीमतों में वृद्धि किए जाने के अतिरिक्त अप्रैल 2000 के प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए भारत से ए टी एफ की बोडेंड कीमतों एवं विदेशी स्टेशनों पर ए टी एफ की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ए टी एफ कीमतों में हुए इन संशोधनों का वित्तीय प्रभाव इस प्रकार रहा :

विवरण	प्रति किलो लीटर रुपये में ए टी एफ कीमतें	वित्तीय प्रभाव (करोड़ रुपये में) 2000–01	2001–02
1	2	3	4
घरेलू			
23 मार्च 2000 से पूर्व	15180	–	–

1	2	3	4
23 मार्च 2000 के बाद (18.1 प्रतिशत वृद्धि)	18000	92	92
30 सितम्बर, 2000 के बाद (25 प्रतिशत की वृद्धि)	22500	73	146
अंतरराष्ट्रीय			
अप्रैल, 2000 से पूर्व	11900	–	–
एटीएफ कीमतें विदेशी स्टेशनों से	9200		
2000–01 के दौरान			
भारत से बोडिंड एटीएफ	16400	39	39
एटीएफ कीमतें विदेशी स्टेशनों से	12775	27	27
		231	304

उपरोक्त अनुमान में एलाइंस एयर पर वित्तीय प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया गया है।

बजट आकलन पर एटीएफ की मूल्य वृद्धि का प्रभाव

सरकार द्वारा ए टी एफ की कीमतों में डीरेग्यूलेशन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001–02 का बजट अनुमान तैयार किया गया वर्ष 2001–02 में इस खाते में अनुमानित 70 करोड़ रुपये कम व्यय होने का आकलन किया गया। अतः वर्ष 2001–02 के दौरान ए टी एफ की कीमतों में होने वाले संशोधनों के फलस्वरूप निवल वित्तीय प्रभाव को निम्नानुसार कम दर्शाया गया

उपरोक्तानुसार वित्तीय प्रभाव	– 304 करोड़ रुपए
घटा डीरेग्यूलेशन के फलस्वरूप होने वाली बचत (बजट बनाते समय अनुमानित)	– 70 करोड़ रुपए
	234 करोड़ रुपए

परिणामस्वरूप 251.50 करोड़ रुपए की हानि ए टी एफ मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप 234 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के पूर्वानुमान पर आधारित है।

कंधार विमान अपरहण तथा बी-737 विमान की पटना दुर्घटना

उपरोक्तानुसार ए टी एफ कीमतों में वृद्धि तथा अन्य निवेश लागतों के बढ़ने के बावजूद भी इंडियन एयरलाइन्स ने कंधार विमान अपहरण तथा दिनांक 17 जुलाई, 2000 को पटना में बोइंग 737 विमान की दुर्घटना के दृष्टिगत यात्री वहन में आई कमी के कारण विमान किराए बढ़ाने के आसान उपाय को नहीं अपनाया। पटना दुर्घटना के बाद हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के विश्वास का प्रभावित होना स्वाभाविक ही था जिसके कारण इंडियन एयरलाइंस के यात्री वहन में काफी कमी आई।

इंडियन एयरलांइस द्वारा दैनिक यात्री वहन

इंडियन एयरलाइंस के पिछले दो वर्षों में जुलाई से मार्च माह में दैनिक यात्री वहन आंकड़े इस प्रकार हैं :

माह	2000-01	1999–2000
जुलाई	18,878	19,841
अगस्त	17,942	20,476
सितम्बर	18,425	19,903
अक्तूबर	19,859	20,589
नवम्बर	23,130	23,226
दिसम्बर	24,403	23,919
जनवरी	23,409	20,877
फरवरी	22,902	21,786
मार्च	20,880	19,675

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किये गये उपाय

इंडियन एयरलाइन्स प्रबंधन ने नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से कई कदम उठाए जिनमें :

- इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान बेड़े की पुनः साज–सज्जा।
- अनुरक्षण मानदण्डों को और कड़ाई से लागू करना।
- बेहतर उड़ानगत सेवाएं इत्यादि सम्मिलित हैं।

इन उपायों का मिला–जुला प्रभाव इंडियन एयरलाइन्स में यात्रियों के वापस लौटने के रूप में हुआ। यह परिवर्तन ऊपर दी गई इंडियन एयरलाइन्स यात्री वहन तालिका में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपने विमान बेड़े में एक बोइंग 737 विमान कम हो जाने के बावजूद भी इंडियन एयरलाइन्स ने यह

परिणाम प्राप्त किए। इसलिए मार्च 2001 में वर्ष 2001–02 का बजट तैयार करते समय इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार की नई डिरेगुलेशन नीति की संभावित घोषणा के दृष्टिगत ईंधन मूल्यों में परिवर्तन का इंतजार करने का निर्णय लिया।

घाटे को कम करने के लिए अतिरिक्त उपाय

इस स्थिति से उबरने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने अपना कार्य–निष्पादन तथा उत्पादकता विशेषकर लागत नियंत्रण तथा उच्च राजस्व अर्जन को बेहतर बनाने के लिए एक उपयुक्त रणनीति तैयार की है। इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल ने सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लचीली किराया नीति अनुमोदित की है। लचीली किराया नीति के कार्यान्वयन से राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इंडियन एयरलाइन्स अपनी लागत तथा राजस्व को मानीटर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी जो इस प्रकार हैं :

निम्न के द्वारा बेहतर विमान बेड़ा उपयोग

– पायलटों, विमान इंजीनियरों की उत्पादकता में सुधार।

– ग्राउंड टर्न राउंड समय को कम करना।

– कुछ अंतरदेशीय सेक्टरों पर रात्रि उड़ानें।

– अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि ।

– विमान समयावली तथा मार्ग योजना को बेहतर बनाना।

– बाजार आवश्यकताओं के अनुसार क्षमता तैनाती।

निम्न द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार :

– समय पर कार्य निष्पादन में सुधार तथा यात्रियों से संबंधित सेवाओं को बेहतर बनाना ।

विपणन पहल :

– विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड शेयरिंग।

– सी आर एस में उच्चस्तरीय भागीदारिता।

– निगमित प्रोत्साहन सहित विभिन्न संवर्धन योजनाएं।

लागत नियन्त्रण उपाय :

– समयोपरि, नैमित्तिक मजदूरी, होटल/ट्रेवल व्यय पर नियंत्रण।

– भर्ती पर रोक जब तक कि प्रचालनात्मक कारणों से अत्यावश्यक न हो।

– ईंधन मानीटरिंग तथा टैंकरिंग।

– सामग्री की खपत पर नियंत्रण।

– प्रचार तथा विक्रय संवर्धन व्यय में कटौती।

– गैर इकोनोमिक उड़ानों की समीक्षा।

– मालसूची प्रबंधन।

– क्रू ले ओवर व्यय पर कड़ा नियंत्रण।

– सेवाओं को अधिकतम बाहर से करवाना।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइन्स ने निदेशकों के वर्तमान स्वीकृत 28 पदों को 23 करके तथा महाप्रबंधकों की संख्या को 52 तक लाकर उच्च प्रबंध वर्ग के आकार को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

कम्पनी ने अपनी कर्मचारी शक्ति को सीमित रखने के लिए भी निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) प्रचालन तथा इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर बाहर से सीधी भर्ती पर रोक।

(ii) सेवानिवृति की आयु को 60 वर्ष से 58 वर्ष करना।

(iii) कम महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे क्रू की वाहन व्यवस्था, टेलेकॉल इत्यादि का कार्य बाहर की एजेन्सी को सौंपना।

(iv) मानव शक्ति का पुनर्नियोजन।

(v) पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य लाइसेंसधारी श्रेणियों को छोड़कर सरकार के समक्ष अन्य कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत।

एम.टी.एन.एल. का विनिवेश

***510. श्री विजय गोयल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के शेयरों के विनिवेश के संबंध में अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रतिशत विनिवेश किया जाएगा और इससे सरकार को कितनी राशि प्राप्त होगी; और

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए पेंशन और अन्य लाभों की किस तरह रक्षा किए जाने की सम्भावना है और इस निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) (क) से (घ) इस समय एम.टी.एन.एल. में सरकार के 56.23 प्रतिशत शेयर हैं। किसी अतिरिक्त विनिवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इस समय जिन सरकारी कर्मचारियों को एम.टी.एन.एल. में आमेलित किया गया है उन्हें आमेलन से पूर्व सरकार में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि तथा इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए लागू सरकारी नियमों के अनुसार पेंशन तथा अन्य लाभ प्राप्त होंगे। जो अधिकारी/कर्मचारी एम.टी.एन.एल. में समप्रतिनियुक्ति (डीम्ड डेप्यूटेशन) पर हैं तथा इसमें आमेलित नहीं किए गए हैं, उन्हें केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान पेंशन तथा अन्य लाभ प्राप्त होंगे।

[हिन्दी]

निजी विमान बुकिंग एजेंसियों की नियुक्ति के लिए मानदंड

***511. डा. बलिराम :**
श्री जयप्रकाश :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भिन्न–भिन्न विमान कंपनियों के लिए विमान यात्रा टिकटों की बुकिंग में लगी निजी एजेंसियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य–वार अपने कार्यालय से विमान यात्रा टिकटों की बुकिंग करने के लिए जिन एजेंसियों को अनुमति दी गई उनकी संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी निजी एजेंसियों को तैनात करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इंडियन एयर लाइंस/एयर इंडिया के लिए ऐसी और एजेंसियां खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स (अंतरदेशीय बिक्री के लिए) और एयर इंडिया (आयटा अनुमोदित) के विमान यात्रा टिकटों की बुकिंग में लगी हुई एजेंसियों की राज्य–वार संख्या को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। निजी एयरलाइनों के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है चूंकि सरकार उनके वाणिज्यिक मामले को निगमित नहीं करती है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स, इसके द्वारा 1.7.1999 को जारी निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों की अपेक्षाओं और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर, आवश्यकता और मेरिट आधार पर यात्री विक्रय एजेंटों की नियुक्ति करती है। आयटा एजेंसी के प्रत्यायन और बनाये रखने के लिए मानदंड की व्यवस्था आयटा कार्यविधि मैनुअल एरिया 3 में की गई है।

(घ) और (ङ) नई एजेंसियों की नियुक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में आवेदनों पर, निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों/मानदण्डों के अधीन विचार किया जाता है।

विवरण

हवाई यात्रा टिकटों की बुकिंग में लगी हुई एजेंसियों की राज्य–वार सूची
इंडियन एयरलाइन्स (घरेलू) आयटा अनुमोदित एजेंट्स

क्र.सं.	राज्य का नाम	यात्री विक्रय एजेंटों की संख्या	उन यात्री विक्रय एजेंटों की संख्या जिन्होंने अपने स्वयं के कार्यालय से बुकिंग की	विमान यात्रा टिकट जारी करने के लिए आयटा अनुमोदित एजेंसियों की संख्या	दिया गया आयटा अनुमोदन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	94	10	78	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
3.	असम	49	2	2	–
4.	बिहार	12	1	2	–
5.	छत्तीसगढ़	4	–	–	–
6.	दिल्ली	247	9	350	22
7.	गोवा	31	2	23	3
8.	गुजरात	109	4	117	10
9.	हरियाणा	16	2	8	4
10.	हिमाचल प्रदेश	5	–	–	–
11	जम्मू और कश्मीर	26	2	2	1
12.	झारखण्ड	15	–	1	–
13.	कर्नाटक	119	9	118	12
14.	केरल	94	5	119	9
15.	मध्य प्रदेश	26	2	12	2
16.	महाराष्ट्र	349	32	462	35
17.	मणिपुर	8	–	–	–
18.	मेघालय	–	–	–	–
19.	मिजोरम	–	–	–	–
20.	नागालैंड	3	–	–	–
21.	उड़ीसा	18	1	3	–
22.	पंजाब	15	–	38	4
23.	राजस्थान	38	3	10	2
24.	सिक्किम	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	156	10	169	17
26.	त्रिपुरा	9	1	–	–
27	उत्तर प्रदेश	63	1	22	3
28.	उत्तरांचल	3	–	2	–
29.	पश्चिम बंगाल	116	9	87	10

1	2	3	4	5	6
केन्द्र शासित प्रदेश					
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	—	1	1
2.	चण्डीगढ़	13	—	8	—
3.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
4.	लक्षद्वीप	1	—	—	—
5.	पांडिचेरी	7	—	5	—
6.	दमन एवं द्वीव	—	—	—	—

[अनुवाद]

भू-जल का स्तर

***512. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों **में भू-जल** का **स्तर नीचे** चला गया है; जिसके कारण नलकूप **और हैण्ड पम्प बेकार हो** गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे **किन-किन क्षेत्रों की पहचान** की गई है, और इसके क्या **कारण** हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस समस्या पर काबू पाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने **का** प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्यवार, कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से यह पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में भू-जल स्तर में गिरावट आई है। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भू-जल स्तर में 4 मीटर (1981-2000) से अधिक की गिरावट वाले स्थानों वाले जिले हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में संस्थापित किए गए हैण्डपम्प/नलकूप भूजल स्तर में गिरावट के परिणामस्वरूप बेकार हो गए हैं। भू-जल स्तर में गिरावट के मुख्य कारण भू-जल के वार्षिक पुरर्भरण की तुलना में उसकी अधिक निकासी, वर्षापात की मात्रा और वितरण में विषमता, बढ़ते शहरीकरण के कारण भू-जल के पुनर्भरण में कमी, वनों को काटना तथा किसानों द्वारा जल-खपत वाली फसलों को अपनाया जाना है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, भू-जल संसाधनों में वृद्धि का कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। भारत सरकार इस प्रकार के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय/तकनीकी सहायता देती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश के कुछ "अति दोहित" और "डार्क" ब्लाकों में विभिन्न पुनर्भरण संरचनाओं की क्षमता के आकलन के दृष्टिकोण से प्रायोगिक आधार पर "भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" विषय पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। सरकार ने इस स्कीम के लिए नौवीं योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। केन्द्र सरकार द्वारा भू-जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्न शामिल हैं :

(i) भू-जल प्रबन्धन और उपयोग के विनियमन तथा नियन्त्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माडल बिल का परिचालन करना ताकि वे भू-जल के उपयोग के विनियमन और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण

संबंधी मैनुअल परिचालित करना ताकि भू–जल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए वे क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय भी देश में ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिनमें जल संरक्षण का घटक शामिल है। ये कार्यक्रम निम्नवत हैं :

1. वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए जल विभाजक विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)।
2. नदी–घाटी परियोजना के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण।
3 बाढ़ प्रवण नदियों (एफ पी आर) के आवाह क्षेत्र में एकीकृत जल विभाजक प्रबन्धन।
4. पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती क्षेत्र के नियन्त्रण के लिए जल विभाजक विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)।
5. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)।
6. मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)।
7. एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)।

विवरण

ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ जिलों के नाम जहां भू–जल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट (1981–2000) वाले स्थान हैं

राज्य	जल स्तर में गिरावट
1	2
आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी।
बिहार (झारखण्ड सहित)	धनबाद, पूर्व सिंहभूम।
छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, सतना, सिधी।
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर।
हरियाणा	अम्बाला, भेवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर।
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण), बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, बगलकोट, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गदग, गुलबर्ग, हवेरी, हसन, कोलार, मैसूर, चमराजनगर, रायचूर, शिमोगा, कपोल, तुमकुर, उत्तर कनड़।
मध्य प्रदेश	बेतुल, भिन्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मन्दसोर, मौरेना, नरसिंगपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रायगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा।
महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, बीड, मुम्बई, धुले, गडचिरोली, कोल्हापुर, नान्देड, नासिक, उस्मानाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, भडवारा, बुल्धाना, चन्द्रपुर, जलगांव, जालना, लातूर, नणपुर, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांग्ली, सिन्धुदुर्ग, थाने, सतारा, सोलापुर, वर्धा, यवतमाल।
उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बोलनगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजाम, जजपुर, कालाहांडी, क्योंझर, खुर्द, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नवापाड़ा, नौरंगपुर, सुन्दरगढ़, सुवर्णपुर।
पंजाब	अमृतसर, भटिन्डा, फतेहगढ़, फिरोजपुर, जालन्धर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, उदयपुर।
तमिलनाडु	कोयम्बटूर, कड्डालोर, धरमपुरी, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, मद्रास, पुदुक्कोट्टई, सिवगंगा,

1	2
	तंजावुर, थेनी, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, तिरूवन्नामलाई, तिरूवरूर, तूतीकोरिन।
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, उन्नाव।
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्द्धमान, मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया।
पांडिचेरी	पांडिचेरी।

बाल श्रम परियोजना

***513 श्री दिलीप संघाणी : क्या श्रम मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख ने भारत में क्रियान्वित की जा रही बाल श्रम परियोजनाओं का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल श्रम को खत्म करने के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने पूर्वी दिल्ली स्थित एक बाल श्रम परियोजना का फरवरी, 2000 में दौरा किया। उक्त परियोजना जिज्ञांसु जनजातीय अनुसंधान केन्द्र नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाई जा रही थी। इस परियोजना में रद्दी बीनने वाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी।

(ग) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच समझौते ज्ञापन की विस्तार अवधि 31.12.1999 को समाप्त हो गयी। इसके बाद समझौते ज्ञापन के विस्तार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के समक्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम की अवधि पहली बार में दो वर्षों अर्थात् 31 दिसम्बर, 2001 तक बढ़ाई गई और उसके बाद आपसी समझौते से अगले एक वर्ष अर्थात् 31 दिसम्बर, 2002 तक बढ़ाई जाएगी।

पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट

***514. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी, 2001 में दिए गए निर्देश के अनुसार निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों में पशुओं के उचित संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित उपायों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) जी, हां। सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.01.2001 को उच्चतम न्यायालय में एक शपथ–पत्र दाखिल किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए इस शपथ–पत्र में देश के चिड़ियाघरों में बाघों की मौत से उत्पन्न स्थिति पर विचार–विमर्श करने के लिए सचिव (पर्या. एवं वन), भारत सरकार की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के वन सचिवों की 27.11.2000 को आयोजित बैठक से प्राप्त निष्कर्ष का विवरण दिया गया है। सदस्य सचिव ने चिड़ियाघरों के सुधार के लिए विभिन्न उपायों, जिनके संबंध में समस्त प्रतिभागी एकमत थे, के बारे में न्यायालय को अवगत कराने के लिए अपने शपथ–पत्र के साथ बैठक का कार्यवृत्त भी प्रस्तुत किया है। ये निर्णय सारबद्ध रूप से नीचे दिए गए हैं :

1. कुछ समय तक सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नया चिड़ियाघर स्थापित न किया जाए। स्थिति की 4–5 वर्षों के बाद समीक्षा की जा सकती है।

2. चिड़ियाघर प्रबंधन के क्षेत्र में पशु–चिकित्सा अधिकारियों को युवावस्था में ही शामिल कर लिया जाना चाहिए और उन्हें वहां तब तक कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वे वहां कार्य करने के इच्छुक हों। स्वस्थाने (इन सीटू) प्रोन्नति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3. जानवरों के व्यवहार और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में उन्नत निविष्टियों (इनपुट्स) प्राप्त करने के उद्देश्य से जू–कीपरों के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए।

4. राज्य सरकारों द्वारा चिड़ियाघरों को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से उन्हें जारी की गई वित्तीय सहायता को 100 प्रतिशत निधियन पद्धति के आधार पर तथा बिना किसी राज्य बजटीय प्रक्रिया से गुजरे खर्च करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए

5. संरक्षण के हित में चिड़ियाघरों में पशुओं का एक निश्चित विनियम कार्यक्रम होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य चिड़ियाघरों के दाता चिड़ियाघर द्वारा मूल्य नहीं वसूला जाना चाहिए।

6. वन्यजीवों के संरक्षण के हित में चिड़ियाघरों में जानवरों के विनियम कार्यक्रम के प्रवर्तन के संबंध में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को और अधिक सक्रिय होना चाहिए।

7. राज्य सरकारों द्वारा चिड़ियाघर के जानवरों के उन्नत अनुरक्षण व उनके स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अवसंरचना की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब कभी केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त पद के सृजन की मांग की जाए तब उसे 100 प्रतिशत वित्त व्यवस्था के लिए सहमत होना चाहिए।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन

***515. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेहतर जल प्रबंधन में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उन्हें कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन–किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से पंजीकृत तथा कार्यात्मक जल उपयोगकर्ता संघों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह केन्द्रीय सहायता एक मुश्त "कार्यात्मक अनुदान" के रूप में 500 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रदान की जाती है। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार प्रत्येक के द्वारा 225/– रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अंशदान दिया जाता है तथा 50 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान संघों द्वारा अंशदान दिया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध कराई गई धनराशि को बैंक में जमा किया जाता है तथा उसमें प्राप्त ब्याज का संघों की गतिविधियों में उपयोग किया जाता है।

इस समय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 28 राज्यों एवं 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू और कश्मीर
11	झारखण्ड
12.	कर्नाटक
13	केरल
14.	मध्य प्रदेश
15.	महाराष्ट्र
16.	मणिपुर
17.	मेघालय
18.	मिजोरम
19.	नागालैंड
20.	उड़ीसा

1	2
21.	पंजाब
22.	राजस्थान
23.	सिक्किम
24.	तमिलनाडु
25.	त्रिपुरा
26.	उत्तरांचल
27	उत्तर प्रदेश
28.	पश्चिम बंगाल
क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र
1.	दादरा एवं नगर हवेली
2.	दमन एवं द्वीव

[अनुवाद]

तटवर्ती राज्यों में भू-क्षरण

***516. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती राज्यों के अनेक क्षेत्र अत्यधिक जल भराव और भू–क्षरण समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) जी हां। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पांडिचेरी, तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र जलजमाव और मिट्टी कटाव की समस्या से ग्रस्त रहे हैं। इन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जल–जमाव और मिट्टी कटाव समस्या सहित बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है। इन कार्यों से सम्बन्धित स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की है।

तथापि, केन्द्र स्तर पर जहां तक जल–जमाव की समस्या का सम्बन्ध है, जल संसाधन मंत्रालय ने खेत चैनलों और नालियों का निर्माण, जल के उचित वितरण के लिए वाराबन्दी, भूमि समतलन तथा उसे आकार देना, जल का कुशल उपयोग करने के लिए उसके वैज्ञानिक प्रयोग के वास्ते उपयुक्त फसल पद्धति अपनाने जैसी कमान क्षेत्र विकास गतिविधियों के रूप में निवारात्मक उपाय शुरू किए हैं। इससे जल का न्यायसंगत उपयोग कराने में सहायता मिलेगी। जिन स्थानों पर जल जमाव की समस्या पैदा हो चुकी है वहां सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए 1.4.1996 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत "सिंचित कमानों में जल–जमाव क्षेत्रों का पुनरुद्धार" नामक एक नया घटक शामिल किया गया है। इस घटक के तहत राज्य सरकार को आनुपातिक (मैचिंग) आधार पर 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस समय केन्द्रीय सहायता का मानदण्ड 6000 रुपया प्रति हेक्टेयर अथवा पुनरुद्धार की कुल लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, है।

जहां तक तटवर्ती राज्यों में मिट्टी कटाव का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित दो स्कीमें तैयार की गई हैं।

(क) गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्य तथा 159.33 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कोसी और गण्डक नदियों पर विद्यमान तटबन्धों को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ करना, (केन्द्र का हिस्सा 128.50 करोड़ रु.)। इस स्कीम में नदी कटाव कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के वास्ते पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। यह स्कीम सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और चल रही है।

(ख) 39.97 करोड़ रुपये (केन्द्र का हिस्सा 30 करोड़ रु.) की अनुमानित लागत से तटवर्ती और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा राज्यों में महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्य। यह स्कीम व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई है और इसे पूरे योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होना है।

जबकि पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में नदी कटाव के लिए प्रावधान उपर्युक्त क्र. सं. (क) पर दी गई स्कीम के तहत किया गया है, सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समुद्री कटाव तथा पश्चिम बंगाल के अलावा ऐसे राज्यों के लिए नदी कटाव के वास्ते प्रावधान उपर्युक्त क्र. सं. (ख) पर दी गई स्कीम में किया गया है।

विवरण

तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी दल (1991) द्वारा आकलित जल जमाव क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) द्वारा आकलित बाढ़ के अधीन आने वाले क्षेत्रों (मिट्टी कटाव सहित) का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जल जमाव क्षेत्र (मि.हे.)	बाढ़ के अधीन क्षेत्र (मिट्टी कटाव सहित) (मि.हे.)
1.	पश्चिम बंगाल	–	2.65
2.	उड़ीसा	0.19626	1.40
3.	आन्ध्र प्रदेश	0.26640	1.39
4.	तमिलनाडु	0.01619	0.45
5.	केरल	0.01161	0.87
6.	कर्नाटक	0.02454	0.02
7.	गोवा	–	–
8.	महाराष्ट्र	0.01535	0.23
9.	गुजरात	0.17259	1.39
10.	पांडिचेरी	–	0.01
	कुल	0.70294	8.41

[हिन्दी]

अपर्याप्त टेलीफोन सुविधा

***517. डा. अशोक पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में टेलीफोन सुविधाएं उन राज्यों की जनसंख्या की तुलना में न्यूनतम हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेषकर उक्त राज्यों में टेलीफोन सुविधा से प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) टेलीघनत्व के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ऐसे नौ राज्य हैं जहां टेली–घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। इनमें से कई राज्यों में मुख्यतः दुर्गम भू–भाग, दूर–दराज एवं अगम्य क्षेत्रों में नेटवर्क फैलाने की जरूरत, बिजली जैसी ढांचागत अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शीघ्रता से संचार नेटवर्क प्रदान करना संभव नहीं हो पाया है।

इन राज्यों में नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एनटीपी–99 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2002 के अंत तक संचार सुविधाएं मांग पर उपलब्ध कराई जा सकें। वर्ष 2001-2002 के दौरान, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने टेलीफोन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :

(i) सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) – 72.30 (लाख)

(ii) पारेषण :

आप्टिकल फाइबर केबल – 126000 (रूट किमी.)

माइक्रोवेव – 7500 (रूट किमी.)

जोड़ – 133500 (रूट किमी.)

(iii) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) – 144000

विवरण

31.3.2001 के अनुसार राज्य–वार टेली–घनत्व

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.2001 को प्रक्षेपित जनसंख्या	कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें	प्रति 100 व्यक्ति टेली-घनत्व
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	394000	30076	7.63
2.	आंध्र प्रदेश	76392000	3071899	4.02
3.	असम	26492000	352239	1.33
4.	बिहार	101819000	950325	0.93
5.	गुजरात	49308000	2633533	5.34
6.	हरियाणा	20120000	853104	4.24
7.	हिमाचल प्रदेश	6805000	359750	5.29
8.	जम्मू एवं कश्मीर	10071000	173533	1.72
9.	कर्नाटक	52720000	2466212	4.68
10.	केरल	32602000	2435912	7.47
11.	मध्य प्रदेश	81189000	1632823	2.01
12.	महाराष्ट्र	93684000	5969707	6.37
13.	पूर्वोत्तर	12822000	246475	1.92

1	2	3	4	5
14.	उड़ीसा	36156000	548657	1.52
15.	पंजाब	247010000	1705700	6.91
16.	राजस्थान	54509000	1395445	2.56
17.	तमिलनाडु	63386000	3724886	5.88
18.	उत्तर प्रदेश	174290000	2886050	1.66
19.	पश्चिम बंगाल	80561000	2148651	2.67
20.	दिल्ली	14366000	2498919	17.39
	जोड़	1012387000	36083896	3.56

टिप्पणी :

- **गुजरात** राज्य में दादरा, दीव, दमन तथा नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) **शामिल हैं।**
- केरल **राज्य में लक्षद्वीप** (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
- **महाराष्ट्र राज्य में गोवा** तथा मुंबई शामिल हैं।
- **पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल** में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, **नागालैंड तथा त्रिपुरा** राज्य शामिल हैं।
- **पंजाब** राज्य **में चंडीगढ़** (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
- **तमिलनाडु** राज्य **में चेन्नई** तथा पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल **हैं।**
- **पश्चिम बंगाल** राज्य में कलकत्ता तथा सिक्किम राज्य शामिल हैं।
- **बिहार** राज्य **में झारखण्ड** राज्य शामिल है।
- **मध्य प्रदेश राज्य में छत्ती**सगढ़ राज्य शामिल है।
- उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरांचल राज्य शामिल है।

निजी कूरियर सेवा

***518. श्री पुन्नू लाल मोहले :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में निजी कूरियर सेवाओं में वृद्धि के कारण डाक विभाग प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शीघ्र डाक वितरण के लिए कोई विशेष कृतिक बल गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डाक कर्मचारियों की उदासीनता को **रोकने** के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से **(घ)** डाक विभाग ने त्वरित, विश्वसनीय और समयबद्ध सेवाओं के लिए ग्राहकों की जरूरत को समझते हुए, विभिन्न प्रीमियम उत्पाद शुरू किए जिनमें स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बिजनेस पोस्ट आदि शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन व्यावसायिक सेवाओं का विकास काफी उत्साहजनक रहा है और नीचे दिया गया है :

1997–98 में राजस्व	1998–99 में राजस्व	1999–2000 में राजस्व
103.15 करोड़ रु.	141.76 करोड़ रु.	222.44 करोड़ रु.

पिछले कुछ वर्षों में डाक की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि हुई है, जिसे नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है :

डाक मात्रा (करोड़ में)

डाक की श्रेणी	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
पंजीकृत और अपंजीकृत डाक मदें	1495.74	1509.64	1574.92	1576.64	1578.15

विभाग ने डाक के त्वरित वितरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें औरों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. डाक का शीघ्र प्रोसेसिंग तथा पारेषण सुनिश्चित करने के लिए डाक का राजधानी, मेट्रो, ग्रीन और बिजनेस मेल चैनलों में पृथक्कीकरण।

2. चेन्नई और मुंबई में आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना।

3. पंजीकरण छंटाई का कम्प्यूटरीकरण तथा ट्रांजिट मेल कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण।

4. मनीआर्डरों का शीघ्र अंतरण सुनिश्चित करने के लिए मनीआर्डरों का वैरी स्माल अपरचर टर्मिनल्स (वी.एस.ए.टी.) और विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्रों (ई.एस.एम.ओ.) के माध्यम से अंतरण।

इसके अलावा, विभाग कमजोर संपर्कों का पता लगाने के लिए तथा डाक पारेषण और वितरण को कारगर बनाने व सुधार लाने के लिए ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर जांच पत्र तथा परीक्षण पत्र डाक में डालकर और लाइव मेल **सर्वेक्षण करके डाक मार्ग** तथा वितरण की नियमित मानीटरिंग **करता है। सुपरवाइजरी स्टाफ तथा अधिकारियों द्वारा डाक वितरण की नियमित तौर पर** अचानक जांच भी सुनिश्चित की जाती है।

स्पीड पोस्ट के क्षेत्र में, स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार **किया गया** है। ग्राहकों को और अधिक संतुष्ट करने के लिए, समर्पित वितरण कर्मचारियों को लेकर तथा जहां संभव है, वितरण बीट्स का मशीनीकरण करके वितरण प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है।

शिकायतों को प्रभावी ढंग से और शीघ्र निपटाने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं। ड्यूटी की अवहेलना के लिए जिम्मेवार पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और तारघर

***519. श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में डाक और तारघरों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक डाक और तारघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग)

डाक विभाग

(क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत में 138149 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 16402 डाकघर शहरी क्षेत्र में हैं। एक डाकघर औसतन 5462 लोगों को तथा 21.26 वर्ग किमी. क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक डाकघर द्वारा 4540 लोगों को सेवा प्रदान की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह संख्या 13240 (1991 की जनगणना) है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के वर्तमान वर्ष अर्थात 2001–2002 में समूचे देश में 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई.डी.बी.ओ.), 50 विभागीय उप डाकघर (डी.एस.ओ.) और 2000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य के अनुसार प्रक्षिप्त लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

दूरसंचार विभाग

(क) शहरी क्षेत्र में एक तारघर 27986 लोगों को सेवा प्रदान करता है। इसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में एक तारघर 15443 लोगों को सेवा प्रदान करता है (आंकड़े 1991 की जनगणना पर आधारित)।

(ख) और (ग) दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार होने तथा एसटीडी और फैक्स सुविधाओं की शुरूआत होने से तार की मांग निरंतर कम हो रही है। अतः कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तार सेवा मांग और औचित्य के अनुसार प्रदान की जाती है।

सीधी एक्सचेंज लाइन

***520. श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) कि सज्जित क्षमता से सीधी एक्सचेंज लाइनों को उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारत किया गया और प्राप्त किया गया;

(ख) इस लक्ष्य को हासिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सज्जित क्षमता सहित सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य का %
सीधी एक्सचेंज लाइनें	5350000	5629255	105.2
सज्जित क्षमता	6700000	6664850	99.5

देश में सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड की सज्जित क्षमता से संबंधित लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है। उपस्कर की विलंबित सप्लाई के कारण, सज्जित क्षमता में मामूली कमी हुई है।

सज्जित क्षमता की उपलब्धि की इस कमी को 2001–2002 की प्रथम तिमाही के दौरान पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि आर्डर दिए गए उपस्करों की आंशिक खेप के तब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

दूरसंचार विभाग संबंधी लेखापरीक्षा आपत्ति

5243. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा प्रतिवेदन में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 के संबंध में कुछ आपत्ति व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) "मौजूदा सेल्यूलर और बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों

को रियायतों का पैकेज" नामक शीर्षक का पैरा (पैराग्राफ–14), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मार्च 1999 में समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट (2000 की सं. 6) में शामिल किया गया है। यह पैरा, अन्य बातों के साथ–साथ, नई दूरसंचार नीति 1999 की राजस्व भागीदारी व्यवस्था में मौजूदा बुनियादी और सेल्यूलर सेवा प्रचालकों के माइग्रेशन से संबंधित है।

सरकार, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों से सहमत नहीं है। सरकार का विचार है कि मौजूदा लाइसेन्सधारियों के लिए नई दूरसंचार नीति–1999 (एन.टी.पी.–99) की राजस्व भागीदारी की व्यवस्था में माइग्रेशन संबंधी नीति का निर्माण, दूरसंचार उद्योग के संबंध में बुनियादी वास्तविकताओं की मांग पर सरकारी कार्यों का समायोजन करते हुए जनहित में लिए गए सूचित और संस्थागत निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है। एन.टी.पी.–99 के अनुसार, सभी आपरेटरों को समान अवसर प्रदान करते हुए इसे समान रूप से लागू किया जाना है, अतः दूसरा उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना था कि बहुअधिकार (मल्टिपोलि) कायम करके दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र विकास किया जाए, ग्राहकों को बेहतर अभिगम्यता एवं उन्नत/लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान की जाएं और यह मध्यवर्ती संशोधनकारी उपाय उक्त नीति के उद्देश्यों को हासिल करने का महत्वपूर्ण साधन समझा गया था।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विनिवेश

5244. श्री अमीर आलम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम. टी. एन. एल.) के कर्मचारी संघ ने सरकार को बहुसंख्य अंशधारिता के विनिवेश को रोकने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) एम. टी. एन. एल. के एग्जेक्यूटिव और नॉन एग्जेक्यूटिव वर्गों में निम्नलिखित के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार किया है।

(i) एम. टी. एन. एल. शेयरों का कथित विनिवेश।

(ii) पेंशन निधि में से पेंशन का भुगतान करने तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए मौजूदा निर्णय की समीक्षा और निराकरण।

(ग) (i) इस समय एम. टी. एन. एल. के शेयरों को विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ii) पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के 1.6.2000 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही आमेलित कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करना होता है सरकार को नहीं। तदनुसार, एम. टी. एन. एल. कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का अनवरत और व्यवधान रहित भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से एम. टी. एन. एल. की मान्यता प्राप्त यूनियन (यूनियनों) के परामर्श से सी. एम. डी, एम. टी. एन. एल. की अध्यक्षता में "पेंशन निधि" का सृजन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें दिल्ली और मुंबई की मान्यता प्राप्त यूनियन (यूनियनों) से एक–एक सदस्य तथा दूरसंचार विभाग के सदस्य भी होंगे।

डाकघरों की स्थापना

5245. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शहरी, ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघरों की स्थापना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में शेष कार्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान डाक सर्किलों के शहरी, ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघर खेलने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण–I और II में दी गई हैं।

(ख) और (ग) देश के सभी शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में डाक के वितरण और संग्रहण की सुविधा प्रदान की गई है। तीन मानदंड, जिनके आधार पर डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की जाती है, वे दूरी, जनसंख्या और आय से संबंधित हैं। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य पर खोले जाते हैं, बशर्ते कि योजना लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध रहें। नौवीं पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष अर्थात 2001–2002 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई. डी. बी. ओ.) और शेष देश में 440 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई. डी. बी.ओ.), पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 विभागीय उप–डाकघर (डी. एस. ओ.) और शेष देश में 46 विभागीय उप–डाकघर तथा 1765 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी. एस. एस. के.) खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण-I

8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–93 से 1996–97) के दौरान खोले गए सर्किलवार डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	लक्ष्य 1992–93		खोले गए 1992–93		लक्ष्य 1993–94		खोले गए 1993–94		लक्ष्य 1994–95		खोले गए 1994–95		लक्ष्य 1995–96		खोले गए 1995–96		लक्ष्य 1996–97		खोल गए 1996–97	
		बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ	बी ओ	एस ओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	19	5	6	9	17	5	12	5	2	5	शून्य	4	2	5	5	2	2	5	6	6
2.	असम	27	3	27	3	25	3	26	3	5	4	शून्य	1	4	4	शून्य	2	2	40	10	4
3.	बिहार	70	8	67	2	90	8	90	5	3	11	शून्य	1	10	11	शून्य	शून्य	10	11	23	13
4.	दिल्ली	शून्य	5	शून्य	9	शून्य	6	शून्य	1	शून्य	10	शून्य	3	शून्य	10	शून्य	शून्य	1	10	शून्य	4
5.	गुजरात	25	5	74	7	20	8	15	शून्य	5	12	शून्य	2	4	12	शून्य	4	5	12	14	20
6.	हरियाणा	10	3	10	3	10	5	16	2	2	12	शून्य	4	2	10	1	2	4	10	7	9
7.	हिमाचल	15	1	24	1	15	2	90	3	12	6	शून्य	शून्य	7	10	शून्य	2	4	10	23	3
8.	जम्मू–कश्मीर	5	1	6	शून्य	5	1	23	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	2	2	2	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	15	5	39	10	15	6	11	9	1	11	2	3	1	10	1	4	2	10	9	18
10.	केरल	10	3	शून्य	शून्य	20	3	29	1	3	12	1	शून्य	1	9	शून्य	18	1	9	3	12
11	मध्य प्रदेश	55	5	111	7	35	5	35	11	5	9	शून्य	शून्य	9	9	शून्य	6	9	9	17	9
12.	महाराष्ट्र	55	10	114	10	80	11	92	12	10	6	शून्य	1	9	12	शून्य	7	9	12	31	12
13.	उत्तर–पूर्व	35	5	79	2	40	4	40	6	1	1	शून्य	1	4	4	1	शून्य	2	4	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14.	उड़ीसा	40	5	40	8	35	4	42	4	4	4	शून्य	1	4	4	शून्य	शून्य	4	4	12	शून्य
15.	पंजाब	10	3	28	3	10	3	7	2	3	5	1	4	2	4	1	2	2	4	6	5
16	राजस्थान	60	6	244	9	30	5	30	5	5	12	2	शून्य	5	10	शून्य	6	5	10	12	6
17	तमिलनाडु	14	7	30	4	10	4	14	4	2	5	3	4	2	4	3	2	2	4	7	4
18.	उत्तर प्रदेश	75	10	100	11	93	124	95	13	14	19	शून्य	4	12	16	शून्य	3	12	16	38	9
19	पश्चिम बंगाल	60	10	92	1	50	5	37	5	3	4	1	शून्य	2	4	शून्य	शून्य	2	4	3	2
	कुल .	600	100	1091	99	600	100	704	92	80	150	10	33	80	150	12	61	80	150	225	139

विवरण-II

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र सं.	सर्किल	लक्ष्य 1997–98		खोले गए 1997–98		लक्ष्य 1998–99		खोले गए 1998–99		लक्ष्य 1999–2000		खोले गए 1999–2000		लक्ष्य 2000–01		स्वीकृत 2000–01	
		बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आंध्र प्रदेश	10	2	10	3	10	2	10	2	15	2	4	3	15	2	3	2
2	असम	25	2	18	3	54	5	54	5	50	4	24	7	30	3	30	3
3.	बिहार	40	5	31	4	72	2	72	2	50	3	51	शून्य	53	5	70	1
4.	दिल्ली	5	2	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
5.	गुजरात	25	2	18	3	31	2	31	2	30	3	28	2	20	3	8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	हरियाणा	15	2	13	2	13	3	13	3	15	2	12	1	15	2	1	1
7	हिमाचल प्रदेश	10	2	4	शून्य	7	1	7	1	7	1	2	1	7	1	2	1
8.	जम्मू–कश्मीर	15	1	11	1	23	1	23	1	15	1	14	1	5	1	5	1
9.	झारखण्ड													22	2	शून्य	1
10.	कर्नाटक	30	5	24	5	12	4	12	4	21	3	21	3	21	2	21	2
11.	केरल	10	2	7	1	12	3	12	3	4	2	4	2	4	2	4	1
12.	मध्य प्रदेश	37	2	41	2	50	5	50	5	40	4	40	4	40	3	40	3
13.	महाराष्ट्र	35	3	34	4	69	3	69	3	50	2	50	3	60	2	60	7
14.	उत्तर–पूर्व	25	3	18	3	54	3	54	3	40	2	19	3	40	2	4	3
15.	उड़ीसा	27	2	21	3	10	2	10	2	14	2	14	2	10	2	10	2
16.	पंजाब	17	2	12	2	12	2	12	2	10	1	9	1	14	2	12	2
17.	राजस्थान	33	2	33	1	30	1	30	1	27	2	14	1	20	2	20	2
18.	तमिलनाडु	21	2	21	3	10	2	10	2	15	2	15	2	15	2	15	2
19.	उत्तर प्रदेश	70	6	57	6	82	3	82	3	50	3	10	2	50	3	51	1
20.	पश्चिम बंगाल	50	3	24	4	43	4	43	4	43	9	41	9	55	7	शून्य	7
	कुल	500	50	402	52	598	50	598	50	500	50	386	49	500	50	360	47

*28.3.2001 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि

दूरसंचार उत्पादों के लिए उत्पादन आधार प्रोत्साहन संबंधी नीति

5246. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त प्रौद्योगिकी दूरसंचार उत्पाद हेतु उत्पादन आधार को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। नई दूरसंचार नीति 1999 में यह अनुबंधित है कि घरेलू इस्तेमाल तथा निर्यात दोनों के लिए स्वदेशी दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस सेक्टर को आवश्यक सहयोग और प्रोत्साहन देगी जिसमें स्वदेशी उपस्कर का इस्तेमाल करने वाले सेवा प्रदाताओं को उचित प्रोत्साहन देना भी शामिल है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन पहले से ही प्रदान किए गए हैं :

(i) दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

(ii) दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.) की अनुमति आटोमैटिक आधार पर दी गई है।

(iii) दूरसंचार विनिर्माण में लाभांश आय और निवेशित पूंजी पूरी तरह से प्रत्यावर्तनीय है।

(iv) कर–कटौती सहित 2 मिलियन अमरीकी डालर तक तकनीकी जानकारी फीस का भुगतान आटोमैटिक आधार पर किया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत तक तथा निर्यात बिक्री पर 8 प्रतिशत तक रॉयल्टी भी देने की अनुमति है।

(v) सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के तहत "दूरसंचार सेक्टर की विकास परिषद" का गठन किया है। यह विकास परिषद, दूरसंचार विनिर्माण सेक्टर तथा सेवा सेक्टर के विकास संबंधी उपायों की सिफारिशें करेगी।

एजेंटों को प्रोत्साहन

5247. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघर बचत योजनाओं के माध्यम से 5 लाख रुपये तक संग्रह करने पर एजेंटों को प्रोत्साहन राशि/कमीशन देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

बाल्को का वार्षिक उत्पादन

5248. श्री रामानन्द सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) बाल्कों के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कितनी राशि वेतन के रूप में दी जाती है;

(ग) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान बाल्को का वार्षिक उत्पादन कितने टन रहा; और

(घ) इसके कर्मचारियों की हड़ताल और फैक्ट्री के बंद होने के कारण अब तक कितनी हानि हुई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) में, वर्तमान में, 6398 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ख) कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 148 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि वेतन के रूप में संवितरित की जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बिक्री-योग्य एल्यूमीनियम धातु का वार्षिक उत्पादन निम्नानुसार है;

वर्ष	उत्पादन (टन में)
1998-99	91,844
1999-2000	94,345
2000-2001	86,532

(घ) कोरबा इकाई में, 15 अप्रैल, 2001 तक, कर्मचारियों की हड़ताल और उत्पादन ठप्प होने के कारण अब तक 70 करोड़ रुपये की हानि हो जाने का अनुमान है।

[अनुवाद]

वन्यजीवन संरक्षण संबंधी सम्मेलन

5249. श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री सुनील खां :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2000 में कोयम्बटूर में राज्य वन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वन्यजीवों की रक्षा हेतु इन सिफारिशों को कब क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में "कोयम्बटूर चार्टर" को सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया जिसमें वनीकरण, संयुक्त वन प्रबंधन, दावानल नियंत्रण, सूखा-प्रवण क्षेत्रों, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय कानूनों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय शिक्षा और चेतना, नदी सफाई कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) "कोयम्बटूर चार्टर" में अंगीकृत निम्नलिखित संकल्प, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित थे :

(i) वानिकी कार्मिकों की भर्ती पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा और पुलिस विभाग की भांति रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। फील्ड फारमेशनों का व्यवहार्य यूनिटों के रूप में पुनर्गठन किया जाएगा और उन्हें पर्याप्त मोबिलिटी, आग्नेय हथियार और प्रभावशाली संचार नेटवर्क प्रदान किया जाएगा।

(ii) वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए आसूचना संग्रह और आदतन अपराधियों के आंकड़ा आधार के लिए प्रभावशाली क्रियाविधि विकसित की जानी चाहिए।

(iii) अपराधियों पर मुकदमा चलाने हेतु पर्याप्त विशेषज्ञता का विकास किया जाएगा और जांच करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

(iv) वन्यजीव अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों को नामोदिष्ट करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे।

(v) अवैध शिकार को रोकने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर और सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावशाली प्रवर्तन अवसंरचना का सृजन करना।

(vi) राज्य/संघ-शासित सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य-प्राणियों से होने वाली मौतों के मामलों में प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु मौजूदा उपबंधों पर बल दिया गया।

(vii) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के 5 किमी. क्षेत्र के भीतर पड़ने वाली कृषि फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु उपयुक्त बीमा योजना।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकार का है। कर्मचारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त उपर्युक्त कमियों के उपशमन के लिए भारत सरकार द्वारा अवसंरचना, हथियारों, संचार उपकरणों, वाहनों और वन्यजीवों और उनके निवास स्थानों के संरक्षण से संबद्ध अन्य गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार में डाकघरों को टेलीफोन कनेक्शन

5250. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री नागमणि :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और झारखंड राज्य के सभी डाकघरों में टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने डाक़घर हैं जहां अभी भी यह सुविधा दी जानी है; और

(ग) दोनों राज्यों के शेष डाकघरों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिहार राज्य में 6427 डाकघरों को तथा झारखंड राज्य में 2483 डाकघरों को टेलीफोन सुविधा अभी प्रदान की जानी है।

(ग) जिन डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें यह सुविधा दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जानी है बशर्ते कि संसाधान उपलब्ध रहें।

टाड़ा-इच्छापुरम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-214 की कार्य प्रगति

5251. श्री के. येरननायडू : क्या **सडक परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाड़ा–इच्छापुरम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–214 की कार्य प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को पनारू से बढ़ाकर ओंगोले तक ले जाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) टाड़ा–इच्छापुरम रा. रा.–214 का खंड नहीं है बल्कि रा.रा.–5 का एक खंड है। खंडवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(i) टाड़ा–नेल्लौर : बी ओ टी के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर कर किए गए हैं।

(ii) नेल्लौर–चिलाकलूरीपेट : ठेके अभी सौंपे जाने हैं।

(iii) चिलाकलूरीपेट–इलूरू : चार लेन कार्य चल रहा है।

(iv) इलुरू–राजामुंदरी : ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(v) राजामुंदरी–अंकापल्ली : ठेके अभी सौंपे जाने हैं।

(vi) अंकापल्ली–विशाखापत्तनम : पहले ही चार लेन बनाई जा चुकी हैं।

(vii) विशाखापत्तनम–इच्छापुरम : 233 किमी. में से 172 किमी. के लिए ठेकों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ख) पनारू–ओंगोले सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खनिज सम्पदा संबंधी सर्वेक्षण

5252. श्री के. पी सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्यप्रदेश में खनिज सम्पदा के मानचित्र और मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों में खनिज सम्पदा की संभावना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्यप्रदेश के खनिज संसाधनों के मानचित्रण और मूल्यांकन संबंधी कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया है। तथापि, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने खनिज की दृष्टि से समृद्ध तीन राज्यों अर्थात बिहार (विगत में), मध्य प्रदेश (विगत में) और उड़ीसा में खनन हेतु लीज पर दिए गए क्षेत्रों में वनावरण के विस्तार का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर के सहयोग से एक अध्ययन कार्य आरम्भ किया था। वन संरक्षण के साथ–साथ खनन गतिविधियों के लिए एक दीर्घावधिक रणनीति तैयार करने हेतु अध्ययन आरम्भ किया गया है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि 1994 में 90695 हेक्टेयर क्षेत्र वाले 353 खनन लीज क्षेत्रों में 53217 हेक्टेयर लीज्ड क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत था जिसमें से 71 प्रतिशत सघन वन क्षेत्र तथा 29 प्रतिशत खुला वन क्षेत्र था।

राष्ट्रीय सेवा योजना

5253. श्री सुबोध मोहिते : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के युवकों को स्वेच्छा के आधार पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लाने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की कार्यप्रणाली और इसकी उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय सेवा योजना को सार्थक बनाने और योजना के अंतर्गत और युवा शक्ति को लाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश के युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी (एन.आर.सी.) नामक एक नई योजना तैयार की गई है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष से आरंभ होकर देश के 80 चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, चुने गए प्रत्येक जिले के लिए एक परियोजना अधिकारी तथा 100 स्वयंसेवकों की एक वर्ष के लिए ठेका आधार पर भर्ती की जाएगी। परियोजना अधिकारी तथा स्वयंसेवकों को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगाया जाएगा।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल्यांकन भारतीय जन प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) से 1996–97 में करवाया है।

(घ) इस अध्ययन ने संगठनात्मक ढाँचे तथा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया और 1969–1997 तक की अवधि के दौरान, योजना की उपलब्धियों, सीमाओं एवं संभाव्यताओं का आकलन किया है। आई.आई.पी.ए. द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन में निहित अधिकांश सिफारिशें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गयी हैं/कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(ङ) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) को और अधिक सार्थक बनाने तथा इस योजना के अंतर्गत अधिक युवा शक्ति को लाने के लिए, मंत्रालय ने इस स्कीम के अंतर्गत, हाल ही में नियमित एवं विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए सहायता की राशि बढ़ा दी है। मंत्रालय प्रत्येक वर्ष एन.एस.एस. स्वयंसेवकों की संख्या में भी वृद्धि कर रहा है।

[हिन्दी]

युवजन चारण संस्थायें (यूथ हास्टल्ज़)

5254. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में राज्य–वार और स्थान–वार अब तक कितने यूथ हास्टल स्थापित किए गए हैं; और

(ख) राज्य–वार और स्थान–वार कितने हास्टल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) देश में अभी तक स्थापित किए गए युवा छात्रावासों की कुल संख्या 63 है। ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण–। संलग्न है।

(ख) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित युवा छात्रावासों का ब्यौरा विवरण–।। में दिया गया है।

विवरण-।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	निर्मित युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास (छात्रावासों) का स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	सिकन्द्राबाद, विजयवाड़ा, तिरुपति, विशाखापत्तनम
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	नहरलागुन
3.	असम	4	नौगांव, गुवाहाटी, गोलाघाट, तेजपुर
4.	बिहार	1	पटना
5.	गुजरात	1	गांधीनगर
6.	हरियाणा	4	पंचकुला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, गुड़गांव
7.	हिमाचल प्रदेश	2	डलहौजी, बिलासपुर

1	2	3	4
8.	जम्मू–कश्मीर	3	पटिनटोप, नगरोता, श्रीनगर
9.	कर्नाटक	3	मैसूर, हसन, तीर्थरामेश्वर
10.	केरल	3	त्रिवेन्द्रम, एरनाकुलम, कालीकट (कोजीकोड)
11.	महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
12.	मणिपुर	2	इम्फाल, उखरुल
13.	मेघालय	2	शिलांग, तुरा
14.	मध्य प्रदेश	2	भोपाल, जबलपुर
15.	नागालैंड	2	मोककचौंग, कोहिमा
16.	मिजोरम	1	आइजॉल
17	पंजाब	4	रोपड़, अमृतसर, संगरूर, पटियाला
18.	राजस्थान	2	जयपुर, जोधपुर
19.	तमिलनाडु	4	चेन्नई, मदुरई, तंजावुर, त्रिची
20.	उत्तर प्रदेश	4	आगरा, मसूरी, उत्तरकाशी, नैनीताल
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
22.	पश्चिम बंगाल	3	दार्जिलिंग, चुरुलिया, बर्द्धमान
23.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
24.	त्रिपुरा	1	अगरतला
25.	उड़ीसा	4	पुरी, जोशीपुर, गोपालपुर–आन–सी, कोरापुट
26.	गोवा	2	पणजी, पदम मोपुसा
27.	सिक्किम	1	नामची
	कुल	63	

विवरण-II

क–निर्माणाधीन युवा छात्रावास

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संख्या	युवा छात्रावास (छात्रावासों) का स्थान
1	उत्तर प्रदेश	4	इलाहाबाद, लखनऊ, अल्मोड़ा, वाराणसी
2.	पं. बंगाल	2	बक्खाली, कैखाली
3.	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
4.	कर्नाटक	2	कारवाड़, सोगालू
5.	आंध्र प्रदेश	2	वारंगल, नागार्जुनसागर
6.	हिमाचल प्रदेश	1	मनाली
7	सिक्किम	1	गंगटोक
8.	केरल	1	वायानाड
9	महाराष्ट्र	1	बुलडाना
10.	मध्य प्रदेश	2	खजुराहो, ओरछा
11.	मणिपुर	3	थाउबाल, बिशनुपुर, चुराचांदपुर
	कुल	20	

ख–सिद्धान्त रूप में अनुमोदित युवा छात्रावास (जिनका निर्माण अभी शुरू होना है)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संख्या	युवा छात्रावास का स्थान
1	2	3	4
1.	बिहार	1	किशनगंज
2.	गुजरात	4	जूनागढ़, भावनगर, सपुतरा, पावागढ़
3.	जम्मू–कश्मीर	1	लेह
4.	महाराष्ट्र	1	नवेगांव

1	2	3	4
5.	मध्य प्रदेश	4	इन्दौर, ग्वालियर, रायपुर, चित्रकूट
6.	मेघालय	1	चेरापूंजी
7.	राजस्थान	3	उदयपुर, कोटा, अजमेर
8.	उत्तर प्रदेश	2	बरेली, बलिया
9.	त्रिपुरा	1	उदयपुर
10.	तमिलनाडु	3	उथंगमंडलम (ऊटी), रामेश्वरम, कोयम्बटूर
11.	पंजाब	3	जालंधर, आनन्दपुर साहिब, मुक्तेशर
12.	मिजारेम	1	कोलासिब
13.	हरियाणा	3	सिरसा, यमुनानगर, रेवाड़ी
	कुल	28	

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ा जाना

5255. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल एजेंसी ने आपस में जोड़ने वाली 16 परियोजनाओं में से 6 की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़कर जल को अतिरिक्त जल नाला से सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक ले जाने हेतु अध्ययन कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सुधार लाने हेतु बाढ़ जल के संग्रहण हेतु जलाशय के निर्माण हेतु भी अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्राय द्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन. डब्ल्यू. डी. ए.) की स्थापना एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा देश की वृहद् नदियों को परस्पर जोड़कर जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/सूखा प्रवण क्षेत्रों में मोड़ते हुए जल के अंतर बेसिन स्थानान्तरण के संबंध में व्यापक अध्ययन किए गए हैं। अंतर बेसिन जल स्थानान्तरण स्कीमों के प्रस्तावों में अधिकांशतः विद्यमान भंडारण जलाशयों अथवा राज्यों द्वारा उनके योजना प्रस्तावों के तहत बनाए जाने वाले प्रस्तावित भंडारण जलाशयों का उपयोग करने की योजना है। जहां भी आवश्यक हो, परियोजना प्रस्तावों के भाग के रूप में भंडारण जलाशयों के निर्माण की भी योजना है। इस योजना में प्राय द्वीपीय नदी-विकास घटक के तहत 17 जल स्थानान्तरण संपर्कों और हिमालयी-नदी-विकास घटक के तहत 14 जल स्थानान्तरण संपर्क बनाने की योजना है। सभी 31 संपर्कों की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट पूरी हो गई हैं।

(घ) और (ङ) पता लगाई गई अंतर बेसिन जल स्थानांतरण संपर्क स्कीमों की सभी व्यवहार्यता रिपोर्टों को प्राय द्वीपीय घटक के तहत वर्ष 2004 तक और हिमालयी घटक के तहत वर्ष 2008 तक पूरी किए जाने का कार्यक्रम है। जल स्थानान्तरण संपर्क प्रस्तावों का कार्यान्वयन अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति होने के बाद कितनी जल्दी लागत प्राक्कलनों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

5256. श्री राजो सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शेखपुरा और लखीसराय जिले के सभी प्रखंडों में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना और बेहतर टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) शेखपुरा और लखीसराय जिलों के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान कर दिए गए हैं। विवरण–I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार नए एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) नए एक्सचेंज स्थापित करने के लिए उपस्कर–प्रापण की प्रक्रिया चल रही है। उपर्युक्त जिलों के सभी एक्सचेंजों का विस्तार उनकी क्षमता उपयोगिता तथा नए टेलीफोन कनेक्शनों की लंबित मांग के आधार पर किया जाएगा।

(ii) पारेषण माध्यम की योजना बना ली गई है। अधिकांश मौजूदा माध्यम को, आप्टिकल फाइबर केबलों (ओ. एफ. सी.) से बदल दिया गया है। शेष एक्सचेंजों का माध्यम विवरण–I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बदला जा रहा है।

विवरण

(क) स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित नए सी–256 एक्सचेंज

क्र.सं.	स्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम
1.	नोआया	हलसी	लखीसराय
2.	लोहन	अरियारी	शेखपुरा

(ख) मौजूदा माध्यम को ओ. एफ. सी. से बदलना

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम	मौजूदा माध्यम
1.	हथियामा	शेखपुरा	भूमिगत केबल
2.	मेहस	शेखपुरा	भूमिगत केबल
3.	घाट कुसुम्भा	शेखपुरा	4/4 यूएचएफ
4.	शेखोपुर सराय	शेखपुरा	2/2 यूएचएफ
5.	कजरा	लखीसराय	2/2 यूएचएफ

श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

5257. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के आदिवासी क्षेत्रों के और महाराष्ट्र के पन्धारपुर क्षेत्र के श्रम न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में राज्य–वार कितने श्रम मामले निपटाए गए; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों के श्रम मामले निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों का उन क्षेत्रों/अंचलों में गठन किया जाता है जहां अधिक संख्या में उद्योग और कार्यबल हैं चाहे वह क्षेत्र/अंचल जनजातीय हो या गैर–जनजातीय हो।

31.12.2000 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या और पिछले 3 वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

के.स.औ.अ.–सह–श्रम न्यायालय का नाम	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले			31.12.2000 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले
	1998	1999	2000	
1	2	3	4	5
आसनसोल	67	25	–	409
बंगलौर	77	293	6	515
कोलकाता	104	100	28	200@
चंडीगढ़	45	126	23	1787
धनबाद–I	10	36	89	1539
धनबाद–II	95	135	–	1364
जबलपुर	–	–	72	1367
कानपुर	322	399	122	620
मुम्बई–I	53	66	40	204
मुम्बई–II	100	126	127	278
नई दिल्ली	244	25	97	1087

1	2	3	4	5
जयपुर	—	18	96	125
नागपुर	—	—	60	294
लखनऊ	—	—	26	213
चेन्नई	—	—	26	63
हैदराबाद	—	—	—	—
भुवनेश्वर	—	—	—	34
कुल	1117	1350	812	10,099

@31.10.2000 की स्थिति के अनुसार

(ग) औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

मंत्रालय सामान्यतः के. स. औ. अधिकरणों के कार्यचालन में हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि वे अर्ध–न्यायिक निकाय हैं। तथापि, **समय–समय** पर निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं ताकि किसी **असामान्य** स्तर तक मामले लम्बित न रहें :

(i) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के कुछ रिक्त पदों को भरने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं।

(ii) पीठासीन अधिकारियों के साथ समय–समय पर मामला उठाते हुए के. स. औ. अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में लंबित औद्योगिक विवाद मामलों में कमी करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

(iii) दिनांक 6.4.99 को सभी पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी जिसमें लंबित मामलों के निपटान की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

(iv) के. स. औ. अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के उपयोग के लिए कार्यविधि की विभागीय नियम पुस्तक को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यह आशा की जाती है कि यह नियम पुस्तक मामलों का शीघ्र निपटान करने में पीठासीन अधिकारियों के लिए उपयोगी रहेगी।

(v) पीठासीन अधिकारियों की अर्हताओं में छूट देने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है जिससे रिक्तियों को अविलंब भरा जा सके। इसके अतिरिक्त के. सा. औ. अधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों को उनके अधिनिर्णयों को क्रियान्वित करवाने के लिए और अधिक शक्तियां दी जाएंगी।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर-बनारस-दिल्ली रूट पर उड़ानें

5258. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को एक वर्तमान उड़ान सेवा के अलावा बनारस होते हुए दिल्ली से भुवनेश्वर को जोड़ने वाली विमान सेवा प्रदान करने हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई; **और**

(ग) उक्त विमान सेवा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, **हां।**

(ख) और (ग) मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर जिसमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है, अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, एयरलाइनें किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने/किसी भी स्थान को विमान सेवा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। वाराणसी से भुवनेश्वर के लिए बहुत कम यात्री मांग होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स की इस समय दिल्ली से वाराणसी होकर भुवनेश्वर के लिए विमान सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

अम्बाला-चंडीगढ़ और चंडीगढ़-लुधियाना मार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

5259. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अम्बाला–चंडीगढ़ और चंडीगढ़–लुधियाना मार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सड़कों पर सघन और व्यस्त बिन्दुओं पर फलाई ओवर निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दो मार्गों पर यातायात की वार्षिक सघनता का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) रा.रा.–22 के अम्बाला–कालका खंड और रा.रा.–21 के जिराकपुर–चण्डीगढ़–किरतपुर खंड को 4 लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य इस समय चल रहा है। रा.रा.–95 के चण्डीगढ़–लुधियाना खंड को चार लेन का बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इन सड़कों पर उपरिपुल के निर्माण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इन सड़कों पर औसत वार्षिक दैनिक यातायात का ब्यौरा निम्नलिखित है :

		यात्री कार यूनिट (पी.सी.यू)/दिन
(i)	अम्बाला–कालका खंड (रा.रा.–22)	25282
(ii)	जिराकपुर–चण्डीगढ़ खंड (रा.रा.–21)	30374
(iii)	चण्डीगढ़–लुधियाना खंड (रा.रा.–95)	12017

अकुशल महिला श्रमिकों को मजदूरी

5260. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ राज्य सरकारें अकुशल महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की तुलना में समान मजदूरी का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में महिलाओं के लिए समान कार्य अथवा समान स्वरूप के कार्य हेतु समान पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार अथवा रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा उसके प्राधिकरण के तहत अथवा बैंकिंग कंपनी, खान, तेल, क्षेत्र अन्यथा प्रमुख पत्तन अथवा केन्द्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम द्वारा चलाए जा रहे किसी रोजगार के संबंध में समुचित सरकार है। अन्य सभी नियोजनों के संबंध में राज्य सरकारें समुचित सरकार हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित समुचित सरकार के अधिकारी निरीक्षण करते हैं और अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के खिलाफ अभियोजना चलाते हैं। केन्द्र सरकार अधिनियमों के क्रियान्वयन का प्रबोधन करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 का उन्नयन

5261. श्री एम. के. सुब्बा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए 250.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तेजपुर और जुनाई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 की स्थिति बहुत खराब है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर का बनाने हेतु कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और इसमें आवश्यक परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) सरकार ने 2000–01 के दौरान पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 57.13 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

(ख) तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 दो लेन का है और यातायात योग्य स्थिति में है। उत्तरी लखीमपुर से जुनाई खंड इकहरी लेन का है और 4 किमी. के खंड जो जिया धोल नदी से प्रभावित है, को छोड़कर इसे यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) से (घ) तेजपुर से जुनाई तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 का विकास धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणों में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में आप्टीकल फाइबर

5262. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों को आप्टीकल फाइबर से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आप्टीकल फाइबर से कितने टेलीफोन एक्सचेजों को जोड़ने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 2061 टेलीफोन एक्सचेजों में से 951 टेलीफोन एक्सचेंज आप्टीकल फाइबर से जुड़े हुए हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, 996 टेलीफोन एक्सचेंजों को आप्टीकल फाइबर से जोड़ने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि सामग्री समय पर उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

मुम्बई स्थित एच. सी. आई. के होटलों का जीर्णोद्धार

5263. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल निगम ने अपने होटलों का जीर्णोद्धार करने तथा कमरों की सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक विशेषकर मुम्बई स्थित एच. सी. आई. के विभिन्न होटलों के कितने कमरों का उन्नयन किया गया;

(घ) मुम्बई एयरपोर्ट और जुहू सेंटॉर पर एच. सी. आई. ने कुल कितना व्यय किया; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी होटलों में और अधिक विदेशियों को आकर्षित करने हेतु उनमें और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) इस वर्ष के दौरान, सभी तीनों परिसंतियों, अर्थात सेंटॉर होटल, मुम्बई हवाई अड्डा, सेंटॉर होटल जुहू बीच और सेंटॉर दिल्ली हवाई अड्डे पर पुनरुद्धार कार्य किए जाने का प्रस्ताव है।

मुम्बई में भारतीय होटल निगम के दो होटलों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए कमरों की संख्या नीचे बताई गई है :

(1) सेन्टॉर होटल, मुम्बई हवाई अड्डा : 440 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्तम्भों और बरामदों सहित 60 अतिथि कक्ष।

(2) सेंटॉर होटल जुहू बीच : स्तंभों और बरामदों सहित 40 अतिथि कक्ष। 41 अतिथि कक्षों और 3 सूटों पर कार्य प्रगति पर है। अनुमानित लागत 462 लाख रुपये है।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

झारखंड में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

5264. श्री नागमणि : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य में जिले–वार कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षारत हैं; और

(ख) इस प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 13322 है। जिले–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभाग ने प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) नए एक्सचेंज खोलने और मौजूदा नए एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए आवश्यक एक्सचेंज उपस्कर प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

(ii) भूमिगत केबल बिछाने की योजना बनाई गई है।

विवरण

जिले–वार प्रतीक्षा–सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा–सूची
1.	धनबाद	1621
2.	बोकारो	2114
3.	हजारीबाग	885
4.	गिरीडीह	150
5.	चात्रा	25
6.	पूर्वी सिंहभूम	2376
7.	पश्चिमी सिंहभूम	404
8.	रांची	1112
9.	लोहारदगा	77
10.	गुमला	182
11.	पलामू	260
12.	गढ़वा	20
13.	देवघर	2411
14.	दुमका	447
15.	साहेबगंज	423
16.	कोदेरमा	115
17.	पाकुर	65
18.	गोड्डा	635

[अनुवाद]

उजड़ी हुई वन्यभूमि में फिर वन लगाना

5265. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उजड़ी हुई वन्यभूमि पर फिर से वन रोपण हेतु क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान इस कार्य हेतु कितने धन की आवश्यकता पड़ी और कितना उपलब्ध कराया गया;

(ग) अभी तक कितने क्षेत्र पर पुनः वन रोपण किया गया है; और

(घ) वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) अवक्रमित वन भूमियों के सुधार के लिए वार्षिक लक्ष्य केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजना वनीकरण स्कीमों हेतु निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। आठवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता तथा नौवीं योजना (2001–02 सहित) में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनकरण स्कीमों (एकीकृत वनकरण एवं पारि–विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी व चारा परियोजना स्कीम, और औषधीय पौधों सहित गैर–इमारती लकड़ी वनोत्पाद का संरक्षण और विकास स्कीम) के अंतर्गत निर्धारित केन्द्रीय सहायता क्रमशः 413.79 करोड़ रुपये और 550.35 करोड़ रुपये है। आठवीं योजना में इन स्कीमों के अंतर्गत 8,11,056 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया। क्षेत्र में वनीकरण परियोजना के क्रियान्वयन में सुधार के लिए नवीं योजना में संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से जन–भागीदारी को इन स्कीमों का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन उपस्करों की लागत

5266. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित टेलीफोन उपस्करों की लागत देश में निर्मित उपस्करों से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपस्करों का कम लागत पर उत्पादन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दूरसंचार उपस्करों की लागत, प्रौद्योगिकी के स्रोत, कच्चे माल/संघटकों की स्वदेशी रूप से उपलब्धता, उत्पादन की मात्रा अर्थात इकनॉमी आफ स्केल, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। वे उपस्कर जो स्वदेशी जानकारी के तहत विनिर्मित किए जा रहे हैं तथा जिनमें सामान्यतः स्वदेशीकरण की मात्रा अधिक होती है, वे उपस्कर बाहर से आयातित उपस्करों से सस्ते होते हैं। तथापि, यदि भारतीय निर्माता को प्रौद्योगिकी अन्तरण के प्रति तकनीकी जानकारी, फीस और रायल्टी

देनी हो और उसके आयात की मात्रा ज्यादा हो, तो आयातित उपस्कर स्वदेशी रूप से निर्मित दूरसंचार उपस्कर से सस्ता हो सकता है।

(ग) हालांकि ऐसे अव्यवस्थित माहौल में, दूरसंचार उपस्कर के मूल्य नियंत्रित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं जिससे इन उपस्करों का सस्ती दरों पर उत्पादन संभव हो सकेगा :

(i) दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है और इसीलिए उत्पाद विशेष के लिए विनिर्माण यूनिटों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।

(ii) डब्ल्यूटीओ के तहत सूचना प्रौद्योगिकी करार के अनुसार भारत आईटी उत्पादों पर चरणबद्ध रूप से सीमा–शुल्क में कटौती करके उसे शून्य तक लाने के लिए वचनबद्ध है। इस वचनबद्धता में दूरसंचार उपस्कर सहित आईटी उत्पादों के संघटकों पर सीमा–शुल्क में कमी करने की भी परिकल्पना की गई है। निविष्टियों (इनपुट) पर सीमा–शुल्क में कटौती करने से स्वदेशी दूरसंचार उपस्कर की लागत और कम हो जाएगी।

(iii) दूरसंचार विभाग ने राज्य सरकारों से दूरसंचार उत्पादों पर बिक्री कर कम करने के लिए अनुरोध किया है।

(iv) स्वदेशी उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास परिषद का गठन किया गया था।

[अनुवाद]

ई.एस.आई.सी. के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5267. श्री वाई. वी. राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी मार्च, 2001 में एक दिवसीय हड़ताल पर गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम के कर्मचारियों के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने हेतु नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को निगम में क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें केन्द्रीय सरकार के तदनुरूप वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू नियमों तथा आदेशों के अनुसार होना अपेक्षित है। तदनुसार, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकार की गयी सिफारिशों के लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए हैं तथा दिसम्बर, 1997 में कर्मचारियों को इस संबंध में बकाया राशि की अदायगी कर दी गयी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा गठित वेतन समिति ने, अन्य बातों के साथ–साथ, 50 प्रतिशत फिटमेन्ट लाभ प्रदान किए जाने, अपर आयुक्तों सहित स्टाफ की कतिपय श्रेणियों को उच्चतर वेतनमान प्रदान किए जाने, रिकार्ड सॉर्टर के पद को अपग्रेड किए जाने और इसे रिकार्ड कीपर के रूप में पुनः पद नामित किए जाने, केन्द्रीय सरकार के समुह "क" संगठित सेवा अधिकारियों को उपलब्ध लाभ, निगम के समूह "क" अधिकारियों आदि पर लागू किए जाने की सिफारिश की है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कानूनी उपबंधों तथा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों पर अब तक पहले से ही लागू किए गए लाभों को भी ध्यान में रखते हुए, वेतन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर उपरि पुल का निर्माण

5268. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास और कोलकाता के बीच व्यवधान मुक्त यातायात सुनिश्चित करने हेतु विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर दो रेलवे फाटकों पर दो सड़क ऊपरी पुलों के निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के विशाखापत्तनम–विजयवाड़ा खंड पर इलूरू वाइपास पर दो सड़क उपरि पुलों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 3 और सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(i) इलूरू और डेन्दूलुरू स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के 490/15–491/1 कि.मी. : पूरा हो चुका है।

(ii) नूजविद और वातलुरू स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के 477/3–4 कि.मी. : पूरा हो चुका है।

(iii) तुनी के समीप 291.4 कि.मी. – स्वीकृत

(iv) एलेमंचली के समीप 332.750 कि.मी. – यथोक्त

(v) बायावरम के समीप 344.885 कि.मी. – यथोक्त

(ग) सभी सड़क उपरि पुल दिसम्बर, 2003 तक पूरे किए जाने हैं।

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

5269. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश प्रदेश सरकार की ओर से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रति व्यक्ति लागत बढ़ाने का सुझाव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूमि, कृषि उपकरणों आदि की खरीद की उच्च लागत को ध्यान रखते हुए इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों हेतु पुनर्वास सहायता राशि में वृद्धि करने के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर, पुनर्वास सहायता राशि को मई 2000 से प्रति मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिक के लिए 10,000/– रु. से बढ़ाकर 20,000/– रुपए कर दिया गया है।

टेलीफोन खराब होने की दर

5270. श्री रघुनाथ झा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के क्षेत्रों की तुलना में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में टेलीफोन खराब होने की दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के क्षेत्रों में इस दर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एमटीएनएल, दिल्ली की दोष दर दूरसंचार विभाग (अब बीएसएनएल) के क्षेत्रों की दोष दर से अधिक है। तथापि, एमटीएनएल, मुम्बई की दोष दर 11.3 प्रतिशत है जो कि अखिल भारत की औसत दोष दर 12.5 प्रतिशत से कम है।

(ख) दोष दर के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है :

- ड्राप वायर की घटिया किस्म
- दोषपूर्ण उपस्कर
- केबल लम्बी होने के कारण एक की स्थान पर अधिक खम्भे (*pillars*) लगाना और उन्हें पाइपों के माध्यम से इंटरकनेक्ट करना
- ब्राह्य संयंत्र में नई प्रौद्योगिकियों की नाममात्र की शुरूआत।

(ग) दोष दर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) ब्राह्य संयंत्र पुनः स्थापित किए जा रहे हैं।

(ii) सभी पेपर कोर भूमिगत केबलों को जैली फिल्ड/आप्टिकल फाइबर केबलों से बदला जा रहा है।

(iii) पुराने/दोषपूर्ण टेलीफोन उपस्करों को बदलने संबंधी नीति का उदारीकरण।

(iv) अधिक से अधिक रिमोट स्विचिंग यूनिट (आरएसयू) तथा डिजिटल लाइन कन्सेन्ट्रेटर्स (डीएलसी) खोलना।

मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में असैनिक पायलट प्रशिक्षण संस्थान

5271. श्री सईदुज्जमा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपदा और पर्यटन सहित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विमान सेवाओं का विस्तार करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की राज्य–वार क्या योजना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रुड़की और ऋषिकेश की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक असैनिक पायलट प्रशिक्षण संस्थान के लिए हवाई अड्डा बनाने का है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर जिसमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, एयरलाइन्स आपरेटर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किसी भी स्थान/किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। विमान सेवाओं की पूर्ति गैर–अनुसूचित प्रचालकों द्वारा की जाती है जिन्हें विभिन्न अन्य आवश्यकताओं के लिए विमानों की व्यवस्था चार्टर आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब कभी प्राकृतिक आपदाओं और संकट के कारण आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता आ पड़ती है, इंडियन एयरलाइन्स अतिरिक्त सेवाओं का प्रचालन भी करती है। हाल ही में आए गुजरात में भूकंप के बाद, इंडियन एयरलाइन्स ने 26 जनवरी, से 14 फरवरी, 2001 तक 184 अतिरिक्त उड़ानों को प्रचालन किया था।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आधारभूत टेलीफोन सेवाएं

5272. श्री महबूब जहेदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के 40 सर्किलों की आधारभूत टेलीफोन सेवाओं को 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सर्किल–वार और कंपनी–वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) तीन आवेदक कम्पनियों नामतः मैसर्स टाटा टेली–सर्विसेज लि., मैसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्स प्रा.लि., और मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लि. को अनेक सेवा क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने हेतु लाइसेंसों के लिए, संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार केवल 40 आशय पत्र जारी किए गए हैं। यदि ये आवेदक कम्पनियां लागू प्रवेश शुल्क के भुगतान करने, अपेक्षित बैंक गारन्टियों को प्रस्तुत करने और दूसरी अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने में सफल होती हैं तो ये लाइसेंस करार प्रारम्भ में 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे।

विवरण

कम्पनी का नाम	क्षेत्र जिनके लिए आशय पत्र जारी किए गए
मैसर्स टाटा–टेली सर्विसेज लि.	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल (कोलकाता और सिक्किम सहित), उत्तर प्रदेश (पूर्व), मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), बिहार (झारखंड सहित), उत्तर प्रदेश पश्चिम (उत्तरांचल सहित), राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु (चेन्नई और पाण्डिचेरी सहित), दिल्ली, महाराष्ट्र (मुम्बई और गोवा सहित), गुजरात, कर्नाटक।
मैसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.	जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश (छत्तीस गढ़ सहित), बिहार (झारखंड सहित), उड़ीसा, उत्तर प्रदेश पश्चिम (उत्तरांचल सहित), केरल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र (मुम्बई और गोवा सहित), कर्नाटक, उत्तर प्रदेश (पूर्व), पश्चिम बंगाल (कोलकाता और सिक्किम सहित), दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, (चेन्नई और पाण्डिचेरी सहित)।
मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लि.	तमिलनाडु, (चेन्नई और पाण्डिचेरी सहित), केरल, उत्तर प्रदेश पश्चिम (उत्तरांचल सहित), कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र (मुम्बई और गोवा सहित)।

वन्यजीवों का अवैध व्यापार

5273. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी बी आई द्वारा मार्च, 2001 में महाराष्ट्र में नागपुर के निकट मारे गए छापे में बाघ की खालों सहित वन्य जीवों के अन्य शारीरिक हिस्से बरामद हुए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अपराध में कुछ विदेशी तस्कर भी शामिल पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा मार्च, 2001 में नागपुर में की गई जब्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस मामले में विदेशी तस्करों की भागीदारी साबित करने हेतु निर्णायक सबूत प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) वन्यप्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि–विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड

फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमापार से अवैध आवागमन को रोकने के लिए भारत द्वारा एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) इंडो चीन प्रोटोकोल इन टाइगर कंजर्वेशन आर्टिकल आफ द प्रोटोकोल में अन्य बातों के साथ साथ बाघों के अवैध शिकार, बाघों की हड्डियों और अन्य अंगों तथा व्युत्पनों की तस्करी और बिक्री से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने का अनुबंध किया गया है।

(iv) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

विवरण

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मार्च 2001 में, नागपुर में की गई जब्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	जब्त की गई मदें	की गई कार्रवाई
1.	बाघ की खाल 1	2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए
	बाघ की खोपड़ी 5	
	बाघ की हड्डियां 23 किलोग्राम	
	मृगश्रृंग 1.9 किलोग्राम	
	बाघ के पंजे 10	
	बाघ के दांत 3	
2.	चीते की खाल 4	4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए

टेलपोन्ड बांध विद्युतघर को स्वीकृति

5274. डा. एस. वेणुगोपाल : *क्या* **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर परियोजना स्थित टेलपोन्ड बांध विद्युतघर को पर्यावरणीय स्वीकृति देना लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को जल्द स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना भिजवाने के लिए 12.2.2001 को अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 का विस्तार और विकास

5275. श्री सुनील खां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर से पानागढ़ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 के विस्तार और विकास के कारण इस राजमार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प प्रभावित हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हा।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों से संपर्क सड़क के निर्माण के लिए नीति के अनुसार 3 वर्ष के लिए वैध लाइसेंस विलेख पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसमें यह शर्त होती है कि अगर सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता हो तो लाइसेंस धारक को अपनी लागत पर संपर्क सड़क को हटाना होगा। तेल कंपनियों को अपने पेट्रोल पंपों/खुदरा आउटलेटों के लिए लाइसेंस विलेख के नवीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

आंध्र प्रदेश के लिए नागर विमानन परियोजनाएं

5276. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में शुरू की गई नागर विमानन विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार काम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो पूरी हो चुकी निर्माणाधीन और योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान पूरी होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक प्रत्येक परियोजना हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नौवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ में आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य किया :

(1) हैदराबाद हवाई अड्डे पर, 50.78 करोड़ रुपये की कुल लागत पर, नए समेकित अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण, वर्तमान अंतरदेशीय टर्मिनल भवन का परिवर्धन/विस्तार, चार एयरब्रिजों का संस्थापन और वर्तमान धावनपथ सहायक पेवमेंटों के प्रोफाइल सुधार का कार्य पूरा किया गया है। वर्तमान धावनपथ का 10,500 फुट तक विस्तार करने के लिए तकनीकी–आर्थिक साध्यता अध्ययन किया गया है। अब तक 1.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

(2) विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर, 8.55 करोड़ रुपये की कुल लागत से धावनपथ के सुदृढ़ीकरण, वर्तमान टर्मिनल भवन के परिवर्धन/पुनरुद्धार और नये एप्रन और लिंक टैक्सीपथ के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

(3) विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर 400 यात्रियों के लिए वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन अपने आरंभिक चरण में है। स्वीकृत राशि 1.00 करोड़ रुपये है। एक नए धावनपथ का निर्माण करने एबी–300 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए इस हवाई अड्डे के विकास की योजना है जिसके लिए तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन किया गया है। अब तक स्वीकृत राशि 1.00 करोड़ रुपये है।

(4) तिरूपति हवाई अड्डे पर, 18.66 करोड़ रुपये की लागत से 300 यात्रियों के लिए एक नये टर्मिनल भवन को विकसित किया गया है और एप्रन और लिंक टैक्सी ट्रैक का विस्तार किया गया है।

(5) राजामुन्दरी हवाई अड्डे पर, वर्तमान धावनपथ की पुनःकारपेटिंग, लिंक टैक्सी–ट्रैक के निर्माण, नए एप्रन और चारदीवारी के निर्माण का कार्य दे दिया गया है। इस परियोजना के लिए अब तक 7.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। कार्य के मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ङ) सभी परियोजनाओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और इसकी प्रगति की आवधिक रूप से संवीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर भूकंपरोधी इमारतें

5277. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इन विमानपत्तनों ने कितना लाभ अर्जित किया और वर्ष 2001–2002 के दौरान कितना लाभ अर्जित करने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु विमानपत्तनों हेतु विमानपत्तनों पर भूकंपरोधी इमारतें बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) 11 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 85 अंतर्देशीय हवाई अड्डे और रक्षा विमानक्षेत्रों पर 26 सिवल एन्क्लेव हैं जिनका अनुरक्षण और प्रबन्ध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ख) इन हवाई अड्डों से वर्ष 1999–2000 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अर्जित राजस्व 211.38 करोड़ रुपये है और संशोधित अनुमान के अनुसार 2000–2001 के लिए होने वाला संभावित लाभ 234.26 करोड़ रुपये और बजट अनुमान के अनुसार 2001–2002 के लिए यह राशि 251.30 करोड़ रुपये है।

(ग) से (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर निर्मित सभी भवनों/ढांचों का डिजाइन बने रहने/भूकंप में टिके रहने के अनुरूप बनाया गया है और इस प्रकार के निर्माण का डिजाइन भारतीय मानक कोड संख्या 1893 के अनुरूप तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

वृक्षारोपण

5278. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने तथा किस-किस प्रकार के वृक्ष कुल कितने क्षेत्र में लगाए गए;

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए वृक्षारोपण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस कार्य हेतु अनुमानित रूप से कितनी धनराशि खर्च की जानी है;

(घ) क्या कुछ वृक्षों विशेषकर सागवान के वृक्षों की संख्या में भारी कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत निजी भूमियों पर पौधरोपण तथा वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियों पर वनीकरण के माध्यम से क्षेत्र आवरण के लिए पौध वितरण के संबंध में वनीकरण एवं वृक्षारोपण संबंधी लक्ष्य वार्षिक तौर पर निर्धारित किए जाते हैं। 1997-2001 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण/वनीकरण संबंधी उपलब्धियां विवरण में दी गई हैं। रोपित प्रजातियों संबंधी निर्णय क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा स्थानीय जलवायु और मृदीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। देशज प्रजातियों की रोपाई को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) और (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु वार्षिक लक्ष्य संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य योजना स्कीमों के तहत उपलब्ध धनराशियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 2001-2002 संबंधी लक्ष्य तदनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) वनों में वृक्षों की स्टॉक टेकिंग प्रणाली देश में किसी भी राज्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। अतः वृक्ष भंडार संबंधी सूचना राज्यों या केन्द्र किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1997-2001 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम (टी. पी. पी.) के तहत वृक्षारोपण गतिविधियों संबंधी उपलब्धियां

पौध लाख में/क्षेत्र हैक्टेयर में

उपलब्धियां (1997-98)		उपलब्धियां (1998-99)		उपलब्धियां (1999-2000)		उपलब्धियां@ (2000-01)	
पौध वितरण*	क्षेत्र**	पौध वितरण*	क्षेत्र**	पौध वितरण*	क्षेत्र**	पौध वितरण*	क्षेत्र**
10335.63	965638.15	9377.86	1105275.67	11814.13	1424214.29	8505.39	757052.55

*पौध वितरण : निजी भूमियों पर पौधरोपण हेतु-टी. पी. पी. के सूत्र सं. 16.क के तहत।

**क्षेत्र : वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियों पर आवरण-टी. पी. पी. के सूत्र सं. 16.ख के तहत।

@सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्रगति रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

कर्नाटक में दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाले राजमार्गों में बदलना

5279. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक में 625 किमी. लंबे दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाले राजमार्गों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में उपमार्गों के निर्माण हेतु भी एक परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(छ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) 625 किमी. में से 63 किमी. खंड को पहले ही चार लेन का बना दिया गया है और शेष 562 किमी. पर 2,410 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है।

(ग) यह परियोजना दिसंबर, 2003 तक पूरी की जानी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) तुमकुर, सीरा, बेलगाम, रानीबेल्लूर, हावेरी, देवनहल्ली और येलाहांका में बाइपास बनाने का प्रस्ताव है। तुमकुर को छोड़कर अन्य सभी के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(छ) सीरा में बाइपास बनाने का कार्य पहले ही शुरू हो गया है। शेष 6 बाइपासों पर निर्माण कार्य चालू वर्ष 2001–2002 के दौरान शुरू किया जाना है।

सीमित दूरी वाली मोबाइल दूरसंचार सेवाएं

5280. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन–किन राज्यों में वर्तमान में "वायरलेस इन लोकल लूप सिस्टम" के द्वारा सीमित दूरी की मोबाइल दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) उक्त सिस्टम किस तिथि से प्रभावी हुआ है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख)

सेवा प्रदाता का नाम	राज्य का नाम	वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) के जरिए सीमित मोबाइल सेवा किस तिथि से प्रभावी है
1	2	3
भारत संचार निगम लि.	हरियाणा	27.3.2001
महानगर टेलीफोन निगम लि.	दिल्ली	7.4.2001
मै. एच.एफ.सी.एल. इन्फोटेल लि.	पजाब	27.1.2001
मै. श्याम टेलीलिंक लि.	राजस्थान	27.1.2001
मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	18.3.2001

कोचीन से खाड़ी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

5281. श्री जार्ज ईडन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से खाड़ी देशों को नई उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एयर इंडिया का, एयर इंडिया द्वारा इस समय प्रचालित की जा रही 15 अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचालित की जा रही 13 अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के अतिरिक्त, मई 2001 से कोचीन से खाड़ी देशों के गंतव्य स्थानों के लिए दो अतिरिक्त उड़ानें आरंभ करने का प्रस्ताव है।

एलायंस एयर द्वारा विमानों की खरीद

5282. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एलायंस एयर ने 5 बोइंग 737–200 विमान पट्टे पर लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे और अधिक मंजिलों/मार्गों तक पहुंचने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो एलायंस एयर द्वारा किन–किन नए मार्गों/क्षेत्रों के लिए अपनी सेवा प्रदान करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने मै. जी. आई. ए. एल. (गेल) के साथ पांच बोइंग 737–200 विमान ड्राई लीज पर लेने संबंधी आशय–पत्र को संपादित कर दिया था। दिसंबर, 2000 में हस्ताक्षरित लीज अनुबंध के अनुसार, इन विमानों की डिलिवरी दिसंबर, 2000 के तीसरे/चौथे सप्ताह में शुरू होनी थी। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई

के बावजूद मै. जी. आई. ए. एल. उनकी ओर से दिक्कतों की वजह से कोई विमान डिलिवर करने में विफल रही है। पट्टेकर्ता द्वारा विमान की देरी से डिलिवरी सहित शर्तों को पूरा न करने के बारे में संविदा में अर्थदंड खंडों का प्रावधान है।

टेलीफोन कनेक्शन

5283. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री तिरूनावकरसू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीफान की बुकिंग हेतु पंजीकरण शुल्क लगाने की परम्परा को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी हां, दिल्ली तथा मुम्बई (जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड प्रचालन कर रहा है) के लिए 1.5.2001 से नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु पंजीकरण निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया है।

देश के शेष भागों (जहां भारत संचार निगम लिमिटेड प्रचालन कर रहा है) में जहां–जहां "मांग पर" टेलीफोन उपलब्ध है वहां इस प्रकार का शुल्क वसूल न करने का निर्णय लिया गया है।

चेन्नई हवाई अड्डे पर नई धावन पट्टी और टर्मिनल भवन का निर्माण

5284. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना चेन्नई हवाई अड्डे पर नई धावन पट्टी और नए टर्मिनल भवन के निर्माण की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) वर्तमान अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का पुनरुद्धार और स्तरोन्नयन 79.66 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है जिसके दिसंबर, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस समय एक नए धावनपथ के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

विश्राम गृह

5285. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के विश्राम गृहों में संसद सदस्यों को ठहरने की सुविधा देने संबंधी कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए होलीडे होम्स/इसपेक्शन क्वार्टर बनाए हैं।

अल्माटी बांध

5286. श्री हरिभाऊ शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अल्माटी बांध के विवाद पर अपना निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्णय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण पंचाट के उल्लंघन संबंधी मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र और भारत संघ के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर यचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह पाया कि "अल्माटी बांध की ऊंचाई 519.6 मीटर तक उठाने में कोई रोक नहीं है बशर्ते कि

केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्राधिकरण और नियम के तहत अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।" योजना आयोग द्वारा अपर कृष्णा चरण–II बहुउद्देश्यीय परियोजना (सिंचाई भाग) में अल्माटी बांध के पूर्ण जलाशय स्तर (एफ. आर. एल.) को 519.6 मीटर ऊपर उठाने और 2358.86 करोड़ रुपये लागत (1998–99 के मूल्य स्तर पर) की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

नदियों के जल के बंटवारे संबंधी विवाद

5287. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों से नदियों के जल के बंटवारे के संबंधी लम्बे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों ने मुद्दों को सुलझाने के लिए किस हद तक पहल की है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री द्वारा इन मुद्दों को सुलझाने हेतु इसलिए भी जोर दिया गया है ताकि यह राज्य नदियों में उपलब्ध जल के भरपूर उपयोग हेतु एक संयुक्त पहल कर सके;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री द्वारा जल विवादों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित राज्यों को कोई ठोस सुझावों या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इन राज्यों को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) किसी संस्थागत प्रबंधन की विद्यमानता का उल्लेख करते हुए जिसमें मिलकर कार्य करने वाले अच्छे पड़ोसी राज्य शमिल हों, प्रधान मंत्री ने कुरुक्षेत्र में 6.3.2001 को पेनोरमा और विज्ञान केन्द्र के उद्घाटन के दौरान अपने भाषण में यह कहा कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि कुछ मुद्दों पर संयुक्त नीतियां तैयार की जाएं। जल के बेहतर उपयोग पर बल देते हुए उन्होंने यह कहा कि सिंचाई और नदी विवादों के अनेक मुद्दे लंबित हैं जबकि जल बहकर समुद्र में जा रहा है और खेत सूख रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए समयबद्ध नीतियों की आवश्यकता का विशेष उल्लेख करते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया कि हरियाणा के मुख्य मंत्री इस संबंध में पहल कर सकते हैं। यह याद दिलाते हुए कि हरियाणा के मुख्य मंत्री उस क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं, प्रधान मंत्री ने ऐसी बैठक आयोजित किए जाने की इच्छा व्यक्त की।

(घ) से (च) 4 मार्च, 2001 को पंजाब में रणजीत सागर बांध राष्ट्र को समर्पित करते हुए, प्रधान मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उस क्षेत्र के मुख्य मंत्री विचार विमर्श कर सकते हैं और इन मुद्दों पर सहमति कायम कर सकते हैं तो केन्द्र इस संबंध में सभी सहायता प्रदान करेगा। प्रधान मंत्री द्वारा पहले व्यक्त की गई इच्छा के अनुरूप केन्द्रीय सरकार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जल से संबंधित मुद्दों पर उनके मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित कर विचार–विमर्श करने और वार्ता द्वारा इन मुद्दों का समाधान करने के प्रयास कर रही है।

दूरसंचार सुविधाएं

5288. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना में कौन–कौन से राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं;

(ख) देश में अब तक कितने "सर्वर फार्म्स एण्ड वेब हॉस्टिंग" केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन केन्द्रों को स्थापित करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विश्वसनीय माध्यम सहित एक्सचेंजों की संपर्कता में वृद्धि करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं। संयोजकता प्रदान करना भौगोलिक क्षेत्र, एक्सचेंजों की संख्या, भू–भाग की वास्तविक बनावट आदि जैसे घटकों की संख्या पर निर्भर करता है, इस संबंध में सभी सर्किलों की प्रगति संतोषजनक है। बी. एस. एन. एन. की योजना के अनुसार, सभी एक्सचेंजों को मार्च, 2002 तक विश्वसनीय माध्यम (आप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव तथा उपग्रह प्रणालियों) से जोड़ा जाना है।

(ख) और (ग) बी. एस. एन. एल. ने अभी तक कोई "सर्वर फार्म्स एण्ड वेब हॉस्टिंग" केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

फरक्का बैराज परियोजना

5289. श्री अबुल हसनत खां : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बैराज परियोजना की "लॉक चैनल एप्रोच" में भारी गाद के कारण नौसंचालन में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या फरक्का बैराज परियोजना के सामने के चैनल को साफ करने के लिए तलकर्षण कार्य/उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कभी–कभी जल की कमी वाले महीनों के दौरान फरक्का बैराज परियोजना के नौ परिवहन चैनल में जल की गहराई 2 मीटर से कम हो जाती है। यह नौ परिवहन के लिए अपेक्षित न्यूनतम गहराई है।

(ख) और (ग) भारत के अतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1999 में जल की गहराई में सुधार लाने के लिए लॉक चैनल के समीपवर्ती क्षेत्रों में तलकर्षण संबंधी अनुरक्षण कार्य किए गए हैं।

नाल्को पर खर्च की गई धनराशि

5290. श्री परसुराम माझी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में दामनजोड़ी में नाल्को के परिधीय विकास कार्यों हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : नाल्को द्वारा उड़ीसा में दामनजोड़ी में परिधीय विकास (पेरिफेरियल डिवेल्पमेंट) कार्यों पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है :

1998–99	88 लाख रु.
1999–2000	127.66 लाख रु.
2000–2001	165 लाख रु.

नहरों और नदियों का रख-रखाव

5291. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में नहरों और नदियों के रख–रखाव और सौंदर्यकरण हेतु धनराशि प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) श्रीनगर में डल और नगीन झीलों सहित 10 शहरी झीलों के संरक्षण के लिए राष्ट्र झील संरक्षण योजना पर 29.12.1997 को सरकार द्वारा विचार किया गया था और तब सरकार ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के वित्त पोषण के लिए विदेशी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के संदर्भ में स्कीम का नए सिरे से मूल्यांकन करने के पश्चात मामले पर विचार करने के लिए उसे प्रस्तुत किया जाए। तथापि, सरकार ने इसके साथ–ही–साथ डल झील के संरक्षण के लिए स्कीम को शुरू करने हेतु प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया और यह निर्णय लिया था कि भूमि अधिग्रहण पर 20 करोड़ रुपये तक की राशि व्यय की जा सकती है और जहां तक डल झील का संबंध है, स्कीम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अग्रिम कार्रवाई द्वारा यह नितांत आवश्यक है। डल और नगीन झीलों के संरक्षण के लिए जम्मू और कश्मीर की वार्षिक योजना के माध्यम से योजना आयोग ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1997–98 से आज तक की अवधि के दौरान 75 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की है। डल और नगीन झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 162.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से (भूमि लागत घटक के बिना) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने पर 1.20 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है जिसे राज्य सरकार की टिप्पणी के लिए रिपोर्ट को 14 नवम्बर, 2000 को उन्हें भेज दिया गया है। इसके अलावा, नम भूमि संरक्षण नामक एक अलग स्कीम के अंतर्गत वूलर झील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 0.76 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है। वूलर झील प्रबंधन के लिए शुरू की गई गतिविधियों में कैचमैंट क्षेत्र सुधार, मृदा संरक्षण, खरपतवार हटाना तथा गाद निकालना शामिल है।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 284.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4 शहरों नामतः अनन्तनाग, श्रीनगर, सोपोर तथा बारामूला में झेलम नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए दिसंबर, 1997 में पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जम्मू तथा कश्मीर झीलों और वाटरवेज डेवलपमेंट अथारिटी को इस पूर्व व्यवहार्यत रिपोर्ट को तैयार करने के लिए फरवरी, 1998 में 5 लाख रुपये

की राशि रिलीज़ की गई थी। प्रस्ताव को राज्य सरकार को उनकी टिप्पणी मंगाने हेतु जून, 1998 में लौटा दिया गया था क्योंकि प्रचालन एवं अनुरक्षण की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए इसे सतत नहीं पाया गया था।

विमानपत्तन टर्मिनलों पर निगरानी कैमरे लगाना

5292. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
डा. डी. वी. जी. शंकर राव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तन टर्मिनलों के आस–पास किसी संदिग्ध वस्तु अथवा घूमने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने और सम्पूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण और सर्वेक्षण करने के लिए विमानपत्तन टर्मिनलों पर कैमरे लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अल्पाहार गृहों और पुस्तक भंडारों आदि के आसपास सुरक्षा को किस प्रकार कड़ी करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1–ए, 1बी और टर्मिनल–2, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2सी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल पर टर्मिनल–2सी पर इस समय प्रयोग में लाए जा रहे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन प्रणाली के निगरानी कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर संस्थापन का कार्य अंतिम चरण में है। सीमा–शुल्क, अप्रवासन, सुरक्षा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया प्रयोग किए जा रहे सामान्य नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सहित नया निगरानी सी. सी. टी. वी. प्रणाली की व्यवस्था के टर्मिनल 1बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल–2, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1बी, टर्मिनल 2ए, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल पर, चेन्नई हवाई अड्डे के अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर, तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर, जुलाई, 2001 के अंत तक चालू हो जाने की आशा है।

(घ) टर्मिनल क्षेत्र में कैफेटेरिया, पुस्तक स्टोर इत्यादि स्थित हैं, जहां अनेक उपायों से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें अधिक नियंत्रण निगरानी दल की तैनाती, सी. सी. टी. वी. कैमरा इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि का अतिक्रमण

5293. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हैदराबाद स्थित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिक्रमणकर्त्ताओं को हैदराबाद में अन्य स्थानों पर पुनर्वासित करने का प्रस्ताव है और आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके लिए भूमि आबंटित की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नए स्थलों पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग 97 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 1994 में 9.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिया गया था जिसमें 4.58 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दी गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस प्रयोजन के लिए मई, 1994 में 1.25 करोड़ रुपये जमा करवा दिये थे। तथापि, बाद में राज्य सरकार ने सूचित किया था कि पुनर्वास की लागत बढ़ गई है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मकानों और अन्य सुविधाओं की लागत के लिए 17.74 करोड़ रुपये का अंशदान करने का अनुरोध किया था। चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध–राशि बहुत अधिक है और प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए इस भूमि की तात्कालिक रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इतनी अधिक अतिरिक्त ऊंची लागत को वहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने शमशाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक नए हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का निर्माण

5294. श्री चिंतामन वनगा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन शहरों में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने का निर्णय लिया है जहां पहले ही विमानपत्तन मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो, क्षेत्रवार ऐसे शहर और राज्य कौन–कौन से हैं; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है और इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी और प्रत्येक ऐसे विमानपत्तन पर क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, दीर्घावधिक विमान यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार की नवी मुम्बई में एक दूसरे हवाई अड्डे के विकास की योजनाएं हैं। राज्य सरकार को प्रस्तावित तकनीकी/यातायात अध्ययन पूरा करने के लिए कहा गया है और तब एक औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

झारखंड के लिए मंजूर नागर विमानन परियोजनाएं

5295. प्रो. दुखा भगत :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड में नागर विमानन सुविधाओं के विकास हेतु मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) क्या कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्धारित समय–सीमा के भीतर परियोजनाए पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) झारखंड राज्य में रांची हवाई अड्डे के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे बताए गए हैं

(i) 2.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से धावनपथ मृदा क्षरण नियंत्रण कार्य। कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है और इसके जून, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ii) शहर की ओर टर्मिनल भवन के सामने छत्री के निर्माण कार्य जल्दी ही आरंभ होने की आशा है और इसके दिसंबर, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन केबल्स की चोरी

5296. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुंबई, पुणे और दिल्ली में टेलीफोन केबल्स की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों के दूरभाष केन्द्रों के नाम क्या–क्या हैं और वर्ष 2000–2001 और आज तक चोरी के परिणामस्वरूप दूरभाष केन्द्र–वार कितना नुकसान हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विगत हाल ही में पुणे में टेलीफोन केबल की चोरियों में वृद्धि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। परन्तु एम.टी.एन.एल., दिल्ली और मुंबई यूनिटों में टेलीफोन केबल की चोरियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) एम. टी. एन. एल., दिल्ली और मुंबई यूनिटों का ब्यौरा क्रमशः विवरण–I और II में दिया गया है।

(ग) इस प्रकार की चोरियों को रोकने लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :

(i) चौबीसों घंटे गश्त लगाना।

(ii) मैनहोल्स लॉक करना।

(iii) पुलिस प्राधिकारियों से समन्वय बनाए रखना।

(iv) एक्सटेंशन नेटवर्क कन्सेनट्रेटर्स (सी. एन. ई) तथा डिजीटल कन्सेनट्रेट्स (डी. एल. सी.) और अधिक संख्या में प्रदान भूमिगत केबलों की लंबाई में कमी करना।

विवरण-I

2002–2001 वर्ष के लिए केबल चोरी के मामलों का एक्सचेंज–वार विवरण, एम. टी. एन. एल. दिल्ली

क्षेत्र का नाम	एक्सचेंज का नाम	केबल चोरी के मामलों की संख्या	हानि की राशि रुपये	
1	2	3	4	5
केन्द्रीय	किदवई भवन	1	8,712	
	लोधी रोड	6	1,21,000	
	राजपथ	1	42,000	
	जोड़	8		1,71,712
पूर्वी	इदगाह	5	76,002	
	तीस हजारी	5	84,166	
	जोड़	10		1,60,168
यमुना पार	लक्ष्मीनगर	1	20,685	
	मयूर विहार	2	76,000	
	पूर्व लोनी रोड	2	52,000	
	जोड़	5		1,48,685
उत्तर	बादली	7	82186	
	बवाना	4	76255	
	अलीपुर	6	24896	
	नरेला	11	91100	
	जोड़	28		274437
दक्षिण–I	भीकाजी कामा प्लेस	7	76,407	
	हौज खास	16	5,31,180	
	छत्तर पुर	8	69,203	
	वसंत बिहार	2	16,000	
	चाणक्य पुरी	3	24,000	
	वसंत कुंज	4	31,849	
	जोड	40		7,48,639
दक्षिण–II	तुगलकाबाद	5	86,772	
	नेहरू प्लेस	11	62,290	
	तेखंड	11	2,85,100	
	ओखला	8	1,50,214	
	सरिता विहार	2	10,725	
	जोड़	37		5,95,101
पश्चिम–I	द्वारका	10	35,000	
	जनकपुरी	7	45,050	
	दिल्ली कैंट	3	5,408	
	शादीपुर	1	8,177	
	नजफगढ़	5	2,11,686	
	पंखा रोड़	1	5,789	
	जोड़	27		3,11,110
पश्चिम–II	नांगलोई	5	53,350	
	राजौरी गार्डन	6	59,000	
	जोड़	11		1,12,550
	जे.पी.–एस.आई.टी.ए.	1	4,000	
जीएम (ट्रांसमिशन)	चाणक्यपुरी–भीकाजी कामा प्लेस	2	9,000	

1	2	3	4	5
जंक्शन केबल	जे.पी.–एआरवाई ए.जी.आर.	2	10,400	
	लोदी रोड–घिटौरनी	1	6,250	
	ओखला–हौजखास	1	1,100	
	चाणक्यपुरी–हौजखास	1	6,000	
	जोड़	8		36,750
	कुल जोड़	174		25,59,152

विवरण-II

एम. टी. एन. एल., मुम्बई

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	चोरियों की संख्या	हानि की राशि (रु. में)
1	विले पार्ले	5	1,10,869
2	बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स	9	2,29,760
3	चेम्बूर	4	1,42,013
4	घटकोपर	1	33,933
5	पोवई	2	1,00,000
6	गोकुलधाम	4	21,187
7	मुलंद	5	99,145
8	ठाणे चुराज	5	77,425
9	मुरोल	2	75,204
10	पनवेल	1	9,64,655
11	सी.बी.डी. बेलापुर	5	2,86,800
12	रबाले	5	14,000
13	नेरूल	2	16,000
14	टर्भे	5	38,200
15	कुलमबोली	4	2,49,799
16	तालोजा	2	10,000
17	उरून	1	10,000
	कुल	62	24,78,991

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शन

5297. श्री वाई. जी. महाजन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए अलग प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजीकरण के बाद टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक, गैर–ओवाईटी–विशेष श्रेणी (जो एक प्राथमिकता श्रेणी है) के अंतर्गत एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपनी मांग दर्ज कराने के हकदार हैं।

(ग) वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जब और जैसे ही एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध होती है, गैर–ओवाईटी–विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में क्रम के अनुसार कनेक्शन दे दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में बहुद्देशीय बांध

5298. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बहुद्देशीय बांधों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजय चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रारंभ करने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते सर्वेक्षण एवं अन्वेषण किए जा रहे हैं।

(i) लोहित बांध परियोजना

(ii) दिबांग परियोजना

(iii) नोआ–दिहिंग परियोजना

(iv) कामेंग परियोजना

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम भी 6 बहुउद्देशीय परियोजनाओं अर्थात् देहांग (सियांग) और सुबनसिरी प्रत्येक नदियों पर तीन–तीन विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी कार्य कर रहा है।

उपर्युक्त परियोजनाओं की आयोजना से बाढ़ नियंत्रण में भी लाभ प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-37 का रख-रखाव

5299. **श्री अब्दुल हमीद :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1998 के दौरान असम में गोलवाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग–37 पर नरनारायण सेतु का उद्घाटन के बाद गौहाटी और पूर्वोत्तर राज्यों की अन्य राजधानी शहरों के लिए सबसे छोटा मार्ग हो जाने से इस मार्ग के बढ़े हुए महत्व की जानकारी है;

(ख) क्या पुलों और पुलियों समेत राष्ट्रीय राजमार्ग–37 की दशा बहुत खराब है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नरनारायण सेतु तक पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु पहल करने की जिम्मेदारी न तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और न रेलवे ले रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग–37 के पुनर्निर्माण हेतु कोई बजटीय आबंटन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुलों और पुलियों समेत रा.रा.–37 को उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात–योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(घ) और (ङ) नरनारायण सेतु के पहुंच मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 (दक्षिणी किनारा) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 बी (उत्तरी किनारा) के भाग हैं और इन्हें रख–रखाव के लिए असम राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

(च) से (ज) बजट का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। वर्ष 2001–02 के दौरान असम राज्य में रा.रा.–37 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 70.00 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-29

5300. **श्री राजनारायण पासी :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कौदीराम, गोरखपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के एक भाग के वर्ष 1998 में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–29 की मरम्मत करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) कौदीराम, गोरखपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 के क्षतिग्रस्त खंड की मरम्मत कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों में नई सड़कों के निर्माण हेतु आबंटन

5301. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामानन्द सिंह :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रख–रखाव हेतु राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और इन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि वास्तव में खर्च की गई थी; और

(ख) उपर्युक्त धनराशि की सहायता से प्रत्येक राज्य में कितनी लम्बी सड़क बनाई गई और इन सड़कों की चौड़ाई कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) ब्यौरे विवरण I से III में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्यों को आबंटित धनराशि का उपयोग सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ बनाने और पुलों के निर्माण आदि जैसे विभिन्न चालू सुधार कार्यों के लिए किया जाता है। वर्ष 1997–2000 के दौरान उपलब्धि इस प्रकार है

क्र.सं.	स्कीम	इकाई	9वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997–2000) के लिए कार्य निष्पादन
	सामान्य रा.रा. कार्य		उपलब्धि (किमी./सं.)
1.	दो लेन बनाना	किमी.	862
2.	चार लेन बनाना	किमी.	290
3.	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण	किमी.	1629
4.	बाइपास	सं.	5
5.	बड़े पुल	सं.	36
6.	छोटे पुल और अपर ओ. बी.	सं.	149
7.	सड़क गुणता सुधार	किमी.	2434

विवरण-I

1997–98 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास एवं अनुरक्षण के लिए आबंटन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास के लिए आबंटन	व्यय	अनुरक्षण व मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	5957.19	5200.16	3898.00	3507.24
2.	असम	1860.80	1388.24	1162.55	1215.98
3.	बिहार	1952.00	2094.54	3410.77	3410.77
4.	चंडीगढ़	30.00	29.20	71.00	42.93
5.	दिल्ली	800.00	858.21	330.20	264.80
6.	गोवा	971.56	1003.02	450.39	430.34
7	गुजरात	4322.42	4916.93	3756.96	3835.81
8.	हरियाणा	10040.00	10191.24	772.34	845.19
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	1664.94	2034.32	2034.32
10.	जम्मू–कश्मीर	150.00	25.50	87.40	8.00
11.	कर्नाटक	4236.78	4085.64	3002.90	3059.13

1	2	3	4	5	6
12.	केरल	8042.48	8182.48	2268.11	2702.97
13.	मध्य प्रदेश	4657.06	4215.68	3313.78	3313.78
14.	महाराष्ट्र	8062.43	8062.43	5157.68	5157.68
15.	मणिपुर	702.19	670.06	277.03	277.21
16.	मेघालय	979.50	900.51	584.54	512.72
17.	नागालैंड	100.00	134.77	37.11	42.22
18.	उड़ीसा	6475.20	6417.39	2522.00	2537.05
19.	पांडिचेरी	70.00	15.38	29.96	13.58
20.	पंजाब	5378.88	4977.53	1357.75	1400.13
21.	राजस्थान	4315.83	4521.80	3641.71	3536.19
22.	तमिलनाडु	2567.92	1948.93	2981.37	2525.58
23.	उत्तर प्रदेश	12535.27	11899.20	4949.19	4703.98
24.	पश्चिम बंगाल	7335.00	7641.88	3264.94	3832.06

विवरण-II

1998–99 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास एवं अनुरक्षण के लिए आबंटन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास के लिए आबंटन	व्यय	अनुरक्षण व मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4879.82	4273.04	4568.40	4069.47
2.	असम	2661.10	1517.99	2815.51	2282.33
3.	बिहार	3417.35	3238.60	3336.97	3336.97
4	चंडीगढ़	82.00	70.82	48.04	45.40
5.	दिल्ली	1400.00	1225.54	210.00	209.82
6.	गोवा	1100.00	1172.54	617.08	617.08
7.	गुजरात	6628.54	9332.70	3296.94	3296.94
8.	हरियाणा	7588.50	6913.18	1239.42	1040.32

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	2500.00	2500.00	2256.01	2256.01
10.	जम्मू–कश्मीर	100.00	6.15	129.65	4.51
11.	कर्नाटक	3709.01	3772.04	3111.75	3065.34
12.	केरल	7080.16	8820.63	2090.63	2090.63
13.	मध्य प्रदेश	8247.73	7932.47	3945.04	3787.60
14.	महाराष्ट्र	11382.63	11659.74	4957.67	4957.67
15.	मणिपुर	700.30	828.29	365.59	365.59
16.	मेघालय	1060.50	911.03	625.80	620.50
17.	नागालैंड	200.00	210.87	382.90	392.90
18.	उड़ीसा	9726.82	8711.02	2761.15	2766.71
19.	पांडिचेरी	100.81	86.30	64.18	18.06
20.	पंजाब	7148.88	7672.10	1538.81	1440.88
21.	राजस्थान	4605.81	4620.18	3718.19	3642.29
22.	तमिलनाडु	3921.37	3652.38	3740.00	3597.85
23.	उत्तर प्रदेश	12649.35	10722.86	6128.44	6071.10
24.	पश्चिम बंगाल	10150.94	8394.40	2757.83	2757.88

विवरण-III

1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास एवं अनुरक्षण के लिए आबंटन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास के लिए आबंटन	व्यय	अनुरक्षण व मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5707.87	3736.51	6897.26	5067.65
2.	असम	4239.32	2769.61	5420.00	3068.35
3.	बिहार	6117.52	5950.16	11907.64	9059.08
4	चंडीगढ़	100.00	73.93	141.50	118.30
5.	दिल्ली	700.00	422.13	139.84	133.27

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	1700.02	1670.19	1426.69	1048.64
7.	गुजरात	8851.90	8683.39	3820.17	3660.72
8.	हरियाणा	10000.00	9046.65	2011.70	1544.73
9.	हिमाचल प्रदेश	4000.00	3502.72	2726.24	2428.44
10.	जम्मू-कश्मीर	100.00	0.91	302.36	23.99
11.	कर्नाटक	6113.84	6846.09	8445.04	6815.98
12.	केरल	12837.07	10808.59	5309.00	4769.37
13.	मध्य प्रदेश	12334.80	11546.69	6573.14	6038.04
14.	महाराष्ट्र	17808.08	16662.16	8648.63	8528.70
15.	मणिपुर	1014.15	894.90	876.08	584.60
16.	मेघालय	1785.28	1372.61	1305.89	814.84
17.	मिजोरम	300.00	282.90	780.00	538.41
18.	नागालैंड	800.00	886.17	924.63	1021.63
19.	उड़ीसा	9228.02	9198.19	5638.24	4713.20
20.	पांडिचेरी	319.46	281.27	269.00	152.27
21.	पंजाब	5300.10	4233.38	1635.80	468.77
22.	राजस्थान	5214.02	4311.94	7820.00	6336.13
23.	तमिलनाडु	6754.08	5348.20	13479.66	12160.40
24.	त्रिपुरा	50.00	0.00	24.00	24.00
25.	उत्तर प्रदेश	12647.45	11776.30	10179.49	10118.81
26.	पश्चिम बंगाल	8818.02	8072.55	6260.00	4756.96

विमानपत्तनों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती

5302. **डा. चरणदास महंत :**

श्री कांतिलाल भूरिया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के विभिन्न विमानपत्तनों पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान गार्डों के रूप में तैनात किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ऐसे गार्डों पर आए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार को खर्च की गई राशि की कब तक प्रतिपूर्ति कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (शरद यादव) : (क) मध्य प्रदेश में

भोपाल को छोड़कर सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर, सुरक्षा ड्यूटियों के लिए राज्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। भोपाल हवाई अड्डे पर, सुरक्षा ड्यूटियों का निर्वाह करने के लिए राज्य पुलिस के स्थान पर 16.3.2000 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।

(ख) से (घ) हवाई अड्डों पर सुरक्षा कार्यकलापों पर राज्य पुलिस द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के दावों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता

5303. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **सड़क और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिटिश सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सड़क सुरक्षा मानदंडों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नदी जल का उपयोग

5304. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में नदी जल के समुचित उपयोग के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल के उपयोग के लिए भंडारणों के निर्माण सहित जल संसाधनों का विकास राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1995 तक बड़े बांधों के निर्माण के जरिए देश में 177 बी. सी. एम. सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 75 बी. सी. एम. अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 132 बी. सी. एम. की क्षमता सृजित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। पुनर्भरणीय भूजल 432 बी. सी. एम. है, जिसमें से 154 बी. सी. एम. जल उपयोग के योग्य बनाया गया है। इन भंडारणों और अन्य लघु सिंचाई स्कीमों की सहायता से देश में 139.9 मि. हेक्टे. चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में आठवीं योजना के अंत तक 90 मि. हेक्टे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

भारत सरकार, जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम के जरिए वर्षा संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकार और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भी सहायता दी जाती है। भारत सरकार, चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता दे रही है।

वर्ष 1982 में जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के दीर्घकालीन उपाय के रूप में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इस अभिकरण ने प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत सभी 17 जल हस्तांतरण संपर्कों तथा हिमालयी नदी विकास घटक के तहत 14 जल हस्तांतरण संपर्कों के पूर्व व्यवहार्यता (प्री-फिजीबिलिटी) अध्ययन पूरे कर लिए हैं। 5 जल हस्तांतरण संपर्कों के भी व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

5305. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बहुत कम निधियों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई और इस कार्य के लिए आबंटित पूर्ण राशि के खर्च नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में राज्य–वार कितने बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई है; और

(घ) अब तक इनमें से कितने मजदूरों का पुनर्वास किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) निधि का आबंटन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास स्कीम के आधार पर किया जाता है जिसमें योजना आयोग और राज्य सरकारों के विस्तृत परामर्श के बाद मई, 2000 से संशोधन किया गया है। संशोधित योजना के अनुसार प्रत्येक बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है और इस कार्य में राज्य और केन्द्रीय सरकारें मैचिंग सहयोग प्रदान करती हैं किन्तु पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय सरकार 100 प्रतिशत पुनर्वास लागत का भुगतान करती है। शिनाख्त किए गए और मुक्त कराए गए सभी बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जाना होता है और उनके पुनर्वास पर आने वाले खर्च को स्कीम के अनुसार आबंटित निधि से पूरा किया जाना होता है, वर्ष 2000–2001 के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बजट आबंटन 575 लाख रुपये का था जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 920.64 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जो बजट आबंटन का 160 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) अभी तक राज्य–वार शिनाख्त किए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पहचान किए गए और मुक्त कराए गए	पुनर्वासित
1	2	3
आंध्र प्रदेश	36,289	29,552
बिहार	13,092	12,368
कर्नाटक	62,727	55,231
मध्य प्रदेश	12,822	11,897
उड़ीसा	49,971	46,843
राजस्थान	7,478	6,321
तमिलनाडु	63,894	61,729
महाराष्ट्र	1,384	1,300
उत्तर प्रदेश	27,797	27,797
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2,992
कुल	2,80,411	2,56,825

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

5306. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में जिले–वार कितने–कितने व्यक्ति हैं;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान आज तक जिले–वार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में, टेलीफोन के लिए महाराष्ट्र में 278191 व्यक्ति तथा गोवा में 10941 व्यक्ति प्रतीक्षा–सूची में दर्ज हैं। जिला–वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

	1998–99	1999–2000	2000–2001
महाराष्ट्र	326724	437790	620112
गोवा	18624	19100	25001

जिलावार ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान, महाराष्ट्र में लगभग 627300 सीधी एक्सचेंज लाइनें और गोवा में 22700 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	एस.एस.ए. का नाम	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	पिछले तीन वर्षों और अब तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या		
			1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1	अहमदनगर	26910	10060	25070	36398
2	अकोला	5455	8043	7199	13100
3	अमरावती	4026	6455	8088	12467
4	औरंगाबाद	13112	7257	15029	24244
5	बीड़	4373	2800	5310	11379
6	भंडारा	2350	3400	5007	7351
7	बुल्दाना	2172	4810	6606	11145
8	चन्द्रपुर	3516	6450	5497	11010
9	धुले	3878	7011	7703	15505
10	गढ़चिरोली	1081	1201	1003	2497
11	गोवा	10941	18624	19100	25001
12	जलगांव	11551	13000	15392	24622
13	जालना	2868	2251	3225	6065
14	कल्याण	27625	50515	68376	60939
15	कोल्हापुर	11969	15001	17504	35079
16	लातूर	11742	4800	7109	17001
17	नागपुर	13881	18200	17148	28251
18	नांदेड़	12704	7018	7478	14509
19	नासिक	11652	25125	32020	43909

1	2	3	4	5	6
20	उस्मानाबाद	5258	2310	3505	8794
21	परभनी	6384	4000	6115	11864
22	पुणे	34258	65400	90151	85633
23	रायगढ़	4180	9210	8903	13430
24	रत्नागिरि	5445	7587	8110	12640
25	सांगली	8371	16002	25029	40419
26	सतारा	9548	10051	12008	25010
27	सिंधुदुर्ग	4394	3604	3033	5802
28	सोलापुर	23441	6813	15151	24786
29	वर्धा	2524	3320	5516	7848
30	येवतमाल	3523	5030	5505	8415
	जोड़	289132	345348	456890	645113

[अनुवाद]

कोयला और गैर-कोयला खानों और कारखानों में दुर्घटनाएं

5307. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रामजी मांझी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोयला और गैर–कोयला खानों, बंदरगाहों और कारखानों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) खान और अन्य दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले कामगारों के परिवार के सदस्यों को क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा के संबंध में खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों–विनियमों में प्रावधान किए गए हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए प्रबंधकों को परिपत्र के माध्यम से मार्ग–निदेश जारी करता है। खान प्रबंधनों द्वारा इन प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए आवधिक रूप से खानों का निरीक्षण करते हैं और चूक की दशा में खान अधिनियम, 1952 में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

कानूनी उपायों के अतिरिक्त सरकार कई अन्य उपायों को बढ़ावा दे रही है, जैसे ·

(क) खानों में सुरक्षा सम्मेलन

(ख) प्रबंधनों द्वारा स्व–विनियमन

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षाएं

(ङ) कर्मकारों का प्रशिक्षण

(च) सुरक्षा सप्ताह मनाना और सुरक्षा अभियान चलाना

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

कारखानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रावधान कारखाना अधिनियम, 1948 में शामिल हैं। सुरक्षा और खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्ट प्रावधान अधिनियम के अध्याय IV और IV–क में निहित हैं। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारखाना निरीक्षक कारखानों के दौरे करते हैं और निरीक्षण करते हैं। उल्लंघन की दशा में कारखाने के मालिक/प्रबंधक के विरुद्ध अभियोग चलाए जाते हैं और समुचित न्यायालयों में मामले दायर किए जाते हैं।

गोदी कर्मकारों की सुरक्षा के संबंध में गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 प्रमुख पत्तनों पर लागू होता है। गोदी सुरक्षा निरीक्षक उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रवर्तित कराता है। गोदी सुरक्षा निरीक्षक नियमित रूप से पाइप लाइनों सहित समुद्री जहाजों/गोदियों/खतरनाक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण करता है। जहां कहीं कोई विचलन/कमी पाई जाती है उसे संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है ताकि विचलन को ठीक किया जा सके और कार्य दशाओं में सुधार किया जा सके।

खानों, गोदियों और कारखानों से संबंधित सुरक्षा कानूनों की सतत रूप से समीक्षा की जाती है और समय–समय पर उनमें संशोधन किए जाते हैं।

(घ) व्यक्तियों या मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि और अन्य सुविधाएं कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है।

[हिन्दी]

दिल्ली और जयपुर के बीच चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

5308. **श्री पदम सेन चौधरी :**
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जयपुर के बीच चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी अनुमानित राशि खर्च होगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) दिल्ली–गुड़गांव और कोटपुतली–जयपुर (आमेर) को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पहले ही 6/4 लेन बनाई जा चुकी हैं। गुड़गांव–कोटपुतली खंड (126 किमी.) पर चार लेन बनाने का कार्य भी पर्याप्त मात्रा में पूरा कर लिया गया है। केवल पेवमेंट मार्किंग, साइनेजेज और टर्फिंग जैसे छोटे कार्य ही अभी चल रहे हैं जिन्हें अप्रैल, 2001 की समाप्ति तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। गुड़गांव–कोटपुतली खंड पर चार लेन बनाने के कार्य पर लगभग 380 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

अस्थायी कामगारों का स्थायी कामगारों के समान कार्य करना

5309. **श्री थावरचंद गेहलोत :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के बड़े उद्योगों में काम करने वाले अस्थायी कामगारों को स्थायी कामगारों के बराबर वेतन नहीं मिलता;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन अस्थायी कामगारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त निर्णय को लागू करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों में अस्थायी तथा स्थायी कर्मकारों की मजदूरी/वेतन की दर में भेदभाव के बारे में किसी श्रमिक संघ अथवा कर्मकार से कोई शिकायत अथवा विवाद संबंधी मामला प्राप्त नहीं हुआ है तथा किसी निरीक्षण अधिकारी ने भी समान अथवा समान प्रकृति के कार्य पर नियोजित अस्थायी अथवा स्थायी कर्मकारों के बीच वेतन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं पाया है। कोयला, इस्पात, सीमेंट जैसे संगठित उद्योगों में, कर्मकारों की मजदूरी द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय समझौतों के माध्यम से तय की जाती है। इन समझौतों में समतुल्य कौशल वाले अस्थाई तथा स्थाई कर्मकारों के वेतन में कोई भेदभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। न्यूनतम मजदूरी

अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के दायरे में आने वाले उद्योगों में, अधिनियम के अंतर्गत नियत न्यूनतम मजदूरी की दरें अस्थाई तथा स्थाई कर्मकारों पर समान रूप से लागू होती हैं। यदि अस्थाई कर्मकार यह दावा करते हैं कि उन्हें स्थाई कर्मकारों के बराबर मजदूरी की अदायगी नहीं की जा रही है तो वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(ग) (2) के अंतर्गत राहत प्राप्त करने अथवा संबंधित संराधन अधिकारी के समक्ष श्रमिक संघ के माध्यम से औद्योगिक विवाद उठाने के लिए श्रम न्यायालय में जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे अस्थाई, स्थाई कर्मकारों आदि के वर्गीकरण को ध्यान में रखे बिना ही समान कार्य के लिए समान मजदूरी की अदायगी किए जाने का निदेश देते हुए निर्णय दिए हैं। चूंकि मामले का ब्यौरा नहीं दिया गया है अतः यह समझ पाना संभव नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस विशेष मामले का उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

चित्रदुर्गा स्वर्ण खानों का बंद होना

5310. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हट्‌टी स्वर्ण खानों ने सरकार से चित्रदुर्गा स्वर्ण खानों को बंद करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जससिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) मैसर्स हट्‌टी गोल्ड माइंस लिमिटेड ने चित्रदुर्ग गोल्ड यूनिट को बंद करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। आवेदन पत्र असामयिक (प्री मैच्यूर) था। अतः अनुमति नहीं दी गई।

एन एच पी सी की लम्बित परियोजनाएं

5311. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की कई स्वीकृत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलनी शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरणीय स्वीकृति में अनावश्यक समय लगता है जिससे परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्वीकृति प्रस्ताव को समय–बद्ध बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) नेशलन हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन एच पी सी) की जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश में पार्वती हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज–II नामक केवल एक परियोजना पर्यावरण मंजूरी के लिए पड़ी हुई है।

(ग) से (ङ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के उपबंधों और इसके बाद इसमें हुए संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मंजूरी के प्रस्ताव पर निर्णय पूरी अपेक्षित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर लिया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति

5312. श्री पी. आर. खूंटे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) नब्बे के दशक में, पूरे देश मे टेलीफोन नेटवर्क तथा इसके द्वारा कवर किया गया उपभोक्ता आधार कई गुना बढ़ गया है और इसकी गति निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। सरकार, टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने हेतु, विभाग के प्रयासों की संपूर्ति करने के लिए देश में चारों तरफ से उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को जोड़ने की नितांत आवश्यकता महसूस कर रही है, ताकि इन सेवाओं की तुलना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ की जा सके। इस उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति गठित की है।

[अनुवाद]

प्रदूषणकारी शहर

5313. श्रीमती मिनाती सेन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुमत्य स्तर से अधिक के प्रदूषण वाले शहर कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या प्रदूषण पर रोक लगाने और जनता के सामाजिक जीवन पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए कभी कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) निम्नलिखित शहरों के कतिपय क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्तर तक पहुंच गया है :

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	शहर
बिहार	पटना, धनबाद, जमशेदपुर
दिल्ली	दिल्ली
हिमाचल प्रदेश	परवानू
कर्नाटक	बंगलौर
महाराष्ट्र	शोलापुर, नासिक, पूना
मध्य प्रदेश	भोपाल, इन्दौर, भिलाई, रायपुर
राजस्थान	अलवर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा
तमिलनाडु	मदुरै
उत्तर प्रदेश	देहरादून, गजरौला, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

(ख) और (ग) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

– अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों वाले उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

– लघु उद्योगों में प्रदूषण निवारण को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी बेहतर कार्य प्रणालियां और ऊर्जा संरक्षण तकनीकें अपनाने हेतु देश के विभिन्न भागों में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल स्थापित किए गए हैं।

– ऑटोमोबाइल्स से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त उत्सर्जन मानकों के साथ–साथ प्रमुख शहरों में सीसा रहित पट्रोल शुरू करना, कैटालिटक कन्वर्टर्स स्थापित करना, कम सल्फरयुक्त ईंधन की शुरूआत करना तथा ईधन गुणवत्ता में सुधार करना आदि कदम उठाए गए हैं।

– लघु औद्योगिक इकाई समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र अधिकांश क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

– सारे देश में परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता मानीटरी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

– उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता के लिए भी मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

बाणसागर परियोजना हेतु योजनाएं

5314. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाणसागर परियोजना संबंधी सौंपी गई कौन–कौन सी योजनाएं किस–किस तारीख से केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बाणसागर परियोजना के यूनिट–I बांध और यूनिट–III विद्युत घटक को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में यूनिट–II–नहर भाग को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त के अधीन तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

तेलगू-गंगा परियोजना

5315. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलगू–गंगा परियोजना केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति न मिलने के कारण अधूरी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कृष्णा नदी से चेन्नई को जल आपूर्ति करने वाली परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र के सह–बेसिन राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश द्वारा अन्तर्राज्यीय मुद्दों के समाधान के बाद इस परियोजना की स्वीकृति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है।

(ग) तेलगू गंगा परियोजना प्रणाली के तहत आंध्र प्रदेश के जलाशयों में कृष्णा नदी के उपलब्ध जल की मात्रा के अनुसार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश से कृष्णा जल के अपने हिस्से को प्राप्त कर रही है।

राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी

5316. श्री कमलनाथ :
श्री के. येरननायडू :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी व्यापक रूप–रेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपनी–अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंत्रालय का एक सहायता अनुदान संगठन है और इस संगठन को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है। प्रदूषण उपशमन के लिए इस मंत्रालय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

मांडवी में टेलीफोन कनेक्शन

5317. श्री मानसिंह पटेल :
श्री जी. जे. जावीया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या गुजरात के मांडवी क्षेत्र के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में बड़ी संख्या में आवेदक टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची का निपटान करने और टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। गुजरात के मांडवी (सूरत) क्षेत्र में 9337 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ख) एक्सचेंज–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान उक्त क्षेत्र में प्रतीक्षा–सूची उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है जिसके लिए मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और 11002 लाइनों से नए एक्सचेंज खोले जाएंगे बशर्ते कि भूमिगत केबल और स्विचन उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बड़दोली	591
2.	माधी	460
3.	कड़ोद	15
4.	वराड़	30
5.	सरभोन	324
6.	वंकानेर	133
7.	कड़ोदरा	1318

1	2	3
8.	पलसाना	343
9.	गंगाधरा	263
10.	वलोद	191
11.	बुहारी	201
12.	बाजीपुरा	257
13.	डोलवान	153
14.	रंकीतलाव	5
15	निजार	58
16.	व्यारा	755
17.	उच्छई	96
18.	ऊकल	226
19.	अम्बिया	101
20.	मंडल	36
21.	उखालदा	51
22.	मुरथाना	43
23.	शामपुरा	11
24.	करजान	71
25.	महुवा	541
26.	करचेलिया	171
27.	वलवादा	185
28.	अनावल	73
29.	मांडवी	438
30.	अवाड़ी	114
31.	बुधान	21
32.	अरेठ	149
33.	टडकेश्वर	72
34.	अनुमाला	316
35.	बेड़कुवादूर	62
36.	दुलारा	123
37.	घाटा	56
38.	कुकरमुना	68
39.	कथोर	187
40.	सेवनी	65
41.	धतवा	7
42.	कामरेज	615
43	फोर्ट सुगंध	342
	जोड़	9337

[अनुवाद]

डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली पर लिमिटेड मोबिलिटी

5318. श्री डा. वी. सरोजा :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
मोहम्मद शाहबुद्दीन :
श्री जे. एस. बराड़ :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने वायरलैस इन लोकल लूप सेवा पर लिमिटेड मोबिलिटी की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल्यूलर उद्योग ने उक्त सिफारिश का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सेल्यूलर उद्योग की मांगों पर कोई कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या प्राइवेट फिक्स्ड सर्विस प्रदाताओं का विचार पंजाब और राजस्थान में 1.20 रुपए प्रति 3 मिनट कॉल और 250 रुपए मासिक किराए पर लिमिटेड मोबिलिटी शुरू करने का है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ञ) देश के अन्य सभी राज्यों में उक्त शुल्क सुविधा तुरन्त शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ट) क्या सरकार ने वायरलैस इन लोकल लूप आधारित लिमिटेड मोबिलिटी के मामले को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी कनवरजेंस दल को भेजा है; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के उपभक्ताओं को स्थानीय क्षेत्रों अर्थात शार्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरियाज़ (एसडीसीए) के भीतर वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) पर हैंड हैल्ड सैट्स के प्रयोग की अनुमति देने की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) जी, हां। सेल्यूलर उद्योग ने निवेदन किया है कि टीआरएआई की उक्त सिफारिश सेल्यूलर उद्योग की भावी वृद्धि को जोखिम में डाल देगी क्योंकि इससे इनके अधिकार क्षेत्र में उनका अनाधिकार प्रवेश हो जाएगा। इस संबंध में सेल्यूलर उद्योग ने 'दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण' नामक एक सांविधिक अधिकरण में भी मुकदमा दायर किया है। इस समय यह मामला अधिकरण के समक्ष है।

(ङ) और (च) सेल्यूलर उद्योग के हितों की रक्षा करने हेतु, प्रचालन के समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सेल्यूलर उद्योग के लिए टीआरएआई द्वारा संस्तुत रियायतें तथा नीतिगत परिवर्तन स्वीकार कर लिए हैं।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) और (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) से (ञ) सेवाओं के लिए टैरिफ प्रभारित करना, टैरिफों का प्रकाशन, अधिसूचनाएं सूचना प्रदान करना अंतःसंपर्कता बिन्दुओं की संख्या अन्य नेटवर्कों के साथ अंतःसंपर्कता अथवा अभिगम्यता के लिए प्रभार, सेवा की गुणवत्ता इत्यादि सभी कार्य, टीआरएआई अधिनियम, 1997 के प्रावधनों के अंतर्गत समय-रामय पर टीआर एआई द्वारा जारी आदेशों/विनियमों/निदेशों/संकल्पों के अनुसार किए जाएंगे। इस समय टीआरएआई ने डब्ल्यूएलएल उपभोक्ता से 1.20 रु प्रति यूनिट कॉल की दर पर कॉल प्रभारित करने की अनुमति दी है, और जहां कहीं भी यह सेवा उपलब्ध कराई जाती है वहां यह दर लागू होगी।

(ट) और (ठ) दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपण (जीओटी-आईटी) संबंधी दल द्वारा पुनरीक्षा हेतु यह मामला भेजा गया था और इन्हें 30 अप्रैल 2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में अनियमितताएं

5319. श्री रामजी मांझी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में यथाप्रकाशित नई प्रौद्योगिकी के एक्सचेंजों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में किन-किन अनियमितताओं का पता लगा; और

(ग) सरकार ने इन पर रोक लगाने और दूरसंचार विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) लेखा-परीक्षा ने नई प्रौद्योगिकी की निविदाओं के लिए आयातित सामग्री का गलत मूल्यांकन, अंतिम रूप देने में विलंब आदि जैसी कुछ अनियमितताओं के संबंध में टिप्पणी की है। लेखा-परीक्षा द्वारा उठाए गए प्रेक्षणों/मुद्दों की जांच की गई थी और लेखा-परीक्षा को यह निर्दिष्ट करते हुए उत्तर भेजा गया था कि नई प्रौद्योगिकियों की निविदाओं को अंतिम रूप देने में कोई अनियमितताएं नहीं बरती गई हैं।

(ग) नई प्रौद्योगिकी के उपस्कर की प्राप्ति हेतु पहले से ही प्रक्रिया में आशोधन करके उसे सरल और कारगर बना दिया गया है शीघ्र मूल्यांकन करने और पारदर्शिता लाने के लिए विक्रेताओं को अपनी बोली में आयात सामग्री उद्धृत करने तथा निविदा खोलने से पूर्व सामग्री के बिल को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की माही परियोजना

5320. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में झबुआ जिले की माही परियोजना शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) उक्त परियोजना के द्वितीय चरण का काम शुरू करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या द्वितीय चरण जिसमें मुख्य बांध के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, का काम पूरा होने में बहुत विलम्ब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरणों का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) पूरी परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 265.75 करोड़ रुपये है जिसमें से मार्च, 2000 तक 54.48 करोड़ व्यय किए गये हैं।

(ग) से (च) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, क्रियान्वयन और रख-रखाव की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

विभिन्न क्षेत्रों में अपर्याप्त विमान सेवाएं

5321. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में अर्पाप्त विमान सेवाओं संबंधी बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) किन्हीं विशेष स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ने/विमान सेवाओं के विस्तार और विमान सेवाओं को आरंभ करने के बारे में समय-समय पर स्थानीय जनता, जनता के प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों/फोरा इत्यादि से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) और (घ) इन अभ्यावेदनों को एयरलाइन ऑपरेटरों को भेज दिया जाता है। मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर जिनमें मार्गों के कुछ विशिष्ट श्रेणी में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, यातायात मांग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर एयरलाइन ऑपरेटर विशिष्ट स्थानों/सैक्टरों के लिए विमान सेवाओं के प्रचालन करने/विमान सेवाओं में विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

राजस्थान में जल स्तर में गिरावट

5322. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लगातार गिर रहे भू-जल स्तर का कृषि उत्पादन और गहन फसल चक्र पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन स्थानों पर भविष्य में पेयजल की कमी होने की आशंका है जहां भूजल ही सिंचाई का एकमात्र साधन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य में भू-जल स्तर को पुनः बढ़ाने के लिए पनधारा प्रबंधन और जल संचयन तकनीकों का उपयोग करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। राजस्थान में गत तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ने और जल स्तर में गिरावट आने के कारण राज्य में कृषि उत्पादन कम हो गया है।

(ख) और (ग) राजस्थान पेय प्रयोजनों के लिए भूजल पर 80 प्रतिशत तक निर्भर करता है और सिंचाई प्रयोजनों के लिए 59 प्रतिशत तक निर्भर करता है। गंगानगर, हनुमान नगर, बीकानेर और जैसलमेर ज़िलों को छोड़कर राज्य में भूजल का अति दोहन किया जा रहा। जिन क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण बहुत कम है, वहां सिंचाई के लिए भूजल का प्रयोग करने से भविष्य में पेयजल की कमी होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधन बढ़ाने के लिए कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की

जाती है। भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार ने अकाल राहत कार्यों के तहत वर्षा जल संचयन शुरू किया है। राज्य सरकार भूजल पुनर्भरण के संबंध में प्रत्येक जिले के लिए एक मास्टर योजना तैयार कर रही है।

भारत सरकार, राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इस आशय से केन्द्रीय भूजल बोर्ड देश के "अतिदोहन" और "डार्क ब्लाकों" में विभिन्न पुनर्भरण संरचनाओं की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर अध्ययनों" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय परियोजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा के जल को संचित करने के लिए राजस्थान राज्य में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय भी देश में जल संरक्षण घटक वाले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

1. वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना
2. नदी–घाटी परियोजना के जल ग्रहण में मृदा संरक्षण
3. बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण में एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन
4. पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती के नियंत्रण के लिए जल विभाजक विकास परियोजना
5. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
6. मरुस्थल विकास कार्यक्रम
7. एकीकृत मरुभूमि विकास परियोजना।

वराही बांध परियोजना

5323. श्री विनय कुमार सोराके : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपवाह क्षेत्र में जलप्लावन के प्रभाव को कम करने के लिए कर्नाटक में वराही बांध की ऊंचाई को घटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बांध की व्यापक सिंचाई क्षमता को देखते हुए बांध का निर्माण 2001–2002 के दौरान पूरा करने के लिए सरकार द्वारा समुचित धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राज्य सरकार द्वारा वराही परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण इस परियोजना की आयोजना, वित्त पोषण और उसके कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है।

[हिन्दी]

वन नीति की समीक्षा

5324. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वन नीति की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित समीक्षा के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को भी अद्यतन बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की पुनरीक्षा संबंधी कार्य प्रारंभिक अवस्था में है।

कॉइन डायल पी.सी.ओ. बॉक्सों का दुरुपयोग

5325. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई और दूसरे शहरों में शरारती तत्वों द्वारा कॉइन डायल पी.सी.ओ. बॉक्सों में लोहे के वॉशर और नकली सिक्के डाल कर इन पी.सी.ओ. बॉक्सों से टेलीफोन कॉल किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कुछ मामलों में पीसीओ बॉक्सों में सिक्के एकत्रित करते समय क्षेत्रीय इकाइयों को नकली सिक्के/आयरन वाशर मिले हैं। एमटीएनएल दिल्ली को पिछले एक वर्ष के दौरान एक शिकायत मिली है तथा एमटीएनएल मुंबई व अन्य नगरों में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित जांच।

(ii) सीबीटी–80 पीसीओ को सीबीटी–95 से बदलना जिसमें इस प्रकार की धोखा–धडी की गुंजाइश कम होती है।

[अनुवाद]

अंडमान की समुद्री संपदा का संरक्षण

5326. श्री डी. वी. जी. शंकर राव :
श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :
श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यामार, इंडोनेशिया और श्रीलंका के गिरोह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बे–रोकटोक घूमते हैं और समुद्री ककड़ी जैसी संपदा को निहार कर अंडमान द्वीप समूहों के वृक्षों को काटते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या डिगलीपुर और मयारवेंडे द्वीपों की सारी वृक्ष संपदा लगभग समाप्त हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो समुद्री संपदा के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य पड़ोसी देशों के जलयान अंडमान द्वीपसमूहों में आते हैं और कभी–कभी समुद्री क्यूकुम्बर और अन्य समुद्री उत्पाद अपने साथ ले जाते हैं, अपनी कैंपिंग आवश्यकताओं को पूरा करने और नावों आदि की मरम्मत/निर्माण के लिए वे यदा कदा वृक्षों की कटाई भी कर डालते हैं।

ओल्ड रेवेन्यु सैटलर्स और अतिक्रमणकारियों द्वारा दिगलीपुर तथा मायाबन्दर में वृक्ष काटे जाने की रिपोर्टें मिली हैं। वन विभाग द्वारा इन द्वीपों में प्रत्येक द्वीप पर नियमित तौर पर संस्थापनाओं का रख–रखाव किया जाता है और वन और वन्यजीव संसाधनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। स्टाफ द्वारा इन द्वीपों पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सघन गश्त की जाती है। अंडमान द्वीप समूहों की समूद्री संपदा को बचाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) भारतीय नौसेना और तटरक्षकों द्वारा द्वीपों के चारों ओर लगातार निगरानी रखी जाती है।

(ii) भारतीय नौसेना और तटरक्षकों द्वारा एक्सक्लूसिव इकॉनोमिक जोन की नियमित रूप से हवाई निगरानी और गश्त की जाती है।

(iii) तटरक्षकों द्वारा नियमित रूप से अवैध शिकार–रोधी ऑप्रेशन्स चलाए जाते हैं।

(iv) पुलिस विभाग द्वारा इन द्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाती है।

(v) वन और पर्यावरण विभाग ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रमुख द्वीपों में सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त किए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5327. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान राजमार्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम और प्रावधान का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : वर्ष 2001–2002 के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3051.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सड़कों को चौड़ा करने, मजबूत बनाने, उपरि सतह की गुणता में सुधार करने, पुलों के निर्माण आदि जैसे सुधार कार्य करने का प्रस्ताव है जिनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। वर्ष 2002–2003 की वार्षिक योजना के प्रावधानों को बताना अभी संभव नहीं है।

विवरण

वार्षिक योजना 2001–2002

क्र.सं.	राज्य	योजनागत प्रावधान (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	140.00
2.	*असम	548.58
3.	बिहार	83.50
4	चंडीगढ़	8.38
5.	छत्तीसगढ़	84.45
6.	दिल्ली	21.91
7.	गोवा	33.75
8.	गुजरात	145.04
9.	हरियाणा	75.00
10.	हिमाचल प्रदेश	82.25
11.	जम्मू–कश्मीर	9.50
12.	झारखंड	71.05
13.	कर्नाटक	123.60
14.	केरल	178.26
15.	मध्य प्रदेश	115.75
16.	महाराष्ट्र	94.04
17.	मणिपुर	44.00
18.	मेघालय	124.90
19.	मिजोरम	28.40
20.	नागालैंड	38.00
21.	उड़ीसा	160.40
22.	पांडिचेरी	16.50
23.	पंजाब	92.39
24.	राजस्थान	144.20
25.	तमिलनाडु	171.40
26.	उत्तर प्रदेश	199.80
27.	उत्तरांचल	98.88
28.	पश्चिम बंगाल	117.55
	योग	3051.47

*इसमें बोगीबील पुल के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये का योजनागत प्रावधान भी शामिल है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

5328. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 के दौरान मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के मौजूदा नेटवर्क का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रतलाम और उज्जैन जिलों में पिछले दो वर्षों के दौरान तथा आज तक किन–किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों के भवनों का निर्माण किया गया है और वर्तमान समय में किन–किन स्थानों पर ये एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान मध्य प्रदेश में लगभग 155000 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान किए जाने की योजना है। निवल क्षमता की आवश्यकता और स्थानवार ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जिला रतलाम के जाओरा और जिला उज्जैन के महीदपुर शहर में विभागीय भवन का निर्माण हो चुका है और टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

जिला रतलाम के ताल और अलोटे तथा जिला उज्जैन के ताजपुर में विभागीय भवनों का हाल की में निर्माण हुआ है।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

5329. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में इस समय कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में अब तक कितने लोगों के नाम शामिल हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी लोगों को कब तक कनैक्शन दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 1225 एस. टी. डी./आई. एस. डी./पी. सी. ओ. बूथ काम कर रहे हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 100 पी. सी. ओ. लगाए जाने का प्रस्ताव है। अधिक आवेदकों से मांग प्राप्त होने पर संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष राशि आबंटित नहीं की गई है।

(घ) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार उक्त जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1571 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ङ) मार्च, 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से प्रतीक्षा सूची निपटायी जानी है।

उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार सेवा

5330. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और बुनियादी टेलीफोन ऑपरेटरों के बीच हुए समझौते के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के समय उपग्रह चैनलों के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई खण्ड शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस समझौते की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) यद्यपि बुनियादी टेलीफोन सेवा के लाइसेंस करार में यह निर्धारित किया गया है कि लाइसेंसधारक, सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी अवसंरचनाओं की अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे, तो भी प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों को अन्य विशेष प्रावधान के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है जिनके अंतर्गत आपातकाल अथवा युद्ध अथवा छोटे–मोटे झगड़ों अथवा अन्य संभाव्य घटनाओं की स्थिति में सरकार द्वारा लोक हित में जारी निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार लाइसेंसप्रदाता किसी समग्र सेवा क्षेत्र या उसके किसी भाग में लाइसेंसशुदा बुनियादी टेलीफोन सेवा ऑपरेटर की सेवा उपस्कर तथा नेटवर्कों को अपने नियंत्रण में ले सकता है और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी किए गए कोई विशेष आदेश अथवा निदेश लाइसेंसशुदा बुनियादी ऑपरेटरों पर लागू होंगे तथा उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण टेलीफोनी के विकास के लिए वित्तपोषण एजेंसी

5331. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण टेलीफोनी के विकास के लिए एक अलग वित्तपोषण एजेंसी का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्रामीण टेलीफोनी से प्राप्त होने वाली राजस्व आय शहरी टेलीफोनी से होने वाली आय से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण टेलीफोनी का विस्तार करने और इसे अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) शहरी टेलीफोन प्रति लाइन प्रति माह 700 रुपये के औसत राजस्व की तुलना में ग्रामीण टेलीफोन से औसत राजस्व 207 रुपये है। इससे ग्रामीण टेलीफोन से अर्जित आय शहरों में टेलीफोन से अर्जित आय से एक–तिहाई से भी कम होती है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में छोटे तथा मध्यम एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं। इन्हें देश के दूरदराज के क्षेत्रों के लिए सैन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्वाइंट टू मल्टी–प्वाइंट (सी–डॉट टी.डी.एम.ए./पी.एम.पी.), लोकल लूप में वायरलेस (डब्ल्यू.एल.एल.) तथा उपग्रह जैसी नई प्रौद्योगिकियों से जोड़ दिया जाएगा जो ग्रामीण नेटवर्क में शामिल की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भू–भाग के अनुसार लागत–प्रभावी तकनीक अपनाई जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

5332. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री अमीर आलम :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कौन–कौन सी सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को कौन–कौन सी तारीखों को शुरू किया गया और इन्हें पूरा किए जाने के लिए क्या लक्ष्य निधारित किया गया।

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की मूल लागत कितनी थी और इन्हें पूरा किए जाने पर अनुमानित वास्तविक लागत कितनी होगी; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में नौवीं योजना के दौरान जिलावार कौन–कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क), (ख), (घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश (पुनर्गठन से पहले) में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे के साथ मूल और नवीनतम अनुमानित लागत, शुरू होने की योजना और पूरा करने का लक्ष्य और नौवीं योजना के दौरान पूरी की जाने वाली संभावित सिंचाई परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य सरकार का है।

विवरण

उत्तर प्रदेश (पुनर्गठन पूर्व) की अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत करोड़ रु. में		किस योजना में शुरू हुई	पूरा होने का लक्ष्य (नौवीं योजना अथवा उससे आगे)	लाभान्वित जिले
		मूल	नवीनतम			
1	2	3	4	5	6	7
वृहद परियोजनाएं						
1.	मउधा बांध	66.82	127.90	V	IX	हमीरपुर
2.	मध्य गंगा नहर	66.01	615.00	V	IX	बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, मैनपुरी
3.	शारदा सहायक	64.84	1290.00	III	IX	16 जिले*
4	सरयू नहर	78.68	2810.00	V	नौवीं योजना से आगे	बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर
5.	पूर्वी गंगा नहर	48.46	579.00	V	IX	बिजनौर

1	2	3	4	5	6	7
6.	सोन पंप नहर	5.64	72.55	V	नौवीं योजना से आगे	मिर्जापुर, सोनभद्र
7.	ग्यानपुर पंप नहर	110.51	159.88	V	IX	मिर्जापुर, इलाहाबाद, संत पांडव नगर
8.	लखवर व्यासी	140.97	578.40	V	नौवीं योजना से आगे	सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फर–नगर, गाजियाबाद
9.	जमरानी बांध	61.25	433.00	V	नौवीं योजना से आगे	नैनीताल, रामपुर, बरेली
10.	राजघाट बांध (उ.प्र. हिस्सा) (आई. एस.)	123.22	133.08	V	IX	ललितपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर
10.	राजघाट बांध (उ.प्र.)	126.43	230.95	V	IX	
11	बाणसागर नहर (उ.प्र.) (आई. एस.)	91.31	234.00	V	IX	इलाहाबाद, मिर्जापुर
11.	बाणसागर नहर (उ.प्र.)	169.52	268.00	V	नौवीं योजना से आगे	
11.	बाणसागर नहर (म.प्र.) (उ.प्र. हिस्सा)	27.92	27.92	V	IX	
12.	टिहरी बांध (उ.प्र. हिस्सा)	197.92	711.14	79–80	नौवीं योजना से आगे	17 जिले#
13.	जरौली पंप नहर	47.92	48.22	90–91	IX	फतेहपुर
14.	हिन्डन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल मुहैया कराना	15.53	56.00	79–80	IX	मेरठ, मुजफ्फरनगर
मध्यम परियोजनाएं						
1.	गुन्ता नाला बांध	1.85	24.00	VI	IX	बांदा
2.	पथराइ बांध	12.54	48.33	VII	IX	झांसी

*लाभान्वित जिले हैं–फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, बलिया, लखीमपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, वाराणसी, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर और मऊ।

#लाभान्वित जिले हैं–सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद।

[अनुवाद]

वंदे मातरम् कार्यक्रम

5333. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर–दिसंबर, 2000 के दौरान देशभर में एक माह की अवधि का वन्दे मातरम् कार्यक्रम आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे ही और कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) वन्दे मातरम् कार्यक्रम 11 दिसंबर, 1999 से 12 जनवरी, 2000 तक आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सकारात्मक सामुदायिक कार्रवाई करने, उनमें अच्छे नागरिक के गुणों को हृदयंगम करने, उन्हें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने तथा राष्ट्र–निर्माण के क्षेत्र में चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है।

मौटे तौर पर, निर्धारित लक्ष्य देशभर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल किए गए थे। वन्दे मातरम् का संदेश 97 विश्वविद्यालयों में जत्थों के माध्यम से, नहरू युवा केन्द्रों के स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) के छात्रों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) के कैडेटों तथा स्काउट्स एवं गाइड्स के माध्यम से पहुंचाया गया था। 154 वाहिनियों ने लोगों को उन सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जत्थे निकाले जिनका देश मुकाबला कर रहा है। 1,62,522 किलोमीटर की यात्रा पर ये वाहिनिया 11,263 गांवों, शहरों तथा गंदी बस्तियों में गईं तथा इन्होंने नुक्कड़ बैठकें आयोजित कीं और गलियों में नाटकों तथा देशभक्तिपूर्ण फिल्मों का प्रदर्शन करके इस अभियान के संदेश का प्रचार किया। 31 दिसम्बर, 1999 की मध्य रात्रि को देशभर के 364 जिलों में 1059 शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए थे।

(ङ) निकट भविष्य में ऐसे किसी कार्यक्रम को आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुरियर और सफाई सेवाओं के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान

5334. श्री सुकदेव पासवान : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुरियर, सफाई और स्वच्छता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संगठनों में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सफाई और स्वच्छता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जो अब तक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) इन संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को सफाई करने और झाडू लगाने, कुरियर सेवाएं आदि प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने संबंधी एक अधिसूचना 22 मार्च, 2001 को जारी की गई थी। चूंकि उक्त प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम के उपबंध 1 अप्रैल, 2001 से लागू होते हैं अतः इस अवस्था में उनके द्वारा चूक की घटना की पहचान करना अथवा उनके विरुद्ध कार्रवाई करना जल्दबाजी में उठाया गया कदम होगा।

सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

5335. श्री रामेश्वर डूडी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर–नोखा–नागौर–अजमेर से होकर इंदौर जाने वाली सड़क को रष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) बीकानेर–अजमेर खंड नोखा और नागौर होते हुए रा.रा.–89 से, अजमेर–घाट बिलौद रा.रा.–79 से और घाट बिलौद–इंदौर रा. रा–59 से जुड़ा हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्र राजमार्गों पर निर्माण कार्य परस्पर प्राथमिकता के आधार पर और निधियों की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन वार्षिक योजनाओं में किए जाते हैं।

[अनुवाद]

वी.एस.एन.एल. द्वारा डी.टी.एच. प्लेटफार्म

5336. श्री तिरूनावकरसू :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) द्वारा देश में "डायरेक्ट टु होम" (डी.टी.एच.) प्लेटफार्म स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इससे होने वाले लाभों और इसकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्लेटफार्म कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में वी.एस.एन.एल. ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वी. एस. एन. एल., पूर्णतः सुसज्जित डी. टी. एच. प्लेटफार्म हेतु, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली स्थित अपने मौजूदा के यू–बैंड भू–केन्द्र को सज्जित करने हेतु वित्तीय व्यवहार्यता की जांच कर रहा है।

मौजूदा अवसंरचना प्रदाता होने के नाते वी. एस. एन. एल. सभी भारतीय प्रसारकों को एक तटस्थ (न्यूटरल) डी. टी. एच. प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर वर्ष 2001 की समाप्ति तक।

(घ) वी. एस. एन. एल. उपर्युक्त व्यावसायिक (बिजनेस) के मामले की जांच कर रहा है।

वन्यप्राणियों संबंधी कानूनों का उल्लंघन

5337. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में वन्यप्राणियों से संबंधी कानूनों के उल्लंघन के मामलों को दर्ज करने के लिए विशेष सैल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन–कौन से राज्य हैं जहां वन्यप्राणियों संबंधी कानूनों का उल्लंघन होता पकड़ा गया है; और

(घ) ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) देश में वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामलों को पंजीकृत किए जाने हेतु भारत सरकार के स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के पास वन्यजीव संबंधी गंभीर अपराधों पर आसूचना एकत्रण हेतु एक लघु इकाई का सृजन किए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश महराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से काफी बड़ी संख्या में वन्यजीव अपराधों संबंधी रिपोर्ट मिली हैं।

(घ) इस प्रकार के अपराधों के निवारण तथा नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) वन्यप्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास परि–विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों

को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और सरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमापार से अवैध आवागमन को रोकने के लिए भारत द्वारा एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) इंडो चीन प्रोटोकोल इन टाइगर कंजर्वेशन आर्टिकल आफ द प्रोटोकोल में अन्य बातों के साथ साथ बाघों के अवैध शिकार, बाघों की हड्डियों और अन्य अंगों तथा व्युत्पन्नों की तस्करी और बिक्री से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने का अनुबंध किया गया है।

(iv) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

एच.सी.एल. का निजीकरण

5338. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच. सी. एल.) का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलाजखंड कॉपर परियोजना का भी निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या मलाज़खंड परियोजना के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को देखते हुए सरकार द्वारा वहां गालक संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो गालक संयंत्र की स्थापना संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) के लिए निम्नलिखित विनिवेश योजना का निर्णय लिया है :

चरण-I : एच. सी. एल. की खेतड़ी इकाई को तालोजा संयंत्र के साथ मिलाकर एक अलग कंपनी बनाई जाएगी। इन इकाइयों की परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा जो नई कंपनी में एच. सी. एल. का 49 प्रतिशत अंशदान होगा और इसमें 51 प्रतिशत इक्विटी महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा लगाई जाएगी।

चरण-II : एच. सी. एल. के शेष भाग, यानी, इंडियन कॉपर कम्पलैक्स (आई. सी. सी.) तथा मलाजखंड ताम्र परियोजना (एम. सी. पी.) की, अव्यवहार्य खानों को चरणबद्ध रूप में बंद करके और इसके फलस्वरूप अधिशेष जनशक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत हटाकर पुनर्संरचना की जाएगी। इसके बाद एच. सी. एल. अपने शेष भाग में 51 प्रतिशत विनिवेश करने के लिए एक और महत्वपूर्ण भागीदार की तलाश करेगा।

एच. सी. एल. के विनिवेश की प्रक्रिया का चरण–I अंतिम अवस्था में है और चालू वर्ष में इसके पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ग) विनिवेश नीति के अनुसार इंडियन कॉपर कम्पलैक्स (आई. सी. सी.) के साथ-साथ मलाजखंड ताम्र परियोजना (एम. सी. पी.) की पुनर्संरचना चरण-II में की जाएगी। विनिवेश के चरण-I की प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात एच. सी. एल. के विनिवेश के चरण-II के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को हाथ में लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) एच. सी. एल. के विनिवेश के बारे में सरकार के निर्णय को देखते हुए एम. सी. पी. में प्रगालन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्रिकेट खिलाड़ियों और मफिया के बीच सांठ-गांठ

5339. श्री रामशकल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय माफिया डानों के साथ सांठ-गांठ हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) मैच फिक्सिंग तथा संबंधित कदाचारों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अध्याय 6 में निष्कर्ष से इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि अंडरवर्ल्ड मफिया ने सट्टा लगाने के काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है और यदि इस पर सख्ती से तत्काल नियंत्रण न किया गया तो संभावना है कि यह इस कार्यकलाप का समग्र नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। तथापि, रिपोर्ट में विशेष ब्यौरों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेल्यूलर टेलीफोन

5340. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेल्यूलर टेलीफोन सेवाएं चलाने के लिए किसी निजी कंपनी को प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा अपनी सेवाओं को क्षेत्र के एक या दो ही शहरों तक सीमित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कंपनियों की सेवाओं को क्षेत्र के सभी राज्यों, विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्यमान विशेष परिस्थितियों के कारण वर्तमान में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी. एम. टी. एस.) प्रतिबंधित है। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सी. एम. टी. एस. प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी. एस. एन. एल.) को भी लाइसेंस प्रदान किया गया है। आवश्यक अनुमति मिलने पर बी. एस. एन. एल. ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुल 49 बड़े शहरों/कस्बों में सेल्यूलर सेवा प्रदान करने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

बिहार में लंबित सड़क परियोजना

5341. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार के सड़क परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां तो अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और कितनी परियोजनाएं सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने का इरादा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी नहीं। वार्षिक योजना 2000-2001 के प्रावधानों में से 74.20 करोड़ रुपये की राशि के 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

5342. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बीच भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है या कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इनमें सामाजिक–आर्थिक तथा कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, उत्पादकता, भुगतान करने की क्षमता और मजदूरी दर आदि को प्रभावित करने वाली स्थानीय परिस्थितियां, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न होती हैं, शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी में कुछ असमानता है। यह निर्धारण करने के लिए कि देश के भिन्न–भिन्न भागों के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में उक्त अधिनियम के उपबंधों को किस सीमा तक लागू किया गया है, श्रम मंत्रालय उक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन करवाता है। अध्ययन संबंधी रिपोर्टों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विनिवेश

5343. श्री अनन्त नायक :
श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और भारतीय होटल निगम के विनिवेश का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या कर्मचारियों/संगठनों ने उपरोक्त उपक्रमों के निजीकरण के प्रति विरोध प्रकट किया है; और

(च) यदि हां, तो उनके विरोध का क्या आधार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। एयर इंडिया के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि (i) सरकारी इक्विटी को 40 प्रतिशत तक कम करना, (ii) रणनीतिक साझेदार के पक्ष में 40 प्रतिशत की इक्विटी का विनिवेश किया जाना, (iii) कर्मचारियों को 10 प्रतिशत तक की इक्विटी की पेशकश एम्पलाइज के लिए किया जाना, (iv) वित्तीय संस्थाओं और/अथवा जनता को 10 प्रतिशत इक्विटी को पूंजी बाजार में बेचा जाना तथा (v) रणनीतिक भागीदार के मामले में विदेशी होल्डिंग कुल इक्विटी के 26 प्रतिशत से अधिक न हो। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की इक्विटी को 49 प्रतिशत तक काम कर दिया जाए जबकि रणनीतिक भागीदार को घरेलू विमान परिवहन नीति के पैरामीटरों के तहत 26 प्रतिशत इक्विटी बेच दी जाए और 25 प्रतिशत इक्विटी घरेलू वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारियों तथा अन्य निवेशकों को बेच दी जाए। रणनीतिक भागीदार विदेशी होल्डिंग के सत्व के साथ एक संयुक्त उद्यम बनने की स्थिति में, विदेशी होल्डिंग की सीमा बोलीकर्ता की इक्विटी (26 प्रतिशत) का 40 प्रतिशत यानी 10.4 प्रतिशत होगी। भारतीय होटल निगम के संबंध में, सरकार ने सिद्धांत रूप में भारतीय होटल निगम का विनिवेश करने का अनुमोदन कर दिया है और यह निर्णय भी लिया है कि वसूल किया गया राजस्व एयर इंडिया के प्रति प्रोदभूत करना होगा। इन सभी प्रस्तावों के संबंध में, विनिवेश प्रक्रिया में सहायता करने की दृष्टि से वैश्विक सलाहकारों की नियुक्ति की गई है।

(घ) हितापेक्षा–पत्र (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित करने वाले पब्लिक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में संदर्श पार्टियों से जवाब मिल गए थे। तदनुपरांत, कतिपय संदर्श बोलीकर्ताओं को बोली पैकस जारी किए गए हैं जिसमें सूचना–ज्ञापन, गोपनीय पूर्ण एग्रीमेंट, शेयर पर्चेज एग्रीमेंट तथा शेयर होल्डर एग्रीमेंट के लिए मसौदे शामिल हैं। सलाहकारों द्वारा किए गए कार्य पर अनुसूची के अनुसार कार्रवाई चल रही है जबकि उन संदर्श बोलीकर्ताओं जिनको डाटा कक्ष के लिए अनुमत किया है ने समुचित कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ङ) और (च) एयर इंडिया के किसी कर्मचारी और यूनियन ने विनिवेश प्रक्रिया के विरोध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है उसकी 8 मान्यता यूनियनों में से एक यूनियन ने ही विनिवेश प्रस्ताव का विरोध किया है।

भारतीय होटल निगम में, यूनियन/एसोसिएशनों ने विनिवेश प्रस्ताव का विरोध किया है।

भीमा सिंचाई परियोजना

5344. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में भीमा सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार के पास 1997 से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) भीमा प्रवाह सिंचाई स्कीम और भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम क्रमशः 11/85 और 12/85 में केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई थीं और ये एक वर्ष से अधिक समय तक केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण वर्ष 1988 में राज्य सरकार को लौटा दी गईं। इस समय भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर अध्याय दर अध्याय कार्रवाई की जा रही है। जून, 1996 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह डिजाइन बाढ़ को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित कुछ अतिरिक्त आंकड़े भेजे लेकिन ये अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इन परियोजनाओं की स्वीकृति अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान

5345. डा. रामचंद्र डोम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1 अप्रैल, 2001 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, के अंतर्गत 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कुछ और प्रतिष्ठानों को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठानों की क्या श्रेणियां हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव से कितने कामगारों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) हाल ही में, निजी क्षेत्र के एयरक्राफ्टों/एयरलाइनों के प्रतिष्ठानों *और कूरियर तथा साफ-सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को* विस्तारित करने के लिए सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। चूंकि इस अधिनियम के उपबंध उक्त प्रतिष्ठानों पर लागू किए गए हैं, अतः उक्त अधिसूचना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या बता पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी।

कर्मचारियों के परिवारों के लिए निःशुल्क/रियायती टिकट

5346. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को दी जाने वाली निःशुल्क और रियायती यात्राओं के संबंध में क्या नीति हैं;

(ख) सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क और रियायती यात्राओं की क्या नीति है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा इन रियायतों को देने में कितनी राशि वहन करनी पड़ती है;

(घ) क्या उनके आत्मनिर्भर तथा व्यस्क पुत्र-पुत्रियों को भी निःशुल्क/रियायती यात्राओं की छूट दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसके रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पारिवारिक सदस्यों को निःशुल्क तथा रियायती दर पर यात्रा करने की अनुमति देने की नीति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस के मार्गों पर यात्रा के लिए पास दिया जाना भार अर्थात विमान में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नकद भुगतान करने वाले सभी यात्रियों को विमान उड़ान भरने के आरंभिक स्टेशन पर अथवा मध्यवर्ती स्टेशनों पर सीट उपलब्ध कराने के बाद ही यह पास दिया जाता है इस तरह अधिकारियों/कर्मचारियों की यात्रा के कारण किसी भी समय राजस्व का घाटा नहीं होता।

(घ) से (च) जी, हां। यद्यपि एयर इंडिया में, असीमित कोटा

पास अर्थात 25 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात 21 वर्ष से अधिक आयु के पुत्रों और विवाहित पुत्रियों को इस कोटे से पास नहीं दिया जा सकता है। कंपनी की नीति के अनुसार सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को यह अनुमति है कि वे अपनी यात्रा हकदारियों का हस्तांतरण अपने बच्चों के पक्ष में कर सकते हैं।

विवरण

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस में सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को निःशुल्क व रियायती यात्रा सुविधा दिए जाने की नीति

एअर इंडिया

की सेवा पूरी करने के बाद	कार्यरत कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पास का मापदंड								
	पास (अंतर्राष्ट्रीय) मूल्य में रियायत (प्रतिशत)				पास (भारत के भीतर घरेलू) मूल्य में रियायत (प्रतिशत)				
	सं. 1	सं. 2	सं. 3	सं. 4	सं. 1	सं. 2	सं. 3	सं. 4	सं. 5
1 वर्ष	100	60	10	शून्य	100	85	85	85	शून्य
2 वर्ष	100	80	30	10	100	80	85	85	85
3 वर्ष	100	100	50	30	100	100	85	85	85
4 वर्ष	100	100	70	50	100	100	85	85	85
5 वर्ष	100	100	90	70	100	100	95	95	85
6 वर्ष और इससे आगे	100	100	90	90	100	100	95	95	85

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हवाई पास रियायत का मापदंड					मृतक कर्मचारियों के पति/पत्नी के लिए हवाई यात्रा का मापदंड			
20 वर्ष की सेवा	100	90	90	शून्य	20 वर्ष	100	90	शून्य
25 वर्ष	100	100	90	90	25 वर्ष	100	90	90
बच्चों के लिए, 21 वर्ष की आयु से नीचे अविवाहित लड़का और लड़की केवल घरेलू असीमित हवाई यात्रा कर सकते हैं				95 प्रतिशत असीमित हवाई यात्रा	बच्चों के लिए, 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित लड़का और लड़की इस सुविधा के हकदार हैं।			

इंडियन एयरलाइंस

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों/अधिकारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों की निःशुल्क व रियायती यात्रा नीति नीचे दी गई है :

पूरे होने पर	निःशुल्क	रियायती	
		95 प्रतिशत	85 प्रतिशत
(क) ग्रेड 16 ए के कर्मचारियों तक (मुख्य प्रबंधक स्तर तक) लोड के आधार पर।			
5 वर्ष की सेवा से कम	2	–	3
5 वर्ष की सेवा तक	2	1	2
7 वर्ष सेवा तक	2	2	1

पूरे होने पर	निःशुल्क	रियायती	
		95 प्रतिशत	85 प्रतिशत
10 वर्ष की सेवा	2	3	–
20 वर्ष की सेवा	2	4	–
25 वर्ष की सेवा	2	5	–
(ख) निदेशकों/महाप्रबंधकों/उप महाप्रबंधकों के लिए (सेवाकाल के अनुक्रम में)	2	5	–

(ग) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक के लिए कम आधार पर असीमित (स्वयं और पारिवारिक सदस्यों के लिए)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को निःशुल्क व रियायती यात्रा सुविधा की नीति नीचे दी गई है·

ग्रेड 16 ए से तक (लोड के आधार)	निःशुल्क	रियायत	
		95 प्रति.	85 प्रति.
15 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर	1	2	–
20 वर्ष की सेवा के बाद	1	3	–
25 वर्ष की सेवा के बाद	2	4	–

उप महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों/निदेशकों को (लोड के आधार पर उनकी सेवाकाल के अनुक्रम में और उप प्रबंध निदेशकों और उससे ऊपर (फर्म बेसिस पर)।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

5347. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बीना नदी परियोजना, बेबास नदी पर राजघाट परियोजना, शाहगढ़ में नीरन्दपुर बांध, देवरिया बांध और शाहगढ़ के अपारचंडिया बांध के कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) पिछले 5 वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की 10 सिंचाई परियोजनाओं ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 501.153 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त की है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रख-रखाव का कार्य मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत आबंटन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ऐसी चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया जाता है जो कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करती हों बशर्ते कि उनके लिए राज्य ने अपनी वार्षिक योजना में प्रस्ताव किया हो तथा उस वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता की राज्य विशेष सीमा का ध्यान रखा गया हो।

[अनुवाद]

पशुओं के पित्ताशय और आंतें जब्त किया जाना

5348. श्री शिवाजी माने :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या दिनांक 7 अप्रैल, 2001 के "द पायनीयर" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत-नेपाल सीमा पर पूर्वी चम्पारन

में रक्सौल स्टेशन से सरकार द्वारा 850 किग्रा. से भी अधिक वजन के पशुओं के पित्ताशय और आंतों से भरे 10 बोरे जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) जानवरों के पित्ताशय और आंतों से भरी 860 किग्रा. वजनी एक खेप बिहार के रक्सौल स्टेशन पर जब्त की गई है। जब्त की गई सामग्री से लिए गए नमूनों को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में भेज दिया गया है ताकि उन प्रजातियों की पहचान की जा सके जिनसे ये शरीर के अंग संबंध रखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

आंध्र प्रदेश में मल्टी पाइन्ट कनैक्टेविटी आधारित सेल्यूलर सेवा

5349. डा. बी. बी. रमैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर ऑपरेटर आंध्र प्रदेश में मल्टी पाइन्ट कनैक्टेविटी की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवा प्रदान करने वाले दो ऑपरेटर मल्टी पाइन्ट कनैक्टेविटी के ना होने की वजह से एक ही सेवा के लिए अलग-अलग दरें वसूल कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं: और

(घ) सरकार ने इन शुल्कों में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल में मौजूदा दोनों निजी सेल्यूलर आपरेटरों नामशः भारतीय मोबाइल लिमिटेड तथा टाटा सेल्यूलर लिमिटेड को उनके अनुरोध पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) के तकनीकी सम्पूर्णता तथा तकनीकी व्यवहार्यता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यधीन भारत संचार निगम लि. (बी. एस. एल. एल.) के पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पी. एस. टी. एन.) में इंटरकनेक्शन के मल्टी प्वाइंट्स दिए गए थे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) के प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन प्रदान करने तथा परियात मार्ग निर्धारण के संबंध में हाल ही में दिए गए दिनांक 8.1.2001 के निर्णय को दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण (टी. डी. एस. ए. टी.) में चुनौती दी गई है। माननीय टी. डी. एस. ए. टी. ने टी. आर. ए. आई. के उक्त निर्णय को लागू करने पर रोक लगा दी है। अतः उक्त मामला निर्णयाधीन होने से किसी भी सेल्यूलर आपरेटर को बी. एस. एन. एल. द्वारा आगे और कोई प्वाइंट ऑफ इंटर-कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) सी. एम. टी. एस. के टैरिफ, टी. आर. ए. आई. द्वारा विनियमित किए जाते हैं। सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं को भी अनिवार्य मानक टैरिफ पैकेज के अलावा वैकल्पिक टैरिफ पैकेज देने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि टी. आर. ए. आई. को इस आशय की जानकारी देने की अपेक्षा पूरी की गई हो।

उड़ीसा में जापानी सहायता से सड़क निर्माण

5350. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में जापानी सहायता से केन्द्रपाड़ा-इंदुपुर-रत्नागिरि सड़क, सलेपुर-क्योनपाल-बालचंद्रपुर-ललितागिरि-उदयगिरि सड़क के निर्माण और इन्हें चौड़ा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं। उल्लिखित सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में नहीं आती है। इसलिए उसके विकास और रख-रखाव के लिए उड़ीसा राज्य सरकार जिम्मेदार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना

5351. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण युवा वर्ग को कभी भारत के बाहर खेल टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से खेलों में इन्होंने भाग लिया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में परम्परागत खेलों का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं पहले से ही कार्यान्वित कर रही है :

(1) **राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता** : इस योजना के अंतर्गत, खो–खो, कबड्डी तथा आत्या–पात्या जैसे परम्परागत खेलों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(2) **ग्रामीण खेल कार्यक्रम** : इस योजना के निम्नलिखित दो उप–घटक हैं जिनके अंतर्गत चुनिंदा खेल–विधाओं के अलावा परम्परागत खेल–विधाएं खेली जाती हैं।

(i) **ग्रामीण खेल टूर्नामेंट** : इस घटक के अंतर्गत, चुनिंदा खेल–विधाओं के खेल टूर्नामेंट तथा अन्य परम्परागत खेलों जैसे कि एथलेटिक्स, रस्साकशी, तीरंदाजी, हाकी, खो–खो, कबड्डी, भारोत्तोलन, वालीबाल, कुश्ती तथा फुटबाल के आयोजन के अलावा, राज्य सरकारें भी ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर उस क्षेत्र विशेष में लोकप्रिय कई अन्य स्वदेशी खेलों को आयोजित करती हैं।

(ii) **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए खेल महोत्सव** : इस घटक के अंतर्गत, उत्तर–पूर्वी राज्यों के खिलाड़ियों को सम्मिलित करते हुए उत्तर–पूर्वी क्षेत्र महोत्सव का प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबाल, हाकी, जूडो, टेबल–टेनिस तथा भारोत्तोलन जैसी चुनिंदा खेल–विधाओं के अलावा, इन राज्यों में लोकप्रिय खेल–विधाओं को इस महोत्सव में शामिल किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त विभिन्न खेल–विधाओं की टीमों को स्वीकृति प्रदान करती है। इन टीमों में ग्रामीण तथा साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ी शामिल होते हैं।

भारत-जर्मन विमानन संधि

5352. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत–जर्मन विमानन संधि की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संधि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी एयरलाइनें भी भारत में और अधिक रूटों की मांग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्वीकृतियां देने के कारण भारत को क्या लाभ हुए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) दिनांक 5–6 फरवरी, 2001 को जर्मनी के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा विचार–विमर्श के दौरान, इस बात पर सहमति बनी थी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की नामित विमान कंपनी को यह अनुमति होगी कि वह भारतीय पक्ष की अनुप्रयुक्त हकदारी के प्रति चरणबद्ध ढंग से सात अतिरिक्त विमान सेवाएं प्रचालित करे बशर्ते दोनों देशों की नामित विमानकंपनियों के बीच वाणिज्यिक व्यवस्था हो। किसी पंचम स्वतंत्रता अधिकारों के बिना जर्मनी की नामित विमानकंपनी हेतु बंगलौर को अतिरिक्त अवतरण–स्थल के रूप में मंजूरी भी दे दी गई थी।

(ग) और (घ) भारत के लिए/यहां से विदेशी विमानकंपनियों की प्रचालन सेवाएं भारत तथा संबंधित देश के मध्य हुए द्विपक्षीय करार के अनुसार शासित होती हैं। यातायात में वृद्धि और भारतीय विमानकंपनियों को उपयुक्त प्रतिलाभ को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे करारों की समय–समय पर संवीक्षा की जाती है।

सेल्यूलर प्रशुल्क

5353. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) ने सेल्यूलर प्रशुल्कों का लागत आधारित अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल्यूलर एयरटाइम प्रशुल्क में कमी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) ने 1998–99 में सेल्यूलर टैरिफों का लागत के आधार पर अध्ययन किया था और दिनांक 9 दिसंबर, 1998 को लागत अध्ययन के ब्यौरों सहित दूरसंचार मूल्य–निर्धारण के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस अध्ययन के आधार पर सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के टैरिफों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी.टी.ओ.), 1999 में अधिसूचित किया गया था।

(ग) से (ङ) दिनांक 1 अगस्त, 1999 से प्रभावी निर्धारित लाइसेंस शुल्क राजस्व भागीदारी की प्रणाली में माइग्रेशन के बाद अब आपरेटरों द्वारा देय लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है। सेवा प्रदाताओं ने उपभोक्ताओं को लाइसेंस शुल्क में कमी का लाभ नवम्बर, 1999 से किराये कम करके तथा फरवरी, 2000 के एयरटाइम शुल्क कम करके दिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी. टी. ओ.) आर्डर, 2001 (बारहवां आशोधन) भी अधिसूचित किया है जिसमें सेल्यूलर उपभोक्ताओं को की जाने वाली धन वापसी का ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेल्यूलर टैरिफ में आगे और संशोधन यदि आवश्यक हो, करने के लिए टैरिफ की स्थिति की सतत समीक्षा कर रहा है।

सिलिगुड़ी से गंगटोक तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

5354. श्री भीम दाहाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सिक्किम सरकार से सिलिगुड़ी से गंगटोक तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 31 (क) को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) सिलीगुड़ी और सेवोक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 और सेवोक तथा गंगटोक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31ए पहले से ही मौजूद है। तथापि, सिलीगुड़ी से गंगटोक तक एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए सिक्किम सरकार से नवंबर, 1998 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। बाद में सिक्किम सरकार ने जुलाई, 2000 में इस प्रस्ताव पर विचार न करने का अनुरोध किया क्योंकि वैकल्पिक मार्ग को व्यवहार्य नहीं समझा गया था। मंत्रालय ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर फ्लाइंग क्लब

5355. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर फ्लाइंग क्लब लगभग छः वर्षों से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार इस क्लब को निजी पार्टी को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सेवा योग्य विमानों की अनुपलब्धता के कारण, इस उड़ान क्लब को बंद कर दिया गया है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय में महाराष्ट्र सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में स्वर्ण भंडार

5356. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में स्वर्ण भंडारों की खोज के कोई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 के दौरान कोलार, हट्टी और रामगिरि सोना खानों से कितना सोना प्राप्त हुआ;

(ग) क्या भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने यह उल्लेख किया है कि सोने की अतिशय मांग की तुलना में भारत में सोने का स्वदेशी उत्पादन काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो नई खोजों से सोने के स्वदेशी उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के विभिन्न ब्लॉक्स में 0.89 ग्राम/टन तथा इससे अधिक ग्रेड वाले कुल 9.863 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क भंडार का अनुमान लगाया है।

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान कोलार, हट्टी और रामगिरि स्वर्ण खानों से क्रमशः किग्रा. 1476 किग्रा. (फरवरी, 2001 तक) तथा शून्य किग्रा. स्वर्ण का उत्पादन हुआ।

(ग) स्वदेशी उत्पादन की मॉनीटरिंग और देश में स्वर्ण की मांग का अनुमान लगाना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकृत कार्य नहीं हैं। तथापि, देश में स्वर्ण की मांग के कोई ठोस अनुमान नहीं हैं। मोटे तौर पर अनुमान है कि देश में स्वर्ण की वार्षिक मांग लगाभग 600 टन है जबकि 1997–2000 की अवधि के दौरान औसत स्वदेशी उत्पादन लगभग 2.9 टन था। तथापि, 2000–2001 के दौरान देश में स्वर्ण का कुल स्वदेशी उत्पादन इस औसत की तुलना में गिर गया है।

(घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत स्वर्ण भंडारों का गवेषण/विदोहन शासित होता है। इस नीति के अनुसार, जो स्वर्ण अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के विदोहन हेतु आरक्षित था, उसे निजी क्षेत्र, घरेलू एवं विदेशी दोनों, की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। प्रावधानों को और अधिक निवेशक–अनुकूल बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को दिसम्बर, 1999 में संशोधित किया गया था।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बॉक्साइट आधारित एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना

5357. श्री रामानन्द सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले विशेषकर चित्रकूट क्षेत्र में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सतना से बॉक्साइट "बालको" को भेजा जाता है;

(ग) क्या सरकार चित्रकूट में बॉक्साइट आधारित एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने वर्ष 2000–2001 के दौरान सतना जिले से 17,100 टन बॉक्साइट खरीदा।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य में चित्रकूट में सार्वजनिक क्षेत्र में एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जल-अंतरणकारी संयोजन संबंधी प्रस्तावों का कार्यान्वयन

5358. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद जल–अंतरणकारी संयोजन संबंधी प्रस्तावों के कार्यान्वयन वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं। नदियों के अंतर संपर्क संबंधी प्रस्ताव व्यवहार्यता रिपोर्ट स्तर पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया राशि का वसूली

5359. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की देय करोड़ों रुपये की राशि एयरलाइंस के टिकट एजेंटों पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने इन एजेंटों से बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या ये एजेंसियां शिक्षित बेरोजगार युवकों को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस को एजेंटों से लगभग 3.60 करोड़ रुपये की राशि लेनी है। चूककर्ता एजेंटों से ली जाने वाली राशि को दिखाने वाला एक विवरण दिया गया है। संलग्न विवरण में बताए सभी मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई/वसूली कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइंस ने यात्री विक्रय एजेंटों की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों में से, इंडियन एयरलाइंस की आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न स्टेशनों पर यात्री विक्रय एजेंटों की नियुक्ति की जाती है।

विवरण

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता एजेंटों से वसूली जाने वाली देयताएं

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	बकाया राशि (लाख रु. में)	बकाया की अवधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आबू ट्रेवल्स, चेन्नई	0.37	1998–99	इंडियन एयरलाइंस के हक में डीक्री प्राप्त कर ली गई
2.	मेनका ट्रेवल्स, हैदराबाद	12.36	1992–93	इंडियन एयरलाइंस के हक में डीक्री प्राप्त कर ली गई
3.	सिल्वर स्ट्रीक, चेन्नई	2.15	1995–96	इंडियन एयरलाइंस के हक में डीक्री प्राप्त कर ली गई
4.	सागर ट्रेवल्स, चेन्नई	1.64	1996–97	न्यायिक मामला प्रक्रिया में हैं
5.	पनोरमा ट्रेवल्स, विजाग	0.29	1996–97	न्यायिक मामला प्रक्रिया में हैं
6.	यूनाइटेड टूर्स, कालीकट	0.40	1997–98	न्यायिक मामला प्रक्रिया में हैं
7.	ट्रेवल्स प्वाइंट, हैदराबाद	9.01	1997–98	न्यायिक मामला प्रक्रिया में हैं
8.	ईस्टमैन टूर्स एंड ट्रेवल्स, चेन्नई	1.29	1998–99	मामला टी.ए.ए.आई के साथ लंबित है
9.	सागर ट्रेवल्स, चेन्नई	20.82	1998–99	न्यायिक मामला प्रक्रिया में हैं
10.	शीबी ट्रेवल्स, चेन्नई	1.32	1998–99	मामला टी.ए.ए.आई के साथ लंबित है
11.	कालीकट टूर्स एंड ट्रेवल्स, कालीकट	9.70	1999–2000	कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई
12.	पल्लाडयूम ट्रेवल्स, बंगलौर	20.49	2000–01	ए.आई.टी.9 के साथ दावा है
13.	आर. के ट्रेवल्स, नई दिल्ली	4.31	1991–92	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
14.	ट्रेवल मार्ट, नई दिल्ली	5.55	1991–92	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
15.	मैक ट्रेवल्स, अलीगढ़	7.75	1991–92	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
16.	राजदान ट्रेवल्स	21.94	1993–94	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
17.	शाह ट्रेवल्स, श्रीनगर	14.04	1992–93	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
18.	ए.एस. ट्रेवल्स	9.91	1995–96	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला

1	2	3	4	5
19.	कम्बाइंड ट्रेवल्स	2.06	1997–98	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
20.	विनफील्ड ट्रेवल्स	43.07	1997–98	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
21.	ब्लू बर्ड ट्रेवल्स, श्रीनगर	0.40	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
22.	आशा ट्रेवल्स, जम्मू	1.06	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
23.	टिन्ना वर्ल्ड ट्रेवल्स	5.15	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
24.	सीनियर ट्रेवल्स, मुम्बई	0.66	1994–95	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
25.	रियल वैल्यू, मुंबई	38.63	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
26.	ओलम्पिक एक्सप्रेस	1.29	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
27.	रॉवि ट्रेवल्स, पुणे	57.02	1997–98	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
28.	हालमार्क ट्रेवल्स, मुंबई	8.26	2000–01	बैंक गारंटी वापस ले ली गई है
29.	ओशो ट्रेवल्स, मुंबई	0.42	2000–01	बैंक गारटी वापस ले ली गई है
30.	एशियाटिक ट्रेवल्स, मुंबई	4.06	2000–01	कानूनी प्रक्रिया में/न्यायिक मामला
31.	न्यू महाराजा ट्रेवल्स, बड़ोदा	15.23	2000–01	प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई
32.	प्लेर्सी एग्जीम फाइनेंस, कलकत्ता	11.49	1999–2000	कानूनी प्रक्रिया में है
33.	ट्रेवल्स ब्यूरो, दीमापुर	4.85	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में है
34.	एस्को ट्रेवल्स, गुवाहाटी	5.43	1991–92	कानूनी प्रक्रिया में है
35.	गणेश ट्रेवल्स, अगरतला	5.66	1993–94	कानूनी प्रक्रिया में है
36.	लक्ष्मी ट्रेवल्स, अगरतला	7.60	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में है
37.	मिन्ट्री ट्रेवल्स, बागडोगरा	7.74	1998–99	कानूनी प्रक्रिया में है
38.	सफारी इंडिया, रांची	1.57	1999–2000	कानूनी प्रक्रिया में है
39.	कंटीनेंटल ट्रेवल्स, गुवाहाटी	1.06	1999–2000	कानूनी प्रक्रिया में है
	योग	360.04		

आईसी–इंडियन एयरलाइंस

टीएएआई–ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

ए. आई. पी. 9–आयटा अनुमोदित एजेंटों के प्रशासन के लिए आयटा एजेंसी।

चालू सिंचाई परियोजनाएं

5360. श्री के. पी. सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रभावित उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात आदि राज्यों में चल रही सिंचाई परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं को आज की तिथि तक कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) सूखा प्रभावित उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में चल रही वृहद सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) परियोजनाओं का पूरा होना अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के लिए मुहैया की जाने वाली निधियों की पर्याप्तता पर निर्भर करती है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	मार्च, 2000 तक संचयी व्यय	वर्ष 2000–01 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	चरम सिंचाई क्षमता	मार्च, 2000 तक सृजित क्षमता	पूरा करने का लक्ष्य नौवीं योजना/नौवीं योजना से आगे
1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा							
1.	अपर इन्द्रावती						
	(क) बांध	176.16	126.94				
	(ख) सिंचाई	718.70	308.56	20.00	218.60	65.60	नौवीं योजना
2.	लोअर इन्द्रा	211.70	8.72	12.50	38.87	—	नौवीं योजना से आगे
3.	अपर कोलाब						
	(क) बांध	48.81	53.71	—	—	—	—
	(ख) सिंचाई	239.00	266.92	18.00	88.76	62.83	नौवीं योजना
राजस्थान							
1.	जाखम	104.00	105.20	3.00	23.50	23.50	नौवीं योजना
2.	माही बजाज सागर	799.04	458.13	50.00	109.91	89.61	नौवीं योजना से आगे
3.	सोम कमला अम्बा	207.48	199.08	6.50	18.79	17.64	नौवीं योजना
4.	आई.जी.एन.पी. चरण–II	2267.44	1564.24	117.00	964.00	605.00	नौवीं योजना से आगे
5.	नर्मदा (एस.एस.पी.) (आई.एस.)	1462.00	170.25	58.71	73.00	0.00	नौवीं योजना से आगे
6.	सिधमुख नोहर	309.00	246.55	50.00	67.36	0.00	नौवीं योजना से आगे
गुजरात							
1.	पानम	106.79	113.65	0.00	43.68	42.39	नौवीं योजना
2.	साबरमती	123.57	125.23	0.00	62.39	62.23	नौवीं योजना
3.	कर्जन	280.98	305.93	0.00	70.38	66.67	नौवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सिपू	102.44	108.60	0.00	22.08	21.15	नौवीं योजना
5.	सरदार सरोवर (आई.एस.)	23602.98	9370.42	3300.00	1792.00	75.58	नौवीं योजना से आगे
6.	भातपुर	125.20	1.55	0.10	21.22	—	नौवीं योजना से आगे

[हिन्दी]

बैटरी से चालित टेलीफोन

5361. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के धूले जिला में कौन–कौन से गांव हैं जहां पर टावर प्रणाली पर आधारित बैटरी चालित टेलीफोन स्थापित किए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार उक्त जिले में कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ग) क्या यह प्रणाली सफल सिद्ध नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के धुले जिले में एम ए आर आर प्रणाली पर कार्यरत वी पी टी के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार धुले जिले में 75 एमएआरआर वीपीटी खराब हैं।

(ग) और (घ) एमएआरआर वीपीटी का कार्यकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। उसके मुख्य कारण हैं :

(i) एमएआरआर वीपीटी प्रणाली की विश्वसनीयता अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

(ii) ग्रामीण स्तरीय अविश्वसनीय पावर सप्लाई भी ऊंची वीपीटी दोष दर का एक कारण है। उन ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफानों में खराबियां अधिक आती हैं जिनकी बैटरियों को पुनः चार्ज करने हेतु विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में लगे टेलीफोनों तक पहुंचने के लिए समुचित सड़क संपर्क न होने से अनुरक्षण समस्याएं।

(iv) सप्लायरों से अच्छी अनुरक्षण सुविधा प्राप्त न होना।

(ङ) वीपीटी का सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. एक्सचेंज से वीपीटी की जांच रोजना की जाती है। लगातार जवाब न मिलने से उसे खराब माना जाता है।
2. एमआरआर लिंक सी बेस स्टेशन से प्रतिदिन जांच की जाती है।
3. मीटर रीडिंगों की जांच हर पन्द्रह दिनों में की जाती है तथा कम रीडिंग को प्रणाली के समुचित रूप से काम न करने का संकेत माना जाता है और उनकी विशेष रूप से जांच की जाती है।
4. वीपीटी धारकों को अपने टेलीफोन की शिकायतें एक्सचेंज/प्रभारी जेटीओ के यहां दर्ज कराने को कहा गया है।
5. प्रत्येक सर्किल में मरम्मत केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
6. इस प्रणाली के बहुत से सप्लायरों के साथ वार्षिक अनुरक्षण करार किए गए हैं।
7. शिकायतों के निराकरण हेतु ग्रामीणों के साथ एसएसए प्रमुख बैठकें कर रहे हैं।
8. सर्किल/दूरसंचार आयोग मुख्यालय स्तर पर उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वैड) गठित किए गए हैं।
9. नेटवर्क की शुरूआत हेतु निम्नलिखित नई प्रौद्योगिकियों को आजमाया जा रहा है :
   * वायलेस इन लोकल लूप
   * सी–डॉट, डीटीडीएमए, पीएमपी–प्रणाली (सी–डॉट, डेवेलप्ड टाइम डिविजन मल्टी एक्सेस, प्वाइंट टू मल्टीप्वाइंट सिस्टम)
   * दूरस्थ व अगम्य क्षेत्रों हेतु सेटेलाइट बेस टर्मिनल।
10. उन एम. ए. आर. आर. प्रणालियों को बदलने का प्रस्ताव है जो मरम्मत योग्य नहीं हैं।

विवरण

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल गत धुले जिला की एम. ए. आर. आर.–प्रणाली से जुड़े वी.पी.टी. : पत्र सं. सी.जी.एम.टी./एम.एच./सी.एम./पी.क्यू. डा. सं. 5361/13वां एल. एस./VI/दिनांक 19.4.2001

क्र.सं.	वी.पी.टी. का नाम					
	एस.डी.सी.ए.– सिंधखेड़ा	एस.डी.सी.ए.– कुसुम्बा	एस.डी.सी.ए.– सांकड़ी	एस.डी.सी.ए.– पिम्पलनेर	एस.डी.सी.ए.– शिरपुर	एस.डी.सी.ए.–धुले
1	2	3	4	5	6	7
1.	अच्छी	अमोड	आमचले	आमली	अढे	अजंग
2.	अकाडसा	छवाड़ी	अकलपाड़ा	चिपीपाड़ा	अहल्यापुर	अजनाले
3.	अमाल्ठे	धानेगांव	अम्बेमोहर	डापुर	अजानाड	अम्दाद
4.	अमराले	हट्टी बीके	अष्टाने	धौलीपाड़ा	अम्बे	अनचड़ेटांडा
5.	अर्वी	लम्काणी	बालसाने	धौली बिहिर	भोरटेक	अर्णी
6.	बाभाल्डे	लोनखेड़े	बेहड	डोंगड़े	बोरगांव	वभूलवाड़ी
7	भिलांडे		बुरुड़खे	जामखेरी	केरपाणी	बालहणे
8.	चांदगढ़		चिंचखेड़ा	जमजिरा	चाकडू	दाहयाणे
9.	चिम्ठावल		चिपलीपाड़ा	काडवले	चांदपुरी	धाम्णे
10.	दासवैल		दारखेल	खांडवाड़ा	चांदसे	ढांढणे
11.	डेगांव		दातार्ती	कोकणगांव	चांद सूर्या	दीवानमाला
12.	धावडे		देवजीपाड़ा	लगड़वाल	डवली बिहिर	गडूतर
13.	डोंगरगांव		धंगाई	मचमाल	डोंडवाड़े	गोटणे
14.	हिसपुर		धवलीविहिर	मौजीपाड़ा	फतेहपुर	हरनमाल
15	होल पीवी		डोमकणि	मोहने	गरटाड़	हेंकलवाड़ी
16.	हुम्बार्डे		हट्टी खेड़ा	पारगांव	हाटेड़	हिंगणे
17.	जाखणे		इसरडे	सेलवारी	जैतपुर	जुनांर
18.	जासने		जयभीम	शेवागे	जालोड	कलखेड़े
19.	कल गांव		जामभूरे	सीतारामपुर	जामनिया पानी	कासविहिर
20.	कल्माडी		जामडा	सुकपुर	जामनिया पाड़ा	कुंडने (वाड़)
21	कमखेडे		जामकी	विरखेल	जयपुर	मोरशेवाड़ी
22.	कमपुर		कठारे	झांझले	जाठोड़	नांदने

1	2	3	4	5	6	7
23.	कंचनपुर		कुरूसवाड़े		जोहिड़े	नरवाल
24.	खार्डे बीके		कुतरमारे		जूनी संगवी	नीमखेड़ी
25.	कुंभारे		महात्मापुर		खाम्बले	पाडलडे
26.	लोहगांव		माहिर		खुरखली	रवमल
27.	म्हालसर		नागसे		लौकी	रावेल
28.	नवादे		नागपुर		मंजरी वर्डी	साद गांव
29.	पार्सोल		नवपाड़ा		मुखेड़	संजोरी
30.	पिंपर खेडा		नीलगावहन		नंदार्डे	सोंडणे
31.	रहीमपुर		पागंड़		नीमझड़ी	सावलडे
32.	रंजाने		पनहालीपड़ा		परशीपड़ा	सावलीटांडा
33.	रेवाडी		तेरेजपुर		पिलेड़े	सयाने
34.	साहपुर		पटाले		पिम्परी	सुकवाड़ पीआर डांगड़ी
35.	सार्वी		खोपड़े		रोहिणी	तामसवाड़ी
36.	सतारे		पिंजरजादी		रूडावली	तीखी
37.	सेनवाडे		रायपुर		समारियापाड़ा	तीस गांव
38.	सोनडाले		रजनीपाड़ा		ताजपुरी	उडाणे
39.	सोनेवाडी		साल्टे		तेम्भे बीके	बजीरखेड़ा
40.	सुराय		सातमणे		उखलवाड़ी	वरखेड़े
41.	टमथाडे		सैयद नगर		उपरपिंड	वडेल
42.	तावरवेड़ा पीएन		सुरपान		वनवाल	
43.	वड्डाडे		तामसवाड़ी		वारझड़ी	
44.	वडली		टेम्भे		बाम्बड़ा	
45.	वाघोड		टिटाणे		वाकपाड़ा	
46.	वायपुर		उम्ब्रांडी			
47.	वालेखेडे		वर्धने			
48.	वडजडी		वार्षस			

1	2	3	4	5	6	7
49.	वास्मड़े		वसंतनगर			
50.	विखुले		वासदारे			
51.	विम्बेल		जिरानी पाड़ा			
52.	वगाड़ी के एच					
53.	जिरवी					
54.	झोटवाड़े					

[अनुवाद]

बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर धावनपट्टी

5362. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास बढ़ते हुए यातायात की मांग को पूरा करने के लिए बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण कार्य पूरा होने तक एक और धावनपट्टी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर धावनपट्टी को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर दिया जाए?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यहां पर एक सिविल एन्क्लेव की देख–भाल का कार्य करता है। इस समय सरकार की बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और धावनपथ विकसित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में अपर सकरी परियोजना

5363. श्री राजो सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अपर सकरी परियोजना सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) उपरी साकरी परियोजना के वास्ते संशोधित परियोजना रिपोर्ट जनवारी, 1998 में बिहार सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञ निदेशालयों की टिप्पणियों की अनुपालना हेतु 6/98 से 7/99 की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को भेजा गया था जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इस परियोजना की स्वीकृति, अन्य बातों के साथ–साथ राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

डाकघर खोलना

5364. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राज्यों में विशेषकर जनजाति और दलित बहुल क्षेत्रों में, नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) देश के प्रत्येक गांव को डाक–संग्रहण और वितरण सेवा प्रदान की गई है। डाकघर खोलना एक मानदंड आधारित क्रियाकलाप है। तीन मानदंड, जिनके आधार पर डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की जाती है, दूरी, जनसंख्या और आय से संबंधित हैं। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य के अनुसार खोले जाते हैं बशर्ते कि योजना लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध रहें। पहाड़ी,

जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का मानदंड यह है कि किसी एक गांव की न्यूनतम आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000 हो। मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए। न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए। वर्ष 2001–2002 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा शेष देश में 440 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 विभागीय उप–डाकघर तथा शेष देश में 46 विभागीय उप–डाकघर खोलने का अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से, संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन जहां औचित्य पाया जाएगा जनजातीय, पहाड़ी, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोले जाएंगे।

दूरभाष कनेक्शनों का बिना बारी आबंटन

5365. **श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाओं पर तैनात सैनिकों को बिना बारी के ही दूरभाष–कनेक्शन आबंटित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्ध–सैनिक बलों के कर्मियों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) श्रम साध्य किस्म की ड्यूटी करने वाले जनसेवकों को बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु पहले से ही दिशानिर्देश उपलब्ध हैं किन्तु उनके नियोक्ताओं द्वारा उनके घरों पर टेलीफोन प्रदान नहीं किए गए हैं। इसमें रक्षा/अर्ध–सैनिक बलों के कार्मिक शामिल हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा किराए में बढ़ोत्तरी

5366. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया ने विभिन्न सेक्टरों पर दी जाने वाली अपनी सेवाओं के किराए में बढ़ोत्तरी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 2001 से ईंधन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, भारत से सम्पूर्ण विश्व के गंतव्य स्थानों के लिए सभी प्रकार के किरायों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इंडियन एयरलाइंस ने अक्तूबर, 1998 से किरायों में कोई वृद्धि नहीं की है।

महाराष्ट्र सरकार की योजना को लागू करने में मदद देने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र

5367. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए. ए. आई.) को इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वह मुंबई में अपने स्वामित्व वाली भूमि पर बसी मलिन–बस्तियों के लिए मलिन बस्ती पुनर्वास योजना कार्यान्वित करने में, महाराष्ट्र सरकार के सुविधार्थ, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार के इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बारे में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी स्लम पुनर्वास प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड के सहयोग से उस भूमि से लगभग 2116 अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई आरम्भ की है जिसकी आवश्यकता टैक्सी ट्रैक के विस्तार के लिए है।

[हिन्दी]

सरिस्का बाघ परियोजना

5368. **डा. जसवंतसिंह यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरिस्का बाघ परियोजना हेतु राजस्थान सरकार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इसे एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे राष्ट्रीय उद्यान में कब तक बदले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सरिस्का बाघ रिजर्व के लिए उपलब्ध की गई धनराशियां इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये)

क्रमांक	स्कीम	1998–99	1999–2000	2000–2001
1.	बाघ परियाजना	58.895	111.94	177.38
2.	पारि–विकास	51.943	15.28	–

(ख) से (घ) सरिस्का बाघ रिजर्व के 273.83 वर्ग किमी. क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में शामिल करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना 1982 में जारी की गई थी।

[अनुवाद]

मुंबई में भूमि का अतिक्रमण

5369. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) की कुल कितनी भूमि अतिक्रमणकर्ताओं के कब्जे में है;

(ख) क्या इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मुंबई स्थित भूमि का व्यवसायीकरण करने जा रही है और इस प्रयोजनार्थ उसने परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल कितनी आय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) मुंबई हवाई अड्डे पर झुग्गी–झोंपड़ी निवासियों ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग 160 एकड़ भूमि पर गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण, और महराष्ट्र सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड के साथ सहयोग से उस भूमि से लगभग 2116 अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई आरंभ की है, जिसकी आवश्यकता टैक्सी–ट्रैक के विस्तार के लिए है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। अतिक्रमण से क्लियर की गई भूमि का उपयोग केवल प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की दर

5370. श्री अमीर आलम :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि न्यासियों ने कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि के अंतर्गत वैधानिक रूप से की जाने वाली बचतों की ब्याज दरों में, वित्त मंत्रालय द्वारा 2001–2002 के बजट में यथाप्रस्तावित 1.5 प्रतिशत की सर्वसामान्यीकृत कमी करने की बजाय 0.75 प्रतिशत की कटौती कर इसे 10.25 प्रतिशत की दर पर निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि न्यासी बोर्ड की विशेष बैठक में भी उच्चतर ब्याज–दर रखने की सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने 23.3.2001 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2001–2002 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के खाते में 10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज जमा करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश अब आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दी गई।

प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन

5371. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बदले जा सकने वाले साइलेन्सरों का प्रयोग एल. पी. जी. प्रणाली की वाहन ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हेतु मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संशोधन को अंतिम रूप से कब तक तय किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) मोटर गाड़ियों के लिए एल. पी. जी. सहित पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग की अनुमति देने के लिए अगस्त, 2000 में मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया गया है। एल. पी. जी. के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देशों को शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है। परिवर्तनीय एल. पी. जी. गैस सिलेण्डर के उपयोग के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

रेल परियोजना को मंजूरी

5372. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली–राजहरा–राजघाट–जगदलपुर के बीच 235 किमी. लंबे रेलमार्ग के निर्माणार्थ पर्यावरणीय मंजूरी देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं। पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत रेलवे परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत दिल्ली–राजहरा–रोवघाट–जगदलपुर के बीच रेलमार्ग के निर्माण हेतु 259.54 हैक्टेयर वन भूमि के प्रयोग के लिए एक प्रस्ताव भिजवाया था। इस प्रस्ताव को 3.8.1999 को गुणागुण के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिमिलीपाल आरक्षी वनक्षेत्र

5373. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिमिलीपाल के आरक्षी वनक्षेत्र–सह–राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य में किस–किस तरह की प्राणि और वानस्पतिक संपदा पाई जाती है;

(ख) क्या इनका समुचित रूप से पंजीयन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिमिलीपाल आरक्षी वनक्षेत्र के परिरक्षण, संरक्षण और वैज्ञानिक संवर्धन के लिए जो योजनाएं तथा प्रावधान तैयार किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) सिमिलीपाल बाघ रिजर्व की महत्वपूर्ण वनस्पति एवं प्राणि संपदा की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) "वनस्पति एवं प्राणि संपदा" के पंजीकरण की कोई प्रणाली नहीं है तथापि इन्हें प्रबंधन योजना और परियोजना स्थिति रिपोर्ट में प्रलेखबद्ध किया गया है।

(ग) सिमिलीपाल बाघ रिजर्व के परिरक्षण, सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टि से विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस–पास पारि–विकास जिनमें बाघ रिजर्व भी शामिल हैं, कार्यान्वित की जा रही है। नौवीं योजना के दौरान बंटित की गई धनराशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपये)

स्कीम	1997–98 में दी गई राशि	1998–99 में दी गई राशि	1999–2000 में दी गई राशि	2000–2001 में दी गई राशि
बाघ परियोजना	49.30	67.65	84.45	83.31
पारि–विकास	25.625	–	–	35.0

विवरण

सिमिलीपाल बाघ रिजर्व से रजिस्टर्ड महत्वपूर्ण वनस्पति एवं प्राणिजातों में मुख्यतया 1076 पौध प्रजातियां शामिल हैं जिनमें

से 92 प्रजातियां आर्किड की हैं जो उत्तर एवं दक्षिण भारत के आर्किडों के समान हैं। पुष्पीय पौधों की 7 प्रतिशत भारतीय प्रजातियां और 8 प्रतिशत भारत के आर्किड सिमिलीपाल में पाए जाते हैं। कुछ महत्वूपर्ण वृक्ष प्रजातियां ये हैं : शोरिया रोबुस्टा, टर्मिनेलिया प्रजाति, पटेरोकार्पस मारसूपियम, एनोजिसस लेटिफोलिया, चेलीछेरिया ओलियोसा, एडिना कोर्डिफोलिया, टूना क्लियारा (दुर्लभ), मिचिलिया चंपाका, मेंगिफेरा इंडिका, बम्बाक्स सीबा, केरिया आरबोरिया, डिलेनिया पेंटग्याना, जमेलिना आरबोरिया, गोरगा पिनाटा, अल्मनिया कोरोमंडेलिका, सिजियम कुमिनी, स्टरकुलिया यूरेन्स, बोसबेलिया सिराटा, डलबर्जिया लेटिफोलिया, क्लेस्टेंथस कोलिनस, गार्डेनिया गुमीफेरा, जी. लेटिफोलिया, जी. टरगिडी, इरेथ्रिना सवेरोसा, कोछलोस्पेरमम गोसिपियम, हेलिक्टेरस इसोरा तथा निक्टेंथेस आरबोट्रिस्टिस। आमतौर पर पाए जाने वाले आर्किड एकेंपी, बुलबोफेलम, सिम्बिडियम, लियाप्रिस तथा वांडा वंश के हैं। सामान्य घासें इम्पेराटा सिलिड्रिका, थेमेडा गिगियांटिया तथा सचारम स्पोंटेनेयम हैं।

मुख्य प्राणि संपदा में बड़े स्तनपाइयों की 42 प्रजातियां, पक्षियों की 242 प्रजातियां तथा सरीसृपों की 30 प्रजातियों को रिजर्व में अब तक दर्ज किया गया है। भारतीय जांच सूची में से सिमिलीपाल में 7 प्रतिशत सरीसृप, 20 प्रतिशत पक्षी तथा 11 प्रतिशत स्तनपाई हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्तनपाई ये हैं : श्यामल रूपों सहित बाघ (पैंथरा टाइग्रिस), चीता (पैंथेरा पारडस), हाथी (एलीफस मैक्सिमस), सांबर (सरवस यूनिकलर), वार्किंग हिरण (मुन्टियाकस मुन्टजाक), बिसन (बोस गौरस), जंगल बिली (फैलिस चौस), जंगली भालू (सस स्कोरफिया), बड़ी गिलहरी (राटुफा इंडिका) तथा सामान्य लंगूर (प्रिसबेटिस एन्टेलस) हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर कार्य

5374. श्री सुनील खां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर से पानागढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के कार्य को, परक्राम्यता-आधार पर निजी कंपनियों को सौंप देने का विचार है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस कार्य को सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी, जैसे-एच. एस. सी. एल. की दुर्गापुर इकाई को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खण्डूड़ी) : (क) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर से पानागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर चार लेन बनाने का कार्य संयुक्त उद्यम मै. बी एस, सी-आर. बी. एम-पी ए. टी. आई. (जे. वी.) को आबंटित किया गया है। यह कार्य पूरा होने वाला है। इस खंड पर किसी कार्य के उप आबंटन का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में आप्टिकल फाइबर पर आधारित दूरभाष केन्द्र

5375. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय आप्टिकल फाइबर प्रणाली पर चल रहे दूरभाष-केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार, 2001-2002 के दौरान कुछ और केन्द्रों को आप्टिकल फाइबर के जरिए आधुनिक तैयार संयोजन उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आंध्र प्रदेश में 1959 एक्सचेंज आप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं।

(ख) जी हां, मार्च, 2000 तक शेष 117 एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर अथवा रेडियो से जोड़े जाने की योजना है।

(ग) मार्च, 2002 तक शेष एक्सचेंजों (प्रस्तावित नए एक्सचेंजों सहित) को विश्वसनीय माध्यम प्रदान करने की योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। ओ. एफ. सी. माध्यम के अलावा विश्वसनीय माध्यम पर कार्यरत मौजूदा एक्सचेंजों को ओ. एफ. सी. प्रदान की जाएगी बशर्ते कि ऐसा करना औचित्यपूर्ण हो तथा इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों।

31.3.2001 के अनुसार स्थिति निम्नानुसार है :

आप्टिकल फाइबर मीडिया युक्त एक्सचेंज	1959
रेडियो मीडिया युक्त एक्सचेंज	656
अन्य विश्वसनीय मीडिया युक्त एक्सचेंज	17
अविश्वसनीय मीडिया युक्त एक्सचेंज	117
कुल एक्सचेंज	2759

एस. टी. डी./सार्वजनिक दूरभाष बूथ आपरेटरों को किओस्क उपलब्ध कराना

5376. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का विचार, एस.टी.डी./सार्वजनिक दूरभाष बूथों के आपरेटरों को किओस्क उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बी. एस. एन. एल. का इन आपरेटरों को अन्य और कौन–कौन से प्रोत्साहन देने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एस. टी. डी., पी. सी. ओ. प्रचालक को पी. सी. ओ. को इंटरनेट ढाबा/पब्लिक टेली इन्फो सेंटर के रूप में अपग्रेड करने की अनुमति दी जाती है। ग्रामीण ब्लाक मुख्यालय के लिए सभी इंटरनेट ढाबों को निशुल्क असीमित इंटरनेट एक्सेस और साथ ही टेलीफोन नेटवर्क एक्सेस प्रभारों का 25 प्रतिशत कमीशन के रूप में दिया जाता है।

दूरभाष केन्द्र

5377. **श्री जार्ज ईडन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम जिले में विभिन्न दूरभाष–केन्द्रों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। केरल दूरसंचार सर्किल ने एर्नाकुलम जिले में नए एक्सचेंज खोलने/67 स्थानों पर मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता लगभग 1.4 लाख लाइनों तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड मुख्यालय में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और यथा समय इस संबंध में अनुमति दे दी जाएगी।

समुद्रतटवर्ती राजमार्गों के निर्माण के लिए सहायता

5378. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अंतर्गत आने वाले संबंधित क्षेत्रों में समुद्रवर्ती राजमार्गों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों की अवधि में ऐसी सहायता महाराष्ट्र को भी उपलब्ध कराई गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) यह मंत्रालय मुख्य रूप से समुद्रवर्ती राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विभिन्न समग्र रूप से निधियां आबंटित की जाती हैं। इनमें समुद्रवर्ती राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित निधियां भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आबंटन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

राशि लाख रु.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4879.82	5707.87	11188.26
2.	असम	2661.10	4239.32	5253.64

1	2	3	4	5
3.	बिहार	3417.35	6117.52	6927.56
4.	चंडीगढ़	82.00	100.00	144.00
5.	छत्तीसगढ़	–	–	1227.80
6.	दिल्ली	1400.00	700.00	483.00
7.	गोवा	1100.00	1700.02	2300.00
8.	गुजरात	6628.54	8851.90	9099.97
9.	हरियाणा	7588.50	10000.00	10100.00
10.	हिमाचल प्रदेश	2500.00	4000.00	4415.00
11.	जम्मू–कश्मीर	100.00	100.00	250.00
12.	झारखंड	–	–	2200.00
13.	कर्नाटक	3709.01	6113.84	8104.00
14.	केरल	7080.16	12837.07	8978.03
15.	मध्य प्रदेश	8247.73	12334.80	13472.11
16.	महाराष्ट्र	11382.93	17808.08	21236.20
17.	मणिपुर	700.30	1014.15	851.31
18.	मेघालय	1060.50	1785.28	1708.34
19.	मिजोरम	0.00	300.00	1000.00
20.	नागालैंड	200.00	800.00	1500.00
21	उड़ीसा	9726.82	9228.02	10046.89
22.	पांडिचेरी	100.81	319.46	200.00
23.	पंजाब	7148.88	5300.10	5365.00
24.	राजस्थान	4605.81	5214.02	8720.00
25.	तमिलनाडु	3921.37	6754.08	10342.21
26.	त्रिपुरा	0.00	50.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	12649.35	12647.45	14949.76
28.	उत्तरांचल	–	–	199.35
29	पश्चिम बंगाल	10150.94	8818.02	12800.00

कोलार स्वर्ण खानों को विद्युत की आपूर्ति

5379. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री तिरूनावकरसू :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड" ने कर्नाटक विद्युत निगम को कोलार स्वर्ण खानों तथा कोलार के अभ्यास के नगर क्षेत्र (टाउनशिप) में विद्युत की आपूर्ति बंद कर देने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राजकोष को कितना घाटा होने का अनुमान है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (के. पी. टी. सी. एल.) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी. जी. एम. एल.) को 25 हर्टज और 50 हर्टज बिजली की आपूर्ति करता है। इसमें 25 बिजली का उपयोग खानों और संयंत्रों को चलाने के लिए किया गया है। 50 हर्टज बिजली कोलार गाल्ड फील्ड्स के आस–पास टाउनशिप के लिए उपलब्ध की गई है। बी. जी. एम. एल. ने के. पी. टी. सी. एल. से दिनांक 1.4.2001 से मात्र 25 हर्टज बिजली की आपूर्ति रोकने का अनुरोध किया था क्योंकि बी. जी. एम. एल. को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत बंद किए जाने की अनुमति दे दी गई है। इस प्रकार 50 हर्टज बिजली की आपूर्ति अप्रभावित है।

(ग) जी, नहीं। राजकोष को कोई हानि नहीं हुई है।

सीमा-शुल्क में कमी

5380. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामजी मांझी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमिगत केबलों के विनिर्माणार्थ प्रयुक्त होने वाले कच्चे, माल के आयात पर से सीमा शुल्क को कम कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग ने इस कटौती का पूरा लाभ नहीं उठाया और विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यकता से अधिक राशि के भुगतान किए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(च) जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। सरकार ने पी. आई. जे. एफ. भूमिगत केबल विनिर्माण के लिए कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की थी।

(ख) दूरसंचार विभाग ने गत चार वर्षों के दौरान सीमा शुल्क में कटौती का पूरा लाभ लिया है और विनिर्माताओं/सप्लायरों को किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टूर-पैकेजों के लिए विमान-किरायों में कमी

5381. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भ्रमण के विमान–किराए की अपेक्षा, विदेश–यात्रा के टूर–पैकेजों के विमान–किराए कहीं कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से विमान–किराए में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) किसी देश में यात्रा करने संबंधी सभी किरायों का निर्धारण उस क्षेत्र में प्रचालन करने वाली सभी विमानकंपनियों द्वारा मतैक्य रूप से सम्मेलन समन्वित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा परिवहन एसोसिएशन (आयटा) के अनुसार किया जाता है। टूर पैकेजों के लिए किराए की सहमति विपणन संभाव्यता के साथ–साथ उस देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर होती है और इस तरह कुछेक मामलों में भारतीयों के लिए यह किराया दूसरे देशों में यात्रा के लिए अपेक्षाकृत कम है जबकि कुछेक मामलों में यह किराया पर्यटकों के लिए भारत में आने और घूमने की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम है।

घरेलू विमान किरायों का विनियमन नहीं किया जाता है। जबकि विमानकंपनियां अपने किरायों का समायोजन समय–समय पर बाजार के रुख को देखकर करती हैं।

[अनुवाद]

एल्युमिनियम का आयात

5382. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय एल्युमिनियम का वार्षिक उत्पादन अनुमानतः कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक, एल्युमिनियम के आयात/निर्यात के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'बालको' के बंद होने के कारण अगले तीन या चार महीनों में भारत के एल्युमिनियम–आयात में वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एल्युमिनियम के आयात में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान एल्युमिनियम का उत्पादन निम्नवत रहा :

वर्ष	उत्पादन
1998–99	541459
1999–2000	619741
2000–2001	642844 (अनन्तिम)

(ख) वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान आयातित/निर्यातित एल्युमिनियम के आंकड़े निम्नवत हैं :

वर्ष	एल्युमिनियम का आयात (हजार टन में)	एल्युमिनियम का निर्यात (हजार टन में)
1997–98	70	82
1998–99	95	75
1999–2000	80	120

एल्युमिनियम के मुख्य निर्यातक नालको ने वर्ष 2000–2001 के दौरान 118,869 टन एल्युमीनियम का निर्यात किया।

(ग) से (ङ) भारत सरकार की निर्यात–आयात नीति के अनुसार, एल्युमिनियम धातु के आयात/निर्यात को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के तहत रखा गया है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) में उत्पादन घाटे को देखते हुए कोई नए कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाएं

5383. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित लक्षित विकास योजनाएं अब तक पूरी नहीं की जा सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है;

(ग) इस खराब कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास कार्य को तेज करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं। विकास स्कीमों के लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के लिए जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार कार्यों के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं

वर्ष	निर्माण (किमी.)		सतह बनाना (किमी.)		बड़े पुल (मी.)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1998–99	–	–	50.00	58.10	15.00	–
1999–2000	–	–	31.06	41.52	7.09	9.00
2000–2001	17.30	18.30	55.55	56.62	40.00	40.00

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा निर्माण कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। वर्ष 2001–02 की वार्षिक योजना में बिहार राज्य के लिए 83.50 करोड़ रुपये सहित 3051.47 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रावधान है।

[अनुवाद]

हुमान और गोसीखुर्द सिंचाई परियोजनाएं

5384. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र की हुमान और गोसीखुर्द सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत हुमान नदी सिंचाई परियोजना के संशोधित प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन निर्णय को लंबित रखा गया था क्योंकि परियोजना प्राधिकारी/राज्य सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी लेने के लिए संशोधित प्रस्ताव नहीं भिजवाया था।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 19.2.1988 को गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। कनाल के पुनः संरेखण के तकनीकी कारणों के कारण राज्य सरकार ने 0.10 किमी. और 11–25 किमी. के कनाल सेगमेंट के लिए दो संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। मंत्रालय ने दोनों संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

विमानन सुरक्षा हेतु यूरोपीय संघ के साथ समझौता

5385. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ–भारत नागर विमानन सहयोग परियोजना के अंतर्गत संयुक्त रूप से 140 करोड़ रुपये खर्च करने हेतु सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन क्षेत्रों में उक्त धनराशि के खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के नागर विमानन क्षेत्र पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ लगभग 32 मिलियन यूरो के कुल व्यय वाली एक संयुक्त नागर विमानन परियोजना के संबंध में हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस परियोजना में नागर विमानन के विभिन्न पहलुओं यथा विमानन संरक्षा, विमानकंपनी प्रबंधन, हवाई यातायात प्रबंधन, हवाई अड्डा कार्यकलाप, पायलेट/अनुदेशकों का प्रशिक्षण, एयरलाइन उद्योग में उत्पाद सहायता एवं अनुरक्षण आदि के संबंध में कार्यशालाएं, सेमिनार और पाठ्यक्रम संचालित करने की परिकल्पना है। इस परियोजना से उड़ान योग्यता, संरक्षा विनियमों और मानकों सहित यूरोपीय संघ उद्योग की संक्रियाओं के संबंध में भारतीय नागर विमानन उद्योग की जागरूकता में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र में विमानन संरक्षा संबंधी सुरक्षोपाय मानकों में सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से इस सेक्टर में भारतीय विमान कंपनियों के विकास में सहायता मिलेगी जिससे हवाई अड्डों के प्रबंधन के विकास, आधुनिक उत्पाद सहायता, अनुरक्षण एवं ओवरहाल तकनीकी तथा वाणिज्यिक पायलेट प्रशिक्षण के संबंध में सहायता करके आंशिक रूप में पूर्ति किए जाने वाली पूरी वृद्धि संभाव्यता में सहायता मिल सकेगी।

[हिन्दी]

सड़क निर्माण पर खर्च का आकलन

5386. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क निर्माण पर होने वाले व्यय के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन वाली सड़कों की प्रति किलोमीटर लंबाई पर कितना अनुमानित व्यय हुआ;

(ग) क्या उक्त व्यय विभिन्न परिस्थितियों में एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग–अलग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) सरकार ने अनुमान लगाया है कि विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की खामियों को दूर करने और उनके उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एन. एच. डी. पी.) हेतु 54.000 करोड़ रुपये सहित 1,65,000 करोड़ रुपये के चरणबद्ध रूप में निवेश की आवश्यकता होगी।

(ख) निर्माण की लागत क्षेत्रीय यातायात, मृदा की किस्म, पुलियों/पुल विनिर्देशों की सीमा आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। 2–लेन, 4–लेन और 6–लेन की सड़क की प्रति किमी. अनुमानित लागत क्रमशः 1.25 करोड़, 4 करोड़ और 5.5 करोड़ रुपये हो सकती है।

(ग) जी हां।

(घ) भाग (ख) में किए गए उल्लेख के अनुसार।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाना

5387. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **सड़क परिवहन** और **राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख पत्तनों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने हेतु कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनका व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात में सड़क नेटवर्क से जोड़े जाने वाले पत्तनों के नाम क्या हैं; और

(घ) सौंपे गए/सौंपे जा रहे परामर्शदात्री कार्य का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आगे की समय–सारणी क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) सरकार ने महापत्तनों अर्थात् कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुरगांव, नव मंगलूर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई और इन्नौर, विशाखापत्तनम, हल्दिया और कलकत्ता तक सड़क मार्ग विकसित करने की योजना बनाई है। विकास के लिए अभिज्ञात किए गए सड़क मार्गों में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और राज्यीय सड़कें भी शामिल हैं। इन खंडों का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) हल्दिया, विशाखापत्तनम, चेन्नई, इन्नौर, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पत्तनों के लिए साध्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। कांडला और मुरगांव पत्तनों तक सड़क संपर्क मार्ग के सुधार का निर्माण कार्य चल रहा है। शेष पत्तनों के लिए साध्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) गुजरात में कांडला पत्तन तक सड़क संपर्क मार्ग का सुधार रा.रा. 8क के समखियाली–गांधीधाम खंड पर चार लेन बनाकर किया जा रहा है।

(घ) सभी महापत्तनों के लिए साध्यता अध्ययनों और उपयुक्त सड़क संपर्क मार्गों के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरी के परामर्श कार्य सौंप दिए गए हैं।

विवरण

पत्तनों को जाड़ने वाले मार्गों की परियोजनाएं

क्र.सं.	पत्तन	संभावित खंड	लंबाई किमी. में
1	2	3	4
1.	कलकत्ता	रा.रा. 34 (बारासात बाइपास से कमलगाजी और जोका होते हुए कलकत्ता गोदी तक)	60
2.	हल्दिया	रा.रा. 41 (रा.रा.–6 पर कोलाघाट से हल्दिया तक)	55
3.	पारादीप	रा.रा.–5क/राज्यीय रा–12 (0 किमी. से 74 किमी. तक)	74
4.	विशाखापत्तनम	राज्यीय सड़क	2
5.	चेन्नई और इन्नौर	चेन्नई–इन्नौर एक्सप्रैस मार्ग	6
6.	तूतीकोरिन	रा.रा.–7क (तूतीकोरिन–तिरूनेलवल्ली खंड)	51
7.	कोचीन	रा.रा.–47 (348/382 किमी. से 358/300 किमी. तक जिसमें 5 पुल शामिल हैं)	10
		रा.रा.–47क (समस्त खंड)	8
8.	मंगलूर	रा.रा.–17 (कासरगोडू–मंगलूर–उडूपी खंड) और रा.रा.–48 (मंगलूर–बेतवाल खंड)	60

1	2	3	4
9.	मुरगांव	रा.रा.–17ख (पत्तन से रा.रा.–17 पर वर्ना जंक्शन)	18
10.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन	रा.रा.–4ख (समस्त खंड)	26
		राज्यीय राजमार्ग–54 (5/000किमी. से 13/000 किमी. तक)	8
		आम्रा मार्ग	6
11.	मुबई	रा.रा.–3/रा.रा.–4	30
12.	कांडला	रा.रा.–8क समखियाली–गांधीधाम	56

वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्रदाताओं हेतु राजस्व भागीदारी

5388. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी–सेट) सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व में समान भागीदारी का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्तमान में कितने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने त्रिस्तरीय लाइसेंस शुल्क प्रणाली की सिफारिश की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम फैसला लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वी. एस. ए. टी. को इस्तेमाल करते हुए इनसेट उपग्रह प्रणाली के माध्यम से 64 के. बी. पी. एस. क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सी. यू. जी.) डाटा नेटवर्क के लिए लाइसेंस शुल्क का वर्तमान ढांचा प्रति वी. एस. ए. टी. प्रति वर्ष 50,000/– रुपये है, परन्तु इसका न्यूनतम शुल्क ढांचा इस प्रकार होगा :

i) प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये

ii) तीसरे वर्ष के लिए प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपये

iii) चौथे और पांचवें वर्ष के लिए प्रति वर्ष 75 लाख रुपये

iv) छठे वर्ष के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये।

(घ) बेसिक रेट बियरर सर्विस यथा 64 के. बी. पी. एस. के लिए टी. आर. ए. आई. द्वारा संस्तुत वी. ए. एस. टी. सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क का ढांचा इस प्रकार है

1 से 500 वी. एस. ए. टी. के लिए प्रति वी. एस. ए. टी. प्रति वर्ष 20,000/–रुपये परन्तु प्रति वर्ष न्यूनतम 30 लाख रुपये

501 से 1000 वी. एस. ए. टी. के लिए प्रति वी. एस. ए. टी. प्रति वर्ष 15,000/– रुपये परन्तु वर्ष न्यूनतम 100 लाख रुपये

1000 से अधिक वी. एस. ए. टी. के लिए प्रति वी. एस. ए. टी. प्रति वर्ष 10,000 रुपये परन्तु प्रति वर्ष न्यूनतम 150 लाख रुपये

30 लाख रुपये की राशि, जो निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस शुल्क है, प्रवेश शुल्क का भी उद्देश्य पूरा करती है।

टी. आर. ए. आई. ने यह भी सिफारिश की है कि सी. यू. जी. से बेसिक (64 के. बी. पी. एस.) बियरर सर्विस से अधिक के लिए प्रति वी. एस. ए. टी. अधिभार के तौर पर निम्नलिखित अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क लिया जाए;

i) 64 के. बी. पी. एस. से अधिक परन्तु 128 के. बी. पी. एस. तक 10,000 रुपये

ii) 128 के. बी. पी. एस. से अधिक परन्तु 384 के. बी. पी. एस. तक 20,000 रुपये

iii) 384 के. बी. पी. एस. से अधिक परन्तु 512 के. बी. पी. एस. तक 50,000 रुपये

टी. आर. ए. आई. ने सिफारिश की है कि (i) प्रवृत्त ऑरबिट ऑपरेशन के लिए प्रति वी. एस. ए. टी. लाइसेंस शुल्क पर 25 प्रतिशत की छूट तथा (ii) 'रिसीव ओनली' टर्मिनल के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं।

(ङ) वी. एस. ए. टी. सेवाओं के लिए नए दिशा–निर्देश, शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है।

वन अधिकारियों को प्रशिक्षण

5389. श्री विजय गोयल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को वन अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक से धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षण किन क्षेत्रों में दिया जाएगा और गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा वित्तपोषित चालू परियोजनाएं

5390. डा. बलिराम :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा विभिन्न राज्यों में आज की तारीख के अनुसार राज्यवार वित्तपोषित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख के अनुसार इनमें से प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत अनुमानित लागत, जारी धनराशि, और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सड़क कोष (सी. आर. एफ.) द्वारा वित्त पोषित चालू कार्यों और स्वीकृत की गई लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। पुराने और नए सी. आर. एफ. दोनों के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों के ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं। केन्द्रीय सड़क कोष गैर व्यपगत है और राज्य सरकारों द्वारा निधियों का उपयोग स्वीकृत कार्यों के लिए किया जाता है।

(ग) कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और ये कार्य अगले दो वर्षों में पूरे होने की संभावना है।

विवरण-I

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पूर्व सीआरए के अनुसार चल रहे कार्य		सीआरएफ अधिनियम, 2000 के तहत स्वीकृत किए गए कार्य	
		संख्या	स्वीकृत लागत	संख्या	स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16	43.36	57	238.44

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1.18	–	–
3.	असम	8	2.42	22	29.85
4.	बिहार	3	9.08	29	51.00
5.	छत्तीसगढ़	–	–	16	67.50
6.	गुजरात	13	10.49	71	46.19
7.	हरियाणा	3	1.75	3	5.20
8.	जम्मू–कश्मीर	–	–	12	33.90
9.	झारखंड	–	–	5	26.75
10.	कर्नाटक	8	8.74	32	45.72
11.	केरल	9	19.99	–	–
12.	मध्य प्रदेश	4	2.88	29	141.63
13.	महाराष्ट्र	36	42.09	27	108.81
14.	मणिपुर	1	0.46	3	3.96
15.	मेघालय	2	2.91	6	7.70
16.	मिजोरम	1	0.28	1	3.02
17.	नागालैंड	3	0.47	6	5.34
18.	उड़ीसा	5	16.87	–	–
19.	पांडिचेरी	1	1.05	–	–
20.	राजस्थान	9	7.39	37	53.53
21.	सिक्किम	–	–	8	1.91
22.	तमिलनाडु	5	4.29	255	156
23.	त्रिपुरा	1	1.40	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	2	11.69
25.	उत्तरांचल	–	–	11	10.92
26.	पश्चिम बंगाल	5	20.15	–	–

विवरण-II

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुराना सी.आर.एफ. 1998–99	1999–2000	2000–2001	नया सी.आर.एफ. 2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.6131	2.239	1000.00	2720.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.7889	0.00	371.00
3.	असम	0.3443	0.2652	0.00	503.00
4.	बिहार*	0.0231	0	0.00	856.00
5.	छत्तीसगढ़**			0.00	768.00
6.	गोवा	0.0209	0	0.00	131.00
7.	गुजरात	6.1391	3.0499	0.00	2336.00
8.	हरियाणा	0.3312	0	0.00	1047.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.0649	0	0.00	348.00
10.	जम्मू–कश्मीर	0.0152	0	0.00	1028.00
11.	झारखंड*			0.00	607.00
12.	कर्नाटक	2.4567	0.1601	232.50	1917.00
13.	केरल	1.8704	0.1219	0.00	923.00
14.	मध्य प्रदेश	0.2527	2.8702	0.00	2084.00
15.	महाराष्ट्र	0.158	9.6114	0.00	3627.00
16.	मणिपुर	0.0311	0.2624	0.00	111.00
17	मेघालय	0.5526	0.0811	0.00	149.00
18.	मिजोरम	0.0532	0.0394	0.00	202.00
19.	नागालैंड	0.3217	0.0492	0.00	85.00
20.	उड़ीसा	1.5575	0.1614	0.00	970.00
21	पंजाब	1.9281	0.1256	0.00	1433.00
22.	राजस्थान	1.2746	1.3802	128.25	2527.00
23.	सिक्किम	0	0.1456	1.97	37.00

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	4.0139	1.3054	0.00	2234.00
25.	त्रिपुरा	0.1939	0.0394	3.44	64.00
26.	उत्तरांचल***			0.00	367.00
27.	उत्तर प्रदेश***	2.8521	2.6427	256.01	2932.00
28.	पश्चिम बंगाल	1.3217	0.951	87.95	1191.00
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान निकोबर द्वीपसमूह	0.0022	0	0.00	58.33
30.	चंडीगढ़	0.5977	0	0.00	101.00
31.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0.1315	0.00	40.67
32.	दमन एवं दीव	0	0.0777	0.00	30.00
33.	दिल्ली	0.2625	0	0.00	1068.34
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	2.33
35.	पांडिचेरी	0	0	0.00	73.00
	जोड़	29.2524	26.4992	1710.12	32941.67

* 1999-2000 तक, बिहार में झारखंड भी शामिल है।

** 1999-2000 तक, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल है।

***1999-2000 तक, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल भी शामिल है।

[अनुवाद]

गुजरात में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

5391. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात में देश का सबसे लंबा समुद्र तट है और सभी राज्यों के नजदीक होने के कारण राज्य से गुजरने वाला यातायात तेजी से बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार पत्तनों को जाने वाले कुछ मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने हेतु कुछ अतिरिक्त अनुदान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने कांडला पत्तन (गुजरात) सहित देश में महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क विकसित करने की योजना बनाई है।

(ग) रा.रा.-8क के समखियाली-गांधीधाम खंड को चार लेन का बनाकर गुजरात में कांडला पत्तन के लिए सड़क संपर्क का सुधार किया जा रहा है।

उड़ीसा में खनन उद्योग का विकास

5392. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा में खनन उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा से निर्यात किए गए खनिजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार ने इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी आय अर्जित की?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य सहित, भारत में खनन क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा की थी। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को जनवरी, 1994 में और उसके बाद दिसम्बर, 1999 में संशोधित किया गया था तथा उसके बाद, सांविधिक ढांचे को निवेशक–अनुकूल तथा बाधा–मुक्त बनाने के लिए अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किए गए। इसी प्रकार, निजी निवेश को प्रोत्साहन देने संबंधी नीति को पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर उदारीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) खनिजों की निर्यात संबंधी सूचना तथा उस पर अर्जित आय का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता।

[हिन्दी]

कृतिक बल

5393. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) ऐसे सर्किलों में कार्यदल टीम स्थापित की गई थीं जिनमें बड़ी संख्या में गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। कार्यदल टीम का उद्देश्य कवर न किए गए शेष गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की योजना बनाने तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की गई प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखना है।

जंगलों में आग

5394. श्री जय प्रकाश : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार जंगलों में आग लगने की कितनी घटनाएं घटीं और कितना अनुमानित घाटा हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा जंगलों को आग से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वन संसाधनों के फील्ड स्तर पर प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। दावानल संबंधी घटनाओं को भारत सरकार के स्तर पर रिकार्ड तथा संकलित नहीं किया जाता। तथापि, भारत सरकार ने उपग्रह बिंबों तथा भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए कार्य के आधार पर दावानलों से हुए नुकसान का अनुमान लगाया है। देश में प्रतिवर्ष दावानल से लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होता है जिससे लगभग 440 करोड़ रुपये की हानि होती है।

(ख) केन्द्र सरकार राज्यों को शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ 8वीं योजना से एक योजना स्कीम "दावानल नियंत्रण एव प्रबंधन" क्रियान्वित कर रही है। स्थिति का 1999 में पुनरीक्षण किया गया था तथा आग सम्भावित क्षेत्रों की पहचान के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता देने के विचार से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इस योजना में आग निवारण एवं नियंत्रण के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सहायता देना, दावानलों की मानीटरिंग तथा हानि का अनुमान लगाने के लिए नवीनतम उपग्रह दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकी की सहायता लेना, आग संबंधी खतरे की रेटिंग प्रणालियां तैयार करना तथा अन्य पारम्परिक विधियों का प्रयोग करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण कानूनों में संशोधन

5395. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ पर्यावरणीय कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने औद्योगिक, परिवहन तथा अन्य आर्थिक

गतिविधियों और सेवाओं में बढ़ोत्तरी को देखते हुए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की प्रभावोत्पादकता बढाए जाने संबंधी विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया शुरू की है।

सेल्यूलर सेवा

5396. श्री परसुराम माझी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उडीसा के कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार आधारित सेल्यूलर सेवा प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रथम चरण में जिला मुख्यालयों में जी. एस. एम. मोबाइल सेवा शुरू की जानी है। क्षेत्र में जिन जिला मुख्यालयों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है वे निम्नलिखित हैं :

भवानीपटना (कालाहांडी जिला)	– 1000 लाइनें
बोलनगीर	– 1000 लाइनें
कोरापुट	– 1000 लाइनें

क्षेत्र में द्वितीय चरण में जिन अतिरिक्त कस्बों को कवर किया जाएगा, वे निम्नलिखित हैं :

अविभाजित कोरापुट जिले के नवरंगपुर, जयपुर, बोरीगुमा, कोटपैड, कालाहांडी जिले के जूनागढ़ और केसिंगा।

पुराने विमानों को मालवाहक विमानों में बदलना

5397. श्री चिंतामन वनगा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने पुराने हो चुके ए–300 एस. और बी–737–200 एस. को मालवाहक विमान में बदलने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह काम किसी एजेंसी को आबंटित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अनुमानतः कितनी धनराशि लगेगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जल संसाधनों की उपलब्धता

5398. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जल संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 1993 में किए गए आक़लन के अनुसार, भारत की नदी प्रणालियों में लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी. सी. एम.) औसम वार्षिक जल प्रवाह है इसमें से 1122 बी. सी. एम. जल उपयोग करने योग्य है। जिसमें लगभग 690 बी. सी. एम. सतही जल और 432 बी. सी. एम. पुनर्भरणीय भूजल शामिल है।

असम में सड़कों का पुनर्निर्माण

5399. श्री अब्दुल हमीद : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में कर्बला (गोलपाड़ा) से खलीशरविटा होते हुए तिकरी–किल्लाह तक, अगिता से मेधीपाथर और निदानपुर से फकीरगंज तक सड़कों की बुरी हालत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने असम में इन सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण हेतु कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है। असम में कर्बला (गोलपाड़ा) से खलीशरविटा होते हुए सिकरी किल्लाह, अगिता से मेधीपाथर और निदानपुर से फकीरगंज मार्ग राष्ट्रीय रजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्ष

5400. श्री रघुनाथ झा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर दिल्ली से करनाल और दिल्ली से आगरा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–1 और संख्या–2 के दोनों और कोई वृक्ष नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–1 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 के बराबर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) देश में कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्ष हैं, हालांकि प्रत्येक खंड में वृक्षों की संख्या अलग–अलग है। इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से उन खंडों में कम है जहां हाल में चार लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग–1 और राष्ट्रीय राजमार्ग–2 भी शामिल हैं जहां 4 लेन बनाई गई हैं। हाल में चार लेन बनाए जाने वाले खंडों में इनकी पूर्ति करने के लिए और वृक्ष लगाए जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के दिल्ली से आगरा तक के खंड को हाल में विकसित किया है और बीच की विभाजिका में झाड़ियां उगाई गई हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग–1 के खंड का इस समय विकास किया जा रहा है और बीच की विभाजिका में पर्याप्त झाड़ियां उगाई जाएंगी।

अप्रयुक्त वर्षा जल

5401. श्री के. येरननायडू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष समुद्र में बह जाने वाले अप्रयुक्त वर्षा जल का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में जल संसाधनों के सतत् विकास हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) भारत में वार्षिक रूप से औसतन 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी. सी. एम.) वर्षा होती है जिसमें हिम–गलन भी शामिल है। इनमें से, मानसून के दौरान 3,000 बी. सी. एम. वर्षा होती है। वर्ष 1993 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार, देश की नदी प्रणालियों में जल का औसतन वार्षिक प्रवाह 1869 बी. सी. एम. आंका गया है। राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जल उपयोग के लिए भंडारणों के निर्माण सहित जल संसाधन विकास संबंधी कार्य प्रारम्भ किए जाते हैं। वर्ष 1995 तक, देश में बड़े बांधों के निर्माण के जरिए 177 बी. सी. एम. सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 75 बी. सी. एम. की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 132 बी. सी. एम. क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाएं योजनाधीन हैं। इन भंडारणों तथा अन्य लघु सिंचाई स्कीमों की सहायता से देश में 139.9 मि. हेक्टे. की चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में आठवीं योजना के अंत तक 90 मि. हेक्टे. (मि. हेक्टे.) सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

दीर्घावधि उपाय के रूप में, जल संसाधनों के निरन्तर विकास के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की गई है जिसने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के हस्तांतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इस अभिकरण ने प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत सभी 17 जल हस्तांतरण संपर्कों तथा हिमालयी नदी विकास घटक के तहत 14 जल हस्तांतरण संपर्कों का व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन पूरा कर लिया है। 5 जल हस्तांतरण संपर्कों के व्यवहार्यता अध्ययन भी पूरे कर लिए गए हैं।

देश में जल संसाधनों के दीर्घकालिक विकास के लिए, भारत सरकार भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन कर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकार तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भी भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ कर दिए हैं। सृजित और प्रयुक्त क्षमता के अंतर को दूर करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को भी सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है ताकि वे चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर सकें।

तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाएं

5402. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने हेतु शुरू की गई योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या समयसारणी के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल संसाधन समेकन परियोजना के तहत क्रियान्वित की जा रही 9 अनुमोदित सिंचाई स्कीमों और 2 अनुमोदित मध्यम स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, क्रियान्वयन और रख–रखाव की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार की है। परियोजनाओं का पूरा होना अन्य बातों के साथ–साथ तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	सूखा/ आदिवासी	अद्यतन अनुमानित लागत	12/2000 के अन्त तक व्यय	कमान क्षेत्र है. में	पूरा होने की सम्भावित तारीख
1.	अदविनानार कोयल	तिरुनेलवेली	डी	59.12	28.43	2276	2001–2002
2.	गिरिधामाल	विरूदुनगर	डी	2.57	2.41	1251	2000–2001
3.	कोदुमुदियार	तिरुनेलवेली	डी	20.29	7.21	2117	2001–2002
4.	मोरधाना	वेल्लौर	टी	81.87	46.42	2870	2001–2002
5.	नामबियार	तिरुनेलवेली	डी	15.49	11.88	1281	2001–2002
6.	पोयगेयार	कन्याकुमारी	डी	11.38	9.77	488	2000–2001
7	राजाथोपेकनार	वेल्लौर	टी	2.56	1.92	219	2000–2001
8.	स्पोथूपराई	मदुरै	डी	30.72	26.97	965	2000–2001
9.	वादाककूपचयार	तिरुनेलवेली	डी	39.52	24.62	1780	2001–2002
10.	इरूककंगुदी	विरूदुनगर	डी	अननुमोदित	—	—	—
11.	नानगंजियार	दिन्दीगुल	—	अननुमोदित	—	—	—

विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण

5403. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार संपन्न हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण के कार्य को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) देश

के बड़े हवाई अड्डों पर विमान यातायात नियंत्रण का आधुनिकीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इस समय, बड़े हवाई अड्डों पर आधुनिकीकरण कार्य के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उपकरणों को बदले जाने/संस्थापित किए जाने का कार्य किया जाना है

(1) **उपकरण अवतरण प्रणाली**—अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल और दीमापुर।

(2) **दूरी मापक उपकरण के साथ सह-स्थापित उपकरण अवतरण प्रणाली**—भावनगर, डिब्रूगढ़, जम्मू, लीलाबाड़ी, लखनऊ और सिलचर।

(3) **उड़ान डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली—अहमदाबाद**, कोलकाता, चेन्नई, और नागपुर।

(4) **स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली**—अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, कोलकाता, **चेन्नई**, **कोचीन**, **गोवा**, गुवाहाटी, **हैदराबाद** और **लखनऊ**।

(5) **डॉप्लर अति उच्च आवृति सर्वपरास**—चेन्नई, **डिब्रूगढ़**, जम्मू, मुम्बई, पोर्ट ब्लेयर, रांची और रायपुर।

(6) **दूरी मापक उपकरण के साथ सह-स्थापित डॉप्लेर अति उच्च आवृति सर्वपरास**—लीलाबाड़ी।

(7) **दूरी मापक उपकरण**—औरंगाबाद, **भुवनेश्वर**, **चेन्नई** और दीमापुर।

(8) **मोनोपल्स गौण निगरानी रडार—वाराणसी**। जहां कहीं आवश्यक होगा अन्य अपेक्षित उपकरणों की स्थापना की गयी है।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

5404. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) बिहार की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को किस तिथि को शुरू किया गया था और इन्हें कब तक पूरा किया जाना था;

(ग) इनके पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी मूल लागत और वास्तविक लागत क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क), (ख) और (घ) बिहार में 8 वृहद और 7 मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसमें मध्य प्रदेश की बाणसागर बांध परियोजना शामिल नहीं है, जिसके लिए बिहार सरकार केवल बांध की लागत वहन कर रही है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि सिंचाई राज्य सरकार का विषय है, अतः बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन का दायित्व राज्य सरकार का है।

विवरण

क्र.सं.	चल रही परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)		पूरा करने का लक्ष्य (नौवीं योजना अथवा आगे)
			अनुमोदित मूल	नवीनतम	
1	2	3	4	5	6
क. वृहद परियोजनाएं					
1.	अपर कियुल	V	8.07	109.93	IX
2.	बरनार	V	8.03	230.43	IX योजना से आगे
3.	बटेश्वरस्थान पंप फेज I	V	13.88	175.85	IX योजना से आगे
4.	बागमती	V	5.78	154.73	IX योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
5.	दुर्गावती	V	25.30	266.97	IX
6.	गंडक फेज II	VII	अननुमोदित	578.27	IX योजना से आगे
7.	कोसी पूर्वी नहर फेज II	VII	अननुमोदित	156.32	IX योजना से आगे
8.	पश्चिमी कोसी नहर	III	13.49	693.38	IX योजना से आगे
ख. मध्यम परियोजनाएं					
1.	बिलासी	वा.यो. 78–80	1.46	19.61	IX
2.	बटेश्वरस्थान पंप फेज II	V	2.97	37.87	IX योजना से आगे
3.	धाकरानाला पंप फेज I	वा.यो. 78–80	8.43	173.60	IX योजना से आगे
4.	धाकरानाला पंप फेज II	VII	4.76	11,48	IX योजना से आगे
5.	मलाई	VII		12.08	IX योजना से आगे
6.	ओरनी	V	2.96	50.12	IX योजना से आगे
7.	सिंधवारनी	VI	4.45	34.10	IX योजना से आगे

[अनुवाद]

सत्यम समिति

5405. डा. एन. वेंकटस्वामी : *क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों और औषधालयों के कार्यकरण के संबंध में गठित सत्यम समिति ने इन अस्पतालों और औषधालयों के सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्रियान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सत्यम समिति की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए क.रा.बी. निगम को भेज दी गई हैं। चिकित्सा देख–रेख खर्च की अधिकतम सीमा प्रति बीमित व्यक्ति 500/–रु. वार्षिक से बढ़ाकर 600/– वार्षिक करने, बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को फोटो पहचान पत्र जारी करने, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार चिकित्या पदों का सृजन करने, क.रा.बी. अस्पतालों की आन्तरिक क्षमताएं बढ़ाने, प्रत्येक लाभाधिकारी के लिए एक स्वास्थ्य रिकार्ड पुस्तक शुरू करने, दवाओं की आपूर्ति के लिए उद्योगों के पक्ष में अनारक्षण, बहुस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण जांच, घटिया दवाओं की आपूर्ति के लिए निवारक दण्डात्मक कार्रवाई करने, स्ट्रिप पैकों में दवाओं की खरीद करने, दवाओं की स्थानीय खरीद को सहज बनाने के लिए शक्तियों के पर्याप्त प्रत्यायोजन, बहिरंग विभाग के समय में एकरूपता लाने आदि के संबंध में समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित की जा चुकी हैं। कुछ सिफारिशों जैसे नियोक्ता और कर्मकारों द्वारा एकमत से अनुरोध किए जाने पर क.रा.बी. योजना से छूट प्रदान करने और केन्द्रीय सरकार की ओर से समान योगदान आदि के कार्यान्वयन के लिए क.रा.बी. अधिनियम में संशोधन करना होगा, अतएव इन सिफारिशों का फिलहाल कार्यान्वयन किया जाना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

महाराष्ट्र में डाकघरों के लिए टेलीफोन कनेक्शन

5406. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में सभी डाकघरों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में उक्त सुविधा को कब तक प्रदान किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सभी विभागीय डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक नीति निर्णय लिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 145 विभागीय डाकघरों में दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा अभी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कराए जाने हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

5407. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिले-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक जिले-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ग) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्य में विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त कोटा के अंतर्गत कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु जिलेवार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या (31.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
1.	कांगड़ा	12097
2.	चम्बा	1329
3.	कुल्लू	1006
4.	लाहौल-स्पिती	530
5.	मंडी	4344
6.	बिलासपुर	3407
7.	हमीरपुर	5164
8.	ऊना	3973
9.	शिमला	3770
10.	किन्नौर	530
11.	सोलन	1978
12.	सिरमौर	1070
	जोड़	40015

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए जिलावार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	जिला	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन		
		1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	कांगड़ा	9459	13701	13079
2.	चम्बा	738	2707	2006
3.	कुल्लू	2878	2625	3246
4.	लाहौल-स्पिती	466	1050	533
5.	मंडी	5207	7069	7455
6.	बिलासपुर	2143	3790	3775
7.	हमीरपुर	3417	5810	6602

1	2	3	4	5
8.	ऊना	2975	5174	5742
9.	शिमला	7240	7795	8510
10.	किन्नौर	1714	2014	1021
11.	सोलन	3795	4497	5876
12.	सिरमौर	3188	3715	3330
	जोड़	43217	60027	61761

(ग) उपस्कर और अन्य संबंधित सामग्री के उपलब्ध होने पर मार्च, 2002 तक मौजूदा प्रतीक्षासूची के निपटाए जाने की आशा है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1998–99	244
1999–00	520
2000–01	970
जोड़	1734

(ङ) उक्त कोटे के अंतर्गत प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है

वर्ष	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1998–99	244
1999–00	512
2000–01	664
जोड़	1420

खतरनाक जीवों के लिए प्रयोगशाला

5408. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खतरनाक जीवों के संवर्धन और इस पर अनुसंधान करने के लिए राज्यवार कौन–कौन सी प्रयोगशालाएं अधिकृत हैं;

(ख) क्या इस संबंध में निजी भेषज कंपनियों को भी अधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रयोगशालाओं को सूक्ष्म जीवों के निर्यात और आयात हेतु भी अधिकृत किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन जीवों के संवर्धन और इन पर अनुसंधान से संबंधित ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने देश में अनुसंधान प्रयोजनों के लिए पैथोजनिक माइक्रोआर्गेनिज्म या अनुवांशिक रूप से निर्मित आर्गेनिज्मों या कोशिकाओं के प्रयोग को अनुमति देने के लिए 99 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इन प्रयोगशालाओं को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रख्यापित परिसंकटमय माइक्रो–आर्गेनिज्मों/अनुवांशिक रूप से निर्मित आर्गेनिज्मों के विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण के लिए नियम 7(2) के अनुसार अधिसूचित किया गया है इन प्रयोगशालाओं की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में है। इस सूची में कुछ गैर–सरकारी फार्मास्यूटीकल कंपनियां भी शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए पैथोजनिक माइक्रो आर्गेनिज्म या अनुवांशिक रूप से निर्मित आर्गेनिज्मों या कोशिकाओं के प्रयोग के लिए प्राधिकृत प्रयोगशालाओं की राज्य वार सूची

राज्य का नाम	प्रयोगशाला का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	1. आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापट्नम
	2. भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद

1	2
	3. ब्रिलियेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड सानथनगर, हैदराबाद
	4. सेन्टर फार सेल्यूर एंड मोल्क्यूलर बायोलोजी, हैदराबाद
	5. सेंट्रल टोबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश
	6. डोनो वैक्सीन एंड बायोलोजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बाग अम्बरपेट, हैदराबाद
	7. डारेक्टोरेट आफ राइस रिसर्च, राजेन्द्र नगर हैदराबाद
	8. इंडियन इम्यूनोलोजिकल्स, जुवली हिल्स, हैदराबाद
	9. इंटरनेशनल क्रोप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट फार सेमी एरिड ट्रोपिक्स, पाटरचेरू आंध्र प्रदेश
	10. माहिको रिसर्च फाउन्डेशन महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड कमलापुरी कॉलोनी, हैदराबाद
	11. नेशनल रिसर्च सेंटर फोर सोरगुम, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद
	12. औस्मानिया यूनिवर्सिटी, सेंटर फार प्लान्ट मोल्क्यूलर बायोलोजी, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, हैदराबाद
	13. डा. रेड्डी लेबोरेट्री, बन्जारा हिल्स हैदराबाद
	14. शान्था बायोटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड बनजारा हिल्स, हैदराबाद
	15. ट्रान्सजीन वैक्सीन लिमिटेड हैदराबाद
	16. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद
असम	1. असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहट
बिहार	1. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, खड़गपुर
	2. राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना
दिल्ली	1. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली
	2. सेन्टर फार बायोकेमिकल टैक्नोलोजी, माल रोड, नियर जुबली हाल, दिल्ली
	3. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूसा रोड, नई दिल्ली
	4. इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलोजी, पी. बी. 10504, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली
	5. इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, हौजखास, नई दिल्ली
	6. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
	7. नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेबल डिसीज, 22 शामनाथ मार्ग, पी. बी. संख्या 1492, दिल्ली
	8. रेनबैक्सी, ए–2 फेज–I ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली
	9. टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट दरबारी सेठ ब्लाक, हैबिटाट सेन्टर, लोदी रोड नई दिल्ली

1	2
गोवा	1. गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा
गुजरात	1. अमुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, अमूल डेरी, आनन्द गुजरात
	2. काडिला हैल्थकेयर, 244 घोड़ासर, मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात
	3. काडिला फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 244, घोड़ासर मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात
	4. टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात
	5. एम एस यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा
	6. सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अकोट, बड़ौदा
हरियाणा	1. सी. सी. एस. हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार
	2. हाइब्रिड राइस इंटरनेशनल लिमिटेड, गुड़गांव
	3. नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल
हिमाचल प्रदेश	1. सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला
	2. काउन्सिल आफ साइन्टिफिक आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्पलेक्स, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
	3. डा. वाई एस. परमार यूनिवर्सिटी आफ हॉर्टीकल्चर एंड फारेस्ट्री, डिपार्टमेंट आफ वायोटेक्नोलोजी, नौनी, सोलन
कर्नाटक	1. सेंटर फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर
	2. टिश्यू कल्चर डिवीजन एंड बायोटेक्नोलोजी सेंटर, मैसूर बंगलौर
	3. इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, बंगलौर
	4. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ हॉर्टीकल्चर रिसर्च, बंगलौर
	5. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर
	6. जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवान्सड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर
	7. कस्तूरबा गांधी मेडिकल कालेज, मणिपाल
	8. नेशनल सेंटर फार बायालोजिकल साइन्सेज, बंगलौर
	9. रालिस इंडिया लिमिटेड, एग्रोकैमिकल्स रिसर्च स्टेशन, बंगलौर
	10. सिनजीन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, हब्बागोडी, बंगलौर
	11. यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइंसिस, धारवाड
	12. इंडियन वेटेरीनेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हेबाल
केरल	1. केडवरी केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को–आपरेटिव कोकाओ रिसर्च प्रोजेक्ट थिरसूर, केरल

1	2
	2. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ स्पाइसिस रिसर्च, कालीकट
	3. द रबर रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया, कोट्टायम
मध्य प्रदेश	1. हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भोपाल
महाराष्ट्र	1. अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, महाराष्ट्र
	2. भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, ट्रोम्बे, मुंबई
	3. बॉम्बे वेटरनी कालेज, मुम्बई
	4. केन्सर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल सेंटर पारेल, मुम्बई
	5. एफ. डी. सी. लिमिटेड, जोगेश्वरी डब्ल्यू, मुम्बई
	6. होचेस्ट स्कीरिंग एग्रो इवो लिमिटेड, अंधेरी ई मुम्बई
	7. महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई
	8. अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे
	9 नेशनल सेंटर फार सैल साइन्स, गणेशकखन्द, पुणे
	10 टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई
	11. यू. एस. वी. लिमिटेड, मुम्बई
	12. बोकहार्डट रिसर्च सेंटर, औरंगाबाद
	13. नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर
उड़ीसा	1. सेंटर राइस इन्स्टीट्यूट, कटक
	2. उड़ीसा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नॉलाजी, भुवनेश्वर
पांडिचेरी	1. वेक्टर कन्ट्रोल रिसर्च सेंटर, इंदिरा नगर
पंजाब	1. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
	2. पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना
राजस्थान	1. यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर
तमिलनाडु	1. अन्ना यूनिवर्सिटी, सेंटर फार बायोटेक्नोलोजी, चेन्नई
	2. एन्टोमोलोजी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, चेन्नई
	3. मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई
	4. 'रासी सीड्स कंपनी लिमिटेड, अटूर सलेम जिला
	5. स्पिक साइन्स फाउन्डेशन गुईनडी चेन्नई

1	2
	6. तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसिस यूनिवर्सिटी माधवरम, चेन्नई
	7. शुगरकेन ब्रीडिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
	8. तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर
	9. यूनिवर्सिटी आफ मद्रास तारामणि, चेन्नई
उत्तर प्रदेश	1. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
	2. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ
	3. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड एरोमिटक प्लान्ट्स, लखनऊ
	4. सेंट्रल जलमा इन्स्टीट्यूट फार लेप्रोसी, आगरा
	5. डाबर रिसर्च फाउन्डेशन, गाजियाबाद
	6. जी. बी. पंत यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलोजी, पंतनगर
	7. इंडस्ट्रियल टोक्सीकोलोजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ
	8. इंडियन वेटेनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इज्जत नगर
	9. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ
पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता
	2. ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता
	3. जादावपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता
	4. टाटा टी लिमिटेड, कलकत्ता
	5. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल बायोलोजी, कलकत्ता।

[अनुवाद]

एफ्रो-एशियाई खेल

5409. श्री सुबोध मोहिते : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 2001 में नई दिल्ली में पहला एफ्रो–एशियाई खेल आयोजित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खेलों के सुचारु आयोजन हेतु उठाए जाने वाले अन्य प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। एशियाई एवं अफ्रीकी देशों से योग्यता प्राप्त टीमों को आमंत्रित करके नवम्बर, 2001 में नई दिल्ली में आठ खेल–विधाओं में खेल आयोजित किए जाने थे।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में खेलों के आयोजन हेतु 20.00 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय आबंटन किया है। अवस्थापना के उन्नयन हेतु सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, आबंटित बजट में से भारतीय खेल प्राधिकरण को पर्याप्त धनराशि प्रदान की थी। यदि आवश्यकता हुई, तो भा.

खे. प्रा. को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अवस्थापना के उन्नयन के प्रयोजन के लिए और अधिक धनराशि प्रदान की जाएगी।

(ङ) सरकार ने अवस्थापना के उन्नयन तथा खेलों के सुचारु आयोजन हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। अवस्थापना के लिए एक संचालन समिति अधिसूचित की गई है। खेलों के आयोजन हेतु आयोजन समिति के गठन के प्रश्न पर भारतीय ओलम्पिक संघ से भी चर्चा की जा रही है। तथापि, प्रथम एफ्रो–एशियाई खेलों के आयोजन संबंधी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि खेलों को अस्थगित करना उपयुक्त होगा। भारतीय ओलम्पिक संघ को तदनुसार खेलों के आयोजन के लिए नई तारीखों का सुझाव देने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

सिंचाई योजनाएं

5410. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास सिंचाई क्षमता को बढ़ाने हेतु अनेक सिंचाई योजनाएं और विभिन्न राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) चालू वर्ष में त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी प्रदान की जाएगी और इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को विशेषकर मध्य प्रदेश को कितनी धन–राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और यह धन–राशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने संबंधी केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त 32 (17 वृहद और 15 मध्यम) विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन और उनके अनुरक्षण का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का है। सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति, अन्य बातों के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर बरती गई तत्परता पर निर्भर करती है।

(ङ) और (च) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए. आई. बी. पी.) के तहत वर्ष दर वर्ष आधार पर ऐसी चल रही सिंचाई परियोजनाओं के आबंटन मुहैया कराए जाते हैं जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करती हों और उन्हें राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, बशर्ते कि ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा उनके संबंधित वार्षिक योजनाओं में निधियों और बजट परिव्यय उपलब्ध हों तथा उस वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता की राज्य सीमा को ध्यान में रखा गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	आंध्र प्रदेश	वृहद	659.16	बी
2.	मच्चू–1 का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	गुजरात	वृहद	8.12	बी
3.	नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	18.42	ए

1	2	3	4	5	6
4.	दाडी नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	10.91	ए
5.	नंदी नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	6.61	ए
6.	लार नहर (पुलवामा) का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	37.05	ए
7.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	7.96	ए
8.	लार नहर का आधुनिकीकरण (बदगम) (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	6.63	ए
9.	सोनमान नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	4.58	ए
10.	मावाहुआल का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	7.00	ए
11.	मारतंड नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	17.72	ए
12.	दाब नहर गंदरबाल का पुनः आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	5.40	ए
13.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	4.77	ए
14.	कथुवा नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	15.68	बी
15.	जैंगीर नहर का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	जम्मू व कश्मीर	मध्यम	13.66	बी
16.	तालादंडा मुख्य नहर और वितरिणिका सं. 12 का कार्यान्वयन (ई.आर.एम.)	उड़ीसा	वृहद	57.06	ए
17.	अपर इंद्रावती विस्तार परियोजना (ई.आर.एम.)	उड़ीसा	वृहद	136.67	बी
18.	अपर कोलाव विस्तार परियोजना (ई.आर.एम.)	उड़ीसा	वृहद	71.66	बी
19.	हीराकुंड वितरणिका प्रणाली की संसन नहर प्रणाली का कार्यान्वयन	उड़ीसा	वृहद	34.92	बी

1	2	3	4	5	6
20.	सालकी सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन (ई.आर.एम.)	उड़ीसा	वृहद	10.80	बी
21.	बादशाही नहर का आधुनिकीकरण और विस्तार (ई.आर.एम.)	पंजाब	मध्यम	11.77	ए
22.	आर.आई.डी.एफ. के तहत पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को पक्का करना) (ई.आर.एम.)	पंजाब	मध्यम	49.02	ए
23.	भाखड़ा मुख्य नहर की लाइनिंग को ऊपर उठाना (ई.आर.एम.)	पंजाब	वृहद	20.46	बी
24.	होशियारपुर से बालाचौर तक कांदी नहर विस्तार (ई.आर.एम.)	पंजाब	वृहद	147.12	बी
25.	इंदिरा गांधी नहर चरण–I (ई.आर.एम.)	राजस्थान	वृहद	121.92	बी
26.	राजस्थान जल क्षेत्र पनुर्संरचना परियोजना (ई.आर.एम.)	राजस्थान	वृहद	733.60	बी
27.	कावेरी डेल्टा फेज–I का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	तमिलनाडु	वृहद	78.80	बी
28.	भूपाली पंप नहर की क्षमता बढ़ाना (ई.आर.एम.)	उत्तर प्रदेश	वृहद	64.86	ए
29.	मेजा बांध को ऊपर उठाना (ई.आर.एम.)	उत्तर प्रदेश	वृहद	65.00	बी
30.	बुंदेलखंड में चैनल को पक्का करना (ई.आर.एम.)	उत्तर प्रदेश	वृहद	57.37	बी
31.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	वृहद	74.16	बी
32.	कांगसाबती जलाशय (फेज–I) का आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)	पश्चिम बंगाल	वृहद	471.90	ए

स्थिति . (क) संदर्भाधीन हैं।

(ख) सलाहकार समिति को प्रस्तुत की गई है और टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन संबंधी अध्ययन

5411. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपलब्ध जल संसाधनों के कुप्रबंध से निपटने हेतु देश में जल प्रबंधन संबंधी कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) इस समय सिंचाई हेतु उपलब्ध जल का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के जरिए उपलब्ध कराए गए जल से वर्ष 1999–2000 के अंत तक लगभग 94.73 मि. हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। राज्य–वार विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1999–2000 के अंत तक सृजित की गई राज्यवार सिंचाई क्षमता

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1999–2000 के अंत तक सृजित की गई सिंचाई क्षमता (अनन्तिम)		
		वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं	लघु सिंचाई परियोजनाएं	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3389.20	3045.87	6435.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	93.49	93.49
3.	असम	202.19	600.18	802.37
4.	बिहार	2887.39	5236.76	8124.15
5.	गोवा	17.43	21.20	38.63
6.	गुजरात	1398.22	1973.61	3371.83
7.	हरियाणा	2090.94	1608.84	3699.78
8.	हिमाचल प्रदेश	11.15	156.50	167.65
9.	जम्मू–कश्मीर	176.69	378.85	555.54
10.	कर्नाटक	1846.63	1570.90	3417.53
11.	केरल	589.54	623.96	1213.50
12.	मध्य प्रदेश	2398.30	2696.92	5095.22
13.	महाराष्ट्र	2851.00	2858.20	5709.20
14.	मणिपुर	80.00	70.39	150.39
15.	मेघालय	0.00	51.79	51.79
16.	मिजोरम	0.00	14.69	14.69
17.	नागालैंड	0.00	72.75	72.75
18.	उड़ीसा	1695.22	1431.48	3126.70
19.	पंजाब	2532.25	3398.86	5931.11
20.	राजस्थान	2363.28	2438.59	4801.87
21.	सिक्किम	0.0	28.66	28.66
22.	तमिलनाडु	1549.31	2119.73	3669.04
23.	त्रिपुरा	4.35	105.73	110.08
24.	उत्तर प्रदेश	7670.00	25095.05	32765.05
25.	पश्चिम बंगाल	1575.49	3567.37	5142.86
	कुल राज्य	35328.58	59260.37	94588.95
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	21.61	118.72	140.33
	कुल योग	35350.19	59379.09	94729.28

मशीनीकृत प्रौद्योगिकी द्वारा सड़कों का विकास

5412. श्री सईदुज्जमा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परिस्थितियों के अनुसार देश के कुछ भागों और अमरीका की भांति संपन्न देशों में वर्तमान सीमेंट–रोड़ी वाली सड़कों की तुलना में तारकोल वाली सड़कों का जीवन–काल सीमित है और इनमें निवेश करना अच्छा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अमरीका की भांति सड़कों के निर्माण हेतु मशीनीकृत प्रौद्योगिकी का विकास करने का है जो कि बहुत कार्यकुशल और तीव्र गति वाली है जिसमें 8 घंटे की पाली में एक मील का निर्माण हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) सीमेंट कंकरीट सड़कों और बिटुमनयुक्त सड़कों दोनों के

ही कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। सीमेंट कंकरीट सड़क की जीवन काल लागत बिटुमनयुक्त सड़क की तुलना में सामान्यतया कम होती है। बिटुमनयुक्त सड़कों में चरणबद्ध निर्माण की सुविधा रहती है, अतः इसकी प्रारम्भिक लागत कम होती है।

(ग) से (ङ) सड़क निर्माण के क्षेत्र में यांत्रिक निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5413. श्री मानसिंह पटेल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें कितनी कमी रही है;

(ख) योजना के दौरान इसके विकास हेतु संदर्शी योजना क्या है;

(ग) क्या बी. ओ. टी. (बिल्ट आपरेटरों और ट्रांसपोर्ट) आपरेटरों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु एकत्रित की गई कुल आय पर लगाए जा रहे 10 प्रतिशत शुल्क के कारण ऐसी परियोजनाओं के साथ अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की तुलना में भेदभाव किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए किन-किन निजी पक्षों को अनुमति प्रदान की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

(ख) नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं और वर्ष 2001-2002 के दौरान लगभग 3,051 करोड़ रुपये राशि के कार्य संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं।

(घ) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण स्कीम के तहत सौंपी गई परियाजनाओं और निजी पक्षकारों के नाम विवरण-II में है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

क्र.सं.	स्कीम	इकाई	नौवीं योजनागत दस्तावेज के अनुसार नौवीं योजना (1997-2002) के लक्ष्य कि.मी./संख्या	नौवीं योजना की (1997-2000) तक की अवधि का कार्य निष्पादन		नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में लक्ष्यों की प्राप्ति (प्रतिशतवार)	नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षो में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी (प्रतिशतवार)	लक्ष्य 2001-02
	सामान्य रा.रा. कार्य			लक्ष्य	उपलब्धि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दो लेन में चौड़ा करना	किमी.	1194	1293	1261	98	2	452
2.	चार लेनों में चौड़ा करना	किमी.	202	215	337	157	0	51
3.	कमजोर दो लेन को सुदृढ़ करना	किमी.	2908	2554	2579	101	0	370
4.	बाइपास	संख्या	20	28	6	21	79	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. बड़े पुल		संख्या	40	84	49	58	42	27
6. आर.ओ.बी. सहित छोटे पुल		संख्या	226	281	232	83	17	67
7. एन.एच.डी.पी. के तहत चार लेन बनाना				454	375			410

*वर्ष 2000–2001 के लिए उपलब्धि फरवरी, 2001 तक है।

**उपर्युक्त के अतिरिक्त 1999–2000 के दौरान लगभग 2434 किमी. लंबी सड़कों की और 2000–2001 के दौरान लगभग 6000 किमी. लंबी सड़कों की वाहन चालन गुणता में सुधार किया गया है।

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रा.रा.सं.	राज्य	ठेकेदार
1	2	3	4	5
1.	थाने–भिवंडी बाइपास	3 एवं 4	महाराष्ट्र	आइडियल रोड बिल्डर्स, मुंबई
2.	चेल्थन और ओ.बी	8	गुजरात	मै. असविका कंस्ट्रक्शन क. प्रा.लि., वदौदरा
3.	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	मै. अटलांटा कंस्ट्रक्शन कंपनी (इं.) लि., मुंबई
4.	छः पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	पी.वी.आर. इंडस्ट्रीज, हैदराबाद
5.	कोयम्बटूर बाइपास	47	तमिलनाडु	एल. एंड टी. लि., चेन्नई
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	मै. संचेती लि., नागपुर
7.	नर्मदा पुल	8	गुजरात	एल. एंड टी. लि., चेन्नई
8.	नरथाना आर.ओ.बी.	3	महाराष्ट्र	मै. आयुष्जय कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., इंदौर
9.	पातालगंगा पुल और आर.ओ.बी.	17	महाराष्ट्र	आइडियल रोड बिल्डर्स, मुंबई
10.	हुबली–धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	नंदी हाइवेज डेवलपर्स लि., पुणे
11.	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	यूनाइटेड इनफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स प्रा. लि., चेन्नई
12.	कोरतलैयार पुल	5	तमिलनाडु	मै. जूम डेवलपर्स प्रा. लि., मुंबई
13.	खम्बाटकी घाट सुरंग और सड़क	4	महाराष्ट्र	आइडियल रोड बिल्डर्स, मुंबई
14.	नसीराबाद आर.ओ.बी.	6	महाराष्ट्र	अशोका बिल्डकॉन प्रा. लि., नासिक
15.	वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	अशोका बिल्डकॉन प्रा. लि., नासिक
16.	माही पुल	8	गुजरात	मै विजय एम. मिस्त्री एंड राज कमल बिल्डर्स, अहमदाबाद
17.	किशनगढ़ बाइपास पर आर.ओ.बी.	8	राजस्थान	एम.एस.के. प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि., वडोडरा

1	2	3	4	5
18.	बत्रक नदी पर पुल	8	गुजरात	एल. एंड टी. लि., चेन्नई
19.	मुरादाबाद बाइपास	24	उत्तर प्रदेश	एन.एच.ए.आई. के साथ एस.पी.वी.*
20.	डेरा बसी पर आर.ओ.बी.	22	पंजाब	मै. आर.एस. बिल्डर्स, लुधियाना, पंजाब

*एस. पी. वी.–विशेष प्रयोजन साधन

दूरसंचार विवाद निपटारा अपीलीय अधिकरण

5414. डा. वी. सरोजा :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में विशेषकर तमिलनाडु में दूरसंचार विवाद निपटारा अपीलीय अधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन दूरसंचार विवाद निपटारा अपीलीय अधिकरणों का गठन दूरसंचार क्षेत्र के लिए त्वरित और कुशल निवारण तंत्र के दृष्टिकोण से किया है जैसाकि दिनांक 21 मार्च, 2001 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विवाद निपटारा अपीलीय अधिकरण मामलों को सुलझाने में सफल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24वां) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 29.5.2000 की अधिसूचना के जरिए दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण स्थापित किया था। उक्त अधिनियम की धारा 14 ख(3) के अनुसार उक्त अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकर का इस्तेमाल उक्त अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली पीठों (बेंचों) द्वारा किया जाएगा। सामान्य स्थिति में अपील अधिकरण की पीठ नई दिल्ली या ऐसे अन्य स्थानों पर स्थित होंगी जिन्हें केन्द्र सरकार अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से अधिसूचित कर सकती है। इस समय अपील अधिकरण का न्यायालय नई दिल्ली में है।

(ग) गत वर्षों टी. आर. ए. आई. अधिनियम में किए गए आयोजनों के भाग के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ विवाद निपटान कार्य को सुदृढ़ किया गया। तदनुसार, टी आर ए आई अधिनियम, 1977 की धारा 14 (क) तथा (ख) के अनुसार, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण का गठन, किसी लाइसेंसदाता और लाइसेंस धारक के बीच दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, किसी सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दल के बीच किसी भी विवाद का फैसला करने तथा टी. आर. ए. आई. के किसी भी निदेश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई तथा उसके निपटान के लिए किया गया था।

(घ) से (च) अपील अधिकरण के गठन के बाद, इसमें छः याचिकाएं तथा छः अपील दायर की गई हैं और इसने मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है। कुछेक मामलों में अंतरिम आदेश भी दिए गए हैं। इन कार्यों के अलावा अपील अधिकरण को टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 14-एम के तहत टी. आर. ए. आई. से 16 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता

5415. श्री नागमणि : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल संघों (नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन) की मान्यता हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1990-2000 तक कितने खेल संघों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को वर्ष 1999-2001 में खेल संघों को अनुदान देने में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मामले की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता देने संबंधी योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1999-2000 तक, 61 खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) से (च) जी, हां। सरकार को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, मान्यता प्राप्त अनेक नए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता अनुदान जारी करने का आरोप लगाने वाली कल्पित नाम संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस मामले की गहराई से जांच की गई थी तथा यह देखा गया कि "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता" संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों में कुछ विसंगतियां थीं-जो राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को नियंत्रित करती हैं। इसी वजह से, मान्यता प्राप्त नए परिसंघों को भुगतान करने में कुछ भ्रम हो गया था। तथापि, किसी अधिकारी की ओर से इच्छित रूप से अथवा जानबूझ कर अवज्ञा करने अथवा दुर्भावपूर्ण तरीके से ऐसा नहीं किया गया था। मामले की जांच करने के बाद, यह महसूस किया गया है कि योजना में उचित रूप से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में स्कीम की व्याख्या करने में स्पष्टता बनी रहे और मान्यता प्राप्त नए राष्ट्रीय खेल परिसंघ, मान्यता मिलने के बाद सरकार से शीघ्र सहायता अनुदान प्राप्त कर सकें।

विवरण

राष्ट्रीय खेल परिसंघों के मान्यता हेतु दिशानिर्देश

1. परिचय

1.1 देश में खेलकूद के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को समर्थन तथा प्रोत्साहन देना हमेशा भारत सरकार की निति रही है।

1.2 विगत वर्षों में, कई खेल-विधाओं के लिए स्वायत्त खेल निकायों का एक लचीला तथा संघीय ढांचा पहले से ही उभर कर आ चुका है।

1.3 सामान्यतया, राष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक खेल निकाय का (इसके पश्चात इसे परिसंघ कहा गया है) एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय सदृश निकाय होता है जो इससे सम्बद्ध होता है और इसके बाद, यह जिला स्तरीय/स्थानीय स्तर के स्वैच्छिक खेल निकायों से संबद्ध होता है।

1.4 कई राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों ने प्रत्येक मामले में विशेष खेल के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से पहले ही मान्यता प्राप्त कर ली है। इन्हें वित्तीय तथा अन्य सहायता भी दी जा रही है।

1.5 अनौपचारिक रूप से, ऐसे परिसंघों की मान्यता के मानदंड पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त किए गए अनुभव पर आधारित थे।

1.6 राष्ट्रीय स्तर के परिसंघ को सरकार के विवेक से मान्यता प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से, वर्तमान मार्गनिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2. नामकरण तथा तात्पर्य

2.1 इन मार्गनिर्देशों को "राष्ट्रीय खेल परिसंघों की मान्यता हेतु दिशा निर्देश" कहा जाएगा।

2.1 मान्यता का तात्पर्य देश में विशेष खेल के विकास में परिसंघ के नेतृत्व को मान्यता प्रदान करना होगा।

3. पात्रता

3.1 परिसंघ के पास स्वैच्छिक पंजीकृत निकाय के रूप में मालिकाना संस्था अथवा साझेदारी की फर्म के रूप में नहीं, कानूनी हैसियत होनी चाहिए तथा उसे उस खेल विधा, जिसका नाम उसके पास है, के विकास के एकमात्र प्रयोजन हेतु विद्यमान होना चाहिए और कार्य करना चाहिए।

3.2 परिसंघ के पास असंदिग्ध शर्तों पर एक व्यापक लिखित संविधान होना चाहिए जो इसकी दक्ष प्रणाली हेतु, विशेषतया पदाधिकारियों का चुनाव, सामान्य निकाय का सही रूप से प्रतिनिधिक स्वरूप, खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा, खेल संवर्धन, लेखों का रखरखाव या संपरीक्षा, अविश्वास संकल्पों आदि को उपलब्ध कराएगा।

3.3 मान्यता हेतु आवेदन पत्र की तारीख के समय परिसंघ को तीन वर्ष से अधिक समय से सक्रिय रूप से अस्तित्व में होना चाहिए। इसकी सभी व्यवसायी बैठकें, जो संविधान के अंतर्गत अपेक्षित हैं, विधिवत रूप से आयोजित की जानी चाहिए।

3.4 मान्यता के लिए आवेदन करते समय, परिसंघ/संघ के पास भारत के कुल राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के कम से कम 2/3 भाग में संबद्ध इकाईयां होनी चाहिए।

3.5 पदाधिकारियों का कार्यकाल . पदाधिकारियों का कार्यकाल पत्र सं. 11-4/74-खेल-1 दिनांक 20 सितंबर, 1975 के तहत जारी सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। उपरोक्त आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारी चार वर्षों के कार्यकाल पर, अपने पद पर बने रह सकते हैं तथा इसी प्रकार की अवधि अथवा समय के लिए पुनः निर्वाचन हेतु पात्र हो सकते हैं बशर्ते पदाधिकारियों ने सदस्यों के 2/3 वोटों से कम वोट प्राप्त न किए हों। तथापि, ऐसा कोई भी पदाधिकारी लगातार दो कार्यकालों से अधिक अथवा आठ वर्षों से अधिक अपने पद पर बना नहीं रहेगा।

3.6 राष्ट्रीय परिसंघ का कोई भी पदाधिकारी सिवाय भारतीय ओलंपिक संघ के, किसी भी अन्य राष्ट्रीय परिसंघ का पद एक साथ ग्रहण नहीं करेगा।

3.7 परिसंघ के पास लेखाविधि की स्वीकृत वाणिज्य प्रणाली होनी चाहिए। लेखों का उपयुक्त रूप में अनुरक्षण किया जाना चाहिए तथा पंजीकृत सनदी लेखापाल द्वारा उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

3.8 परिसंघों को यदि तकनीकी कारणों से छूट न मिली हो, तो जिस वर्ष मान्यता मांगी गई है उससे पहले के तीन वर्षों में लगातार विशिष्ट आयु समूह के लिए सीनियर, जूनियर तथा सब-जूनियर स्तरों पर वार्षिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिपें आयोजित करवानी चाहिएं। ये प्रतियोगिताएं प्रत्येक राज्य, संघ शासित क्षेत्र में अंतर-जिला प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए।

3.9 परिसंघ की सदस्यता सदृश राज्य/संघ-शासित क्षेत्र तथा अन्य सम्बद्ध विशेष इकाईयों (जैसे खेल नियंत्रण बोर्ड आदि) तक सीमित होनी चाहिए और जहां परिसंघ पृथक क्लबों अथवा खिलाड़ियों को सदस्यता प्रदान करते हैं; ऐसी सदस्यता ऐसे सदस्यों को परिसंघ की किसी भी बैठक में मताधिकार प्रदान नहीं करती।

3.10 राष्ट्रीय स्तर पर, खेल की प्रत्येक विधा के लिए केवल एक मान्यता प्राप्त परिसंघ होगा। केवल विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ ही स्वीकार्य वित्तीय अनुदानों के हकदार होंगे। प्रत्येक राज्य/संघ-शासित क्षेत्र से केवल एक राज्य/संघ-शासित क्षेत्र संघ ही परिसंघ के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते इसके साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत जिला स्तरीय संघ संबद्ध हो। अखिल भारतीय स्तर के किसी भी संगठन को, जो खेलों से जुड़ा हो, वो दर्जा दिया जा सकता है जो राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र का हो, तथा उसे संबद्ध सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सदस्यता की अन्य श्रेणियां भी प्रदान की जा सकती हैं, परन्तु जब प्रत्येक संबद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र का यह अधिकार होगा कि वह सामान्य निकाय की बैठकों में वोट दे सकें, तो अन्य श्रेणियों के सदस्यों को परिसंघ की बैठकों में वोट देने का ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा। राज्य/संघ शासित क्षेत्र संघ को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करते समय राष्ट्रीय परिसंघ को राज्य/संघ शासित संघ के प्रतिनिधिक स्वरूप पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेलों के केवल सही प्रतिनिधि निकाय ने ही मान्यता/संबद्धता प्राप्त की है।

3.11 परिसंघों को वेतनभोगी संयुक्त सचिव/सहायक सचिव के मुख्यालयों को दिल्ली में रखना जरूरी है ताकि वे अपने वेतन/भत्तों की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सके। इस प्रयोजन के लिए, परिसंघ का दिल्ली में एक उपयुक्त कार्यालय होना चाहिए।

3.12 इस तथ्य का लिहाज रखे बिना कि विशेष खेल, युवाओं, पुरुषों, महिलाओं अथवा वयोवृद्धों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, प्रत्येक खेल विधा हेतु केवल एक मान्यताप्राप्त परिसंघ होगा। तथापि, यह शर्त विभाग द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त परिसंघों पर लागू नहीं होगी।

3.13 परिसंघों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सामान्य निकाय की बैठकों व अन्य बैठकों के बारे में बहुत पहले से ही सरकार को सूचित करें जिनमें पदाधिकारियों के चुनाव का निर्णय तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने होते हैं।

जहां भी आवश्यक समझा गया है, उपरोक्त बैठकों के लिए अपना प्रेक्षक भेजना सरकार का अधिकार होगा।

3.14 वित्तीय वर्ष के पूरा होने के तुरंत बाद परिसंघ अपने लेखों को अद्यतन बनाएगा तथा वार्षिक रिपोर्ट निकालेगा जिसमें वर्ष के दौरान उनकी गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं दी गई होंगी। परिसंघ अपने लेखों की लेखापरीक्षा के लिए एक कार्यरत लेखापाल नियुक्त

करेगा। परिसंघ के लेखे और रिकार्ड सरकार के लिए सुलभ होंगे तथा जब कभी ऐसा कहा जाए, इन्हें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

3.15 जहां खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ विद्यमान है, वहां राष्ट्रीय परिसंघ को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ के साथ संबद्ध होना चाहिए।

3.16 जहां कहीं भी राष्ट्रीय परिसंघ किसी अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से संबद्ध है, इसे विभाग को अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से एक साक्ष्यांकन फार्म प्रदान करना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि राष्ट्रीय परिसंघ एक अच्छे स्तर का सदस्य है।

3.17 परिसंघ को स्वायत्तशासी होना चाहिए और किसी भी तरह के सभी दबावों का प्रतिरोध करना चाहिए, चाहे वो राजनैतिक, धार्मिक, जातीय अथवा आर्थिक प्रवृत्ति के हों।

3.18 परिसंघ को वर्ष में कम से कम एक बार सामान्य निकाय की बैठक आयोजित करनी चाहिए और अध्यक्ष, सचिव आदि सहित कार्यपालक निकाय के सदस्यों के निर्वाचन हेतु चार वर्षों में (अथवा पहले, जैसी भी पदाधिकारियों के कार्यकाल के अंतर्गत जरूरत हो) एक विशेष बैठक बुलानी चाहिए।

3.19 राज्य स्तरीय संघों के, जो राष्ट्रीय परिसंघ से संबद्ध हैं, बारी-बारी से न्यूनतम संबंधित जिला स्तरीय संघ (अर्थात् राज्य में जिलों का 50 प्रतिशत) होने चाहिए।

3.20 कार्यकाल के आधार पर संबंधित खेल परिसंघों के सदस्यों के रूप में उत्कृष्ट योग्यता वाले प्रसिद्ध खिलाड़ियों को शामिल करना। मताधिकार वाले ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों की संख्या परिसंघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल सदस्यों का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत (अर्थात् 25 प्रतिशत) होनी चाहिए तथा ऐसे खिलाड़ियों का चयन इस विभाग के परामर्श से किया जाना चाहिए।

4. आवेदन

4.1 मान्यता हेतु आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। आवेदन के सभी कालम पूरी तरह मे भरे हुए होने चाहिए। सभी अपेक्षित दस्तावेजों की साक्ष्यांकित/मूल प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

4.2 मान्यता के मुद्दे से संबंधित सारी सूचना सामग्री आवेदन के साथ भेज देनी चाहिए। कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, यदि बाद में उस बात का चता चल जाए, तो परिसंघ को इसकी मान्यता रद्द करने अथवा वापस लेने के लिए जिम्मेवार माना जाएगा।

5. मान्यता प्रदान करना

5.1 परिसंघ की मान्यता, अधिकार का मामला नहीं होगा तथा पूर्ण रूप से भारत सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा जो कुछ शर्तों पर, जिन्हें यह उचित समझे, मान्यता प्रदान कर सकती है।

6. सामान्य

6.1 सारा पत्र व्यवहार आवेदन में उल्लिखित परिसंघ के पते पर किया जाएगा। पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार को लिखित में शीघ्र ही अधिसूचित किया जाना चाहिए।

6.2 परिसंघ युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी मार्गनिर्देशों का पालन करेगा।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा विमान यातायात अधिकारों का उपयोग

5416. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया विमान यातायात के अपने आधे अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एअर इंडिया को अपने पूरे अधिकारों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) भारत से/के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं विमान सेवा करारों (एएसए) द्वारा शासित होती हैं जो (करार) पारस्परिकता एवं साफ-सुथरे और समान अवसर के सिद्धांत के आधार पर विभिन्न

देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से संपादित किए जाते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन करारों में विशेष रूप से विमान सेवा आवृत्तियों और क्षमताओं का उल्लेख किया जाता है जिनका प्रचालन दोनों पक्षों की नामित विमान कंपनियों द्वारा किया जा सकता है। इस समय, भारतीय वाहक विभिन्न विमान सेवा करारों के अंतर्गत उपलब्ध हमारी क्षमता हकदारियों का 39 प्रतिशत हिस्से का उपयोग कर रहे हैं जिसमें से 26 प्रतिशत एअर इंडिया द्वारा जबकि 13 प्रतिशत हिस्से का इंडियन एयरलाइंस द्वारा उपयोग किया जा रहा है। एअर इंडिया द्वारा जिन क्षमता कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उसके अलावा एअर इंडिया द्वारा हकदारियों के उपयोग संबंधी स्तर दो कारणों की वजह से प्रभावित होता है जो निम्नानुसार है-(i) हकदारियों के उपयोग के समर्थन करने के प्रति तृतीय/चतुर्थ स्वतंत्रता यातायात की प्रमात्रा (क्वांटम); (ii) संबंधित मार्ग पर एअर इंडिया की प्रचालन सेवाओं की लाभप्रदता। सीमित विमान बेड़े की वजह से, एअर इंडिया सभी यातायात अधिकारों का ईस्टतम उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा। इसके विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिए, एअर इंडिया ने पहले ही दो विमान सिंगापुर एयरलाइंस से ड्राईलीज पर ले लिए हैं और साथ ही इसने दो और विमानों के लिए जीईसीएएस के साथ लीज करार पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये विमान मई, 2001 में डिलीवर होने की प्रत्याशा है।

ऑप्टिकल-फाइबर-केबलों का बिछाया जाना

5417. कर्नल (सेवा निवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान बाड़मेर-जिले में लगभग 375 किमी. मार्ग के लिए ऑप्टिकल-फाइबर-केबल बिछाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आज तक मात्र 125 किमी. मार्ग तक ही केबल को बिछाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा समय-सीमा के अंदर केबल बिछाने के कार्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 146 किमी. "ओ.एफ. केबल" बिछाई गई है, जिसमें से वर्ष 2000-2001 के दौरान 113 रूट किमी. ऑप्टिकल-फाइबर-केबल को चालू किया गया है।

(ग) और (घ) 2000-2001 के दौरान विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा 12/24 एफ. ऑप्टिकल फाइबर केबल की निविदागत कीमतें स्वीकार न करने से, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कमी हो गई थी। अपेक्षित अतिरिक्त केबल की खरीद हेतु, नए सिरे से सार्वभौमिक तथा स्थानीय निविदाएं मांगी गई हैं, ताकि सर्किलों की जरूरतें पूरी की जा सकें।

वर्ष 1999 के दौरान हड़ताल और तालाबंदी

5418. श्री विनय कुमार सोराके : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1998 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1999 में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण कितने कार्यदिवसों का नुकसान हुआ है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित अनंतिम सूचना के अनुसार, हड़तालों एवं तालाबंदियों की संख्या जो 1998 में 1097 थी 1999 में घटकर 927 दर्ज की गई है। तथापि, हड़तालों एवं तालाबंदियों की वजह से हानि हुए श्रम दिवस जो 1998 में 22.06 मिलियन थी 1999 में बढ़कर 26.79 मिलियन हो गई। हड़तालों की वजह से हानि हुए श्रम दिवस में बढ़ोत्तरी कार्मिक मामलों की वजह से हुई जबकि तालाबंदियों से हुए श्रम दिवसों की हानि में वृद्धि अनुशासनहीनता और हिंसा की भी वजह से थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विदेशी सहायता

5419. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु विदेशी सहायता की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं और किन-किन देशों/संस्थानों से विदेशी सहायता की मांग की जा रही है तथा किस सीमा तक है;

(ग) यह सहायता किस तारीख को प्राप्त की गई थी और अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितना कार्य पूरा हुआ है;

(घ) क्या कतिपय राजमार्गों पर निर्माण–कार्य निर्धारित समय–अवधि से पीछे चल रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) पेड़ काटने, उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण करने, राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की समस्याओं और ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने जैसे कार्य–कलापों से कुछ विलम्ब हुआ है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	उधारदाता एजेंसी	ऋण संबंधी हस्ताक्षर करने की तारीख	ऋण की राशि	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	विश्व बैंक (दूसरा पैकेज)	जून, 1992	306 मिलियन अमरीकी डालर	1 (पंजाब/हरियाणा) 2 (पश्चिम बंगाल) 3 (मध्य प्रदेश) 5 (उड़ीसा) 6 (महाराष्ट्र)	सभी कार्य पूरे होने वाले हैं
2.	विश्व बैंक (तीसरा पैकेज)	अगस्त, 2000	516 मिलियन अमरीकी डालर	2 (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड)	हाल में ही सौंपा गया
3.	ए डी बी	मार्च, 1995	245.0 मिलियन अमरीकी डालर	2 (बिहार) 2 (पश्चिम बंगाल) 5 (आंध्र प्रदेश) 8 (हरियाणा/राजस्थान) 9 (आंध्र प्रदेश)	85% 80% 53.3% 99.7% 97.4%
4.	ए डी बी	अक्टूबर, 2000	180.0 मिलियन अमरीकी डालर	8 (महाराष्ट्र/गुजरात)	हाल में ही सौंपा गया
5.	जेबीआईसी	जनवरी, 1994	10037 मिलियन जापानी येन	27 (उत्तर प्रदेश)	30%
6.	जेबीआईसी	जनवरी, 1994	11360 मिलियन जापनी येन	5 (आंध्र प्रदेश)	47%
7.	जेबीआईसी	फरवरी, 1995	5836 मिलियन जापानी येन	5 (उड़ीसा)	8%
8.	जेबीआईसी	फरवरी, 1995	4827 मिलियन जापानी येन	24 (उत्तर प्रदेश)	48%

ए डी बी–एशियाई विकास बैंक। जे बी आई सी–जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन।

नदी जल की बर्बादी

5420. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में सिंचाई योग्य नदी जल बर्बाद हो जाता है और कितनी मात्रा में नदी जल पाकिस्तान में बह जाता है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में सिंचाई हेतु नदी जल के इष्टतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान इसके ए प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) भारत में औसत वार्षिक वृष्टिपात 4000 बिलियन घन मीटर होता है जिसमें बर्फ पिघलना भी शामिल है। इसमें से 3000 बी. सी. एम. मानसून के दौरान होता है। केन्द्रीय जल आयोग के 1993 के अद्यतन आकलन के अनुसार, देश की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बी. सी. एम. आंका गया है। इसमें से उपयोज्य सतही जल 690 बी. सी. एम. आंका गया है। वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन लगभग 432 बी. सी. एम. है। इसके अलावा, लगभग 200 से 250 बी. सी. एम. जल का उपयोग अधिशेष नदी बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल को स्थानान्तरित करके किया जा सकता है। सिन्धु जल संधि के अनुसार, रावी, व्यास और सतलज नदियों का सम्पूर्ण जल पाकिस्तान के नेशनल उपयोग को छोड़कर भारत द्वारा उपयोग में लाया जाना है और सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों का सम्पूर्ण जल भारत द्वारा कुछ उपयोगों को छोड़कर पाकिस्तान द्वारा उपयोग में लाया जाना है। पाकिस्तान में सतलज के जरिए फिरोजपुर पर प्रेक्षित वार्षिक निःस्राव 1.33 बी.सी.एम. से 10.28 बी.सी.एम. (लगभग 5.43 बी.सी.एम. का औसत) है और रावी के जरिए माधोपुर पर प्रेक्षित प्रवाह 0.007 बी.सी.एम. से 4.10 बी.सी.एम. (लगभग 1.97 बी.सी.एम. का औसत) है।

(ख) सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों का विकास, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों में से अपनी–अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान, देश में 5.17 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। देश में सिंचाई के लिए नदी जल के अधिकतम उपयोग के लिए गत तीन वर्षों में भारत सरकार ने चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया है। चल रही सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की दृष्टि से ताकि उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें, वर्ष 1996–97 में शुरू किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को गत पांच वर्षों में 5878.048 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 1999–2000 के अंत तक 786.375 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(ग) दीर्घकालीन कार्रवाई के रूप में नीति और कार्यक्रम शुरू करने के अलावा, आगामी वर्षों में कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित/प्रस्तावित उपाय सहभागिता दृष्टिकोण से पुराने टैंकों/लघु सिंचाई प्रणालियों की मरम्मत और पुनः स्थापना, जल प्रभारों को युक्तियुक्त बनाना, जल प्रयोक्ता संगठनों का गठन तथा उन्हें जल प्रभार एकत्र करने और जल कार्यों के अनुरक्षण की शक्तियां सौंपना, सृजित सिंचाई और जल आपूर्ति सुविधाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सहायता के जरिए सृजित और उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को दूर करना, भूजल निकालना, विनियमित करना और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करना, परम्परागत और आधुनिक तरीकों से जल संचयन की सूक्ष्म प्रणालियों को बढ़ावा देना, छत के वर्षा जल संचयन की प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना, जल के पुनःचक्र और पुनः उपयोग के जरिए जल के संरक्षण के तरीकों को बढ़ावा देना, नदियों और अन्य जल निकायों में जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, मृदा कटाव, वनों की कटाई, बाढ़ प्रूफिंग, नदी तल में गाद जमा होने आदि को कम करने के उपाय/कार्यक्रम सुदृढ़ करना है।

"अल्ट्रा-लो-सल्फर" डीजल

5421. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में आल्ट्रा–लो–सल्फर डीजल ईंधन के वाहनों के लिए अधिक उपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो देश में अल्ट्रा–लो–सल्फर डीजल की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. जैसे किसी आटो ईंधन की उपयुक्तता विभिन्न घटकों जैसे वाहन की किस्म, इसके इंजन की प्रौद्योगिकी और डिजाइन, रख–रखाव की आवश्यकताएं, कार्य निष्पादन, विश्वसनीयता, लागत, स्थानीय हालातों आदि पर निर्भर होती है। इस समय 500 पार्ट प्रति मिलियन गंधक के अधिकतम

स्तर वाला डीजल दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध है। यह कोलकाता और चेन्नै में 1.7.2001 से उपलब्ध हो जाएगा।

[अनुवाद]

सी.एन.जी. चालित बसों के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन

5422. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) पर चल रही बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस.टी.ए.) की परमिट शर्तों के अंतर्गत लाने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधन को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में सी.एन.जी. से परिचालित बसों को चलाने के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधन में राज्य परिवहन प्राधिकरणों को सी.एन.जी. से चलने वाली बसों के संबंध में रूट परमिट जारी करने और किराए निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रयास किया गया है।

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक विधेयक संसद को विचार करने तथा पारित करने के लिए भेजा जा चुका है।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 26.3.01 के आदेश में ऐसी बसों और आटो के लिए कुछ विनिर्दिष्ट मामलों में अंतिम समय सीमा को 30.9.2001 तक सीमित समयवृद्धि प्रदान की है जिनके पास मुख्य सचिव, परिवहन, दिल्ली प्रशासन द्वारा हस्ताक्षरित परमिट अथवा प्राधिकार पत्र हैं। ऐसी छूट केवल उन मामलों में लागू होगी जिनमें वाहनों को सी.एन.जी./अन्य स्वच्छ ईंधन प्रणाली में परिवर्तित किए जाने के लिए पक्का आदेश दे दिया गया हो और उच्चतम न्यायालय में 31.3.2001 को अथवा इससे पहले इस आशय का शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया हो।

घरेलू इंटरनेट एक्सचेंज

5423. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने घरेलू इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं/किए जा रहे है;

(ख) क्या सरकार का उनकी गति बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) विदेश संचार निगम लि. (वीएसएनएल) देश में इंटरनेट परियात के सुचारु प्रवाह हेतु वीएसएनएल इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट के रूप में पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहा है। वीएसएनएल ने नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, एर्नाकुलम आदि में अपने विभिन्न गेटवज को इंटरलिंक करने के लिए सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट माड्यूल (एसटीएम–I) पारेषण लिंकी (155 मेगावाट्स प्रति सेकंड) का उपयोग करके सुदृढ़ डोमेस्टिक बैकवोन स्थापित किया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) भारत में इंटरनेट एक्सचेंज की गति बढ़ाने के लिए अपने (डोमेस्टिक बैकवोन) को उन्नत करने की दृष्टि से सतत तैयार रहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, वीएसएनएल, अपनी कुल डोमेस्टिक बैकबोन क्षमता/स्पीड को 31 मार्च, 2000 के 209.1 एम बी पी एस से बढ़ाकर 31 मार्च, 2001 के 1055.1 एम बी पी एस तक ले आया है।

भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) इंटरनेट परियात के वहन हेतु राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य, इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में बी एस एन एल के लिए प्वाइंट आफ प्रेजेंस (पीओपी) की स्थापना के अलावा, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आसान, इंटर कनेक्ट प्वाइंट उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन इस पर सभी जुड़ने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का एक इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट के रूप में कार्य कर सकता है। फिलहाल इस बैकबोन की क्षमता 8 एम बी पी एस की है जो उत्तरोत्तर रूप से बढ़कर 155 एम बी पी एस तक हो जाएगी। शुरू में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कलकत्ता, बंगलूर, पुणे स्थित अंतर्राष्ट्रीय गेटवे को 34 एम बी पी एस कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के अनुसार, इंटरनेट एक्सचेंज हेतु न्यूट्रल सुविधाओं के विकास तथा संवर्धन के लिए एक सतत कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें आपसी समझ के आधार पर विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाता एक दूसरे से परस्पर जुड़ सकते हैं।

इस प्रकार, घरेलू परियात को सबसे अच्छा मार्गीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है और बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय बैंड विड्थ भी बचाया जा सकता है।

तेंदु पत्ता श्रमिक

5424. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में तेंदु पत्ता श्रमिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नागर विमानन के विकास के लिए परियोजनाएं

5425. **राजकुमारी रत्ना सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नागर विमानन के विकास के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है और क्या इन परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश में नागर विमानन के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। **लखनऊ हवाई अड्डे पर** : (1) एप्रन के विस्तार और टैक्सी ट्रैक के पुनः सतहलेपन का कार्य आरम्भ किया गया है और इसके जून, 2001 तक पूरा हो जाने की आशा है। (2) ली गई भूमि के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसके मई, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। (3) नए तकनीकी व नियंत्रण टावर के निर्माण का कार्य अपनी आरम्भिक अवस्था में है। (4) एबी-300 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए धावनपथ के 9000 फुट तक विस्तार के कार्य जून, 2001 तक सौंप दिए जाने की आशा है। **वाराणसी हवाई अड्डे पर** : (1) धावनपथ 09 पर विशेष माम्मत का कार्य प्रगति पर है और इसके मई, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। (2) नई प्राप्त की गई भूमि के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण को मूर्तरूप दे दिया गया है और इसके जुलाई, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। (3) एबी-300 विमानों के प्रचालनों के लिए धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार और वर्तमान धावनपथ का सुदृढ़ीकरण, शोल्डरों की व्यवस्था, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हैंडल करने के लिए नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य अपनी आरम्भिक अवस्था में है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वनों के विकास के लिए निधियों का उपयोग

5426. **श्री अशोक ना. मोहोल** :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्ष के दौरान राज्य-वार पर्यावरण और वनों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिए आबंटित निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पर्यावरण और वनों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों को राज्य-वार आबंटित राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, राज्यों के लिए चालू वर्ष के दौरान अभी राशियां आबंटित की जानी हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को राशियां, व्यय के ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात दे दी जाती हैं। आबंटित राशियों से प्रदूषण उपशमन की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

योजना का नाम	राज्य	आबंटित/रिलीज निधियां				
		1996-97	1997-98	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7
दावानल नियंत्रण की आधुनिक पद्धतियां	आंध्र प्रदेश	0.00	14.16	16.00	20.00	
	अरुणाचल प्रदेश					22.35
	असम					15.50
	बिहार			28.35	10.41	
	छत्तीसगढ़					44.00
	गोवा					15.00
	गुजरात	15.73	23.73	39.06	18.00	26.28
	हरियाणा					11.67
	हिमाचल प्रदेश		19.75	17.37	31.38	31.97
	जम्मू एवं कश्मीर					32.70
	झारखंड					42.15
	कर्नाटक	6.48	23.41	39.00	34.04	33.55
	केरल	10.05	21.22	22.49	25.52	15.30
	मध्य प्रदेश	43.40	11.58	22.81	20.97	41.75
	महाराष्ट्र			8.79	10.00	191.29
	मणिपुर					34.00
	मेघालय					23.69
	मिजोरम					24.60
	उड़ीसा	31.89		23.42	20.40	9.10
	राजस्थान					22.68
	सिक्किम					25.00
	तमिलनाडु			15.60	25.80	8.85
	त्रिपुरा					32.40

1	2	3	4	5	6	7
	उत्तर प्रदेश	18.01	37.11	36.82	20.00	6.40
	उत्तरांचल					56.40
	पश्चिम बंगाल					34.85
भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों तथा निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना	आंध्र प्रदेश	10.01		6.55	19.66	21.76
	अरुणाचल प्रदेश				8.18	22.81
	बिहार	29.44	34.09	32.86		19.52
	गुजरात	7.81		14.04	15.00	32.76
	जम्मू एवं कश्मीर			12.17	16.00	47.08
	कर्नाटक	11.41	5.70	18.72	38.72	25.00
	मध्य प्रदेश	71.83	47.40	48.01	50.00	70.00
	महाराष्ट्र	45.32		5.00	37.94	20.10
	मणिपुर			9.36	26.33	25.00
	मिजोरम			6.55	18.02	19.98
	नागालैंड			6.00		9.80
	राजस्थान	1.40		15.91	32.06	25.00
	त्रिपुरा			4.55	8.00	9.25
	पश्चिम बंगाल				7.06	7.61
नम भूमियों का संरक्षण और प्रबंधन	आंध्र प्रदेश			8.89	23.80	
	असम					14.80
	गुजरात					7.00
	हिमाचल प्रदेश	12.00	34.80	12.76	46.50	
	जम्मू एवं कश्मीर	41.00		45.87		45.50
	केरल					33.33
	मणिपुर	110.00	97.65	67.48	97.28	70.00
	उड़ीसा				36.00	55.00

1	2	3	4	5	6	7
	पंजाब	5.40			20.30	70.55
	राजस्थान				36.76	
	त्रिपुरा			5.00	15.00	15.00
हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	11.20	18.90	30.21	11.86	46.30
	अरुणाचल प्रदेश	36.50	–	10.08	19.30	89.81
	असम	–	–	29.60	25.15	45.00
	बिहार	–	–	40.00	26.00	–
	झारखंड	–	–			5.00
	कर्नाटक	119.82	51.79	40.00	85.00	51.00
	केरल	71.96	76.87	143.40	63.55	66.05
	मणिपुर		–			1.00
	मिजोरम		–			1.00
	मेघालय	2.39	12.31		20.68	35.73
	नागालैंड	6.08	–	11.00	40.00	35.17
	उड़ीसा	–	48.40		25.00	29.75
	तमिलनाडु	15.00	30.60	69.28	48.21	50.00
	त्रिपुरा					2.00
	उत्तर प्रदेश	84.31	111.95	95.00	155.81	80.00
	उत्तरांचल	–	–			20.00
	पश्चिम बंगाल	62.76	84.72	78.44	76.01	79.04
बाघ परियोजना	आंध्र प्रदेश	16.87	10.70	18.01	29.04	45.00
	अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00	47.68	30.59	32.61
	असम	40.43	45.08	35.00	87.29	156.10
	बिहार	88.31	36.75	153.99	165.95	87.08
	कर्नाटक	45.30	25.00	69.34	167.08	193.36
	केरल	32.88	34.95	39.19	43.66	50.00
	मध्य प्रदेश	141.57	133.78	225.12	332.16	428.35

1	2	3	4	5	6	7
	महाराष्ट्र	48.11	60.53	110.74	134.76	141.44
	मेघालय	–				1.50
	मिजोरम	8.36	12.45	9.65	21.43	27.54
	उड़ीसा	28.37	49.30	67.65	84.45	82.46
	राजस्थान	131.27	149.88	472.26	222.59	291.70
	तमिलनाडु	28.80	45.60	32.50	58.78	40.00
	उत्तर–प्रदेश	108.26	125.01	199.75	234.23	181.65
	पश्चिम बंगाल	104.67	58.95	179.98	137.14	98.18
परिस्थितिकीय विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश	22.03	25.40	40.02	44.53	33.55
	अरुणाचल प्रदेश	2.19	5.00	15.23	13.82	31.83
	असम	8.80	10.25	42.34	32.00	45.51
	बिहार	5.25	50.00	104.98	238.39	153.99
	गुजरात	–	360.00	161.00	698.84	684.95
	हिमाचल प्रदेश	–	58.40	–	86.84	66.00
	जम्मू एवं कश्मीर	–	22.49	–	13.70	–
	कर्नाटक	9.88	84.65	452.35	1068.95	634.87
	केरल	9.10	449.50	449.50	439.02	715.25
	मध्य प्रदेश	26.30	101.33	431.76	481.00	326.53
	महाराष्ट्र	9.80	7.43	41.88	96.15	27.00
	मणिपुर	–	4.75	10.40	10.11	21.44
	मेघालय	–	–	–	–	21.52
	मिजोरम	–	10.50	2.00	64.55	118.05
	नागालैंड	–	–	10.00	8.00	23.25
	उड़ीसा	–	45.77	22.60	12.00	56.16
	पंजाब	–	9.14	10.20	–	–
	राजस्थान	26.76	50.00	158.00	150.00	531.28
	सिक्किम	–		5.85	32.63	29.60

1	2	3	4	5	6	7
	तमिलनाडु	–	4.12	18.10	31.96	6.30
	त्रिपुरा	–	–	44.40	–	20.00
	उत्तर प्रदेश	13.27	41.45	101.86	66.51	113.74
	पश्चिम बंगाल	28.66	443.52	502.09	561.69	530.39
आदिवासी विकास के लिए लाभोन्मुखी स्कीम	कर्नाटक	22.08	25.00	–	68.50	64.65
	मध्य प्रदेश	77.92	45.00	350.00	201.08	200.00
	महाराष्ट्र	–	–	–	–	46.00
	उड़ीसा	–	40.00	–	–	–
एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश	211.51	–	143.51	149.65	246.55
	अरुणाचल प्रदेश	74.32	65.21	14.94	57.87	51.99
	असम	34.90	55.35	50.00	67.15	52.25
	बिहार	29.35	69.35	13.20	60.69	47.56
	गुजरात	0.00	36.63	13.00	58.94	221.45
	हरियाणा	149.40	62.00	109.93	81.29	77.60
	हिमाचल प्रदेश	80.42	0.00	52.28	37.92	78.91
	जम्मू व कश्मीर	314.88	169.66	288.37	364.09	326.85
	कर्नाटक	209.98	143.72	37.42	160.36	167.43
	केरल	31.57	135.15	199.35	346.14	486.09
	मध्य प्रदेश	211.20	279.02	231.27	352.83	327.66
	महाराष्ट्र	6.62	71.46	84.28	17.18	225.68
	मणिपुर	261.50	98.30	283.72	468.73	328.11
	मेघालय	16.31	0.00	–	10.21	14.70
	मिजोरम	81.50	77.11	96.26	147.56	149.42
	नागालैंड	0.00	0.00	–	38.60	73.64
	उड़ीसा	6.40	0.00	176.60	239.66	729.00
	पंजाब	97.50,	57.54	37.83	28.62	0.00
	राजस्थान	263.09	242.25	253.39	376.57	432.67

1	2	3	4	5	6	7
	सिक्किम	179.65	91.00	214.59	109.82	183.01
	तमिलनाडु	0.50	0.00	18.02	—	84.55
	त्रिपुरा	30.35	65.00	58.57	37.77	91.51
	उत्तर प्रदेश	1049.66	229.95	385.00	367.71	369.40
	पश्चिम बंगाल	118.20	15.64	125.60	170.64	121.60
	पांडिचेरी	0.00	0.00	—	—	20.12
क्षेत्रोन्मुखी जलाऊ लकड़ी एवं चारा परियोजना	आंध्र प्रदेश	122.74	144.88	89.79	69.92	146.38
	अरुणाचल प्रदेश	12.23	6.00	—	7.00	9.28
	असम	120.66	70.00	83.95	89.69	42.83
	बिहार	75.00	17.40	37.18	190.94	30.00
	गोवा	6.61	5.00	3.00	5.69	2.89
	गुजरात	122.73	135.98	157.10	212.45	206.27
	हरियाणा	255.73	194.38	261.00	265.69	323.20
	हिमाचल प्रदेश	190.00	142.08	58.20	181.78	132.96
	जम्मू और कश्मीर	72.01	120.33	42.31	—	—
	कर्नाटक	245.39	195.31	74.45	153.70	70.00
	केरल	103.30	87.17	106.96	75.61	65.03
	मध्य प्रदेश	482.82	210.18	500.50	388.13	300.00
	महाराष्ट्र	78.67	75.00	27.91	120.91	18.53
	मणिपुर	146.82	100.00	128.75	127.54	47.90
	मेघालय	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	मिजोरम	275.00	244.12	211.91	173.22	147.81
	नागालैंड	10.00	0.00	4.23	10.87	9.00
	उड़ीसा	138.20	91.14	69.21	116.53	96.12
	पंजाब	50.00	169.14	20.98	—	0.00
	राजस्थान	256.62	304.61	263.35	160.00	7 18
	सिक्किम	74.00	69.99	67.18	69.52	55.54
	तमिलनाडु	132.95	133.45	84.24	93.03	100.59

1	2	3	4	5	6	7
	त्रिपुरा	55.19	94.30	33.19	—	60.00
	उत्तर प्रदेश	360.47	212.44	205.62	329.02	153.43
	पश्चिम बंगाल	151.64	134.68	168.99	197.10	178.61
गैर टिम्बर वनोत्पाद	आन्ध्र प्रदेश	59.00	46.39	36.86	119.13	168.00
	अरुणाचल प्रदेश	25.84	0.00	5.00	30.00	0.00
	असम	15.00	13.50	14.00	25.00	74.00
	बिहार	0.00	14.00	14.00	0.00	60.00
	गोवा	8.45	8.22	10.87	12.13	32.06
	गुजरात	111.13	57.68	58.66	116.65	191.62
	हरियाणा	39.95	36.30	38.25	29.44	44.35
	हिमाचल प्रदेश	43.08	28.63	4.00	32.19	34.99
	जम्मू और कश्मीर	149.86	97.05	151.35	187.85	110.00
	कर्नाटक	30.00	43.00	53.87	51.34	81.63
	केरल	20.16	10.35	4.00	13.10	45.50
	मध्य प्रदेश	54.25	71.00	69.80	77.50	187.50
	महाराष्ट्र	20.00	38.51	48.66	0.00	127.00
	मणिपुर	71.36	18.00	47.24	53.94	118.37
	मेघालय	0.00	0.00	12.00	0.00	38.00
	मिजोरम	8.50	17.90	25.00	53.45	88.82
	नागालैंड	10.00	0.00	5.00	0.00	64.00
	उड़ीसा	78.60	48.00	102.88	86.08	162.20
	पंजाब	80.00	29.50	4.00	0.00	25.00
	राजस्थान	47.30	58.61	130.40	116.21	125.40
	सिक्किम	113.00	32.50	61.31	102.00	198.44
	तमिलनाडु	15.00	0.00	33.00	0.00	47.38
	त्रिपुरा	8.00	6.35	10.15	17.25	17.15
	उत्तर प्रदेश	0.00	53.00	0.00	5.00	78.00
	पश्चिम बंगाल	61.65	21.47	59.70	71.74	79.00

1	2	3	4	5	6	7
ताज सुरक्षा मिशन	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	3200.00	1250.00	2103.25
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	आन्ध्र प्रदेश	52.06	43.39	50.72	87.54	186.07
	अरुणाचल प्रदेश	36.46	27.95	57.91	50.98	121.12
	असम	0.00	54.62	58.05	53.44	317.20
	बिहार	0.00	6.00	—	27.85	21.02
	गोवा	10.14	—	11.07	21.30	10.50
	गुजरात	52.73	17.00	13.80	22.10	65.27
	हरियाणा	11.04	14.57	37.20	21.55	28.35
	हिमाचल प्रदेश	12.10	61.50	49.80	47.46	165.30
	जम्मू और कश्मीर	13.94	124.70	7.00	5.55	0.00
	कर्नाटक	225.85	78.17	84.12	100.32	307.18
	केरल	34.96	49.29	49.35	59.97	102.62
	मध्य प्रदेश	41.87	195.66	35.93	152.20	182.19
	महाराष्ट्र	13.81	48.84	27.78	123.43	90.96
	मणिपुर	23.01	13.50	19.64	13.28	41.78
	मेघालय	2.57	0.00	0.00	0.00	66.36
	मिजोरम	4.60	13.48	8.45	12.30	102.31
	नागालैंड	4.31	15.29	9.00	9.70	31.85
	उड़ीसा	8.38	34.22	68.73	94.74	3.50
	पंजाब	0.00	14.03	8.65	11.57	26.39
	राजस्थान	37.03	82.34	89.52	66.54	116.00
	सिक्किम	15.29	12.51	11.00	12.00	97.45
	तमिलनाडु	20.25	61.28	74.63	61.18	89.83
	त्रिपुरा	2.29	29.81	0.00	19.97	21.90
	उत्तर प्रदेश	56.00	112.11	89.57	117.81	144.60
	पश्चिम बंगाल	39.31	69.69	72.96	55.20	90.22
	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	20.56	0.00	22.00	50.00
	चंडीगढ़	0.00	12.00	0.00	28.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	आन्ध्र प्रदेश	210.00	200.00	0.00	677.89	0.00
	बिहार	300.26	0.00	0.00	0.00	286.12
	दिल्ली	462.50	82.59	200.00	125.00	67.50
	गुजरात	300.00	650.00	220.00	1713.62	0.00
	हरियाणा	6337.60	2585.00	2650.00	1482.00	600.00
	कर्नाटक	115.00	0.00	90.00	435.65	309.00
	मध्य प्रदेश	71.56	124.00	500.00	1150.27	698.43
	महाराष्ट्र	12.79	100.00	0.00	233.00	700.00
	उड़ीसा	12.43	0.00	0.00	0.00	77.00
	पंजाब	450.00	0.00	500.00	1295.00	651.80
	राजस्थान	0.17	0.00	0.00	50.00	0.00
	तमिलनाडु	85.62	0.00	90.00	649.57	1355.00
	उत्तर प्रदेश	2035.27	5413.50	5350.00	6846.51	3085.60
	पश्चिम बंगाल	429.62	2.21	400.00	400.00	150.00
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	आन्ध्र प्रदेश	44.75	43.75	27.25	25.40	69.75
	अरुणाचल प्रदेश	0.00	8.12	12.27	9.68	19.36
	असम	0.00	19.56	0.42	0.00	89.82
	बिहार	15.75	0.00	31.70	15.45	0.00
	गुजरात	10.00	21.00	45.43	62.07	95.67
	झारखंड	20.37	0.00	0.00	10.00	0.00
	कर्नाटक	4.37	6.00	10.90	208.50	43.00
	केरल	0.00	30.00	0.00	0.00	46.40
	मध्य प्रदेश	16.87	29.69	50.50	21.00	35.85
	महाराष्ट्र	27.67	20.51	0.00	12.61	12.61
	मणिपुर	4.51	0.00	4.57	0.00	49.15
	मिजोरम	0.00	0.14	0.00	0.00	62.50
	नागालैंड	2.50	0.00	0.00	0.00	30.00
	उड़ीसा	16.00	7.35	3.00	65.50	44.00

1	2	3	4	5	6	7
	पंजाब	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
	राजस्थान	11.42	0.50	0.85	102.40	7.02
	सिक्किम	0.00	8.88	0.00	19.38	48.64
	तमिलनाडु	9.22	16.43	48.75	154.00	46.50
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	17.34	18.84
	उत्तर प्रदेश	15.00	38.50	23.65	56.86	10.00
	पश्चिम बंगाल	21.61	29.31	78.85	34.37	72.34
	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	53.00	28.74	15.65

[हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली पर आधारित मोबाइल सेवा

5427. श्री सुकदेव पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) सम्पूर्ण देश में अन्य सेल्यूलर आपरेटरों की तुलना में कम दरों पर वायरलेस ऑन लोकल लूप (डब्ल्यू. एल. एल.) मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) ने देश के मुख्य शहरों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) सेवा प्रदान करने की पहले से ही योजना बना ली है। शहरवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इलाहाबाद और गुड़गांव में उक्त सेवा पहले ही शुरू कर दी गई है। अन्य शहरों में डब्ल्यू एल एल की संस्थापना/चालू किए जाने का कार्य चल रहा है और 2001–02 के दौरान इसके पूरा हो जाने की संभावना है। देश के अन्य भागों में डब्ल्यू एल एल सेवा प्रदान करने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	डब्ल्यूएलएल के हेतु प्रस्तावित शहर
1.	कलकत्ता
2.	मद्रास
3.	बंगलूर
4.	हैदराबाद
5.	अहमदाबाद
6.	कानपुर
7.	जयपुर
8.	एर्नाकुलम
9.	पुणे
10.	इंदौर
11.	पटना
12.	लुधियाना
13.	लखनऊ
14.	गुड़गांव
15.	चंडीगढ़
16.	गुवाहाटी
17.	इलाहाबाद
18.	शिलांग
19.	सिंधुदुर्ग

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. की सेवाओं का वाणिज्यिकरण

5428. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन. एल.) की सेवाओं का वाणिज्यिकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) अन्यों के साथ–साथ एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. अपने उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक आधार पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

1. डिजीटल–स्विचों के जरिए फिक्सड टेलीफोन सेवा;
2. इंटरनेट–सेवाएं;
3. इंटीग्रेटेड सर्विस डिजीटल नेटवर्क (आईएसडीएन);
4. इंटेलीजेंट नेटवर्क (आईएन);
5. लीज्ड लाइनें;
6. वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एलएल)–सेवाएं;
7. डायनामिक एस टी डी/आई एस डी नियंत्रित–सुविधा;
8. वेकअप अलार्म–सुविधा;
9. कॉल अलर्ट (हंटिंग)–सुविधा;
10. कॉल–ट्रांसफर–सुविधा;
11. कॉलिंग लाइन प्रजेन्टेशन (क्लिप)–सुविधा;
12. संक्षिप्त डायलिंग–सुविधा;
13. एम टी एन एल ने जी एस एम सेल्यूलर–सेवाएं पहले ही शुरू कर दी हैं और बी एस एन एल इसके चालू वर्ष के दौरान प्रदान करने की योजना बना रहा है;
14. बी एस एन एल भारत के X.25–आधारित 'पब्लिक स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क' (आई–नेट)–सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

कृष्णा नदी के जल का बंटवारा

5429. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को बछावत आयोग के अनुसार मानसून के मौसम में कृष्णा नदी के जल का अपना हिस्सा मिल गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार इसके जल का हिस्सा जारी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी का 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह 2060 टी एम सी जल के रूप में निर्धारित किया है और इस मात्रा में से, आंध्र प्रदेश को वापसी प्रवाह और निर्धारित अधिकारों को प्राप्त किए बिना किसी जल वर्ष में शेष जल के उपयोग की छूट के अतिरिक्त, 800 टी एम सी जल आबंटित किया गया था। अधिकरण द्वारा वर्षवार अथवा मौसमवार आबंटन नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय क्रिकेट दल का टूर्नामेंटों में भाग लेना

5430. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट दल को शारजाह, सिंगापुर और टोरंटो जैसे शहरों में होने वाले टूर्नामेंटों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कुल कितने राजस्व की हानि होगी; और

(घ) इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि भारत को अनियत स्थलों पर खेले जाने वाले किसी भी क्रिकेट मैच में तीन वर्षों के लिए भाग नहीं लेना चाहिए।

यह निर्णय इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करके लिया गया है।

(ग) सूचना बी.सी.सी.आई. से एकत्र की जा रही है।

(घ) वर्तमान में सरकार के पास इस हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई प्रस्तावित योजना नहीं है।

युवक कार्यक्रम

5431. श्री रामशकल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे युवक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के युवकों को इन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो युवकों को ऐसे कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और **(ग)** जी, नहीं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही अधिकांश योजनाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) के अंतर्निहित तत्व हैं जिनमें इन योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की व्यवस्था की गई है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन से संबद्ध युवा क्लब तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां भी युवाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में जागरूगता उत्पन्न करती हैं।

विवरण

(क) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा युवाओं के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना :

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य युवा छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करना है। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना 175 विश्वविद्यालयों और 22 वरिष्ठ माध्यमिक परिषदों में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना में दो प्रकार के कार्यक्रम हैं जो इसके स्वयंसेवकों द्वारा आरंभ किए जाते हैं; ये हैं नियमित गतिविधियां और विशेष शिविर कार्यक्रम। इस योजना से छात्रों को समुदाय की विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए अत्यधिक शैक्षिक मूल्य का अनुभव प्राप्त होता है।

(ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) :

नेहरू युवा केन्द्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। एन.वाई.के.एस. लगभग 1.6 लाख कार्यक्रम आधारित युवा क्लबों के संजाल के माध्यम से 8 मिलियन से अधिक ग्रामीण युवाओं के माध्यम से काम करता है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्वैच्छिक कार्यवाही पर बल देते हुए गांवों में सामाजिक, आर्थिक विकास कार्य के लिए ग्रामीण युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें इस कार्य के लिए जुटाने की कार्य नीति अपनाता है। एन.वाई.के.एस. द्वारा युवाओं से संबंधित कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं हैं : व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वैच्छिक श्रमदान के माध्यम से कार्य शिविर, ग्रामीण खेल और साहस, राष्ट्रीय एकीकरण, परंपरागत और लोक कला तथा संस्कृति आदि का संवर्धन।

(ग) युवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना :

इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना है। स्वैच्छिक संगठनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता दी जाती है ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) युवाओं के प्रशिक्षण की योजना :

इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और प्रतिभाओं पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सहभागिता के माध्यम से जानकारी का प्रसार करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, नेहरू युवा केन्द्रों और राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

(ङ) पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के बीच युवा गतिविधियों के संवर्धन के लिए विशेष योजना :

इस योजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर और सामान्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करके पिछड़ी जनजातियों के युवाओं का भी विकास करना है।

(च) युवाओं के लिए प्रदर्शनी की योजना :

इस योजना का उद्देश्य सहनशीलता, सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता के सिद्धांतों और शांतिपूर्ण प्रगति को प्रदर्शनी के माध्यम से सक्रियता और ऊर्जस्विता से प्रचारित करना है। कार्यक्रमों/गतिविधियों में लोक नृत्यों, लोकगीतों, चित्रकला, कला एवं शिल्प,

पुस्तकों पर प्रदर्शनी और विभिन्न विकासपरक एवं युवा संबंधी योजनाएं शामिल हैं।

(छ) राष्ट्रीय एकीकरण का विकास :

यह योजना देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के बीच और अधिक आदान–प्रदान तथा आपसी सूझबूझ की भावना जागृत करने तथा शिविरों, अंतर–राज्यीय दौरों, सेमिनारों, सम्मेलनों, अनुसंधान प्रकाशनों, क्षेत्रीय तथा आंचलिक महोत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषाई कट्टरवाद तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए, राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की अधिक सहभागिता के लिए ढांचा प्रदान करती है।

(ज) साहस का संवर्धन :

इस योजना का उद्देश्य युवाओं में जोखिम लेने, मिलकर टीम कार्य करने, सहनशीलता तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहसिक कार्यकलापों जैसे पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, रोइंग, राफ्टिंग हाईकिंग, आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अन्वेषण, पर्वतों, रेगिस्तान तथा समुद्रों में वनस्पति तथा जीव–जन्तुओं के बारे में अध्ययन, तटीय नौकायन आदि के लिए युवाओं में शीघ्रता, तत्परता और प्रभावी प्रतिक्रिया का सृजन तथा विकास करना तथा ऐसे कार्यकलापों को शुरू करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना भी है।

(झ) युवा छात्रावासों का निर्माण :

योजना का उद्देश्य युवा छात्रावासों का निर्माण करके जो युवा गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, युवा यात्रा तथा युवा गतिविधि कार्यक्रमों का संवर्धन करना है। केन्द्रीय सरकार युवा छात्रावासों की निर्माण लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार निःशुल्क भूमि, पानी तथा बिजली कनेक्शन, पहुंच मार्ग तथा स्टाफ क्वार्टर्स उपलब्ध कराती है और छात्रावासों की प्रारंभिक प्रचालन संबंधी लागत भी वहन करती है।

(ञ) युवा क्लब तथा खेल क्लब को सहायता हेतु योजना :

इस योजना के तीन घटक हैं :

1. **उत्कृष्ट युवा खेल क्लबों को पुरस्कार :** योजना का उद्देश्य युवा क्लबों के योगदान को मान्यता देना तथा राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना है। पुरस्कार जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं।

2. **खेल क्लबों को वित्तीय सहायता :** इस योजना का उद्देश्य चरणबद्ध रूप में प्रत्येक ब्लाक में एक, प्रमुख स्वैच्छिक खेल क्लब/खेल केन्द्रों का संवर्धन करना है।

3. **युवा क्लबों को वित्तीय सहायता :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवस्थापित युवा क्लबों को प्रोत्साहित करना तथा सहायता देना है ताकि वे राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में कारगर ढंग से भाग ले सकें और पूरे देश में संगठित युवा क्लब आंदोलन का संवर्धन करना है।

(ट) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना (एन.एस.वी.एस.) :

इस योजना का उद्देश्य सामान्यतः उन छात्रों को अवसर प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री पूर्ण कर ली है ताकि वे स्वयं किसी विशेष अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकें। योजना से लाभ प्राप्त करने वालों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स तथा गाइड, युवा क्षेत्रों में काम कर रहे चयनित गैर–सरकारी संगठन तथा राज्य सरकारें शामिल हैं।

(ठ) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी (एन.आर.सी.) :

एन.आर.सी. योजना जून, 1999 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में दो वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर देश के 80 चुनिंदा पिछड़े जिलों में प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मैट्रिक पास युवाओं को अवसर प्रदान करना है।

(ड) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) प्रशिक्षण केन्द्र योजना :

योजना का उद्देश्य 14 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन प्रशिक्षणार्थियों का उनके द्वारा चयनित विधाओं में मूल्यांकन किया जाता है और अंत में भा.खे.प्रा. के विभिन्न केन्द्रों में आवासीय प्रशिक्षण के लिए इनका चयन किया जाता है। इस समय, इन केन्द्रों में जो 17 खेल विधाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वे हैं : एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबाल, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साईक्लिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, हैंडबाल, जूडो, तैराकी, कबड्डी, वालीबाल, कुश्ती, भारोत्तोलन, कैनोइंग और क्याकिंग तथा रोइंग।

(ढ) खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना :

योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मान्यता

प्रदान करना है। छात्रवृत्ति तीन श्रेणियों के लिए दी जाती है :

1. राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 450/–रुपये प्रतिमाह अर्थात 5400/–रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

2. राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 600/–रुपये प्रतिमाह अर्थात 7200/–रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 750/–रुपये प्रतिमाह अर्थात 9000/–रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(क) प्रौढ़ शिक्षा :

देश भर से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अभियान का आदर्श मुख्य नीति के रूप में अपनाया है। साक्षरता अभियान क्षेत्र विशेष, समयबद्ध हैं और स्वेच्छावाद, किफायत और परिणामोन्मुखी तरीकों के माध्यम से चलाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 15–35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है ताकि वर्ष 2005 तक 75 प्रतिशत के स्तर तक साक्षरता को बनाए रखने की शुरूआत की जा सके।

(ख) छात्रवृत्तियां :

शिक्षा विभाग भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों को चलाता है ताकि वे भारत तथा विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आगे अध्ययन/अनुसंधान कर सकें। इनमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विदेशों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण :

योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार को बढ़ावा देना, कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करना तथा बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करना है। कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों को सरल बाजारोन्मुखी कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निचले माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना भी है ताकि उनमें व्यावसायिक रुचि का विकास किया जा सके और छात्रों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम को एक विकल्प बनाने में छात्रों को सुविधासम्पन्न बनाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) :

इस योजना का उद्देश्य पूर्व जवाहर रोजगार योजना (जे. आर.वाई.) का पुनर्गठन कर ग्राम स्तर पर ग्रामीण अवस्थापना का विकास करना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य समुदाय द्वारा ग्रामीण अवस्थापना की मांग के सृजन सहित गांवों में गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का द्वितीय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीब व्यक्तियों के लिए मजदूरी वाले रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित युवाओं को भी लाभ होता है।

(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) :

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) पूर्व कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ग्रामीण कलाकारों को बेहतर औजार किटों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं योजना को मिलाकर तथा समन्वित कर अप्रैल, 01, 1999 से प्रारंभ की गई थी। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उपक्रम स्थापित करना है ताकि 3 वर्षों में उन सभी परिवारों को, जिन्हें सहायता दी गई है, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। ग्रुप (एस. एच.जी.) दृष्टिकोण, जो कि इस योजना में केन्द्रीय स्थान रखता है, को ग्रामीण युवा स्व–रोजगार और आय सृजन के लिए अपना सकते हैं।

(ग) रोजगार आश्वासन योजना :

योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे ग्रामीण युवाओं के लिए मजदूरी का रोजगार न मिलने की अवधि में शारीरिक कार्य के अवसर प्रदान करके अतिरिक्त मजदूरी के अवसरों का सृजन करना है। दूसरा उद्देश्य रोजगार और विकास के लिए टि ाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन ।रना है। योजना सभी गरीब ग्रामीण

युवाओं सहित उन युवाओं के लिए है जिन्हें मजदूरी वाले रोजगार की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) 2 अक्टूबर, 93 को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

18–35 वर्ष के आयु वर्ग (उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए 18–40 वर्ष) के उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जिनकी पारिवारिक आय 24,000/–रुपये प्रति वर्ष (उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए 40,000/–रुपये प्रतिवर्ष) तक है, को एक लाख रुपये तक के स्व–रोजगार उद्यमों के लिए, प्रत्यक्ष कृषि कार्य के अलावा सभी आर्थिक व्यवहार्य कार्यकलापों में व्यापारिक कार्यकलापों के लिए (2 लाख रुपये तक अन्य सेवा संबंधी कार्यकलापों के लिए) सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की साझेदारी वाली परियोजनाएं आती हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(क) युवा वैज्ञानिकों के लिए अवसर :

इस योजना का उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान तथा विकास (आर. एंड डी.) के कार्य को जीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना तथा उन्हें जोखिमपूर्ण और नवीन अनुसंधान के विचारों में लगे रहने, परस्पर विचार–विमर्श तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर वैज्ञानिक समुदायों के साथ विचारों के आदान–प्रदान के अवसर प्रदान कर विज्ञान के क्षेत्र में लगाए रखना तथा राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की विकासात्मक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का बनाए रखना है।

(ख) किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना :

योजना का लक्ष्य स्कूल तथा कालेज/एम.एस.सी. स्तर पर युवा वैज्ञानिक छात्र हैं। योजना के अंतर्गत उन छात्रों को ट्यूशन फीस, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए उन विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यकलापों जिनमें अभिविन्यास दौरे तथा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं/उद्योगों/गैर–सरकारी संगठनों में गर्मियों में प्रशिक्षण, अन्य देशों के साथ आदान–प्रदान कार्यक्रमों में सहभागिता, पेपरों और रिपोर्टों का प्रकाशन, पुस्तकों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि की आवधिक पत्रिकाओं की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।

(ग) सामाजिक कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक :

योजना का लक्ष्य युवा वैज्ञानिकों को समाज के कमजोर वर्गों की रोजमर्रा की समस्याओं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामना करने के लिए तथा स्वयंसेवी क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों के साथ विचारों के आदान–प्रदान के लिए नवीन अनुसंधान के विचारों को प्रोत्साहन देना है।

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय

(क) मद्यनिषेध तथा मादक वस्तुओं के दुरुपयोग की रोकथाम :

मद्य–निषेध तथा मादक वस्तुओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने तीन सूत्री कार्यनीति तैयार की है जिसके घटक निम्नलिखित हैं :

1. मादक वस्तुओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा लोगों को शिक्षित करना।
2. अभिप्रेरण, परामर्श, उपचार, रोगमुक्त व्यसनियों के अनुपालन तथा सामाजिक पुनः एकीकरण के सुव्यवस्थित कार्यक्रम के जरिए व्यसनियों से निपटना।
3. मादक वस्तुओं के दुरुपयोग के नियंत्रण प्रचालकों के शिक्षित संवर्ग के निर्माण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवकों को पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करना।

शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

(क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :

तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाएं, नामतः गरीबों के लिए शहरी मूल सेवाएं (यू.बी.एस.पी.), नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) तथा प्रधानमंत्री जी का समेकित शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम (पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी.), योजना में सम्मिलित हैं। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उद्यमों तथा मजदूरी रोजगार के प्रावधान की स्थापना को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारों अथवा रोजगाराधीन व्यक्तियों को सार्थक रोजगार प्रदान करना है। शहरी गरीब युवा भी इस योजना के अंतर्गत संभावित लाभार्थी हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग

(क) किशोर लड़कियों की योजना :

यह योजना 11–18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोर लड़कियों के लिए है जिसका उद्देश्य उनके आत्म विकास, पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, साक्षरता, मनोरंजन तथा कौशल निर्माण की विशेष जरूरतों को पूरा करना है।

(ख) कामकाजी महिला छात्रावास :

इन योजनाओं का उद्देश्य उन कामकाजी महिलाओं, एकल,

तलाकशुदा, विवाहित तथा विधवाओं को सुरक्षित तथा सस्ते छात्रावासीय मकान उपलब्ध कराना है जो कस्बों और शहरों में पलायन कर जाती हैं जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

(ग) प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एस.टी.ई.पी.) :

योजना का उद्देश्य कृषि, रेशम उत्पादन, दस्तकारी, मत्स्य पालन, डेरी, मुर्गी पालन आदि के परंपरागत क्षेत्रों में गरीब तथा संपत्तिहीन महिलाओं को उनके उत्पादन को बढ़ाने और आय उत्पन्न करने के लिए नए उन्नत कौशल उपलब्ध कराना है।

(घ) राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) :

यह अनौपचारिक क्षेत्रों में गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं को उधार सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय उधार निधि है।

(ङ) इंदिरा महिला योजना (आई.एम.वाई.) :

योजना का उद्देश्य एकत्रित होकर, विश्लेषण करके तथा विद्यमान विभागीय कार्यक्रमों के जरिए उनकी जरूरतों को पूरा करने हेतु महिलाओं के लिए संगठनात्मक आधार सृजित करके महिलाओं को आदर्शवादी अधिकार प्रदान करना है।

श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम :

विभिन्न स्तरों पर उद्योग को कुशल श्रम शक्ति की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत बहुत सी प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं में व्यवसायिक प्रशिक्षण, दस्तकार प्रशिक्षण योजना तथा शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर :

1948 में एक संसदीय अधिनियम के द्वारा सृजित की गई राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) पूर्णतया युवा छात्रों के लिए एक योजना है। यह एक अंतर–सेवा संगठन है जिसमें थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की इकाईयां हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं :

1. नेतृत्व, चरित्र, सहयोग भावना, खेल भावना के विचार तथा सेवा के आदर्श का विकास, 2. अनुशासित तथा प्रशिक्षित श्रमशक्ति की सेना का सृजन जो राष्ट्रीय आपातकाल में देश के लिए सहायक हों; तथा 3. छात्रों को प्रशिक्षण का प्रावधान जिसका उद्देश्य उनमें अफसरों जैसे गुण विकसित करना है तथा उनको सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना है।

एन.सी.सी. में नामांकन तीन डिवीजनों में किया जाता है। नामतः जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन तथा लड़कियों की डिवीजन। लड़कियों की डिवीजन में स्कूलों में जूनियर विंग और कालेजों में सीनियर विंग समाहित हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों पर प्रतिबंध

5432. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई भी खेल अर्थात क्रिकेट, हॉकी इत्यादि न खेलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा भी इस संबंध में ऐसा ही निर्णय लिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत को अनियत स्थलों पर खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों में कम से कम तीन वर्षों के लिए भाग नहीं लेना चाहिए।

(ग) और (घ) पाकिस्तान सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

तुंगभद्रा नदी पर बैराज

5433. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में हम्पगी के निकट तुंगभद्रा नदी पर एक बैराज के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव 1998 से केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके शीघ्र मंजूरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1998 और सितम्बर, 1999 के मध्य परियोजना प्रस्ताव संबंधी विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई थीं। राज्य सरकार ने इन टिप्पणियों के संबंध में अभी भी उत्तर नहीं दिया है।

(ग) इस परियोजना की स्वीकृति अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालना पर निर्भर करती है।

ऑप्टिकल फाइबर का आबंटन

5434. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) 2000-01 के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित किए गए ऑप्टिकल फाइबर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को 2001-2002 के दौरान ऑप्टिकल फाइबर के आबंटन के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित ऑप्टिकल फाइबर केबल का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं, तथापि बी.एस.एन.एल. की योजना के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिए सर्किलों के आबंटन के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) आवश्यक ऑप्टिकल फाइबर केबल की खरीद के लिए सार्वभौम निविदाएं तथा स्थानीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं ताकि सर्किलों की ऑप्टिकल फाइबर केबल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 के लिए आबंटन

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल	आबंटन (किमी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5500
2.	अंडमान तथा निकोबार	65
3.	असम	830
4.	बिहार, झारखंड	3827
5.	गुजरात	8984
6.	हरियाणा	850
7.	हिमाचल प्रदेश	850
8.	जम्मू तथा कश्मीर	000
9.	कर्नाटक	7900
10.	केरल	3324
11.	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	8690
12.	महाराष्ट्र, गोवा	9600
13.	उत्तर-पूर्व (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर तथा नागालैंड)	300
14.	उड़ीसा	2100
15.	पंजाब	1375
16.	राजस्थान	9340
17.	तमिलनाडु	5200
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	6000
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) उत्तरांचल	2000
20.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	1480
21.	चेन्नई टेलीफोन जिला (टीडी)	550
22.	कोलकाता टेलीफोन जिला (टीडी)	120
	कुल	78885

उपरोक्त के अतिरिक्त अंतर्राज्य/सर्किल लंबी दूरी नेटवर्क के लिए परियोजना सर्किलों को निम्नलिखित आबंटन प्रदान किया गया था।

पूर्वी दूरसंचार परियोजनाएं	4700
उत्तरी दूरसंचार परियोजनाएं	5736
पश्चिमी दूरसंचार परियोजनाएं	5602
दक्षिणी दूरसंचार परियोजनाएं	5321
उत्तर पूर्व कार्यदल दूरसंचार परियोजनाएं	300

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के लिए आबंटन

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल	आबंटन (किमी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5900
2.	अंडमान तथा निकोबार	119
3.	असम	700
4.	बिहार	2975
5.	झारखंड	1275
6.	गुजरात	9600
7	हरियाणा	1651
8.	हिमाचल प्रदेश	1835
9.	जम्मू तथा कश्मीर	600
10.	कर्नाटक	6990
11.	केरल	1600
12.	मध्य प्रदेश	8588
13.	छत्तीसगढ़	3596
14.	महाराष्ट्र, गोवा	11500
15.	उत्तर–पूर्व–I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	555
16.	उत्तर–पूर्व–II (अरुणाचल, मणिपुर तथा नागालैंड)	295
17.	उड़ीसा	3300
18.	पंजाब	3722
19.	तमिलनाडु	3650
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	12400
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1990
22.	उत्तरांचल	510
23.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	4800
24.	चेन्नई टेलीफोन जिला (टीडी)	800
25.	कोलकाता टेलीफोन जिला (टीडी)	300
26.	राजस्थान	9750
	कुल	99001

उपर्युक्त के अतिरिक्त अंतर्राज्य/सर्किल लंबी दूरी नेटवर्क के लिए परियोजना सर्किलों को निम्नलिखित आबंटन प्रदान किया गया था

पूर्वी दूरसंचार परियोजना	3500
उत्तरी दूरसंचार परियोजना	5000
पश्चिमी दूरसंचार परियोजना	5820
दक्षिणी दूरसंचार परियोजना	5860
उत्तर पूर्व कार्यदल दूरसंचार परियोजना	494

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के वेतन में असमानता

5435. डा. रामचन्द्र डोम :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री सुबोध राय :
श्री अनिल बसु :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछले दशक के दौरान गैर–सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति के वास्तविक वेतन में काई वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उपर्युक्त क्षेत्रों के वेतन के बीच असमानता देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी असमानता के क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र में अलग–अलग कुल व्यय में से वेतन पर व्यय की प्रतिशतता कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) उद्यमों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति परिलब्धियां और औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) में वृद्धि इस प्रकार है :

वर्ष	प्रति व्यक्ति परिलब्धियां (रुपये)	औसत सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि
1990–91	49179	395.31
1991–92	56508	461.98
1992–93	64983	517.19
1993–94	72043	562.50
1994–95	82517	630.21
1995–96	106876	703.13
1996–97	110662	778.65
1997–98	129582	839.06
1998–99	138179	961.98
1999–2000	166592	998.44

निजी क्षेत्र के संबंध में प्रति व्यक्ति वास्तविक मजदूरी से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में असमानता का कारण इन क्षेत्रों द्वारा मजदूरी के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धतियों में भिन्नता होना है। सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी ढांचा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों से प्रशासित होता है। निजी क्षेत्र के मामले में ऐसे कोई दिशानिर्देश नहीं होते और नियोक्ताओं द्वारा उनको हुए लाभ के अनुसार मजदूरी का निर्धारण किया जाता है।

(घ) वर्ष 1998–99 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी का प्रतिशत कुल चालू व्यय का 23.88 प्रतिशत था।

डाटा कम्यूनिकेशन की सुविधा

5436. श्री रामजी मांझी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विद्यमान कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डाटा कम्यूनिकेशन में सुधार लाने के केन्द्रीय जल विद्युत शोध केन्द्र (सी. डब्ल्यू. पी. आर. एस.) में जनवरी 1992 से पी ए बी एक्स सहित डाटा कम्यूनिकेशन सुविधा लगाए जाने की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या 1200 एक्सटेंशनों की कुल क्षमता का केवल 22 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया गया जिससे व्यय का एक बड़ा भाग बेकार चला गया; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय ने केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सी डब्ल्यू पी आर एस), पुणे में इ पी ए बी एक्स के साथ डाटा कम्यूनिकेशन सुविधा की स्थापना के लिए जनवरी, 1992 में ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस स्कीम का उद्देश्य उपयुक्त अत्याधुनिक नेटवर्क तकनीकी के माध्यम से तत्काल मौजूदा टेलीफोन नेटवर्क को प्रतिस्थापित करना तथा विभिन्न अधिकारियों के बीच परस्पर बातचीत (बायस कम्यूनिकेशन) की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वार्ता तथा डाटा संबंधी दूर संचार नेटवर्क मुहैया करना और मुख्य कम्प्यूटर केन्द्र तथा विभिन्न प्रयोगशालाओं के बीच डाटा कम्यूनिकेशन स्थापित करना है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वस्तुतः केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला ने 1200 लाइनों की कुल क्षमता में से केवल 352 लाइनों के लिए ही हार्डवेयर प्राप्त किए हैं तथा उसका भुगतान किया है। इस समय 310 लाइनों अर्थात् उपलब्ध संस्थापित क्षमता के 88 प्रतिशत लाइनों पर विस्तार (एक्सटेंशन) संस्थापित किए गए और वे कार्य कर रहे हैं। इ पी ए बी एक्स के माध्यम से डाटा कम्यूनिकेशन संबंधी दूर पहुंच सुविधा का परीक्षण किया गया और इसे लाभप्रद पाया गया है।

जाली टिकटों की बिक्री

5437. श्री शिवाजी माने : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–आस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला ने गोवा में बिकी हजारों जाली टिकटों से संबंधित एक वित्तीय रैकेट का एक और विवाद अपने पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में टेलीफोन-कनेक्शन

5438. डा. बी. बी. रमैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) ने दिल्ली के कुछ दूरभाष–केन्द्रों में "करेंट टेलीफोन–कनेक्शन–स्कीम" की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम. टी. एन. एल. को राजधानी में उक्त कनेक्शन लगाने में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो एक्सचेंज–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध एम. टी. एन. एल. द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। एम. टी. एन. एल., दिल्ली ने अनुबंध में दिए अनुसार दिल्ली के विशिष्ट क्षेत्रों में संलग्न विवरण के अनुसार सात दिन के भीतर टेलीफोन–कनेक्शन देने की समय–सीमा की घोषणा की थी।

(ग) हमें एम. टी. एन. एल., दिल्ली में नए टेलीफोन लगाने के मामले में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिली हैं।

(घ) 1.4.2000 से मिली एक्सचेंज वार कुल शिकायतें इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	मामलों की संख्या
1	2	3
1.	हौजखास	1
2.	नांगलोई	2
3.	कंझावला	1
4.	नेहरू प्लेस	4
5.	सरस्वती विहार	1
6.	ओखला	1
7.	मयूर विहार–II	1
8.	यमुना विहार	3
9.	लक्ष्मी नगर	1
10.	ईदगाह	4
11.	तीस हजारी	1
12.	पंखा रोड	2
13.	नजफगढ़	2
14.	दिल्ली छावनी	1
15.	द्वारका	1
	जोड़	26

(ङ) 15 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो सके तथा शेष 12 मामलों में 14 कार्मिकों के विरुद्ध अलग–अलग तरह के स्थिति–जन्य साक्ष्य थे; उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

विवरण

एम.टी.एन.एल. ने निम्नलिखित एक्सचेजों [illegible] के नामों के सामने उल्लिखित स्थानों पर तत्काल टेलीफोन क[illegible]दान करने की स्कीम शुरू की है।

1. केन्द्रीय :

एक्सचेंज : जनपथ, किदवई भवन, सेना भवन, राजपथ, लोदी रोड

क्षेत्र : सभी

2. पूर्व

• ईदगाह एक्सचेंज/गुलाबी बाग (आर. एस. यू.)

क्षेत्र : गुलाबी बाग, संजय नगर, इंद्रलोक, आजाद मार्किट, बहादुर गढ़ रोड, मेन सदर बाजार, बर्तन मार्किट, न्यू मार्किट, रूई मंडी, सदर थाना रोड, कुतुब रोड, मुल्तानी ढांडा, मोतिया खान, नबी करीम, आरा कशां रोड, देश बंधु गुप्ता रोड, पहाड़गंज (शीला सिनेमा की तरफ), चूना मंडी, पहाड़गंज (गली नं. 1 से 11), राजगुरू रोड, अमृत कौर मार्किट, शीदीपुरा, ईस्ट पार्क रोड, गऊशाला रोड, डोरीवालान।

• दिल्ली गेट एक्सचेंज एवं मिन्टो रोड (आर. एस. यू.)

क्षेत्र : मानक भवन, दयाल सिंह लायब्रेरी, महावत खां रोड, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (अजमेरी गेट की तरफ), थॉम्प्सन रोड, कमला मार्किट, श्रद्धानंद मार्किट, सीताराम बाजार, प्रेस रोड, मिंटो रोड आवासीय परिसर, रणजीत होटल, लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गुरू नानक नेत्र अस्पताल, पंत अस्पताल, चितली कबर, चूड़ीवालान, पहाड़ी भोजला, मटिया महल, मालीवाड़ा, भोजपुरा, गली हीरा नंद, गली छीपियान, नई सड़क (दिल्ली गेट एक्सचेंज की तरफ), कटरा हरदयाल, कटरा प्यारेलाल, कटरा अशर्फी, कटरा मोहन, कटरा नवाब, नेताजी सुभाष मार्ग, अंसारी रोड, लाल किला, न्यू लाजपत राय मार्किट, साइकल मार्किट, (एसप्लेनेड रोड)।

• तीस हजारी एक्सचेंज एवं लोथियन रोड (आर. एस. यू.)

क्षेत्र : अ.रा.ब.अ., मदरसा रोड, चर्च रोड, ओल्ड कोर्ट कम्पाउंड, जी.पी.ओ. कम्पाउंड, अंगूरी बाग, लाजपत राय मार्किट, प्रियदर्शनी कॉलोनी, कूचा महाजनी, पुराना सचिवालय, कूचा नटवां, कटरा संत नारायण, कटरा नगीन चन्द, कटरा लेसवां, चरखेवालान, नया बांस, तिलक बाजार, खारी बावली।

3. यमुना–पार

ज़ाफ़राबाद एक्सचेंज

क्षेत्र : ज़ाफ़राबाद एक्सचेंज–क्षेत्र

4. उत्तर–I

केशव पुरम् एक्सचेंज

क्षेत्र : लारेंस रोड, लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र, त्रीनगर, नारंग कॉलोनी, गणेश पुरा, लेखू नगर, जूर बाग, कोहाट, लोक बिहार, चन्द्रलोक, राजनगर, सम्राट एन्क्लेव, झूलेलाल, संदेश विहार, वसुधा एन्क्लेव, कपिल विहार, एन ब्लॉक शकूरपुर।

• शक्ति नगर एक्सचेंज

क्षेत्र : सत्यवती कॉलोनी अ/विहार–III, शक्ति नगर एक्सटेंशन, एसएफएस फ्लैट्स अशोक विहार–4, डीडीए फ्लैट्स अ/विहार–5, वजीरपुर गांव, अशोक विहार–II के ए, बी–1 बी–3, बी–4, सी–I, सी–II ब्लॉक, अशोक विहार–I के बीए, सी, डी, ई, एफ ब्लाक, ए ब्लॉक तथा कमर्शियल कॉम्पलैक्स डब्ल्यू पी आई ए, बी ब्लॉक जी. टी. करनाल रोड, ए ब्लॉक डेरावाल नगर, एक ब्लॉक गुजरांवाला टाउन, सीसी कॉलोनी, गुड़ मंडी, न्यू गुप्ता कॉलोनी, प्रियदर्शिनी विहार, ईश्वर कॉलोनी, ए एवं डी ब्लॉक महेन्द्रू एन्क्लेव, एसएसआई एसएमए राजस्थान उद्योग नगर, टीपीटी सेंटर, ए ब्लॉक जीटीके, शालीमार बाग, हैदरपुर, केपी, केपी कॉम्प्लैक्स, प्रीतमपुरा के जेपी, एचपी, डीपी, बीपी, एवं क्यूडी ब्लॉक, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुखर्जी नगर, निरंकारी कॉलोनी, गांधी विहार।

5. उत्तर–II

उत्तरी पीतमपुरा एक्सचेंज

क्षेत्र : समस्त उत्तरी पीतमपुरा

• रोहिणी एक्सचेंज

क्षेत्र : अवंतिका एन्क्लेव, मंगोलपुरी के एफ, एम, एन, ओ ब्लॉक, मंगोलपुर कलां, मंगोलपुर खुर्द, से. 8 रोहिणी।

• सरस्वती विहार एक्सचेंज

क्षेत्र : सी–1, सी–2 वैस्ट एन्क्लेव, हरित निकेतन, संसद विहार, मौसम अपार्टमैंट, मित्रा विहार, शिवालिक अपार्टमैंट, रंग महल अपार्टमैंट, जेवियर अपार्टमैंट।

• बादली एक्सचेंज

क्षेत्र "सैक्टर 18, रोहिणी, ब्लॉक ए, बी, सी, डी, ई, सैक्टर–15 ए, बी, सी, डी, ई, ब्लॉक, मॉडर्न अपार्टमैंट, पूसा अपार्टमैंट, मानव विहार ग्रुप हाउसिंग, सुर एयर सैक्टर–16:ए, बी, एफ, जी ब्लॉक, स्वरूप नगर, भलसवा डेरी, राजीव नगर, (संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जी.टी.के. रोड पर लिबासपुर तक) खेड़ाकलां, खेड़ा खुर्द, बादली औद्योगिक क्षेत्र (फेज I एवं II)।

• बवाना एक्सचेंज

क्षेत्र : गांव · बवाना, पूठ खुर्द, सुल्तानपुर डबास, कुतुब गढ़, हरेवली, औचंदी बार्डर, माजरा डबास, चांदपुर, कटेवड़ा, मुंगेशपुर दरियापुर।

• डीएसओ–डीसी एक्सचेंज

क्षेत्र : डीएस, नई टीसी के ए से एच ब्लॉक एवं गांव शाहपुर गढ़ी।

• मेन एक्सचेंज नरेला (अंत)

क्षेत्र : इंदिरा कॉलोनी, बांकनेर, गौतम कॉलोनी, नरेला मंडी।

6. दक्षिण–I

एक्सचेंज : चाणक्यपुरी, बसंत बिहार, बसंत कुज, महीपालपुर

क्षेत्र : सभी।

7. दक्षिण–II

नेहरू प्लेस एक्सचेंज

क्षेत्र : एन.पी. कॉम्पलैक्स, डी, ई, एफ ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश, सीसी ईस्ट ऑफ कैलाश, माउन्ट कैलाश, दयानंद कॉलोनी, विक्रम विहार, नेशनल पार्क, ओडीएस लाजपत नगर–4, चिराग एन्क्लेव, हेमकुंठ कालोनी, कृषि विहार, डीडीए फ्लैट्स मस्जिद मोठ (सावित्री सिनेमा के पास), ग्रेटर कैलाश–II, ग्रेटर कैलाश–III (मस्जिद मोठ), अलकनंदा (सभी अपार्टमैंट), एनआरआई मंदाकिनी (ग्रेटर कैलाश–4), नेहरू अपार्टमैंट, साउथ पार्क अपार्टमैंट, देशबंधु अपार्टमैंट, बालाजी एस्टेट, डीडीए कालकाजी के एल–I, एल–II ब्लॉक।

• सावित्री नगर–एशियाड एक्सचेंज

क्षेत्र : स्वामी नगर, एस ब्लॉक पी.एस.पार्क, शेख सराय फेज–I, साधना एन्क्लेव, एशियाड गांव, पी.एस. एन्क्लेव।

• सादिक नगर एक्सचेंज

क्षेत्र : अंसल प्लाजा, आनंदलोक, एन्ड्रूज गंज एक्सटेंशन, एनडीएसई–II, (पी.के.जी.एफ.ई.एम.), साउथ एक्स. प्लाजा–I एवं II, डॉक्टर्स हॉस्टल मस्जिद मोठ।

• ओखला एक्सचेंज

क्षेत्र : महारानी बाग, फ्रैंड्स कॉलोनी, कालिंदी कॉलोनी, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, सराय जुलेना, ईश्वर नगर, सुखदेव विहार, अबुल फजल एन्क्लेव, जाकिर नगर, गफ्फार मंजिल (हाजी कॉलोनी को छोड़कर), जाकिर बाग।

• सरिता बिहार एक्सचेंज

क्षेत्र : ए, डी, ई, एल ब्लॉक सरिता विहार, एलआईजी फ्लैट्स, सरिता बिहार, सै. 7 एवं 8 जसोला विहार।

• तेहखंड एक्सचेंज

क्षेत्र : डीडीए फ्लैट्स, एलआईजी एवं एमआईजी पुल प्रहलादपुर एफ, बी, सी ब्लॉक ओखला फेज–I, डीएसआईडी सी फेज–I।

• तुगलकाबाद एक्सचेंज :

क्षेत्र : आरपीएस कॉलोनी।

8. पश्चिम–I : जनकपुरी एक्सचेंज

क्षेत्र : बी–1, बी–3, बी–3ए, बी–3बी, बी–1ए, बी–1बी, बी–1सी, नंगली जालिव गांव, फतेह नगर गांव, समुदाय केन्द्र, प्रेम नगर, गुरू नानक पुरा, शिव नगर, बीए, बीबी, बीई ब्लॉक, जेल रोड बाजार, सी–3, सी–3ए, सी–5ए, सी–5बी, सी–5सी, सी–5डी, सी–1, सी–2 पाकेट 12, सी–2डी, सी–1ए, सी–4ए, सी–4बी, सी–4 सी, सी–4एच, सी–4बी तथा केन्द्रीय कारागार, नारी निकेतन, निर्मल छाया, डीटीसी हरी नगर।

• विकास पुरी एक्सचेंज

क्षेत्र : केशोपुर जेजे–III, जेजे–II, जे ब्लाक, हिमगिरी अपार्टमैंट, गुजरांवालान अपार्टमैंट, आनंद कुंज, कांगड़ा निकेतन, केजी–I, केजी–II, विकास कुंज, शंकर गार्डन, न्यू कृष्णा पार्क, एजी–I, ए ब्लॉक, विकासपुरी सी–ब्लाक, साइट–II, III, एम ब्लॉक, एमजी–I, ए–2, ए–2ए, ए–3, ए–1बी, ए–5ए, ए–5बी, ए–5सी, असालतपुर, पीजी–ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सैंटर, एनपीएल सोसाइटी, लक्ष्मी विहार, अपार्टमैंट, डीजी–I बौन्डेला, कृषि अपार्टमैंट, जुपिटर अपार्टमैंट, नालंदा अपार्टमैंट, पुलिस लाइन, शिवम अपार्टमैंट, सनराइज, डीजी–III, पंचदीप अपार्टमैंट, रक्षा विकास अपार्टमैंट, एवर शाइन अपार्टमैंट, लोक विहार अपार्टमैंट, अर्जुन अपार्टमैंट, चरक सदन, माया अपार्टमैंट, महिन्द्रा, अपार्टमैंट, प्रिया अपार्टमैंट, परमार्थ अपार्टमैंट, एफ–ब्लॉक, जी ब्लॉक सोल्जर्स टावर, सोनिया कॉम्लैक्स, जीजी–I, जीजी–II, III, उज्जवल अपार्टमैंट, अंतरिक्ष अपार्टमैंट, एच–I, एच–II, एच–III ब्लॉक 5, नील कमल अपार्टमैंट, त्रिवेणी, एनडीएमसी अपार्टमैंट।

• दिल्ली कैंट एक्सचेंज

क्षेत्र : धौला कुआं पार्ट–I एवं II, करियप्पा विहार, किर्बी प्लेस, नव सेना बाग–II, एम.टी. लाइन, के.बी. नं. 3, सी.बी. नारायणा, बेस अस्पताल, प्रताप चौक, अर्जुन विहार, सुब्रतो पार्क, आर एंड आर हॉस्पिटल, मानकशाह मार्ग, मंदिर मार्ग, चर्च रोड, काबुल लाइन, न्यू डीआईडी लाइन, पी एंड टी कंपाउंड एवं ओल्ड नांगल।

9. पश्चिम–II

एक्सचेंज : हरी नगर, पश्चिम विहार

क्षेत्र : सभी।

एन.वी.टी.आई/आर.वी.टी.आई. के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना

5439. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई. के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संस्थान सुविधाओं से लैस नहीं है और इनमें शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो रिक्त पड़े पदों को शीघ्रता से भरने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय नौएडा में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान एवं देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

(ख) और (ग) इन संस्थानों को कुछ नए आरंभ किए गए व्यवसायों के मामलों को छोड़कर, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित मानक मानदंडों के अनुरूप अपेक्षित मशीनरी तथा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। यद्यपि प्रशिक्षण कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को भरने में कठिनाइयां आ रही हैं तथापि संबंधित अभिकरणों के साथ मामले का लगातार अनुसरण किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर भवन

5440. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि की आवश्यकता का अनुमान है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार का प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ष तक डाकघर भवनों को पूरा करने तथा इनका आधुनिकीकरण करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार का प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर भवन बनाने तथा उन्हें प्रचालन प्राथमिकताओं और योजनागत संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आधुनिक बनाना है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश बुनियादी डाक इन्फ्रास्ट्रक्चर में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर शामिल हैं, जिनके लिए परिसर अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों में पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) खोलने के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में डाक नेटवर्क के विस्तार का काम शुरू किया गया है। इनको चलाने के लिए स्थान पंचायत द्वारा प्रदान किया जाता है।

तटवर्ती क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति का रोपण

5441. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के तटवर्ती क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति के रोपण में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान कच्छ वनस्पति रोपण में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक तटवर्ती राज्य के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य के लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कच्छ वनस्पति का संरक्षण एक है। कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्ति से संबंधित राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय ने देश में 9 तटीय राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में फैले 30 कच्छ–वनस्पति क्षेत्रों को व्यापक संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए अभिनिर्धारित किया है। प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी गई है। गतिविधियों में कच्छ वनस्पति का सर्वेक्षण तथा सीमांकन, पुनरुद्धार तथा वनीकरण, कच्छ वनस्पति के संरक्षण शिक्षा एवं जागरूकता सहित सुरक्षा उपाय तथा पारि–विकास गतिविधियां शामिल हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–1998 से 2000–2001 तक) के दौरान कच्छ वनस्पति संबंधी प्रबंधन कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए अनुदान की राशियां संलग्न विवरण में दे दी गई हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–1998 से 2000–2001) के दौरान कच्छ–वनस्पति संबंधी प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों की राज्य–वार राशियां

(लाख रुपये)

क्रमांक	राज्य	कच्छ वनस्पति क्षेत्र	1997–1998	1998–1999	1999–2000	2000–2001	जोड़	राज्य का जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पश्चिम बंगाल	सुन्दरबन	66.82	63.60	44.95	–	175.37	175.37
2.	उड़ीसा	भितरकानिका	–	–	17.56	–	17.56	
		महानदी	–	–	26.50	–	26.50	
		सुवर्णरेखा	–	–	–	23.50	23.50	
		देवी	–	–	–	17.25	17.25	
		दामरा				15.00	15.00	99.81
3.	आंध्र प्रदेश	कोरिंगा	–	10.65	–	31.20	41.85	
		कृष्णा	–	8.87	–	14.39	23.26	
		पूर्वी गोदावरी	–	8.50	–	14.28	22.78	87.89
4.	तमिलनाडु	पिचवरम्	10.62	10.60	4.74	16.00	41.96	
		मुथुपेट	–	8.40	11.46	65.00	83.86	
		रामनाद	–	–	–	4.70	4.70	130.52
5.	महाराष्ट्र	अचरा–रतनागिरि	–	–	9.88	–	9.88	
		देवगढ़						
		विजयदुर्ग	–	–	–	9.74	9.74	
		मुम्बरा–दिवा	–	–	–	26.41	26.41	
		वितारना	–	–	–	14.05	14.05	
		कुन्दालिका						
		रेवडांडा	–	–	–	13.52	13.52	
		वसाई–मनोरी	–	–	–	11.79	11.79	
		श्रीवरदान–वराल–कालसुरी	–	–	–	13.49	13.49	98.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	गोवा	8.20	8.95	8.95	12.45	38.55	38.55
7.	अंडमान एवं	उत्तरी अंडमान	16.88	—	—	7.64	24.52	
	निकोबार द्वीप समूह	निकोबार	—	—	—	4.00	4.00	28.52
8.	गुजरात	खम्बात की खाड़ी	—	—	—	21.64	21.64	
	कच्छ की खाड़ी	कच्छ की खाड़ी	—	—	—	66.47	66.47	88.11
	जोड़		102.52	119.57	124.04	401.52	747.65	747.65

[हिन्दी]

वर्षा जल का संचयन

5442. **श्रीमती जस कौर मीणा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की नदियों के वर्षा जल संचयन संबंधी कोई योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को सूखे से बचाने तथा राज्य में जल उपलब्ध कराने के लिए वर्षा जल के संचयन के लिए कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) "इंदिरा जलोत्थान योजना" को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राजस्थान के झुनझुनु जिला के चिरवाड़ा ब्लाक में मिट्टी–बांध और तालाबों के निर्माण का एक प्रस्ताव केन्द्रीय भूजल बोर्ड में लंबित है।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड देश के कुछ "अति दोहन" और "डार्क" ब्लाकों में विभिन्न पुनर्भरण संरचनाओं की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी अध्ययनों को केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इस स्कीम के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने राजस्थान के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की 11 स्कीमें तैयार और अनुमोदित की हैं। कृषि और सहकारिता विभाग, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में वृहद (मेक्रो) प्रबंधन स्कीम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। जल संचयन संरचना का निर्माण करना इस स्कीम का एक घटक है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मोटरयान अधिनियम, 1988

5443. **श्री अनन्त नायक :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो नए मोटरयान अधिनियम में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित नए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिवर्तनों के संबंध में विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और मोटरयान अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के उद्देश्य से इनकी जांच की जा रही है। इस मामले में अभी कोई अंतिम राय नहीं बनाई गई है।

दूरसंचार क्षेत्र में विश्व स्तर की तकनीक

5444. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री के. येरननायडू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान निजी दूरसंचार इकाइयों द्वारा अभी भी विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी नहीं लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी इकाइयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश के विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अनेक दूरसंचार सेवाओं, जैसे सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, बुनियादी टेलीफोन सेवा, इंटरनेट सेवा इत्यादि के लिए बहुसंख्य लाइसेन्स प्रदान किए गए हैं। बहु–अधिकार, (मल्टिपोलि) लाइसेन्स धारियों को प्रतिस्पर्धा के वातावरण में अपने ग्राहकों को उन्नत/लागत–प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा जैसी सेवा प्रदान करने के लिए, लाइसेंस करारों में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ/दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) के मानकों के अनुसार, डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना भी विनिर्दिष्ट है।

(ख) और (ग) लाइसेन्स भारतीय पंजीकृत कंपनियों को प्रदान किए जाते हैं, अधिकतर मामलों में 49 प्रतिशत तक विदेशी भागीदारी की अनुमति है। किसी विदेशी भागीदार द्वारा प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई प्रस्ताव करना उस कंपनी का आंतरिक मामला होता है।

फरक्का बांध परियोजना

5445. श्री अबुल हसनत खां : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना के अंतर्गत अमुहा और घोराइपारा घाटों में फीडर नहर पर दो पुलों का निर्माण सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में अमुहा और घोराइपारा में दो सड़कों वाले पुलों का निर्माण प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं

5446. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सी.सी.इ.ए. द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु स्थापित की गई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्थानवार, राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जनवरी, 1999 में हुई अपनी बैठक में नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिए जाने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) कामकाजी बच्चों के पुनर्वास हेतु सरकार ने 13 राज्यों में 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कामकाजी बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	धनराशि
1998–99	2731.21 लाख रुपये
1999–2000	3796.78 लाख रुपये
2000–2001	3798.24 लाख रुपये

विवरण

13 राज्यों में चलाई जा रही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की सूची
(परिचालन में कुल परियोजनाएं : 100)

1. **आंध्र प्रदेश :** अनन्तपुर, चित्तूर, कड्डापाह, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, मेडक, नलगोंडा, खम्माम, नेल्लूर, निजामाबाद, मारकापुर, रंगा रेड्डी (एम. वी.फाउंडेशन), श्रीकाकुलम, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, प. गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद। (22)
2. **बिहार :** नालंदा, सहरसा। (2)
3. **झारखंड** गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, जमुई, पाकुर, प. सिंघभूम (चाइबासा)। (6)
4. **कर्नाटक :** बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलौर देहात, बंगलौर शहरी। (5)

5. **मध्य प्रदेश** : मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन। (3)

6. **छत्तीसगढ़** : दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़। (5)

7. **महाराष्ट्र** : सोलापुर, थाणे। (2)

8. **उड़ीसा** : अंगुल, बारगढ़, बोलनगिर, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, रायागाडा, सम्बलपुर, सोनपुर, कटक, बालासोर। (18)

9. **राजस्थान** : जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर। (6)

10. **तमिलनाडु** : चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, कामराजार, (विरूधुनगर), वेल्लूर, पुद्दुकोट्टई, सलेम, तिरूचिरापल्ली, तिरुनेरवेल्ली। (9)

11. **उत्तर प्रदेश** : अलीगढ़, (डीसीसीडब्ल्यू, अलीगढ़ सहित), फिरोजाबाद (डीसीसीडब्ल्यू, फिरोजाबाद), मुरादाबाद, (डीसीसीडब्ल्यू, मुरादाबाद) बनारस, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, (खुर्जा), इलाहबाद, कानपुर (नगर), सहारनपुर, आजमगढ़। (11)

12. **पश्चिम बंगाल** : वर्दमान, दक्षिण दीनाजपुर, मिदनापुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, उत्तरी दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता। (8)

13. **पंजाब** : जलंधर, लुधियाना, अमृतसर। (3)

बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा

5447. श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री सुनील खां :
श्री रूपचंद मुर्मू :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों द्वारा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत पात्रता सीमा और गणना की अधिकतम सीमा को हटाए जाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) श्रम संघों द्वारा समय–समय पर बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत पात्रता सीमा और गणना की अधिकतम सीमा को हटाए जाने की मांग की जाती रही है। सरकार को उनकी मांग की जानकारी है।

राज्यों में स्थित राजमार्गों का चार लेनों में उन्नयन

5448. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सात वर्षों के अनुबंध के आधार पर बंगलौर और मंगलोर के बीच राज्य राजमार्ग का उन्नयन कर उसे चार लेनों वाला एक्सप्रेस मार्ग बनाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस प्रस्ताव से सहमत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग

5449. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 से अभी तक भारत–बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकों की संख्या कितनी है; और

(ख) दोनों देशों द्वारा बैठक में गंगा जल बंटवारे के संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) भारत और बंगलादेश के बीच 1996 से भारत–बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग (जे.आर.सी.) की तीन बैठकें हुई हैं।

(ख) इस संधि पर हस्ताक्षर होने के पश्चात हर वर्ष कमी के मौसम (1 जनवरी से 31 मई तक) के दौरान भारत और बंगलादेश के बीच फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे पर संयुक्त नदी आयोग की सभी तीन बैठकों में विचार विमर्श किया गया। इन बैठकों

के दौरान इस बात पर भी सहमति हुई थी कि दोनों के बीच दिसम्बर, 1996 में हस्ताक्षरित संधि के अनुबंधों के अनुसार फरक्का पर गंगा के जल का बंटवारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

दूरभाष सुविधा

5450. श्री राजो सिंह :
श्री नागमणि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य में दूरभाष वाले गांवों की जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य के शेष गांवों में इस सुविधा को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 1.4.2001 तक की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य के 7003 गांवों में टेलीफोन सुविधा है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	सेकण्डरी स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए)/जिला	टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की संख्या
1.	डाल्टनगंज	718
2.	धनबाद	1220
3.	दुमका	1195
4.	हजारीबाग	1346
5.	जमशेदपुर	1136
6.	रांची	1388
	जोड़	7003

(ख) झारखंड राज्य के बाकी गांवों में मार्च, 2002 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को रबड़युक्त बनाया जाना

5451. श्री टी. गोविन्दन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को रबड़युक्त बनाए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) अधिक टिकाऊ और बेहतर सड़कों की व्यवस्था के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के न्यूनतम 10 प्रतिशत आवधिक नवीकरण कार्यों में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिक यातायात वाले खंडों पर मूल कार्यों की बिटुमन वाली सतहों में रबड़/पालीमर शोधित बिटुमन का उपयोग शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शोधित बिटुमन के उपयोग वाली लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43.400
2.	छत्तीसगढ़	5.000
3.	चंडीगढ़	0.820
4.	गुजरात	25.500
5.	हरियाणा	41.387
6.	महाराष्ट्र	43.600
7.	मध्य प्रदेश	37.000
8.	मेघालय	4.000
9.	नागालैंड	3.000
10.	पंजाब	29.750
11.	राजस्थान	91.500
12.	तमिलनाडु	2.615
13.	उत्तर प्रदेश	41.500

बकाया देयताएं

5452. श्री किरीट सोमैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने ग्राहकों से देयताओं की वसूली करने हेतु कुछ अभिकर्ताओं की नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में दिल्ली और मुम्बई में ग्राहकों के विरुद्ध कितनी धनराशि देय हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.1.2001 तक की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन उपभोक्ताओं पर बाकी देयताएं निम्नानुसार हैं :

दिल्ली	601.86 करोड़ रुपये
मुम्बई	393.20 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए आवासों का निर्माण

5453. श्री रामानन्द सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बीड़ी कामगारों के लिए आवासों के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या सतना जिले के मैहर और नागोद शहरों में बीड़ी कामगारों के लिए आवासों के निर्माण हेतु किसी योजना को मंजूरी दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां। सरकार ने देश में बीड़ी और खान कर्मकारों के लिए एक एकीकृत आवास योजना तैयार की है।

(ख) और (ग) सतना जिले में मैहर और नागोद प्रत्येक के 250 मकानों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकारों की वित्तीय सहायता हेतु संस्वीकृति जारी की गई है।

संचार विकास कार्यक्रम

5454. श्री जय प्रकाश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के विकास और नवीनतम के.यू. बैंड प्रौद्योगिकी तथा दूर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) का 2001–2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में सभी सेकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों का 7,50,000 टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनोड्स और सभी बड़े एक्सचेंजों को ऑप्टिकल फाइबर केबल सहित विश्वसनीय माध्यम प्रदान करने का प्रस्ताव है। बी एस एन एल को उत्तर–प्रदेश में 2001–02 के दौरान के यू बैण्ड में बेरी स्माल अपर्चर टर्मिनलों (वीएसएटी) को प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खिलाड़ियों द्वारा उद्दीपकों का प्रयोग

5455. श्री रामदास आठवले : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उद्दीपकों के प्रयोग के दोषी पाए गए खिलाड़ियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत न करने के कारण केन्द्र सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के रवैये पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उद्दीपकों के प्रयोग के दोषी पाए गए खिलाड़ियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलम्पिक संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण से उन व्यक्तियों के नाम उपलब्ध कराने के लिए कहा है जो परीक्षण के दौरान दोषी पाए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एफ.एस.) को

सहायता की मौजूदा योजना में किए गए प्रावधानों में संशोधन कर रही है जिसमें सरकार यह शर्त रख रही है कि अनुदान का हकदार बनने के लिए, परिसंघों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग करने संबंधी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में जुड़पी जंगल

5456. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल में उनसे मुलाकात की थी और राज्य की जुड़पी जंगल समस्या पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) जुड़पी जंगल समस्या को कब तक सुलझा लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में जुड़पी जंगल के मामले को निपटाने के लिए मंत्रालय ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था जिसने राजस्व विभाग के पास 1,78,525 हैक्टेयर जुड़पी जंगल का पता लगाया है। इसमें से 32,229.81 हैक्टेयर भूमि खण्डित थी जो वानिकी के लिए उपयुक्त नहीं थी, 27,507.34 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जे थे और 26,672.13 हैक्टेयर भूमि पर पहले से ही अन्य वनेतर प्रयोग हो रहा था, इस प्रकार यह भूमि 86,409.28 हैक्टेयर बैठती है। समिति ने भारत सरकार को सिफारिश की है कि 86,409 हैक्टेयर इस जुड़पी भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम में से हटाने की अनुमति दी जाए। समिति ने वानिकी के लिए उपयुक्त 92,115 हैक्टेयर भूमि भी अभिनिर्धारित की है और इसे आरक्षित वन/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की है।

समिति की रिपोर्ट की जांच के पश्चात् केन्द्र सरकार ने अपना निर्णय अपने दिनांक 15.9.2000 के पत्र संख्या 4–8/87–एफ.सी. में बता दिया है कि राजस्व भूमि के रूप में रिकार्ड की जाने वाली 32,230 हैक्टेयर खंडित/पेची जुड़पी जंगल की अनुमति है बशर्ते कि इसका इस्तेमाल केवल चरागाह और चराई के लिए किया जाएगा और किसी भी स्थिति में इसका इस्तेमाल निर्माण और खनन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राज्य को 92,115 हैक्टेयर भूमि को आरक्षित वन/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जुड़पी जंगल की अन्य दो श्रेणियों अर्थात् अवैध कब्जों के अंतर्गत आई भूमि या 1992 के पश्चात् पहले से गैर वानिकी के इस्तेमाल की वनेतर भूमि के बारे में मंत्रालय ने राज्य सरकार को अपने दिनांक 12.02.92 के पत्र संख्या 4–8/87–एफ.सी. में अनुरोध किया है कि वह नियमित कराने के लिए विशेष पृथक प्रस्ताव भिजवाए और पेची/खंडित भूमियां जो वन प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं हैं उन्हें राजस्व रिकार्डों में नामांतरण कराए।

अभी हाल ही में हुई बैठक में मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सांवधिक अपेक्षाओं के बारे में बता दिया गया था और आगे की प्रगति राज्य द्वारा सभी पहलुओं पर उक्त प्रस्ताव भिजवाने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी।

खान श्रमिकों की सुरक्षा

5457. श्री एम.वी.वी.एस मूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की खानों में काम करने वाले श्रमिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने और खानों को दुर्घटना रहित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा–निर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खानों को दुर्घटना रहित बनाने के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) खनन कार्य एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय है। कार्य स्थल की दशा छत और दीवारों के संबंध में बदलती रहती है क्योंकि उत्खनन/छेदन का कार्य नए–नए क्षेत्रों में किया जाता है जहां की भूखनन दशाएं अलग–अलग हो सकती हैं।

खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा के संबंध में खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों–विनियमों में प्रावधान किए गए हैं। सुरक्षा कानूनों की सतत् रूप से समीक्षा की जाती है और उनमें समय–समय पर संशोधन किये जाते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए प्रबंधकों को परिपत्र के माध्यम से मार्ग–निदेश जारी करता है। खान प्रबंधनों द्वारा इन प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित

है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए आवधिक रूप से खानों का निरीक्षण करते हैं और चूक की दशा में खान अधिनियम, 1952 में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करते हैं। खानों में दुर्घटना की शून्य दर प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है।

तथापि खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से किए गए विभिन्न प्रयासों द्वारा खानों में दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कानूनी उपायों के अतिरिक्ति सरकार कई अन्य उपायों को बढ़ावा दे रही है, जैसे :

(क) खानों में सुरक्षा सम्मेलन

(ख) प्रबंधनों द्वारा स्व–विनियमन

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षाएं

(ङ) कर्मकारों का प्रशिक्षण

(च) सुरक्षा सप्ताह मनाना और सुरक्षा अभियान चलाना

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं को उनसे ली गई अधिक राशि का लौटाया जाना

5458. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई के सेल्यूलर के दूरभाष संचालकों ने उपभोक्ताओं से ली गई अधिक राशि को उन्हें वापस कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल के वर्षों के दौरान इन शहरों के उपभोक्ताओं से ली गई अधिक राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राशि को किस तिथि को वापस किया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) द्वारा 25.01.2001 को अधिसूचित संचार टैरिफ, (बारहवां संशोधन) आदेश 2001 में लाइसेन्स शुल्क में कमी होने के फलस्वरूप, सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं द्वारा सेल्यूलर मोबाइल के उपभोक्ताओं को वापस की जाने वाली धन राशि विनिर्दिष्ट की गई है। इस आदेश में प्रति उपभोक्ता रैंटल के रिफण्ड की रकम और प्रत्येक कम्पनी के लिए उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के प्रति मिनट रिफण्ड की रकम शामिल है। प्रत्येक कम्पनी और प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए वापस की जाने वाली कुल राशि, संगत अवधि के दौरान व्यक्तिगत उपभोक्ता के प्रयोग पर निर्भर करेगी, दिल्ली और मुम्बई सहित प्रत्येक सेवा क्षेत्र में प्रत्येक कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं की धन राशि की वापसी का कार्य 1 अप्रैल 2001 से चार माह के भीतर पूरा किया जाना है। धन वापसी (रिफण्ड) की पद्धति दूर संचार टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश 2001 में उल्लिखित है। प्रत्येक सेवा क्षेत्र में वापस की गई वास्तविक–रकम से संबंधित रिपोर्ट 1 अप्रैल 2001 से चार माह की निर्धारित अवधि के अंत में टी आर ए आई को भेजी जानी अपेक्षित है। वापस की गई धनराशि के ठीक–ठीक ब्यौरे, सेवा प्रदाताओं द्वारा टी आर ए आई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात यथासमय पर उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

ओ.बी. का जारी किया जाना

5459. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए टेलीफोन कनेक्शन की बुकिंग होने के दिन ही ओ.बी. जारी कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितने ओ.बी. जारी किए गए हैं और पिछले छः महीनों के दौरान दिए गए कुल टेलीफोन कनेक्शनों में से गुजरात में नए कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ग) लम्बित टेलीफोन कनेक्शनों को दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कनेक्शनों को कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कोई विशिष्टि समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ओ.बी. यथा–शीघ्र जारी की जाती हैं।

(ख) गुजरात में पिछले छः माह के दौरान 3,08,796 ओ बी जारी की गई थीं ओर 3,12,796 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए, जिनमें अग्रेनीत की गई ओबी का निष्पादन भी शामिल है।

(ग) लम्बित टेलीफोन कनेक्शनों के निपटान में विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं :

I. क्षेत्र का तकनीकी तौर पर अव्यवहार्य होना।

II. रेलवे और स्थानीय प्राधिकरण से भूमिगत केबल बिछाने हेतु अनुमति मिलने में विलम्ब होना।

III. संपर्क योग्य (कनेक्टेबल) क्षमता का उपलब्ध न होना।

(घ) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार लंबित ओबी को उत्तरोत्तर रूप से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाने की योजना बनाई गई है।

मोदी समूह को मूलभूत दूरसंचार सेवा हेतु लाइसेंस

5460. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मोदी समूह ने मूलभूत दूरसंचार सेवा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु व्यापक स्तर पर आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मूलभूत दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उक्त समूह से दूरसंचार विभाग द्वारा अब तक प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) मैसर्स मोदीकोर्प लिमिटेड ने दस सेवा क्षेत्रों अर्थात् पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है।

(घ) अंतिम निर्णय इस शर्त के अध्यधीन है कि इस विषय पर दिनांक 25.1.2001 के दिशा निर्देशों के संदर्भ में, कम्पनी के आवेदनों की कमियों को दूर कर दिया जाएगा।

बांधों का निर्माण

5461. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 28 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार देश में किन–किन स्थानों पर बड़े बांध निर्मित हैं;

(ख) प्रत्येक बांध की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) प्रत्येक बांध पर भंडारण हेतु प्रयोग की जा रही भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(घ) वर्तमान में किन स्थानों पर बड़े बांध निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) प्रत्येक बांध का निर्माण पूरा किए जाने हेतु निर्धारित समय–सीमा कितनी है और उनकी संभावित भंडारण क्षमता कितनी होगी?

***जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती)* :** (क) से (ङ) 100 मी. तथा उससे अधिक ऊंचाई के अथवा एक बिलियन घन मीटर अथवा अधिक भंडारण क्षमता वाले 48 पूर्ण और 9 निर्माणाधीन बड़े बांधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निर्माणाधीन बड़े बांधों का पूरा होना अन्य बातों के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रावधान करने और बाधाएं यदि कोई हों, को दूर करने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	बांध का नाम	पूरा हाने का वर्ष	जलाशय की सकल क्षमता (बी.सी.एम.)	जलाशय क्षेत्र (वर्ग किमी.)
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	नागार्जुन सागर बांध	1960	11.56	284.90
2.	श्रीरामसागर	1977	3.17	450.82
3.	श्रीसैलम जल विद्युत परियोजना	1984	8.72	616.00
	बिहार			
4.	माईथन बांध	1957	1.36	106.2
5.	पन्चेत पर्वत	1959	1.50	152.81
	गुजरात			
6.	उकाई	1972	8.51	–
7.	कदाना	1979	1.54	–
	हिमाचल प्रदेश			
8.	भाखड़ा बांध	1963	9.62	168.35

1	2	3	4	5
9.	व्यास बांध	1974	8.57	260.00
10.	चमेरा	1994	0.39	9.50
	जम्मू व कश्मीर			
11.	सलाल	1987	0.285	9.37
	कर्नाटक			
12.	कृष्णाराजसागर	1931	1.37	129.00
13.	तुंगभद्रा	1953	3.76	390.00
14.	भद्रा बांध	1953	2.02	117.30
15.	लिंगनाम्मकी बांध	1965	4.44	316.65
16.	मलप्रभा	1973	1.07	129.50
17.	किदकल	1977	1.44	78.00
18.	नारायणपुर	1982	1.07	132.00
19.	हेमवती परियोजना	1983	1.05	91.60
20.	सूपा	1987	4.18	123.00
21.	मनी	1988	1.01	57.00
22.	लख्या	1994	0.245	5.72
23.	अलमाटी		6.43	790
	केरल			
24.	काक्को बांध	1966	0.46	17.51
25.	इदूक्को बांध	1974	1.99	59.83
26.	चेरूथोनी	1976	1.99	59.83
27.	कलामावू	1977	1.99	59.83
28.	इदमलयार	1985	1.15	28.30
	मध्य प्रदेश			
29.	गांधीसागर	1960	7.32	660
30.	तवा	1975	2.31	200.55
31.	हसदेव बांगी		3.42	–
32.	बार्गो		3.92	273
	महाराष्ट्र			
33.	कोयना	1964	2.80	115.00
34.	पायथन	1976	2.85	398.00
35.	उज्जानी	1981	3.14	306.50
36.	इसापुर	1982	1.25	–
	उड़ीसा			
37.	हिराकुंड	1957	8.10	727.00
38.	सलांडी	1972	5.73	32.30
39.	बालीमेला	1977	3.61	169.08
40.	रेंगाली	1985	4.40	353.00
41.	उपरी कोलाब	1985	1.22	125.00
	राजस्थान			
42.	राणा प्रतापसागर	1968	2.90	198.29
43.	मेत्तूर बांध	1934	2.71	153.46
44.	शोलायार बांध	1971	0.15	5.26
	उत्तर प्रदेश			
45.	रामगंगा	1974	0.25	19.72
46.	मातटीला	1964	1.13	1388.50
47.	राजघाट		2.172	2453
	पश्चिम बंगाल			
48.	कंग्सावटी	1965	1.04	124.32
	आंध्र प्रदेश			
49.	सोमसिला	निर्माणाधीन	2.21	212.28
50.	कन्दलेरू	–वही–	1.92	142.32
	बिहार			
51.	कुजु पर इच्चा	–वही–	1.04	127.00

1	2	3	4	5
52.	चांडिल	निर्माणाधीन	1.96	174.10
53.	उत्तरी कोइल	—वही—	1.17	71.20
	उत्तर प्रदेश			
54.	टेहरी	—वही—	3.54	42.0
55.	किशाऊ	—वही—	1.81	21.70
56.	लखवर	—वही—	0.58	29.50
57.	व्यासी	—वही—	1.16	9.65

अवैध आव्रजन

5462. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 जनवरी, 2001 को अवैध रूप से प्रवासियों को ले जा रहे माल वाहक जहाज के टूटकर भूमध्य सागर में डूब जाने से कितने भारतीय लोगों की जान गई थी; और

(ख) ऐसे अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त दुर्घटना में किसी भारतीय की मृत्यु नहीं हुई।

(ख) भारतीय कामगारों के अवैध उत्प्रवास को रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में उत्प्रवास अनुमति प्रदान करने से पहले उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा नियोजन अनुबंधों सहित यात्रा दस्तावेजों की जांच-पड़ताल और विमानपत्तनों पर आप्रवास प्राधिकारियों द्वारा इन दस्तावेजों की पुनः जांच पड़ताल शामिल है। राज्य सरकारों से भी अनधिकृत एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए पुलिस थाना स्तर तक अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि संख्या का आबंटन

5463. श्री सुरेश चन्देल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नए ठेकेदारों और अन्य कर्मचारियों को उनके पंजीकरण के बाद कर्मचारी भविष्य निधि की खाता संख्या के आबंटन हेतु सभी भविष्य निधि आयुक्तों को आदेश दे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश किस तारीख को जारी किए गए थे; और

(ग) राज्य-वार ऐसे कितने लोगों का पंजीकरण किया गया है और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि खाता संख्या का आबंटन किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कारखानों/स्थापनाओं को दायरे में लाने में होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से 17.1.2001 को एक पत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उन नियोक्ताओं को अलग भविष्य निधि कोड नंबर आबंटित करने हेतु सक्षम बनाया गया था, जो ठेकागत आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं अथवा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और एक दुकान के रूप में पंजीकृत हैं अथवा स्थायी आयकर संख्या या बैंक खाता संख्या रखते हैं।

(ग) फरवरी, 2001 में दायरे में लाए गए ठेकेदारों से संबंधित प्रतिष्ठानों सहित नए प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्षेत्र का नाम	फरवरी, 2001 माह के दौरान दायरे में लाए गए प्रतिष्ठानों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	136
बिहार	28
दिल्ली	54
गुजरात	72
हिमाचल प्रदेश	8
हरियाणा	47
कर्नाटक	92
केरल	23
महाराष्ट्र	172
मध्य प्रदेश	36

1	2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	12
उड़ीसा	8
पंजाब	64
राजस्थान	24
तमिलनाडु	74
उत्तर प्रदेश	44
पश्चिम बंगाल	93

[अनुवाद]

पत्तनों/कारखानों में दुर्घटनाएं

5464. श्री रघुनाथ झा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों और कारखानों में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या महानिदेशक कारखाना परामर्श सेवाएं और श्रम संस्थान कारखानों और पत्तनों में सुरक्षा और कार्य दशाओं की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने डी जी एफ ए एस आई द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने के कारण इसके विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की छवि

5465. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास अपनी छवि सुधारने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस संबंध में किस हद तक सफलता मिलने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। कारपोरेट साख बनाए रखने संबंधी कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियमित अंतराल पर प्रैस कान्फ्रेंस के माध्यम से इस संगठन के सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों की जानकारी देता रहता है। इस प्रकार की कार्यवाही की सफलता को समग्र रूप से संतोषजनक माना जाता है।

[हिन्दी]

भविष्य निधि का भुगतान

5466. श्री राम टहल चौधरी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि से धनराशि निकालने के लिए आवेदन करने के तीस दिन के भीतर ही उसका भुगतान उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है जिनमें धनराशि का भुगतान तीस दिनों के भीतर नहीं किया गया है; और

(ग) तीस दिन के भीतर मामलों का निपटान न करने के लिए कितने अधिकारियों को जिम्मेदार समझा गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) हर तरह से पूर्ण कर्मचारी भविष्य निधि के दावों को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना अपेक्षित होता है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्मचारी पेंशन योजना

5467. श्री विकास चौधरी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995–96 और 1998–99 के बीच कितने सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एफ.) के सदस्य नहीं रहे और 21 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कितने पेंशन लाभार्थी थे;

(ख) क्या पेंशन योजना के अंतर्गत दर्ज बड़ी संख्या में पेंशन लाभार्थियों को गत तीन वर्षों से उनकी बकाया पेंशन राशि नहीं मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) वर्ष 1995–96 और 1998–99 के बीच की अवधि में 4,94,102 व्यक्तियों ने कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत पेंशन के लिए आवेदन किया। इस अवधि के दौरान जिन मामलों का पेंशन लाभ के लिए निपटान किया गया उनकी संख्या 2,92,600 थी। कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत हर तरह से पूर्ण पेंशन दावे का निपटान उसे संबंधित क.भ.नि. कार्यालय में प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है। तथापि, कई बार अपूर्ण आवेदन पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न होने, फोटोग्राफ आदि की कमी के कारण दावे के निपटान में विलम्ब होता है। कभी–कभी किसी दावे को स्कीम के अंतर्गत अनुज्ञेय न होने के कारण निरस्त कर दिया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार जरूरी व्यवस्था की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र व्यक्तियों को मासिक आधार पर पेंशन का भुगतान हो। क.भ.नि. अंशदाताओं को त्वरित सेवा प्रदान करने की दृष्टि से क.भ.नि. संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

अभ्रक का उत्पादन

5468. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान आज तक देश में अभ्रक का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत अभ्रक का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1999–2000 और 2000–2001 (फरवरी तक) के दौरान अभ्रक का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(मात्रा टन में)

मद उत्पादन	1999–2000	2000–2001
अभ्रक (क्रूड)	1273	964
अभ्रक (वेस्ट एवं स्क्रैप)	1039	879

वर्ष 2001–2002 में अभ्रक के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्टिंग खानों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर आई.बी.एम. अभ्रक के उत्पादन का अनुमान लगाता है। तथापि, गौण (सैकेंडरी) स्रातों और पछोड़नों (टेलिंग्स) से भी अभ्रक की प्राप्ति होती है परन्तु इसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है। अभ्रक के निर्यात संबंधी आंकड़ों में अभ्रक का सभी रूपों मों होने वाला निर्यात शामिल है। अतः अभ्रक के कुल उत्पादन और अभ्रक के निर्यात के प्रतिशत के बीच संबंध स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभ्रक के निर्यात से अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा 1998–99 में 7019 लाख रु., 1999–2000 में 6354 लाख रु. और 2000–2001 (अक्तूबर, 2000 तक) में 3653 लाख रु. है।

[अनुवाद]

खनन पश्चात् परित्यक्त कस्बों में रोजगार

5469. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान्य परिस्थितियों में जब कोई खनन कंपनी खनिज संसाधनों का पूर्णरूपेण दोहन कर लेती है और नए खनन स्थल पर चली जाती है तो उसके बाद खनन कस्बा निर्जन हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर सामाजिक और आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परित्यक्त कस्बों में वृहत क्रियाकलापों और रोजगार के स्रोतों के संबंध में कोई नीति बनाने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के तहत् यह प्रावधान है कि चूंकि खनिज निक्षेप क्षयकारी होते हैं इसलिए खान से लाभकारी निष्कर्षण की प्रक्रिया एक बार पूर्ण हो जाने के पश्चात, इन्हें बंद करना पड़ता है। जब–जब खान को बंद करना आवश्यक हो, यह विधिवत् एवं व्यवस्थित होना चाहिए और इस प्रकार नियोजित होना चाहिए कि कामगारों और आश्रित समुदाय

को, बिना किसी अनुचित कठिनाई झेले, स्वयं को पुनर्वासित करने में मददगार हो।

खानों के वास्तविक समापन से काफी समय पूर्व ही इस बात की जानकारी हो जाती है कि क्षेत्र में खनन कार्यकलाप बंद हो जाएंगे। खनन पट्टाधारक कंपनियां, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव देने और अधिशेष कार्मिकों को, व्यवहार्यता की सीमा तक, खनन कंपनी की अन्य इकाइयों में नियोजित करने संबंधी नीति की मार्फत, सहज परिवर्तन (समूथ ट्रांजिशन) में मदद देती हैं। कुछ मामलों में रोजगार के वैकल्पिक साधनों पर कैरियर संबंधी परामर्श भी दिया जाता है। खनन कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सामुदायिक सुविधाओं और सेवाओं को भी, धीरे–धीरे, संबंधित राज्य सरकार सहित अन्य सेवा प्रदाताओं को सौंप दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व रोजगार रिपोर्ट 2001 को जारी किया जाना

5470. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी विश्व रोजगार रिपोर्ट, 2001 जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रोजगार सृजन और विकास में वृद्धि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में संभावना बढ़ने के बावजूद दुनिया भर में विशेषकर भारत में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम प्रतिभाओं के विद्यमान होने के बावजूद देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं कराए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व रोजगार रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि विश्व में रोजगार स्थिति में सुधार हो रहा है, परन्तु कई क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति अति गंभीर बनी हुई है। किन्तु उपर्युक्त अभियुक्तियों में विशेष रूप से भारत के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विश्व रोजगार रिपोर्ट में यह प्रकाशित किया गया है कि विश्व की जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या की ही विद्युत, टेलीफोन लाइनों तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच है जो कि उन्हें उत्पादन एवं उपभोग में सूचना प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य हैं, जिससे विश्व जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इन महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रह जाता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में साफ्टवेयर उद्योग, जिसमें 199[illegible] के दौरान 50 प्रतिशन से अधिक की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, इसकी एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है, जिसने हजारों की संख्या में रोजगार सृजित किए हैं।

(ङ) और (च) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है। तथापि, कुछ सूचना, प्रौद्योगिकी व्यवसायी बेहतर रोजगार अवसरों हेतु देश छोड़कर जा रहे हैं। इस व्यवसाय की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की गतिविधियों से, विश्व बाजार में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के दीर्घावधि अवसर बढ़ते हैं। भारत सरकार मौलिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं उद्यम सृजन के संवर्धन के ऐसे उपाय कर रही है जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को साफ्टवेयर विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकीक्षम सेवाओं की बहुतायत में स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय

5471. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों से प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर सांसद फोरम द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की गई मांगों की एक प्रति गृह मंत्रालय को प्राप्त हुई है। इन मांगों में से एक क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की स्थापना से संबंधित है। गृह मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों/मंत्रालयों से इस संबंध में टिप्पणियां मांगी हैं।

[हिन्दी]

भुगतान हेतु भविष्य निधि के मामले

5472. श्री राम टहल चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भविष्य निधि के भुगतान से संबंधित अनेक मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की राज्य–वार संख्या कितनी है और भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा समय पर भविष्य निधि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार लंबित भविष्य निधि दावे क्षेत्रवार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। हर प्रकार से पूर्ण भविष्य निधि दावों को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में उनकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर निपटाया जाना अपेक्षित है। तथापि कभी–कभी अपूर्ण आवेदन पत्र उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ इत्यादि न होने के कारण भविष्य निधि दावों के निपटान में विलम्ब हो जाता है। भविष्य निधि दावों के त्वरित निपटान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्रियाविधियों और नियमों की समीक्षा की गई है और उन्हें सरल बनाया गया है। लोक शिकायत तंत्र को सुदृढ़ और पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत बनाया गया है। भविष्य निधि दावों के निपटान में दुर्भावपूर्ण विलम्ब की जांच और रोकथाम के लिए सतर्कता तंत्र को भी सुदृढ़ और सक्रिय किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं की शिकायतों का मौके पर निवारण करने के लिए क.भ.नि. कार्यालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

विवरण

क्षेत्र का नाम	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार लंबित भविष्य निधि दावों की संख्या (अनंतिम)
1	2
आंध्र प्रदेश	161
बिहार	193
दिल्ली	828
गुजरात	12,084
हिमाचल प्रदेश	264
हरियाणा	2069
कर्नाटक	6242
केरल	314
महाराष्ट्र	25779
मध्य प्रदेश	25
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	532
उड़ीसा	945
पंजाब	1930
राजस्थान	560
तमिलनाडु	8168
उत्तर प्रदेश	6260
पश्चिम बंगाल	1217

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : मैं श्री टी. आर. बालू की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3570/2001]

(3) (एक) सेन्ट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3571/2001]

(5) (एक) वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3572/2001]

(7) (एक) जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3573/2001]

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3574/2001]

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : महोदय, मैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2001–2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3575/2001]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3576/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 208 (अ), जो 23 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन)

नियम, 1998 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3577/2001]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 293(अ), जो 29 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या 556(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3578/2001]

(3) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 24 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3579/2001]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3580/2001]

(3) (एक) बेतवा नदी बोड, झांसी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3581/2001]

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : महोदय, मैं हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2001–2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3582/2001]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय जूट निगम, कोलकाता का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3583/2001]

(3) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3584/2001]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3585/2001]

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश और अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के "विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (न्याय विभाग)–न्यायपालिका में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के विशेष संदर्भ में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की बैठकों का तत्संबंधी कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं, और

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सेल्यूलर टेलीफोन सेवा के बारे में दिनांक 26 फरवरी, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

तथा

शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, लोकसभा में "सेल्यूलर टेलीफोन सेवा" के बारे में दिनांक 26.2.2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के अनुबंध में टाइप करते समय भूल से कुछ अशुद्धियां रह गई हैं।

अतः उत्तर के अनुबंध–1 में "मूल्यवर्द्धित सेवा" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 4, 5, 7 तथा 8 पर मौजूदा शब्दों तथा आंकड़ों में संशोधन कर इस प्रकार पढ़ा जाए–

4. कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सी एल आई) : 50 रुपये प्रतिमाह

5. वाइस मेल सेवा (वी एम एस) : (क) 100 रुपये प्रतिमाह

अथवा

(ख) संदेश प्राप्ति पर 2 रुपये प्रति मिनट

7. काल कान्फरेंसिंग : 50 रुपये प्रतिमाह

8. मदवार बिल (विस्तृत बिल) : 50 रुपये प्रतिमाह

जैसे ही अशुद्धियों का पता चला, उत्तर सही करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अपराह्न 12.04 बजे

*प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

(एक) हवाई अड्डों के विकास और उन्नयन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 2001 का तारांकित प्रश्न संख्या 210

(दो) विमान चालकों के पलायन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 2001 का तारांकित प्रश्न संख्या 220**

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) विमान पत्तनों के विकास और उन्नयन के बारे में संसद सदस्यों सर्वश्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा आर. एस. पाटिल द्वारा 12 मार्च, 2001 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 210 के संबंध में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में।

विवरण

हवाई अड्डों के विकास और उन्नयन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 2001 को लोक सभा में पूछे गए संख्या 210 के उत्तर के भाग (ङ) और (च) में, मद संख्या (ii) के अंतर्गत कहा गया था :

केरल के कालीकट में 9.60 करोड़ रुपये की लागत से हवाई पट्टी का 9000 फुट तक विस्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के विस्तार की योजना है।

2. जांच के पश्चात यह पाया गया कि प्रश्न के भाग (ङ) और (च) के मद संख्या (ii) के उत्तर में एक अनवधानिक चूक हुई है। हवाई पट्टी के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की परियोजना की सही लागत '99.60 करोड़' रुपये बताने की बजाय, गलती से '9.60 करोड़' रुपये छप गया था। इस गलती के लिए खेद है।

3. प्रश्न के भाग (ङ) और (च) के मद संख्या (ii) के उत्तर को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

(ङ) और (च) : (ii) केरल के कालीकट विमानपत्तन की हवाईपट्टी को 99.60 करोड़ रुपये की लागत से 9000 फुट तक बढ़ाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के विस्तार की योजना है।

अपराह्न 12.05 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 अप्रैल, 2001 को लोक सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा 20 अप्रैल, 2001 को लोक सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 15, नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.05½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) चीनी के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : चीनी का स्टाक बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण गेहूं की तरह यह भी खराब हो जाएगा और करोड़ों रुपये की चीनी का नुकसान भारत सरकार को उठाना

*सभा पटल पर रखा गया।

**प्रश्न के हिन्दी रूपान्तर के संबंध में शुद्धियां लागू नहीं होतीं।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

पड़ेगा। इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को सब्सिडी देकर इसका निर्यात तुरंत करना चाहिए, जिससे एक ओर तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और किसानों को उन्हें गन्ने का उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा और चीनी की बंद मिलों को खोलने में सहायता मिलेगी जैसा कि पूरा देश जानता है कि देश में चीनी की बहुत सी मिलें बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण लाखों लोग परेशान हैं चाहे वे किसान हों, मिल मजदूर हों या मालिक हो।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि चीनी का निर्यात सब्सिडी देकर तुरंत किया जाए।

(दो) बिहार में पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के उचित रख-रखाव की आवश्यकता

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : मैं सरकार का ध्यान पटना के गंगा नदी पर स्थित जर्जर गंगा ब्रिज, जिसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 77 को जोड़ता है। यह पुल 1982 में बना था तथा एकमात्र ऐसा पुल है जो उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। इसकी दशा अत्यंत खराब और दयनीय है तथा कई जगहों से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हालांकि राज्य सरकार ने बोर्ड भी लगाया हुआ कि यह पुल क्षतिग्रस्त है। पुल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसका रख–रखाव तथा मरम्मत करना अति आवश्यक है अन्यथा इसकी दशा भी कोरिया के पुल की तरह होगी जहां पर पुल का आधा भाग नदी में डूब गया था।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त पुल को अपने अधीन लेकर अच्छी तरह से मरम्मत कार्य शुरू करवाए जिससे कोई भयंकर दुर्घटना न हो सके।

(तीन) गुजरात में उमरपाड़ा और अम्बाजी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : गुजरात में ट्राइबल राजमार्ग उमरपाड़ा गुजरात के दक्षिण सीमा से होकर गुजरात के उत्तर की सीमा अम्बाजी तक जाता है। वैसे धुलिया से गुजरात की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर गुजरात का यातायात निर्भर रहता है। इस राजमार्ग पर यातायात बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण नाहक रूप से अक्सर यह मार्ग जाम रहता है। इस ट्राइबल स्टेट हाईवे के बनने के बाद इस मार्ग पर भार कम पड़ेगा। इसके साथ आदिवासी इलाकों के विकास जैसे औद्योगिक विकास, साक्षरता एवं अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ–साथ यहां पर छोटे उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी क्योंकि यहां पर कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस राजमार्ग को बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत करे, जिससे आदिवासियों का विकास हो सके।

(चार) उत्तर प्रदेश में बहाराइच जिले में केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पदमसेन चौधरी (बहराइच) : उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होने के उपरांत कृषि विश्वविद्यालय पंत नगर वर्तमान में उत्तरांचल का हिस्सा हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि शोध एवं विकास हेतु कोई संस्थान नहीं है। सौभाग्य से मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद बहराइच में गिरिजापुरी सेन्ट्रल स्टेट फार्म है, जिसमें हजारों एकड़ भूमि है, जहां पर नई तकनीक से बीज पैदा करने का काम चल रहा है। कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा है। इस क्षेत्र के कृषि विकास के लिए एक तराई कृषि अनुसंधान संस्थान की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय तराई कृषि अनुसंधान संस्थान खोलने की स्वीकृति देने का कष्ट करें।

(पांच) राजस्थान में सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन का आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सवाई माधोपुर पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। यहां का रेलवे स्टेशन जहां एक ओर राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के पर्यटकों को अपनी सुविधाएं दे रहा है, इसकी ओर रेलवे स्टेशन की हालत विश्व में कोई अच्छी छवि पेश नहीं करती है, इस स्टेशन को आदर्श स्टेशन का रूप देने के लिए सरकार शीघ्र कोई निर्णय ले।

प्रति वर्ष औसतन 50 हजार पर्यटक विदेशों से राष्ट्रीय बाघ परियोजना में भ्रमण करते हैं, लाखों स्वदेशी पर्यटक इसी स्टेशन से आवा–जाही से जुड़े हैं, किन्तु वर्तमान में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। गत सत्र सूचना केन्द्र से स्वीकृति तो थी लेकिन आज तक क्रियान्वित नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से भारत प्रसिद्ध सवाई माधोपुर जंक्शन

रेलवे स्टेशन राजस्थान को आदर्श स्टेशन घोषित कराए जाने की पुरजोर मांग करती हूं।

(छह) झारखंड में जलधारा योजना को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : झारखंड का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ीनुमा है, जिसमें अधिकांश जंगल है और छोटे और सीमांत किसान लोगों का निवास है। यहां पर आदिवासी लोगों को और किसान लोगों को जल धारा सिंचाई ही महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि चैक डेम, सिंचाई की छोटी परियोजनाएं और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं नहीं बन पाई हैं और किसान लोग केवल जल धारा सिंचाई योजना के माध्यम से अपने खेतों को सींचने का काम करते हैं। 1998–99 से इस योजना को स्थगित कर दिया गया है जिसके कारण किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत कुएं बनाए थे उनको भुगतान नहीं मिला और कई कुएं ध्वस्त हो चुके हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल धारा योजना के अंतर्गत जिन कुओं का निर्माण किया गया है, उसको बकाया भुगतान मिले और साथ ही चैक डेम का निर्माण किया जाए और इस योजना के अंतर्गत कुओं के निर्माण को चालू रखा जाए, जिससे गरीब किसान अपने खेतों को पानी समय पर पहुंचा सके, क्योंकि यह योजनाएं झारखंड के लिए उपयुक्त हैं।

[अनुवाद]

(सात) नागपुर और निजामुद्दीन के बीच गोंडवाना एक्सप्रेस की सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, रेल बजट 2001–2002 को देखने पर मैंने पाया कि विदर्भ क्षेत्र को रेलवे के संबंध में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं। नागपुर से किसी नई रेलगाड़ी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा इस क्षेत्र के लिए किसी नई योजना पर विचार नहीं किया गया है। विदर्भ क्षेत्र के लोगों को नागपुर–निजामुद्दीन क्षेत्र में मौजूद रेलगाड़ी सुविधा भी नहीं दी जा रही है।

नागपुर से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस जो कि 1995 में प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ी के रूप में शुरू की गई थी, बाद में इसे द्विसाप्ताहिक कर दिया गया।

गोंडवाना एक्सप्रेस को बंद किए जाने से सभी वर्ग के लोगों में बहुत अधिक असंतोष है क्योंकि यही एकमात्र रेलगाड़ी थी जो कि नागपुर को सीधे देश की राजधानी से जोड़ती थी।

महोदय, मैं रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें तथा गोंडवाना एक्सप्रेस को तत्काल नागपुर से निजामुद्दीन के बीच प्रतिदिन नहीं तो द्विसाप्ताहिक कर पुनः चलाया जाए।

(आठ) कर्नाटक के मेडा समुदाय जैसे समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार (मैसूर) : मैं भारत सरकार का ध्यान कर्नाटक राज्य के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में दिलाना चाहता हूं। मेदारा, मेडारू, मेडारी, बुरूडा और बद्दारू जो कि "मेदा" समुदाय जैसे ही पांच समुदाय हैं, को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर रखा गया है। इन समुदायों के छात्र तथा सरकारी कर्मचारी भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सामान्य श्रेणी का माना जाता है। जब तक केन्द्र सरकार उनके मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार नहीं करती वे नुकसान उठाते रहेंगे क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली आरक्षण सुविधाओं से वंचित हैं।

इस प्रकार, मेरी यह मांग है कि मेदा समुदाय के समतुल्य समुदायों को बिना किसी विलम्ब के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

(नौ) दक्षिणी राजस्थान में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा) : दक्षिणी राजस्थान एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा इसी क्षेत्र में है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिले आते हैं। दक्षिण राजस्थान इस समय भयंकर अकाल की चपेट में है। इस तरह का अकाल पिछले 100 वर्षों में भी कभी नहीं पड़ा है। आम लोगों के सामने पेयजल, खाद्यान्न और रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, जिस कारण मवेशियां मर रही हैं। गांवों में कुएं तथा बावड़ियां सूख गई हैं। सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हो गई है कि भूमि का जलस्तर बहुत ही नीचे चला गया है, जिस कारण हैण्डपंप तथा ट्यूबवैल से भी पानी आना बंद हो गया है। दक्षिण राजस्थान

के सीमावर्ती राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश में लोगों ने पलायन भी किया, परन्तु वहां भी भयंकर अकाल होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। चारों तरफ पेयजल, चारा और अनाज न मिलने के कारण त्राहि–त्राहि मची हुई है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को इस अकाल से निपटने के लिए जो राशि आप देने जा रहे हैं, उसमें और बढ़ोत्तरी करके ज्यादा से ज्यदा धनराशि इस अकाल से निपटने हेतु दी जाए।

[अनुवाद]

(दस) उड़ीसा में ढेकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भुवन शहर को केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित लघु एवं मध्यम शहर विकास योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेकानाल) : भुवन नोटिफाइड एरिया काउंसिल (एन.ए.सी.) 5 जून, 1972 को अस्तित्व में आई। एन. ए.सी. की कुल जनसंख्या 20,000 से आधिक है तथा यह 18.04 वर्ग किमी. में फैला है। इस नगर में मूलभूत सुविधाएं एकदम नहीं हैं। जबकि दुब्री में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के प्रस्तावित स्टील प्लांट नजदीक होने के कारण इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह ढेकानाल, जाजपुर और क्योंझर जिलों की सीमा पर स्थित है। चालू दैताराती–बनासपानी और अंगुल सुकिन्दा रोड लाइन इस नगर से बहुत अधिक दूर नहीं हैं। जब तक इस नगर का विकास सुव्यवस्थित तरीके से नहीं किया जाता इसमें बढ़ती जनसंख्या की मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकट में फंसी होने के कारण नगर विकास पर उचित ध्यान नहीं दे पा रही है।

इस प्रकार मेरी मांग है कि ढेकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित भुवन नगर को केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत लघु और मध्यम नगर विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2000–2001, 2001–2002 में सम्मिलित किया जाए।

(ग्यारह) त्रिपुरा में रह रहे रिआंग शरणार्थियों को शीघ्र मिजोरम वापस भेजे जाने की आवश्यकता

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : अक्टूबर, 1977 से त्रिपुरा सरकार मिजोरम से त्रिपुरा आ रहे रियांग आदिवासियों की समस्या का सामना कर रही है। दो वर्षों के अंदर धीरे–धीरे करके 31,811 शरणार्थी (5,885 परिवार) आए हैं और वे उत्तरी त्रिपुरा जिला के कंचनपुर उपमंडल में छह शिविरों में रह रहे हैं। त्रिपुरा सरकार ने उनकी अविलंब वापसी के लिए मिजोरम सरकार तथा भारत सरकार से बात की है। नवंबर, 1997 में त्रिपुरा तथा मिजोरम के गृह मंत्रियों द्वारा समझाए जाने के बाद 3000 रियांग मिजोरम वापस गए लेकिन बाद में फिर आ गए। उनकी वापसी के विषय पर अनके बैठकें हुई हैं। मई, 1998 में त्रिपुरा तथा मिजोरम के मुख्य मंत्री मिले। केन्द्रीय गृह मंत्री ने 7 अगस्त, 2000 को बैठक की। ऐसा तय किया गया कि अक्टूबर, 2000 तक 160,000 शरणार्थी वापस चले जाएंगे। जबकि शेष को मिजोरम दिसंबर, 2001 में जांच के बाद स्वीकार करेगा। तथापि, कुछ नहीं हुआ। आखिरी निर्णय यह हुआ है कि संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) गृह मंत्रालय अप्रैल, 2001 में मिजोरम का दौरा करेंगे तथा विचार–विमर्श के बाद चरणबद्ध वापसी कार्यक्रम बनाएंगे। इससे पहले, अक्टूबर, 1999 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मौके पर जाकर अध्ययन किया तथा इस बात पर बल दिया कि मिजोरम सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि रियांग शरणार्थियों को वापस लें तथा उनके शांतिपूर्ण पुनर्वास को सुनिश्चित करें। तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शरणार्थियों की वापसी के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।

मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार मामले पर ध्यान दे।

(बारह) बिहार में भागलपुर में विद्युत करघा/हथकरघा श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : भागलपुर का विश्व विख्यात सिल्क उद्योग अपर्याप्त बिजली की आपूर्ति, सूत एवं अन्य उपयोगी सामानों के अभाव में चरमरा गया है। फलस्वरूप दस हजार पावरलूम/हैंडलूम पर कार्यरत बुनकर, उनका परिवार तथा इस उद्योग से जुड़े करीब 5 लाख से अधिक गरीबों का परिवार भीषण भुखमरी की स्थिति से गुजर रहा है और पलायन के लिए बाध्य हो गया है। इलाके का सम्पूर्ण व्यवसाय मरणासन्न है और विकास की सारी प्रक्रिया ठप्प हो गई हैं। बिहार पुनर्गठन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को आर्थिक पैकेज नहीं देने के परिणामस्वरूप उपरोक्त स्थिति और भी बदतर हुई है।

अतएव भारत सरकार से मांग है कि उपरोक्त स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कहलगांव एनटीपीसी से सीधे बिजली की आपूर्ति करने तथा सूत की उपलब्धता के बारे में सार्थक कदम उठाए।

[अनुवाद]

(तेरह) सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : भारत सरकार को चाहिए

कि सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान करे क्योंकि वे ग्यारह करोड़ किसानों की सेवा कर रहे हैं। भारत सरकार ने पहले वाणिज्यिक बैंकों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये दिए हैं। उदारीकरण को दृष्टि में रखते हुए सहकारी बैंकों को भी सहायता की आवश्यकता है। बैंकों में सुधार की तरह जिसके लिए सरकार ने सहायता दी, इसी प्रकार सहकारी बैंकों में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा 1999 में गठित जगदीश कपूर समिति ने अपनी सिफारिशें 27 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत कीं और उसके बाद सरकार ने सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों तथा राष्ट्रीय स्तर के संघ के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया। उस समिति ने प्रतिवेदन को स्वीकार करने की सिफारिश की लेकिन इस बजट में ग्रामीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले सहकारी बैंकों के उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है, पिछले बजट में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि नाबार्ड के माध्यम से धनराशि दी जाएगी तथा मानदंड जगदीश कपूर समिति द्वारा तय किए जाएंगे। अब तक कुछ भी नहीं किया गया है, अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सहकारी बैंकों में सुधार के लिए कदम उठाया जाए तथा बैंकों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए 7,500 करोड़ रुपये की एक बार सहायता दी जाए।

(चौदह) बिहार में रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ियों पर सैनिक छावनी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : बिहार राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत कैमूर की पहाड़ी पर अति प्राचीन रोहतासगढ़ का किला रोहतास थाने में अवस्थित है। यह किला राजा रोहिताश्व का बनाया हुआ है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है। हजारों की संख्या में देशी–विदेशी यात्री इसे देखने के लिए प्रत्येक साल आते हैं। इसकी गौरव गाथा बड़ी पुरानी है। इधर कुछ वर्षों से यह किला असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन गया है, इस आशय का समाचार कई समाचार पत्रों में छपा है। इसकी मुक्ति के लिए सैनिक 12 बटालियन भेजने का भी सुझाव समाचार पत्रों में छपा है। समय रहते भारत सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो किला पूर्णतः अपराधियों और असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन जाएगा।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस कैमूर पहाड़ी पर यथाशीघ्र सैनिक छावनी का निर्माण किया जाए ताकि इस किले की रक्षा को सके और यहां शांति कायम हो सके।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बार-बार आ रही बाढ़ से बचाव किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सैकड़ों गांव मानसून के दौरान रामगंगा और गंगा नदियों की बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया इसमें होने वाले नुकसान तथा जनता को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए मिट्टी, रोड़ी तथा पत्थर का तटबंध बनाया जाए। इन कार्यों के लिए 28 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान तथा राहत उपायों पर खर्च की जाने वाली करोड़ों रुपये की धनराशि की बचत की जा सकेगी। किसी भी कार्य की शुरूआत नहीं की गई, तटबंध बनाने के लिए धन स्वीकृत नहीं किया गया जिससे मुरादाबाद शहर तथा अनेक गांव बाढ़ की दया पर छोड़ दिए गए हैं। जल भराव तथा बीमारी के कारण लोगों को असुविधा हो रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि नदियों पर तटबंध बनाने के लिए कदम उठाए तथा मुरादाबाद को बार–बार आने वाली बाढ़ों से बचाया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय रक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष जी, आज देश में किसानों की हालत खराब हो गई है, देश का किसान मर रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप रक्षा मंत्री जी को बोलने दीजिए। पहले उनका वक्तव्य सुनिए। यह शानदार मौका है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश सीमा पर हाल की घटनाएं

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : माननीय सदस्यों को मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में पिरिदवाह गांव में बंगलादेश रायफल्स के जवानों द्वारा अनावश्यक और अकारण घुसपैठ की वजह से 16–19 अप्रैल, 2001 की अवधि के दौरान भारत–बंगलादेश सीमा पर घटी गंभीर घटना की जानकारी है।

उसके बाद यह तनाव असम सहित अन्य क्षेत्रों में फैला जहां कि 17–18 अप्रैल की रात को बोरईबारी में सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश रायफल्स के बीच भारी गोलाबारी हुई। 18 अप्रैल की सुबह सीमा सुरक्षा बल का एक गश्ती दल रास्ता भटक गया। उसके बाद हमें यह चिंताजनक खबर मिली कि बंगलादेश रायफल्स के महानिदेशक द्वारा बंगलादेश मीडिया में एक वक्तव्य दिया गया है कि सीमा सुरक्षा बल के 16 जवान मुठभेड़ में मारे गए हैं।

इस मामले को तुरंत सीमा सुरक्षा बल के नियमित चैनलों और राजनयिक माध्यमों से दिल्ली और ढाका में उठाया गया ताकि बंगलादेश रायफल्स, द्वारा अनावश्यक और अकारण घुसपैठ पर अपनी चिंता व्यक्त की जा सके और साथ ही, गोलाबारी को तुरंत बंद करने, बंगलादेश रायफल्स के जवानों की वापसी और यथास्थिति को बहाल करने की मांग की गई। उसी रात (18 अप्रैल) बंगलादेश की सरकार से इस बात की पुष्टि की गई कि बंगलादेश रायफल्स की वापसी के लिए और पूर्व स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। 19 की रात तक वापसी का कार्य पूरा हो गया था। स्थिति तनावपूर्ण है परन्तु नियंत्रण में है।

हमारी मांग पर 20 तरीख की शाम को जब हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के शव लौटाए गए तो हमें उनके शरीरों पर जख्मों के निशानों और उनके क्षत–विक्षत शरीरों तथा उनमें से आठ, जिन्हें बिल्कुल नजदीक से गोली से उड़ाया गया था, को देखकर धक्का लगा। उप कमांडेंट मंडल के मामले में शव का अकड़ना शुरू हो गया था जिससे यह पता चलता था कि मृत्यु 24 घंटे के भीतर हुई है। घाव के निशानों का रिकार्ड बनाया गया और उस पर सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश रायफल्स दोनों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।

हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार पर बंगलादेश की सरकार के साथ कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। बंगलादेश की सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और यह कि बंगलादेश रायफल्स की इस कार्रवाई की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और यह खेदजनक है। पिछली रात को प्रधान मंत्री शेख हसीना ने प्रधान मंत्री वाजपेयी के साथ बातचीत की है। प्रधान मंत्री ने उन्हें बंगलादेश रायफल्स द्वारा हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ किए अमानवीय व्यवहार पर अपना गहरा दुख और क्षोभ व्यक्त किया। शेख हसीना ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं से बहुत दुख और चिंता है तथा इस बात की पुष्टि की कि घटनाओं के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच पड़ताल की जाएगी जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवानों के शरीरों को क्षत–विक्षत किया जाना शामिल है।

इससे पूर्व बंगलादेश के विदेश मंत्री से मेरी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने ठीक इसी तरह के भाव व्यक्त किए।

मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि दोनों देशों के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इन संबंधों को बिगाड़ने के लिए स्थानीय कमांडरों द्वारा आपराधिक दुस्साहसपूर्ण कृत्यों को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यह बंगलादेश सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन अपराधों को करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करे और विश्वास और सद्भाव बहाल करे।

भारत सरकार भारतीय सीमाओं की रक्षा में सीमा सुरक्षा बल के अपने बहादुर जवानों के इस प्रशंसनीय निःस्वार्थपूर्ण बलिदान को हमेशा याद रखेगी। सीमा सुरक्षा बल के मारे गए जवानों के परिवारों के प्रति हमें गहरी संवेदना है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष की नेता कुछ कहना चाहती हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि बंगलादेश के साथ हमारी मित्रता हो लेकिन हमारे जवानों के इस तरह शहीद होने की कीमत पर यह कैसी दोस्ती है?...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में नोटिस दिया है। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विपक्ष की माननीय नेता को बोलने का अवसर दिया है।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों की बंगलादेश रायफल्स के कर्मियों द्वारा की गई निर्मम हत्या और यहां तक कि शवों को लौटाए जाने के समय उनके द्वारा की गई अपमानजनक ज्यादती से पूरा देश स्तब्ध हो गया है और इस घटना ने सभी देशवासियों को झकझोर दिया है।

हम इस अमानवीय तथा बर्बरतापूर्ण कृत्य की भर्त्सना कड़े शब्दों में करते हैं। हम माननीय विदेश मंत्री द्वारा शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त गहन दुःख और क्षोभ में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। हमारे कोई भी शब्द उन पर आई विपत्ति की व्यथा को कम नहीं कर सकते।

कांग्रेस पार्टी इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा मानती है जो प्रत्यक्षतः बंगलादेश के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। हम बंगलादेश के साथ अपने रिश्तों को अत्यधिक महत्व देते हैं। इसके साथ ही बंगलादेश सरकार से हम यह आशा करते हैं कि वह इस मामले की जांच करवाएगी और इस जघन्य अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को सजा देगी। मैं यह भी आशा करती हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अभी मैं इसके सिवा और अधिक कुछ नहीं कहना चाहती कि माननीय विदेश मंत्री के वक्तव्य से हमारी सिर्फ कुछ शंकाएं और मर्म ही दूर हुआ है सभी नहीं। मैं समझती हूं कि सरकार इस सदन को उन तथ्यों से अवगत कराती रहेगी जो तथ्य सामने आएंगे। क्या वहां किसी प्रकार की गुप्तचर तंत्र की विफलता हुई है? क्या हमारी सतर्कता व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई बरती गई है? ये गंभीर मामले हैं जिनके बारे में यह सदन और पूरा देश जानकारी की प्रतीक्षा में है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात से सहमत हैं कि बंगलादेश और हिन्दुस्तान के बीच अच्छे रिश्ते कायम हों। बंगलादेश से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमारे हजारों जवान शहीद हुए और हिन्दुस्तान का अरबों रुपया बरबाद हुआ। हमने लाखों लोगों को लगातार अपने देश में संरक्षण भी दिया और जमीन जायदाद सब कुछ दिया। रक्षा मंत्री जी का इस बारे में जो बयान आया है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो जवानों की हत्या हुई है, बर्बतापूर्ण ढंग से की गई है, इसका आपने किस प्रकार विरोध किया है। उनके साथ हम दोस्ती चाहते हैं, हमारे जवानों की निर्मम हत्याओं की कीमत पर यह नहीं है, इस संबंध में हम जरूर जाना चाहते हैं? इसी तरह से कश्मीर के मामले में भी हो रहा है। वहां की जनता और फौज की जान की कीमत पर दोस्ती की बात चल रही है।

हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से और बंगलादेश के साथ अच्छे रिश्ते हों लेकिन जिस तरह से हमारे देश के जवानों की हत्या की गई है, उससे यह साबित हो गया है कि हमारे जवानों को पकड़–पकड़कर ले गए, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया गया। रक्षा मंत्री जी ने खुद कहा है कि उन्हें नजदीक से गोली मारकर हत्या की गई, उन्हें गोली मारी गई और पकड़–पकड़कर मारा गया। यह अमानवीय अत्याचारपूर्ण व्यवहार है और बाकायदा बंगलादेश में हिन्दुस्तान के प्रति नफरत फैलाने के लिए पूरी साजिश है। क्या इस कांड में अकेला बंगलादेश शामिल है या इसमें और देश भी शामिल है?

उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए और इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, एक कहावत है : "भय बिन प्रीत न होवे देवा", यानी बिना भय के कोई दोस्ती नहीं होती है। इस घटना से पूरा देश दुखी है, पूरे देश की जनता दुखी है और सुरक्षा बलों एवं फौज का मनोबल टूटा। आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हो तथा सुरक्षा बलों का मनोबल न गिरे।

उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा की सरकार के रहते हुए हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह संदेश पूरे देश में चला गया है। हम देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करना चाहते क्योंकि देश की सुरक्षा राजनीति से ऊपर है। इसके लिए आपको गंभीरता से उत्तर देना चाहिए। इसलिए अगर आप आज इस बात का उत्तर तथ्यों के साथ नहीं दे सकते हैं तो कल या परसों तक इस सदन को उत्तर दीजिए। उपाध्यक्ष जी, बंगलादेश की सीमा सुरक्षा मामले में कोई कमजोरी और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देश ने बंगलादेश से दोस्ती के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं लेकिन जिस तरह से हमारे देश के जवानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसे देखते हुए आप मय तथ्यों के इस गंभीर सवाल का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप जानते हैं कि स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन या उत्तर देना हमारे हाउस की परम्परा नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, यह देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आपको सुना है। ऐसी सिचुएशन है कि सारा हाउस इस पर कन्सर्न्ड है, इमोशनल है और हम

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सब का एंगुइश है। इसलिए रक्षा मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि नियमानुकूल है, हमने नियमावली देखी है, पढ़ी है। आप सही कह रहे हैं। पर देश की सुरक्षा के सामने नियम व कायदे कानून का सवाल नहीं है, इसलिए हम उत्तर चाहते हैं कि जवानों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों? बर्बरतापूर्ण हत्याएं क्यों की गईं?

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, इस मामले को बहुत ही संजीदगी से डील करना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक असाधारण मामले के रूप में, मैं माननीय सदस्यों को सिर्फ अपनी चिंता व्यक्त करने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब, श्री येरननायडू।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, बंगलादेश रायफल्स द्वारा सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को माने जाने की घटना एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह एक जघन्य अपराध है। हमें इस तरह की घटनाओं से कठोरता से निपटना होगा। इसके साथ ही अपने राजनयिक संबंधों का भी इस्तेमाल करना होगा। यह एक बहुत ही हैरानगी वाली खबर है। यह घटना क्यों हुई, जबकि उस देश के साथ हम बहुत ही अच्छे संबंध बनाए हुए हैं? मेरे विचार से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अतएव हमें स्थिति का आकलन करना होगा। उस स्थिति में जबकि हम अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, इस घटना का घटित होना एक बहुत ही गंभीर मामला है।

• सभी जगह यही प्रश्न उठ रहा है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। वहां प्रत्येक व्यक्ति मुझसे यही प्रश्न कर रहा था–यह एक छोटा–सा देश है और इसके साथ हम अच्छे संबंध बनाए हुए हैं; फिर ऐसी स्थिति में यह कैसे घटित हुआ? इस घटना में सीमा सुरक्षा बल के सोलह कार्मिक मारे गए। यह एक छोटी बात नहीं है। हमें उनमें आत्मविश्वास पैदा करना होगा। भारत सरकार को भी कठोर कार्रवाई करनी होगी।

मैं अपनी ओर से और अपने दल, तेलगू देशम पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री जी की ओर से बंगलादेश की सीमा पर घटना के बारे में जो बयान दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है। जिस तरह की दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई है, उससे जाहिर होता है कि पिछले दिनों से जो बातें होती रही हैं, उससे हमारी सेनाओं का मनोबल नीचे गिरा है। रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और हर कीमत पर अच्छे संबंध रखे जाने चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस बात की पूरी तरह से खोज होनी चाहिए कि आज ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे संबंधों को खराब करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है और देश के अंदर ऐसी उत्तेजनात्मक कार्यवाही के जरिये वातावरण को खराब करना चाहती है। इस संबंध में सरकार को स्पष्ट वक्तव्य देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में सरकार ने वक्तव्य दे दिया है।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, अभी रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि 17 अप्रैल को यह घटना घटी। मैंने 18 अप्रैल को यह मामला उठाया था। यहां प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए थे। आपने इस पर बयान देने में इतनी देरी क्यों की? जिस तरह से हमारे जवानों को मारा गया, उबलता हुआ पानी उन पर फेंका गया, उनकी आंखों में चाकू मारे गए और उनकी लाशें तक उनके परिवार वालों को नहीं दी गईं–यानी कितने भयानक तरीके से उन्हें मारा गया। एक छोटा सा देश जिसे हमने स्वतंत्रता दिलाई, जिसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां की थीं, उसने हिम्मत कैसे की। हम कब तक अहिंसा का जप करते रहेंगे। आप कहेंगे कि इसके पीछे आई.एस.आई. है, अखबारों में आया कि इसके पीछे आई.एस.आई. है। आई.एस.आई. की एक्टिविटीज शुरू हैं। हमने बार–बाद संसद में कहा है कि हमारे ईस्टर्न राज्यों की सीमाओं में आई.एस.आई. की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आज इन्होंने हमारे विरुद्ध ऐसा करने की हिम्मत की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम उनके खिलाफ एक्शन लें। कितने दिन हम सोचते रहेंगे। हमने ताशकंद समझौता किया,

क्या हुआ, हमने शिमला समझौता किया, क्या हुआ, 1947 में हम अंदर घुस गए थे। कांधार में हमने अजहर मसूद को छोड़ा, क्या हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ। अपरोक्ष युद्ध करके उनके द्वारा और पाकिस्तान की एजेंसी आई.एस.आई. के द्वारा हमारे आदमियों को मारा जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना पर बंगलादेश के ऊपर हमला करे। आज लगभग चार करोड़ बंगलादेशी हिंदुस्तान में आए हुए हैं। अभी जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का राज मुंबई में चल रहा था, तभी हमने यह बात निकाली थी, तब इसी सदन के कई लोगों ने इसका विरोध किया था। श्री बालासाहेब ठाकरे जो सच्चे देशभक्त हैं, उन्होंने कहा कि बांगलादेशी लोगों को हटाओ तो उनका मताधिकार छीन लिया गया। चार करोड़ लोगों को वोट के लिए बोगस राशन कार्ड्स दिए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर संयम बरतना है।

श्री मोहन रावले : आज हमारे कितने लोग मारे जा रहे हैं। हम कितना संयम करें। एक छोटा सा देश हमारे ऊपर हमला करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मि. मोहन रावले, यह एक डेलीकेट इश्यु है, इस पर जरा संभलकर बात करनी चाहिए।

श्री मोहन रावले : उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो भी हम इसे डेलीकेट समझें?

उपाध्यक्ष महोदय : आप रक्षा मंत्री के बयान को देखिये।

श्री मोहन रावले : उन्होंने लाल किले में घुसकर हमारे जवानों की हत्या की, नॉर्थ ब्लाक की पार्किंग में बम मिला तो भी क्या हम चुप बैठे रहेंगे। हमें पाकिस्तान और बांगलादेश दोनों को सबक सिखाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मैंने चान्स दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सीमा पर हमारे जवानों के साथ जो अमानुषिक और बर्बर व्यवहार हुआ है, इसका हमें दुख तो है ही, साथ में गुस्सा ज्यादा है। बांगलादेश की आज़ादी में हम लोगों का सहयोग है और एक समय यह आ गया कि हम ऐसी दुर्दशा देख रहे हैं। देहातों में लोग कहते हैं– "समय परे की बारम्बार माछी मारे लथार"। मतलब बांगलादेश की सीमा पर हमारे जवानों की यह दुर्दशा। माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। देश जानना चाहता है कि हमारे जवान निहत्थे थे। लोग कहते हैं कि वहां की आम जनता ने घेरकर मार दिया। कुछ कहते हैं कि पहले उन्हें पकड़ लिया, तब मारा, उन्हें पीटा, घसीटा और दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया। इस पर हम लोग एकदम अंधकार में हैं। हमें नहीं बुझाता है कि असलियत क्या है, सीमा पर क्या हो रहा है। खुफिया रिपोर्ट आई या नहीं आई या खुफिया रिपोर्ट को दबा दिया गया। किस विभाग ने इसमें शिथिलता की, किसने मुस्तैदी नहीं बरती। यह सारा मामला हमारी आंखों में खटक रहा है। जिस दिन से हमने अखबार में देखा कि पीठ पर दोनों हाथ बांधे हुए हमारे जवान के साथ दुर्व्यवहार, दूसरे दिन देखा जैसे जानवर को टांगते हैं, वैसे ही बांस में हाथ–पैर बांधकर कंधे पर वहां के सिविलियन, बांगलादेश के लोग हमारे जवानों की डैडबॉडीज को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। वहां से क्षत–विक्षत लाशें मिली हैं, हमें नहीं बुझाता है कि इनके गृह विभाग, डिफेंस विभाग और इनके विदेश विभाग का काम दुरुस्त क्यों नहीं है। हम लोग सशंकित हैं कि आज देश सुरक्षित नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह के व्यवहार से हमारे जवानों का मनोबल और मनोदशा भी सुरक्षित नहीं लगती है।

इन लोगों ने बाद में लिखा–पढ़ी भी की है। इसलिए हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो अवर में आपका नाम भी है। आपको भी बुलाएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हम संयुक्त संसदीय समिति की मांग करते आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.26 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, कर्नल सोनाराम चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए। मैं आप सब की बातें सुनूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.26½ बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराहन् 12.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 अप्रैल 2001/4 वैशाख, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एस० एस० — 48/16/27/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौंवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।